दशम माला, खंड 2, अंक 11

बुधवार, 24 जुलाई, 1991
2 श्रावण 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक है]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 24 जुलाई, 1991/2 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
11	नीचे से पंक्ति 10	"गिरीजा" के स्थान पर "गिरिजा" पढ़िये।
30	11	सदस्य का नाम "श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे" पढ़िये।
59	1	शीर्षक में "रसायनिक" के स्थान पर "रासायनिक" पढ़िये।
64	1	शीर्षक में "आम्बड्कर" के स्थान पर "आम्बेड्कर" पढ़िये।
65	नीचे से पंक्ति 13	प्रश्न संख्या 512 में "श्री भाग्य गोवर्धन" के स्थान पर "श्री भाग्ये गोवर्धन" पढ़िये।
98	7	प्रश्न संख्या 540 में "शाहबुद्दीन" के स्थान पर "शाहाबुद्दीन" पढ़िये।

विषय-सूची

दसम माला, खण्ड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 11, बुधवार, 24 जुलाई, 1991/2 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123 और 125 से 127 . .	2–19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 124 और 128 से 141 . .	20–33
अतारांकित प्रश्न संख्या 468 से 472 और 474 से 542 .	33–104
मंत्री द्वारा वक्तव्य :	
राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त श्री षण्मुगम का हिरासत से बच निकलना और बाद में उसकी मृत्यु हो जाना श्री एस. बी. चव्हाण	105–117
सभा पटल पर रखे गए पत्र	117–119
सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के बारे में घोषणा .	119
कार्य मंत्रणा समिति :	
दूसरा प्रतिवेदन—स्वीकृत	119
नियम 377 के अधीन मामले :	
(एक) मध्य प्रदेश में विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता श्री खेलन राम जांगड़े	120
(दो) हिमाचल प्रदेश में सूखे के कारण फसलों की क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने और तुरन्त राहत उपाय करने की आवश्यकता श्री के. डी. सुल्तानपुरी	120
(तीन) देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री मानकूराम सोढ़ी	120
(चार) रक्षा सेवाओं में "एक रैंक एक पेंशन" के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता प्रो. प्रेम धूमल	121

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

1—189 एल०एस० एस०(एनडी)/91

विषय		पृष्ठ
(पांच)	समस्तीपुर, बिहार में उर्वरक कारखाने के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	121
	श्री मंजय लाल	
(छः)	गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	121
	श्री भुवन चन्द्र खंडूरी	
(सात)	हावड़ा और खड़गपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता	122
	श्री सत्यगोपाल मिश्र	
(आठ)	त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले मलयालम कार्यक्रमों को केरल के अन्य दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा रिले किए जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	122
	श्री वी. एस. विजयराघवन . .	

बजट (रेल)—1991–92 . सामान्य चर्चा . .		123–163
और		
अनुदानों की मांगे (रेल)—1991-92		
	श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर . .	123–125
	श्री आस्कर फर्नान्डीज . .	125–127
	श्री सैयद शाहबुद्दीन . . .	127–130
	श्री मल्लिकार्जुन . . .	130–138
	श्री अरविन्द नेताम . . .	138–140
	श्रीमती सुमित्रा महाजन . . .	140–143
	श्री सूरज मंडल . . .	143–146
	श्री ई. अहमद . . .	147–149
	श्री विलास मुत्तेमवार . .	150–152
	डा० वसंत पवार . .	152–155
	डा० जयन्त रंगपी . . .	155–156
	श्री कालका दास . . .	150–158
	श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर . . .	159–160
	श्री छेदी पासवान	160–162
	श्री मोहन विष्णु रावले . . .	162–163
मारिशस के प्रधान मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ का स्वागत		163
बजट (सामान्य)—1991-92		163–201
	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 पुरःस्थापित . . .	201

लोक सभा

बुधवार, 24 जुलाई, 1991/2 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा)

निधन संबंधी उल्लेख

11.02 म० पू०

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व साथी श्री भक्त दर्शन तथा श्री शंकर दयाल सिंह के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री भक्त दर्शन ने 1952-70 के दौरान, प्रथम, दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।

श्री भक्त दर्शन ने शांतिनिकेतन में शिक्षा प्राप्त की तथा कम उम्र में ही स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए तथा अनेक वर्षों तक बन्दी रहे।

वह एक प्रसिद्ध सांसद तथा शिक्षाविद् भी थे। 1963-71 के दौरान केन्द्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालय बखूबी संभाले।

श्री भक्त दर्शन ने अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में गढ़वाल के विकास में गहन रुचि ली तथा इस क्षेत्र के विकास से जुड़े अनेक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

वह हिन्दी को बढ़ावा देने में बहुत लीन थे तथा विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से बड़ी अंतरंगता से सम्बद्ध रहे।

वे स्वस्थ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते थे और एक हिन्दी साप्ताहिक "कर्म भूमि" के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने "सुमन-स्मृति-ग्रन्थ" तथा "गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां", दो पुस्तकें प्रकाशित की।

वह एक विख्यात तथा समर्पित सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा गांधीवादी जीवनचर्या में पूर्णत: विश्वास करते थे तथा उन्होंने कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि को संगठित किया था। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत जवानों के कल्याण के लिए अनथक कार्य किया और साथ ही आजाद हिन्द फौज राहत कोष की स्थापना की।

श्री भक्त दर्शन का देहावसान 79 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल, 1991 को हो गया।

श्री शंकर दयाल सिंह ने 1984–89 के दौरान आठवीं लोक सभा में बिहार के धनबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पहले वे अनेक वर्षों तक बिहार विधान परिषद् तथा बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। वह अनेक वर्षों तक राज्य मंत्री परिषद के सदस्य रहे और विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय कार्य किया।

उन्होंने सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा के प्रसार के लिए जोर-शोर से कार्य किया और अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की।

श्री सिंह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे और उनके योगदान की सराहना की गई थी।

उनका देहावसान 66 वर्ष की आयु में 14 जुलाई, 1991 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़ी रहे।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.05 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र

*121. श्री योगेन्द्र झा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले परमाणु विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चेरनोबिल जैसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी अवधि तथा परिव्यय को अभी अंतिम रुप दिया जाना है। इस योजनावधि में उन परमाणु विद्युत संयंत्रों के अलावा जो पहले से काम कर रहे हैं, नरोरा में दूसरे यूनिट को तथा ककरापार में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिटों को चालू किया जाएगा और राजस्थान का तीसरा तथा चौथा यूनिट (220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट) और कैगा का पहला तथा दूसरा यूनिट (220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट) निर्माणावस्था

के अन्तिम चरण में पहुंच जाएंगे। यह प्रस्ताव है कि परियोजना संबंधी वित्तीय संस्वीकृति मिलने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर इस योजनावधि के दौरान कैगा में 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 4 यूनिटों (केगा 3 से 6 तक), तारापुर में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिटों (तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4) और राजस्थान में 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिटों (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 तथा 6) तथा कुडानकुलम में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिटों का निर्माण कार्य शुरु किया जाए। नए यूनिटों के संबंध में स्थिति आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्पष्ट हो पाएगी।

(ख) चेरनोबिल में जिस तरह की दुर्घटना हुई थी वह आर० बी० एम० के० किस्म के रिएक्टरों में होनी आपेक्षिक थी और उन विशेष परिस्थितियों की वजह से जिनमें उसे उस समय चलाया गया था। ऐसी दुर्घटना हमारे रिएक्टरों में जिन्हें बहुत ही नियमित प्रचालन परिस्थितियों में चलाया जाता है, नहीं हो सकती। चेरनोबिल दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की गई विस्तृत पुनरीक्षाओं ने भारतीय परमाणु विद्युत रिएक्टरों की सुरक्षा संबंधी यथेष्टता स्थापित कर दी है। अत्यधिक सावधानी के तौर पर, चालू बिजलीघरों में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार की गई योजनाओं को सुदृढ़ बनाया गया है।

श्री० भोगेन्द्र झा : महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में पहले ही निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा प्रस्तावित परियोजनाओं का उल्लेख है तथा यह भी स्पष्टीकरण है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय प्रस्तावित इकाईयों की स्थिति बदल सकती है। मैं मंत्री महोदय से मौजूदा तथा प्रस्तावित संयंत्रों तथा पहले ही कार्यरत संयंत्रों के बारे में जानना चाहता हूं। लागत तथा वास्तविक उत्पादन के संबंध में अभी तक 200 मेगावाट की क्षमता की छोटी इकाइयों, 500 मेगावाट क्षमता की बड़ी इकाईयों तथा इससे भी अधिक क्षमता की और भी बड़ी इकाईयों के परिणाम क्या रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बड़ी, छोटी अथवा मध्यम इकाईयों से अधिक तथा बेहतर विद्युत और शीघ्र मिल सकेगी। मैं समझता हूं कि बिहार तथा अन्य क्षेत्र इस संबंध में उपेक्षित रहे हैं। मजबूरियां कुछ भी रही हों, बिहार अपेक्षित क्यों है ? अगर ऐसा नहीं है तो क्या परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। हम अक्सर यह सुन रहे हैं कि यूरेनियम का एक भाग हमारे पड़ौसियों को भेज दिया गया है। क्या इस श्रेणी में बिहार को भी शामिल किया जाएगा ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हमारी मौजूदा योजनाओं में बिहार को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब उस चरण में भी इसे शामिल करने से वंचित रखा जाएगा।

श्री० भोगेन्द्र झा : इसे अलग रखने का क्या कारण है।?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इस राज्य को फिलहाल अलग रखने के कुछ कारण तो हमें ज्ञात हैं। 1969 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था और आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय हम इसे तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे परियोजनाएं हैं जो पहले से कार्य कर रही हैं। दूसरी श्रणी निर्माणाधीन योजनाओं की है जिन्हें अभी पूरा किया जाना है और जहां तक नई परियोजनाओं का सबध है, एक या दो संयंत्रों के लिए हमारे साथ वार्ता चल रही है। उदाहरण के लिए तमिलनाड में दो संयंत्र इकाईयों के लिए हम सोवियत संघ से वार्ता कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने अब विद्यमान क्षमता के बारे में कहा है । विभिन्न संयंत्रों की विभिन्न स्थापित क्षमता है । मैं कहती हूं कि ये सभी वास्तव में पूर्ण क्षमतानुसार कार्य नहीं कर रहे है । इनमें से कुछ तो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें चलाने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं । एक या दो स्थानों पर तो यह समस्या कुछ उपकरणों के खराब हो जाने की है । उदाहरण के लिए तारापुर संयंत्र में 64 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है जबकि यहां पर प्रति इकाई स्थापित क्षमता 160 मेगावाट है । राजस्थान में कोटा में एक इकाई है जिसकी केवल 15 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है, ऐसा विभिन्न समस्याओं के कारण हो रहा है । इसलिए, इस समय एक समान क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है । हम इन संयंत्रों में से कुछ को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं । निःसंदेह यह योजना को अन्तिम रूप देते समय हमें उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

श्री० भोगेन्द्र झा : लागत और उत्पादन के अनुपात के बारे में क्या कहना है ? मेरा मुख्य प्रश्न छोटे, मध्यम तथा बड़े संयंत्रों में लागत और उत्पादन के अनुपात के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप परमाणु संयंत्रों का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा: जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही प्रकार के संयंत्र . . .

श्री भोगेन्द्र झा : विवरण में भी 220 मैगावाट और 500 मैगावाट के संयंत्रों का उल्लेख है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, 220 मैगावाट तथा 500 मैगावाट के संयंत्रों की लागत तुलनात्मक है । इनके आकार के अनुसार निवेश अधिक हो जाता है और ऐसा नहीं है कि बड़ा संयंत्र स्वतः ही सस्ता होता है । ऐसा नहीं है ।

श्री भोगेन्द्र झा : अब मेरा दूसरा अनुपूरक . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने दो प्रश्न पूछे थे ।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, महोदय । ऐसा नहीं है । उन्होंने मेरे पहले प्रश्न का एक भाग छोड़ दिया, मैंने इसे दोहराया भी था ।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, यह ठीक है। उन्होंने अपने प्रश्न के एक भाग को दोहराय है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कक्ष में उनसे बात करें तो आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी । कृपया बैठ जाइए ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देने का काफी अच्छा प्रयास किया है । मुझे विश्वास है कि वह अभी भी ऐसा ही करेंगी । मैं केवल तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं । (क) बीसवीं सदी तक हम 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे इसकी जो घोषणा हमने की थी, उसकी इस समय क्या स्थिति है ? क्या हम इससे पीछे हैं अथवा हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं ? क्या आपने इस लक्ष्य को छोड़ दिया है ? यदि आपने इसे छोड़ दिया है तो क्यों ? (ख) आर०ए०पी०पी० 3 और 4 तथा आर०ए०पी०पी० 5 मे 8 को क्या स्थिति है ? क्या अपने निर्धारित कार्यक्रमानुसार उन पर कार्य हो रहा है यदि ऐसा नहीं हैं तो क्यों ? (ग) प्रदूषण सम्बन्धी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न काफी अधिक विषयों से सम्बन्धित है ।

श्री जसवन्त सिंह : मूल प्रश्न भी प्रदूषण सम्बन्धी है। भेंसरोड पंचायत समिति जो मेरे वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है, वहां पर स्थित आर०ए०पी०पी० में भारी जल संयंत्र से जल की निकासी के कारण होने वाले प्रदूषण सम्बन्धी समाचार मिले हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उस अंतिम प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्रीमती मार्गरेचट अल्वा : आर०ए०पी०पी० 3 तथा 4 को वित्तीय स्वीकृति नवम्बर 1986 में दी गई थी तथा मूल समयसीमा मई 1995 तथा नवम्बर 1995 है ।

श्री जसवन्त सिंह : क्या आप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : जैसा मैंने पहले कहा था यह वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता जो विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि जिस कार्यक्रम की घोषणा की गई है उसे वास्तव में कार्यान्वित किया जा सके। आंठवी योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा बातचीत जारी है । जहां तक इन संयंत्रों का सम्बन्ध है, हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम हेतु हमें जिस वस्तु की भी आवश्यकता होगी, वह हमें योजना आयोग उपलब्ध कराएगा । इस समय हम आशा कर रहे हैं कि हम क्रमशः आर०ए०पी०पी० 3 तथा 4 के लिए मई 1995 तथा नवम्बर 1995 को निर्धारित समयसीमा को ही मान कर चलें। आर०ए०पी०पी० 5 से 8 के सम्बन्ध में हमें इस समय पूरा भरोसा नहीं है क्योंकि यह हमारी संसाधन स्थिति पर निर्भर करता है । मैं नहीं समझता कि जब तक हमें संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह : आप बीसवीं सदी तक 10,000 मेगावाट का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? आपने यह कहकर अपनी बात आरम्भ कर दी कि आप 10,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैंने वह नहीं कहा था । आठवीं योजना में उपलब्ध संसाधनों पर यह निर्भर करता है । मैं इस समय नहीं कह सकती कि वे संसाधन कौन से होंगे ?

श्री शिव चरण माथुर : माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी सभा को सूचित किया है कि आर०ए० पी०पी० के प्रथम रिएक्टर ने अपनी क्षमता 15 प्रतिशत दी है । क्या यह प्रथम रिएक्टर के सम्बन्ध में है जिसे कनाडा से भारत में लाया गया था ? वह एक प्रयोगात्मक अवस्था थी । दूसरे रिएक्टर के बारे में क्या हुआ जिसे राजस्थान से लाया गया था ?

मूलतः यह अनुमान लगाया गया था कि सातवीं योजना अवधि के दौरान 235 मेगावाट की क्षमता वाले दो विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे । तथा 500 मेगावाट की क्षमता वाले चार संयंत्रों को आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि में लगाया जाएगा । अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि इन सभी संयंत्रों जिनकी स्वीकृति दे दी गयी थी तथा जिनके बारे में शुरू में विचार किया गया था कि उन्हें निर्धारित समय के अन्दर ही स्थापित कर दिया जाएगा । उन सब के बारे में क्या समय सीमा निर्धारण की गई थी ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : जहां तक कोटा संयंत्र का सवाल है यह ठीक है कि इसका पहला चरण केनेडियन सहायता से पूरा किया जाना था । परन्तु 1974 के परीक्षण के पश्चात् उन्होंने वस्तुतः इस परियोजना को छोड़ दिया तथा हमें इसे अपने बलबूते पर ही इसका काम शुरू करना पड़ा था । हम ऐसा कर पाने में समर्थ भी रहे थे परन्तु जैसे-जैसे परियोजना पर काम आगे बढ़ता चला गया वैसे ही

इस परियोजना को चलाने सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो गई तथा जैसा कि मैंने कहा कि हम प्रथम कोटा संयंत्र का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सके । दूसरे चरण के बारे में भी वही उत्तर है कि यदि हमें संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तब हम इस पर कार्य कर सकेंगे ।

श्री शिव चरण माथुर : मैं रिएक्टर प्रथम के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : दूसरा ठीक काम कर रहा है । दूसरे के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । पहले रिएक्टर के सम्बन्ध में हमें कठिनाई थी । अब हम अगले चरण, जिनकी कि अब बारी है पर ठीक से कार्य कर सकते हैं ।

आर०ए०पी०पी० II के बारे में मैं यही कहूंगी कि हमने आर०ए०पी०पी० I का पन्द्रह प्रतिशत की तुलना में 69 प्रतिशत उपयोग किया है ।

श्री राम नाईक : महोदय, तारापुर मेरे उत्तर-मुम्बई निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है । आर०ए०पी०पी० I तथा अर०ए०पी०पी० II एकक लगभग 25 वर्ष पूर्व बनी थी तथा आर०ए०पी०पी० III तथा आर०ए०पी०पी० IV अभी विचाराधीन हैं । इन दो संयंत्रों के साथ समस्या यह है कि वहां के गांव-वासियों को शिकायत है तथा वे कहते हैं कि जो जमीन पच्चीस वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई थी, उस सम्बन्ध में अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है । अतः जमीन देने में काफी असंतोष व्याप्त है । क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि इस असंतोष को दृष्टिगत रखते हुए जमीन सम्बन्धी समस्या का समाधान चार अथवा पांच महीने के समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हो जाएगा ताकि तीसरे तथा चौथे संयंत्र हेतु जमीन सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराई जा सके ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं नहीं समझती कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं सीधे ही दे सकती हूं । आप मुझे नोटिस दीजिए परन्तु हम हर एक उस कागजात को देखेंगे जो विचाराधीन है ।

श्री राम नाईक : परन्तु तीसरे तथा चौथे संयंत्रों के लिए जमीन की आवश्यकता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : भूमि अधिग्रहण के बारे में माननीय मंत्री जी के पास कोई जानकारी नहीं हैं । वह इस मामले को देखेंगी । "मामके को देखेंगी" से अभिप्राय आश्वासन होता है ।

श्री के० वी० थॉमस : महोदय, केरल में विद्युत उत्पादन पन-बिजली परियोजनाओं पर निर्भर होता है । अतः जब वहां मानसून नहीं आता है तब केरल में विद्युत की स्थिति भी प्रभावित होती है । अतएव मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केरल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना करे । मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में आठवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा अथवा नहीं ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : समिति ने केरल में कन्नानोर का दौरा किया था तथा हमने केरल सरकार द्वारा सुझाए गए स्थान का निरीक्षण किया था । इस पर विचार किया जा रहा है परन्तु मैं वास्तव में यह नहीं कह सकता कि कोई निर्णय किसी बारे में लिया गया है अथवा कुछ किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री रामलखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं निश्चित की हैं या नहीं । यदि प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं तो वे प्राथमिकताएं क्या हैं और बिहार उन प्राथमिकाताओं में आता है या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकती हूं कि बिहार पूर्वी विद्युत क्षेत्र का भाग है जहां पर कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है तथा जहां पर कोयला उपलब्ध होता है सामान्यतः उस स्थान को "प्राथमिक क्षेत्र" नहीं माना जाता है ।

श्री अण्णा जोशी : क्या वे परमाणु विद्युत संयंत्र जिनकी स्थापना की जा रही हैं अथवा जो आगामी वर्षों में लगाए जाएंगे वे उसी प्रकार के होंगे जैसे कि चेरनोबिल्त में लगाए गए थे जहां पर दुर्घटना घटी थी ? भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दूंगी कि चेरनोबिल में जिस प्रकार का संयंत्र लगाया गया था वैसे संयंत्र लगाने की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है ।

पश्चिम महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास

122* **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र, विशेषकर शोलापुर जिले, के औद्योगिक विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और मार्च, 1991 तक उपयोग की गयी धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या आवंटित राशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है तथा विकास के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों को यथासंभव कम से कम समय में प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज) :(क) औद्योगिक विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए किया गया था तथा पश्चिमी महाराष्ट्र या शोलापुर जिले के लिए विशेष रूप से अलग से कोई परिव्यय/लक्ष्य नहीं रखा गया था ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने से पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर०भारद्वाज : राज्य में विकास के लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा उनका आबंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार को वह स्थान बताना होता है जहां पर किसी जिला अथवा क्षेत्र विशेष में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यता होती है । महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ समस्या है । महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्यों का पता

लगाने हेतु वर्ष 1983 में एक समिति का गठन किया था जो इस प्रश्न पर जांच-पड़ताल करेगी तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय बकाया कार्य का पता लगायेगी तथा वर्ष 1984 में लक्ष्यों का पता लगाने वाली समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसके अनुसार नौ विकास क्षेत्रों में 3186.78 करोड़ रु० का बकाया कार्य अभी शेष रहता है उन क्षेत्रों में बकाया कार्य का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से है :

ग्रेटर मुम्बई . . .	0.30 प्रतिशत
कोंकण . . .	9.28 प्रतिशत
पश्चिमी महाराष्ट्र . .	27.74 प्रतिशत
मराठवाड़ा . .	23.56 प्रतिशत तथा
विदर्भ क्षेत्र	39.12 प्रतिशत

इस बकाया कार्य को पूरा करने के लिए अन्तरिम उपाय किए गए थे तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बकाया कार्य को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी। इसमें 1,359 करोड़ रु० की राशि व्यय की जा चुकी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न शोलापुर जिला तथा पश्चिमी महाराष्ट्र के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के तीन-चार रीजन हैं खास तौर से मराठवाड़ा, विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र का कुछ इलाका, जहां का विकास नहीं हुआ है, कोंकण का विकास नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं सरकार के पास आयी हैं उनके बारे में खासतौर से क्या भारत सरकार ध्यान देगी, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह विशेष प्रश्न पश्चिमी महाराष्ट्र के सम्बन्ध में उठाया गया था तथा मैं माननीय सदस्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी क्षेत्र तथा विशेषकर शोलापुर जिले के लिए आवंटित की गई राशि बता सकता हूं। 657.12 करोड़ रु० के आबंटन में से 477.59 करोड़ रु० सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यय किए गए थे जिसमें से 39.95 करोड़ रु० शोलापुर जिले के लिए आबंटित किए गए थे तथा 29.85 करोड़ रु० व्यय किए गए थे। यह स्थिति है जिसे हमने राज्य सरकार की रिपोर्ट से नोट किया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, जहां तक औद्योगिक विकास को बढ़ाने की बात है उसके लिए क्षेत्रों का चयन पूरी तरह से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। महाराष्ट्र राज्य में पांच विकास केंद्रों की अंतर्संरचना विकसित करने के लिये आवंटित किया गया। दो पश्चिमी क्षेत्र में गए हैं। इस प्रकार राज्य सरकार अविकसित क्षेत्रों और क्षेत्रीय असमानता के प्रति सजग है।

औद्योगिक नीति

*123. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय को इस आशय के निदेश जारी किये गये हैं कि वह वर्तमान औद्योगिक नीति के सम्पूर्ण ढांचे का गहन अध्ययन करके संशोधनों का सुझाव दे जिससे विकास तीव्र गति से हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में इस बीच गहन अध्ययन कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति और प्रक्रियाओं की इस समय समीक्षा की जा रही है ।

श्री बी०श्रीनिवास प्रसाद : जो पत्र हमें दिए गए है उसमें कहा गया है कि नई औद्योगिक नीति तैयार हो गई है । माननीय प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है ताकि द्रुत औद्योगिकीकरण को सुनिश्चित किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि उद्योग मंत्री से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने औद्योगिक नीति को सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : एक दो घंटे में आपको उक्त औद्योगिक नीति मिल जाएगी । इसलिये, क्या आप पूरक प्रश्न करने के इच्छुक हैं, क्योंकि आप जो भी पूछेंगे उसे दो घंटे के अंदर सभा पटल पर रखा जाएगा ? वह औद्योगिक नीति को दो घंटे के अंदर सभा पटल पर रखने जा रहे है । उसे पढ़कर आप जान सकेंगे कि इस नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार क्या करने जा रही है । इसलिये पूरक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है । हम अगले प्रश्न पर चर्चा शुरू कर सकते हैं ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न सूची में मैं दूसरा प्रश्नकर्ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि हम जल्द ही नई औद्योगिक नीति प्राप्त करेंगे और इसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायगा ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अभी हम उस नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह उस नीति के संबंध में है । यदि आप कुछ और ही पूछ रहे हैं तो मैं अनुमति दूंगा । मेरा इरादा अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति देने का है ।

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं कि यह नई नीति भारतीय और विदेशी निवेशकों को नियमित करने जा रही है या यह भारतीय और विदेश निवेशकों के बीच अंतर करेगी और विशेषकर क्या सरकार उद्योगों को नियंत्रित करने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पढ़कर न सुनाएं । कृपया प्रश्न करें । यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो हम दूसरों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे । श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि प्रस्तुत की जाने वाली औद्योगिक नीति में किस बात पर बल दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी पंडितजी के समय से ही हम समाजवादी व्यवस्था से जुड़े रहे हैं । उसी नीति का अनुसरण स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और उसी तरह श्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया । क्या इस नीति के तहत सरकार का विचार एम०आर०टी०सी० कंपनियों की सम्पत्ति की सीमा को बढ़ाने का है, यदि हां, तो किस आधार पर और इसके कारण क्या हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री ने पंडितजी और समाज के समाजवादी रूप का उल्लेख किया है । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 से अवगत होंगे जिस पर हम सभी सहमत हैं । हमारी नई नीति उस पर आधारित है । **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 1956 के संकल्प में 1973, 1977, 1980 में और बाद में सुधार किए गए । जो उस सभा द्वारा स्वीकृत किए गए । कुछ सुधार किए गए है । किन्तु नीति में परिवर्तन संभव हैं । **(व्यवधान)** हम मौलिक नीति को स्वीकारते हैं । हम जानते हैं कि यह देश के हित में है । कोई नीति स्थायी नहीं होती और अगर यह स्थाई हुई तो यह अप्रासंगिक हो जाती है। इस सभा ने उन सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया । और कभी कभी वर्तमान घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन अनिवार्य होते हैं ।

एम०आर०टी०सी० पर दूसरे प्रश्न के संबंध में, यदि माननीय सदस्य आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें तो, उन्हें सभी ब्यौरा मिल जाएगा ।

[हिन्दी]

बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

*125. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के जन्म शताब्दी वाले इस वर्ष को "सामाजिक न्याय वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 के दौरान दूरदर्शन ने भीमराव आम्बेडकर साहेब पर कितनी बार कार्यक्रम प्रसारित किये;

(ग) श्री जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी के दौरान उनसे सम्बन्धित कार्यक्रम कितनी बार प्रसारित किये गये थे; और

(घ) यदि इनमें कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन ने 1990–91 के दौरान डा० बाबा साहेब आम्बेडकर पर 202 कार्यक्रम प्रसारित किये ।

(ग) दूरदर्शन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उनके जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान 215 कार्यक्रम प्रसारित किये थे ।

(घ) ऐसे मामलों में संख्या की तुलना करना ठीक नहीं है । दूरदर्शन का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्रमुख भारतीयों की जीवनी और उनके योगदान के साथ न्याय हो ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदया ने जो कहा है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को 202 बार समय दिया गया है और पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी को 215 बार समय दिया गया है । मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक्ट और फैक्ट में फर्क होता है । मेरी कोई पण्डित जी से दुर्भावना नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए । अन्यथा, हम दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्नों तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप थोड़ा सा समय इंट्रोडेक्शन के लिए सदस्यों को समय देते हैं, हमें भी दें । आप देखेंगे कि पण्डित नेहरू के समय में एयरोप्लेन से लेकर सब जगह पर उन्हीं की कोटेशन लिखी रहती थी, दूरदर्शन पर भी उनके बारे में आता था । मैं समझता हूं एक बार भी बाबा भीमराव आम्बेडकर का कोटेशन टी०वी०पर कभी नहीं आया। 202 बार आपने कहा है, हम उस समय जब मंत्रि-मण्डल में थे हमने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जितना हम चाहते थे, नौंकरशाहों के कारण हम उतना नहीं कर पाते थे । आज भी मैं यह कहना चाहता हूं......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण मत दीजिए । अपना प्रश्न पूछिए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : क्या यह सही है कि 14 अप्रैल, 1991 के बाद एक दिन भी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का न तो कोई स्टेटमेंट या कोटेशन, या कोई उनका चित्र वगैरह दूरदर्शन पर दिखाया गया है, यदि दिखाया गया है तो कब ?

कुमारी गिरीजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से और सदस्य महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह की तुलना के प्रश्न यदि सदन में भी उठने लगे तो हम लोग केवल वर्ग विभेद करने लगे और जो हमारे महान नेता थे उनके प्रति कितनी श्रद्धा है इस विभेद में ही पड़ जायेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा । सामाजिक न्याय के रूप में आम्बेडकर साहेब की जयन्ती को केवल एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि दूसरे साल के लिए भी बढ़ा दिया गया है । 202 कवरेज जो किये हैं वे प्रथम वर्ष के हैं । आप जानते हैं अप्रैल के बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद भी एक्सटेंडेड वर्ष था उसके बाद एपिसोड तैयार करने में समय लगता है । मैं निवेदन कर दूं कि इस वर्ष के लिए 13 एपिसोड बम्बई दूरदर्शन के लिए जो उनकी फिलासफी और सोशल वर्क पर होंगे प्रसारित किये जायेंगे । 8 एपिसोड दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित किये जायेंगे । जितने भी कार्यक्रम इस वर्ष प्रसारित किये जायेंगे उन सबको दूरदर्शन से निश्चित रूप से प्रसारित किया जायेगा ।

ए०आई०आर० से भी किया जायेगा। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से एक फिल्म बननी चाहिए थी उसके लिए भी बातचीत हो रही है । इसलिए कोई भी हमारे नेता हों चाहे कोई भी युग के हों या समय के हों या वर्ग के हों हमारे लिए कोई कम नहीं हैं । और केवल टी०वी० पर एक क्षण को देखकर ही किसी भी नेता के संदर्भ यह नहीं कहा जा सकता है कि वह नेता कुछ अलग महान था या छोटा है या बड़ा है ? इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार के प्रश्न कम से कम सदन में पूछे जायें ।

श्री राम विलास पासवान : हमने सीधा प्रश्न किया कि 14 अप्रैल, 1991 के बाद. . .देखिये नेता सब बराबर हैं लेकिन इसमें दो बात नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है । यह इसलिए कि सब नेता बराबर हैं और सब नेता बराबर हैं, यह कहकर आप काऊ डाऊन मत कीजिये । पं० जवाहर लाल नेहरू के प्रति हमारी महान श्रद्धा थी लेकिन. . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, प्वयंटेड क्वश्चन ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने सीधा सवाल पूछा हैं । आप मुझे प्रोटेक्शन कीजिये, आप क्यों नहीं पूछते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्वायंटेड क्वश्चन ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पूछा था कि 14 अप्रैल, 1991 के बाद चाहे इलेक्शन्स हों या जो कुछ भी हो, टी०वी० पर बाबा साहब आम्बेडकर को नेशनल नैटवर्क में दियाखा गया है या नहीं जवाब हां या न में दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : हां या न में ।

कुमारी गिरिजा व्यास : बीस से लेकर चौबीस नम्बर एपीसोड–चार एपीसोड 14 अप्रैल के बाद प्रसारित हुए हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, इस प्रश्न पर मैं आपको एक दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : दूसरा, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह भी सही है कि नेशनल फ्रंट के समय में एक प्रसार समिति बनायी थी। बाबा साहब आम्बेडकर सेंटिनरी कमेटी की सब-कमेटी के रूप में और उस प्रचार कमेटी ने उसी समय अपनी रिपोर्ट दे दी थी ? क्या सरकार को मालूम है कि उस रिपोर्ट में मुख्यत: क्या क्या बातें हैं और सरकार उसमें क्या क्या कदम उठा रही है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : सब-कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और केवल आई एंड बी विभाग से इसका संबंध नहीं है । हमारा कार्य तो जो कुछ होता है नेशनल फ्रंट पर उसे प्रोजेक्ट करना होता है । कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे पास है और उसके अन्तर्गत जो कुछ सैंटिनरी ईयर में होगा, उसको अधिक से अधिक हम लोग ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मि० चार्ल्स ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पूछा था कि रेकमेंडेशन्स क्या हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे कहती हैं कि विभिन्न मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन करेंगी ।

श्री राम विलास पासवान : मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि सारी सिफारिशें पढ़ी जाएं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : दो-तीन । हमको आप कहें तो मैं आपको पूरी बतला दूं । क्या क्या रेकमेंडेशन्स हैं ?

कई माननीय सदस्य : फिर क्यों पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मि० चार्ल्स ।

श्री राम विलास पासवान : क्या मालूम है। क्वश्चन तो वही है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रश्न पूछा था, अगर उससे आपका समाधान हो जाता है तो. . .

श्री राम विलास पासवान : कि मीडिया कमेटी बनायी गयी मिनिस्ट्री में, मिडिया कमेटी में उसकी क्या रेकमेंडेशन्स हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी मिनिस्ट्री से सम्बन्धित हैं । मि० चार्ल्स ।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : यह एक तथ्य है कि हम सभी अपने महान राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान करते हैं । किन्तु दुर्भाग्य से, कुछ स्वयंभू नेता राष्ट्रीय नेताओं का राजनैतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं । अब भी दूरदर्शन पर संसद समाचार दिखाए जाते हैं, तो उसके साथ ही यह सम्माननीय सदन—विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र शान्ति स्थल को दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है । इसके साथ ही अम्बेडकर जी की मूर्ति भी दिखाई जा रही है । यह कांग्रेस शासन के दौरान शुरू किया गया था । जनता शासन के दौरान यह कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानकारी दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री ए० चार्ल्स : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि जनता शासन के दौरान राष्ट्रीय नेता की मूर्ति क्यों नहीं दिखाई गई थी और यह पुनः कैसे शुरू की गई, इस बारे में क्या कोई जाँच की जाएगी, डा० आम्बेडकर का अपमान करने के लिए जो उत्तरदायी हैं क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

कुमारी गिरजा व्यास : मैं इसकी जाँच करूँगी ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदया मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पायेंगी, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि डा०

अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिये सरकार ने तय किया है कि वर्तमान वर्ष सैन्टेनरी ईयर को "सोशल जस्टिस ईयर" के रूप में मनाया जाये । क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि डा० अम्बेडकर की सर्वश्रेष्ठ कृति "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम" मानी गयी है, जिसमें जातिवाद के सम्बन्ध में उनके विचारों का संकलन है, उस कृति के सार को मद्देनजर रखते हुए, क्या दिल्ली दूरदर्शन की ओर से अथवा बम्बई दूरदर्शन की ओर से कोई सीरियल बनाने वाले हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी कृति "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम" का सोश्यल जस्टिस से सीधा सम्बन्ध है, वह अलग है, इसलिये मेरा डर है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, सिर्फ उनकी आरती ही न उतारी जाये किन्तु जिस ठोस बात के लिये उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी बिताई, और लड़ाई लड़ी, वह कहीं नजरअंदाज न हो जाये, इसके लिये प्रधानमंत्री जी बतायें कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति "एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम" को इन्फार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की ओर से छपवाये जाने की क्या कोई योजना विचाराधीन है और उनकी नीतियों को सीरियल के माध्यम से प्रसारित करने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है या नहीं । यदि है, तो वह क्या है ।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह कहना बहुत कठिन है कि सब इस पर सहमत हों कि उनकी सबसे अच्छी पुस्तक यह है । वे एक महान लेखक थे, एक महान संवैधानिक पंडित थे, एक महान सामाजिक सुधारक थे । किन्तु मैं मानता हूँ कि उनके कुछ आदर्शों को अमर बनाना होगा । हमें उनसे प्रेरणा लेनी है । और मैं अपने आदरणीय पूर्व-वक्ता के इस सुझाव को लेता हूँ कि जाति व्यवस्था का खंडन भारतीय समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है । मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दूंगा और यह एक प्रकाशन निकालने का प्रयास करूंगा । प्रकाशन निकालना कोई समस्या नहीं है । यह निकाला जाएगा । किन्तु यह भी देखना चाहिए कि उस आदर्श को कार्यरूप देने के लिए और क्या किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से निकट भविष्य में, बहुत जल्दी, डा० अम्बेडकर पर एक फिल्म का निर्माण करने जा रही है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी के ऊपर केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके प्राइवेट संस्था से एक फिल्म बनवायी थी, क्या उसी तरह भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय डा० अम्बेडकर के ऊपर तीन घंटे से अधिक अवधि की कोई फीचर फिल्म प्राइवेट संस्था से अपना संबंध स्थापित करके, बनवाये जाने का विचार रखता है । यदि हां, तो कितने करोड़ रुपये की लागत से ऐसी फिल्म बनवाये जाने की योजना है ।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी संदर्भ में पहले ही एक बात कही थी कि जब माननीय चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि एक फिल्म बननी चाहिये । इस पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी । हमारा कार्य फिल्म्स डिवीजन के द्वारा, कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं, यदि इस तरह का कोई प्रोपोजल फाइनेलाइज होता है तो फिल्म्स डिवीजन के द्वारा हम एक टेली-फिल्म बनवायेंगे ।

[अनुवाद]

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन

*126. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वहां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) :(क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के हल्दिया एकक में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन से संबंधित अपने प्रश्न का उत्तर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ । हिन्दुस्तान फर्टि-लाइजर की यह यूनिट जो हल्दिया में हैं इसका प्रस्ताव 1972 में हुआ था और इसे 1976 तक पूरा होना था । वास्तव में यह 1979 में पूरी हुई और प्रारंभिक लागत 84 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना के पूरा होने में 6.84 करोड रुपए का का व्यय हुआ । किन्तु परीक्षण उत्पादन 1985 में शुरू हुआ .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं । मुश्किल यह है कि और भी सदस्य हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं । यह उनके साथ न्याय नहीं है । यह उनके हित में होगा कि आप सटीक प्रश्न ही पूछें ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : 1986 में कमीशन रोक दिया गया। फिर, दो सलाहकार नियुक्त किए गए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी । ...(व्यवधान) उन्होंने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की इस यूनिट के नवीकरण की सलाह दी थी । क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या यह यूनिट बंद नहीं की जा रही जैसा कि पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर की यह यूनिट बंद नहीं की जाएगी ? फिर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन दो सलाह-कारों की सिफारिशों पर विचार करेगी जो इस यूनिट को दो चरणों में पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे । एक न्यूनीकृत ढंग से नहीं बल्कि एक एन०पी०के० यूनिट की तरह जो कि यह यूनिट है । पश्चिम बंगाल में कोई एन०पी०के० यूनिट नहीं है और पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की कमी है ?

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, सरकार ने दो सलाहकार नियुक्त किए थे, एक जापान से और एक जर्मनी से । उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थीं । इस परियोजना पर लगभग 502 करोड़ रुपए लागत आएगी । उस समय सरकार ने सोचा कि परियोजना को पूरा करना संभव नहीं होगा । जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का संबंध है, हम विस्तृत रूप से इसकी जाँच कर रहे हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इस प्लान्ट की एन०पी०के० प्लान्ट की जगह डी०ए०पी० प्लान्ट में सीमित कर दिया जाए? हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा स्थापित एक डी०ए०पी० प्लान्ट पहले से ही हल्दिया में है ।

2—189 एल०एस० एस० (एनडी)/91

डा० चिन्ता मोहन : पिछली सरकार ने डी०ए०पी० परियोजना पर विचार किया । हम भी इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह ऐसा नहीं है कि हल्दिया प्रोजेक्ट की यह हालत इसलिए हुई कि विभिन्न देशों की बहुराष्ट्रीय कपनियों के सभी प्रकार की सहयोगी जिनमें कोई भी तालमेल नहीं था इस परियोजना के लिए ली गई जिन्होंने सिर्फ हमारे राजकोष को चूसा । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसकी जांच की है और इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं ।

डा० चिन्ता मोहन : हम इसकी जाँच कर रहे है ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं जानना चाहता हूँ कि इस यूनिट के शुरू होने से पूर्व परियोजना लागत क्या थी और इस यूनिट के काम न करने के क्या कारण है ?

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, जैसे कि श्री आचार्य ने कहा है, वास्तव में इसकी नींव 1971 में रखी गयी थी और इसमें कार्य 1976 में आरम्भ होना था । लेकिन अनेक कारणों की वजह से इसे 1982 में आरम्भ किया गया था । 1982 और 1986 के मध्य कई समस्यायें उत्पन्न हुई । अमोनिया संयन्त्र ने उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन बाद में कई समस्यायें आयीं ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या कारण है कि इकाई कार्य नहीं कर रही है ?

डा० चिन्ता मोहन : इसके कई कारण हैं । इस परियोजना को शुरु करने के लिए संसार के विभिन्न भागों से कल-पुर्जे लिये गये । अतः इस इकाई को चालू करने के लिए ये सब समस्यायें पेश आयीं ।

[हिन्दी]

मरू भूमि विकास कार्यक्रम

*127. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निर्जल क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जिन्हें मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल न किये जाने से मरूभूमि क्षेत्र का विस्तार हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने सूखाप्रवण क्षेत्र और मरूभूमि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति को इन क्षेत्रों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उचित कार्यवाही करने का है ?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० व्यंकटस्वामी): (क) और (ख) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान ने मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल न किए गए शुष्क क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सिरोही, अजमेर और

जयपुर जिलों के जलवायु संबंधी आंकड़ों की जांच की थी । फलस्वरूप निम्नलिखित स्थिति सामने आयी :—

जिले	जिले का प्रतिशत शुष्क क्षेत्र
सिरोही . . .	14.15
अजमेर . . .	12.46
जयपुर	3.13

(ग) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान के निष्कर्षों से पता चलता है कि मरूस्थली क्षेत्र बढ़ नहीं रहा है ।

(घ) राजस्थान सरकार के ज्ञापन में, मरूभूमि विकास कार्यक्रम जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र जहां कुछ अथवा अधिक सीमा तक मरूस्थल सम्बन्धी परिस्थिति मौजूद है, के विकास के लिए यह सुझाव दिया गया है कि या तो इन्हें मरूभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए अथवा इनके लिए एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया जाए । इस प्रस्ताव में अधिकांशत: उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनका केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने पता लगाया है ।]

(ङ) योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त, 1990 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम को, इसके कार्यान्वियन के लिए राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया जाए । हस्तांतरण के इस सुझाव को देखते हुए, समिति का यह मत था कि इस कार्यक्रम की भावी कवरेज के लिए राज्य स्वयं क्षेत्रों का पता लगायेंगे । समिति की रिपोर्ट पर अब सम्बन्धित राज्य सरकार की टिप्पणी प्राप्त हो गई है और भारत सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा पहला सवाल है कि क्या उदयपुर, जयपुर, अजमेर एवं सिरोही जिलों को चार हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेशों जैसी स्थिति में जो कारखाने दर्शाए गए हैं वे उसमें शामिल हैं या नहीं ? इसी तरह से मरू विकास कार्यक्रम में क्या पेयजल की व्यवस्था की गई है ?

श्री जी० व्यंकटस्वामी : जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो एरिया में दिया गया है मैं बता चुका हूं । तीन डिस्ट्रिक्ट के अन्दर अगर डिटेल्ड स्क्वैर माईल्स चाहते हैं तो वह भी मैं देने के लिए तैयार हूं, इस वक्त मौजूद है ।]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था इसमें की गई है या नहीं ।

श्री जी० व्यंकटस्वामी : की गई है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस जानकारी की जांच करें । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय मेरी जानकारी के आधार पर पेय जल की व्यवस्था नहीं की गई है । माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा पूरक प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है ? वह गलत इन्फर्मेशन दे रहे हैं । **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था के बिना मरु क्षेत्र का क्या विकास होगा? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): महोदय, प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या इस योजना में तीन या चार जिले शामिल किये गये हैं। उत्तर यह है कि इन जिलों में शुष्क क्षेत्र की प्रतिशतता दर्शाई गई है तथा मरुस्थली क्षेत्र के बढ़ने के बारे में भी यह कहा गया है कि निष्कर्षों से पता चलता है कि इन जिलों में मरुस्थली क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है । इस प्रश्न में एक और बात भी है कि इन सभी कार्यक्रमों को राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाये । तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि "अब आप इस सब पर गौर न करें और राज्य सरकार को ही इन्हें देखने दें " । इसलिए जहां तक यह बात है कि इन जिलों में इस समय मरुस्थली क्षेत्र बढ़ रहा है---या नहीं इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जैसे तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य ने सिफारिश की है क्या हमें इस पूरे कायक्रम को राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए । हमें इस पर विचार करना होगा क्योंकि जैसे अन्य राज्य सरकारों की सिफारिश है यदि हम वास्तव में इसे इस तरह करना चाहते है तो हमें अन्य जानकारियां हासिल करनी पड़ेंगी और फिर हम उत्तर पा सकेंगे । परन्तु इस समय स्थिति यह है कि क्या पूरी योजना राज्य सरकार को सौंप दी जाये, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं करना होगा और हम केवल राज्य सरकार को धन देंगे । यही स्थिति है । हमें इस पर निकट भविष्य में विचार करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या पेयजल उपलब्ध किया जायेगा ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : जी नहीं, यह कहा गया था कि पेयजल शामिल नहीं किया गया है । यदि यह शामिल नहीं किया गया है तो इसे शामिल किया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है । श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं प्रधान मंत्री से जांच प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मरुस्थलीकरण की समस्या केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि यह मरुस्थल गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बढ़ रहा है । **(व्यवधान)** मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह इस बात का पता लगाने के लिए एक दल भेजने पर विचार करेंगे कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के झबुआ, धार जिलों में भी बढ़ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह असंबद्ध प्रश्न है । श्री जसवंत सिंह ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लक्ष्मी जैन की सिफारिशों के आधार पर समूचे मरुस्थल विकास कार्यक्रम को राजस्थान सरकार को सौंपने का सवाल है—क्या कोई ऐसी समयावधि है जिसके तहत सरकार निर्णय लेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जल्दी ही । इसमें थोड़ी रुकावट है । सभी अन्य राज्य सरकारें यह करना नहीं चाहती है । इसलिए योजना आयोग के सदस्य चाहते हैं कि यह किया जाये और राज्य सरकारें यह नहीं करना चाहती हैं । इसी दुविधा में हम पड़े है ।

श्री जसवन्त सिंह : राजस्थान सरकार नहीं ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जांच कब की गई थी ? इस जांच के बाद कई वर्षों के बाद स्थिति में अब परिवर्तन आ गया है । मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन फिर जांच करे इस बात की कि रेगिस्तानी क्षेत्र बढ़ रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच कब की गई थी ? क्या इस जांच को वापिस करके फिर राज्य सरकार को सौंप कर, आर्थिक राशि आबंटित करने का प्रावधान किया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि इस संस्थान के निष्कर्षों के बारे में यदि कोई विवाद है तो हम संस्थान से अनुरोध करेंगे कि दुबारा इस पर गौर करे, क्योंकि सच्चाई का पता लगाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए । यदि पहले वाले निष्कर्ष पुराने हो चले हैं, या माहौल बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गयी है, तो हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, आपके जरिये मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने कहा है कि इसमें पेय जल शामिल किया जाना चाहिए तो क्या वह एक वक्तव्य देंगे, क्योंकि पेय जल सबसे महत्वपूर्ण चीज है ।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य जरूरी नहीं है । लोढा जी, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ । यह वक्तव्य अपने आपके एक वक्तव्य है । अब श्री माथुर । **(व्यवधान)**

श्री शिव चरण माथुर : यह आश्चर्य की बात है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मरुस्थल नहीं बढ़ रहा है । यह निश्चित रूप से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है । एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ऐसे 11 सुभेद्य स्थल है, जिसके जरिए मरुस्थल आगे बढ़ रहा है । इनमें पुष्कर गैप जाना पहचाना एक ऐसा प्रमुख गैप है, जिसके जरिये मरुस्थल क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । यदि ऐसी बात है और यदि योजना आयोग और भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की गयी है तो मैं समझता हूँ कि इस पर पुनः गौर किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसकी पुनः जांच की जा सकती है । माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसकी पुनः जांच की जा सकती है । अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उचित दर दुकानों पर खराब किस्म के चावल और गेहूं

*124. **श्री मनोरंजन सूर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूरे देश में उचित दर दुकानों तथा सार्वजनिक वितरण केंद्रों के जरिए खराब किस्म का चावल और गेहूं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों वाले उचित औसत गुणता के चावल तथा गेहूं जारी करता है ।

चावल तथा गेहूं की अधिप्राप्ति, देश में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों पर की जाती है । इस प्रकार विभिन्न गोदामों से एक साथ निर्मुक्त किए गए खाद्यान्नों की गुणता में विनिर्दिष्ट मानकों के अन्दर ही थोडा सा अन्तर होने से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता ।

उचित दर की दुकानों के जरिए चावल तथा गेहूं के वितरण का कार्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है ।

केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण प्रबंधों को मजबूत करें, ताकि उपभोक्ताओं को उचित गुणता का गेहूं तथा चावल प्राप्त हो सके । सरकार को हाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले चावल या गेहूं की खराब किस्म के बारे में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का उत्पादन

*128. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 के दौरान देश में कितनी मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन हुआ;

(ख) इसकी मांग कितनी है; और

(ग) इसका उत्पादन बढाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1990–91 के दौरान सभी देशीय स्रोतों से खाद्य तेल की कुल 54.0 लाख मी० टन मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) खाद्य तेलों की आवश्यकता 60.3 लाख मी० टन आंकी गई है ।

(ग) (1) वर्ष 1989–90 तक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन अग्रणी परियोजना नाम से जो दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही थीं, उन्हें 1990–91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०) के नाम से एक ही योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है । इस योजना के तहत निरपवाद रूप से राज्यों को अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन व वितरण, पौध संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति करने जैसे कार्यों और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है ।

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास बोर्ड की परियोजनाएं ।

(3) सर्वोत्तम उत्पादन, संसाधन एवं प्रबंध प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिक मिशन स्थापित करना ।

(4) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

(5) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

(6) सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक फसलें अधिक क्षेत्र में लगाना तथा वृक्ष और वन मूल के तिलहनों, चावल की भुसी आदि का दोहन करना ।

(7) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन तथा आधार ढांचे संबंधी सुविधाएं स्थापित करना ।

(8) वनस्पति के उत्पादन में कुछ गैर-पारम्परिक तेलों का प्रयोग करने पर उत्पादन कर में छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना, ताकि तेलों के इन स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

[अनुवाद]

परिष्करण-उत्प्रेरक का विकास

*129. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने किसी परिष्करण-उत्प्रेरक (रिफाइनिंग केटेलिस्ट) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक प्रयोग में लाये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इसका उत्पादन निर्यात के लिए करने का प्रस्ताव है या इसे स्थानीय उपयोग में लाया जायेगा या फिर "सूरी-डीजल ट्रांसमिशन" की तरह इस तकनीक को भी बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने भारतीय पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा के सहयोग से एक द्विधात्वीय परिष्करण-उत्प्रेरक का विकास किया है। इस उत्प्रेरक का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा भारतीय पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड दोनों ने अपने पायलट संयंत्रों में पूरी तरह से परीक्षण किया और इसकी निष्पादकता को आयातित उत्प्रेरक की निष्पादकता के समकक्ष पाया गया।

(ग) इस उत्प्रेरक के निर्माण की तकनीकी जानकारी का भारतीय पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड को लाइसेंस दे दिया गया है और उसने अपनी मुंबई स्थित युनिट में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस उत्प्रेरक के (क) गैसोलिन के उत्पादन के लिए जून, 1990 से मद्रास रिफाइनरी और (ख) ऐरोमैटिक के उत्पादन के लिए जनवरी, 1991 से इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बड़ोदरा की परिष्करण युनिटों में वाणिज्यिक स्तरीय परीक्षण किये जा रहे हैं।

(घ) वर्तमान में इस परिष्करण-उत्प्रेरक का पेट्रो रिफाइनरी उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा है, अतः आयात स्थानापन्न के उपाय के रूप में देश में सभी विद्यमान तथा स्थापित की जाने वाली नई परिष्करण युनिटों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए इस उत्प्रेरक के उत्पादन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस उत्प्रेरक के निर्यात किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। बाद में इस तकनीकी जानकारी के निर्यात किए जाने की संभावना का भी पता लगाया जाएगा।

भारतीय सीमेंट निगम को हुआ घाटा

*130. **श्री शंकर सिंह वघेला**
डा० ए० के० पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम को (युनिट-वार) वर्ष 1990-91 और उससे पूर्व के दो वर्षों के दौरान, पृथक-पृथक, कितना-कितना शुद्ध लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) यदि घाटा हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निगम को अभी तक कुल कितना घाटा हो चुका है; और

(घ) निगम द्वारा अपने युनिटों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में एकक-वार शुद्ध लाभ/(हानि), नकद लाभ/(हानि), प्रचालन लाभ/(हानि) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) मूलभूत ढांचे में कोयले की कमी, वैगनों की कमी, अपर्याप्त पावर सप्लाई जैसे व्यवरोधों तथा पावर, कोयला, पैकिंग सामग्री, परिवहन, फालतू हिस्से-पुर्जों जैसी अन्तर्वस्तुओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण घाटा हुआ।

(ग) वर्ष 1990-91 के अन्त तक सी०सी०आई० का शुद्ध संचित घाटा 183.95 करोड़ रुपये है।

(घ) कम्पनी द्वारा बेहतर उत्पादन प्रबन्धन, वित्तीय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन और लागत में कमी जैसे अनेक उपाय किये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में यूनिट-वार शुद्ध लाभ/[हानि], नकद लाभ/[हानि] और प्रचालन लाभ/[हानि] को दर्शाने वाला विवरण
(वित्तीय पुनर्गठन के बाद)

(लाख रुपयों में)

यूनिट	लाभ/हानि								
	शुद्ध			नकद			प्रचालन		
	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क—पुराने संयंत्र									
मांडर .	[269.24]	[527.51]	[36.97]	[171.81]	[426.45]	47.03	[59.09]	[324.79]	83.71
कुरकुंटा .	[233.20]	[226.69]	[88.48]	[169.35]	[156.96]	[4.48]	[101.41]	[62.91]	54.55
बोकाजन .	161.65	504.98	330.58	232.23	592.13	421.08	354.94	592.55	397.37
राजबन .	[163.44]	101.83	716.34	4.06	252.69	802.81	162.75	252.69	772.22
नयागांव .	[491.46]	[632.37]	[210.65]	[245.31]	[354.74]	64.55	[103.62]	[11.81]	390.19
अकलतारा	[722.25]	[1295.60]	[793.21]	[459.27]	[1030.60]	[523.21]	[207.34]	[424.54]	[231.46]
येरागुन्टला	[720.80]	[775.17]	88.26	[470.52]	[513.26]	395.99	[224.17	[204.31]	338.38
चरखी-दादरी	[474.27]	[576.49]	[129.86]	[433.82]	[532.04]	[77.19]	[325.47]	[266.21]	127.79
आदिलाबाद	[439.46]	[582.63]	[216.30]	[118.53]	[248.95]	551.30	[131.02]	129.55	432.72
उप-जोड़	[3352.47]	[4009.65]	92.31	[1832.32]	[2418.18]	1677.88	[372.39]	[296.16]	2365.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख—नये संयंत्र									
(एक मिलियन टन)									
तन्दूर .	[1351.39]	[2070.34]	[1344.38]	[442.84]	[769.27]	[65.75]	643.81	461.95	1050.76
नयागांव विस्तार/दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	..	..	[2053.04]	..	..	[595.36]		..	437.52
उप-जोड़	[1351.39]	[2070.34]	[3397.42]	[442.84]	[769.27]	[661.11]	643.81	461.95	1488.28
ग—अन्य क्रियाकलाप	40.97	[207.59]	..	53.45	[186.64]	..	74.48	[155.66]	..
कुल जोड़	[4662.89]	[6287.58]	[3305.11]	[2221.71]	[3374.09]	1016.77	345.90	10.13	3853.75

टिप्पणी :—नयागांव विस्तार संयंत्र में, जिसकी ग्राइंडिंग यूनिट दिल्ली में है, वाणिज्यिक उत्पादन 1-5-1990 से शुरू हो गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार

*131. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने में कुछ हद तक सहायता मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने और उसके माध्यम से अनाजों, दालों और वनस्पति तेलों की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुव्यवस्थित करने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह देती रही है कि ये उन क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्र नहीं हैं/कम हैं, वहां ये केंद्र खोलें, जब भी संभव हो दूर-दराज तथा आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल वैनों का इस्तेमाल करें, सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी करें, आदि । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि ये अपनी ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए अतिरिक्त वस्तुएं वितरित करके इसके तहत दी जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करें । गेहूं तथा चावल पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जा रहा है । आयातित खाद्य तेल उपलब्ध होने पर वितरित किए जाते हैं ।

जम्मू में कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र की स्थापना

*132. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के लिए जम्मू में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र की स्थापना की योजना को स्वीकृति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना को स्वीकृति कब दी गई थी;

(ग) क्या प्रस्तावित केन्द्र के लिए भूखंड का आबंटन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां, इस स्कीम का अनुमोदन मार्च 1990 में किया गया था ।

(ग) और (घ) परियोजना के लिए चुने गए स्थान के अधिकतर हिस्से का कब्जा दूरदर्शन द्वारा दिसम्बर 1988 में ले लिया गया था और वहां सिविल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है । तथापि, राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शन को परियोजना स्थल अभी तक औपचारिक रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया है ।

सरकारी कालोनियों में समाज सदनों का निर्माण

*133. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री 29 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3448 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम में सेक्टर V, VII, VIII और XII में समाज सदनों के निर्माण और सेक्टर I में स्थित समाज सदन का दर्जा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को इस आशय से भेजे गये नक्शे वर्षों से उसकी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं कि इन समाज सदनों का "बारात-घर" के रूप में उपयोग किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में प्रशासनिक मंजूरी तथा धनराशि शीघ्र देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ताकि समाज सदनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके; और

(घ) दिल्ली में उन सरकारी कालोनियों के नाम क्या हैं जहां बारात घर की सुविधा वाले समाज सदन नहीं है और वहां प्राथमिकता के आधार पर इनका निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा) : (क) से (घ) आर० के० पुरम के सैक्टर VIII तथा सैक्टर XII में समाज सदन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा खर्च की मंजूरी 1987 में दी गई थी। सरकार ने मार्च, 1990 में आर० के० पुरम, सैक्टर I के समाज सदन के चरण-1 का दर्जा बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा था। इस संबंध में प्लान तथा डिजाइन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अभी प्राप्त होने हैं। अन्य क्षेत्रों में भी समाज सदनों के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 1989 में सरकार ने विभिन्न प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से जांच करने, तथा अनुपालित की जाने वाली योजनाओं की प्राथमिकता के बारे में सिफारिश करने के लिए एक अंतर्विभागीय समिति गठित की थी। समिति ने सितम्बर, 1990 में हुई अपनी बैठक में आर० के० पुरम सैक्टर की परियोजनाओं की जांच करने के पश्चात् सेक्टर XII में समाज सदन के निर्माणतथा सैक्टर I के समाज सदन का दर्जा बढ़ाने के कार्य की प्राथ मिकता देने का निर्णय किया। इस प्रक्रिया से उपयुक्त बजेटीय नियंत्रण तथा भवन निर्माण के कार्य को समय पर पूरा करने में सुगमता होगी।

जिन सरकारी कालोनियों में समाज सदन नहीं हैं, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली में उन सरकारी कालोनियों के नाम जिन में समाज सदन तथा बारात घर नहीं है।

1. एम० एस० फ्लैट्स, सैक्टर XIII, आर० के० पुरम।
2. आई० बी० कालोनी।
3. मोहम्मद पुर।
4. सैक्टर V, आर० के० पुरम।
5. सैक्टर VII, आर० के० पुरम।
6. सैक्टर VIII, आर० के० पुरम।
7. सैक्टर IX, आर० के० पुरम।

8. सैक्टर XII, आर० के० पुरम ।

9. अलीगंज

10. सादीक नगर

11. कस्तूरबा नगर

12. प्रेम नगर

13. त्यागराज नगर

14. तिलक लेन

15. तिलक मार्ग

16. मथुरा रोड

17. पुराना किला रोड

18. आराम बाग

19. देव नगर

20. प्रसाद नगर

21. शाहजहां रोड

22. हुमायूं रोड

23. बापा नगर

24. काका नगर

25. लोधी इस्टेट

26. एम० बी० रोड

27. वसंत विहार, सी० पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी

28. लोधी रोड काम्प्लेक्स

29. तिमारपुर

30. सामान्य पूल आवासीय क्वार्टर्स, मायापुरी ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तहत केरल को धन

*134. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत, कार्यक्रम-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) क्या इस धन का उचित उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान केरल को प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	1989—90	1990—91
1. जवाहर रोजगार योजना . . .	6569.99	6396.19
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम . . .	1871.12	1871.12
3. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना . . .	19.94	19.94
4. ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना . . .	14.14	10.10
5. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम . .	1076.00	1076.00
6. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम . . .	..	25.00

(ख) केरल में निधियों के अनुचित उपयोग के बारे में इस मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता

*135. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उर्वरकों पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि की राजसहायता दी गयी;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी राजसहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इससे प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति कैसे करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों पर दी गई राजसहायता की राशि निम्न प्रकार है :—

(रु० करोड़ों में)

1988—89 .	3,200.70
1989—90 . .	4,542.10
1990—91	4,389.06

(ख) जी, हां ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अंटार्कटिक जाने वाले विभिन्न अभियान दलों पर हुआ व्यय

*136. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिक जाने वाले विभिन्न अभियान दलों पर आज तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों से की जा रही इस मांग के बारे में जानकारी है कि अंटार्कटिक में आगामी 50 वर्षों के लिए खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाये; और

(ग) यदि यह प्रतिबंध लागू हो जाता है तो सरकार का इन अभियानों पर हुए व्यय को किस प्रकार से पूरा करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अंटार्कटिक को अभी तक दस भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजे जा चुके हैं और इस पर कुल व्यय रुपये 69.85 करोड़ हुआ ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । भारत सहित, अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री दल अंटार्कटिक में खनिज संसाधन क्रियाकलापों पर 50 वर्षों तक प्रतिबंधित रखने के लिए, तथा उपरोक्त समय की समाप्ति के बाद पुनर्विचार करने की व्यवस्था के साथ, सहमत हो गए हैं ।

(ग) भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में वैज्ञानिक कार्यों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है । जिनका उद्देश्य हमारे ग्रह के पर्यावरण और जलवायु को निर्धारित करने वाले विभिन्न क्रांतिक प्रक्रमणों के बारे में अपनी जानकारी को प्रबुद्ध कर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में अपना योगदान देना है परन्तु इसका अध्ययन इस अनुपम उत्कृष्ट वेध शाला में ही सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है क्योंकि ये कार्य इस महाद्वीपीय ध्रुवीय प्रदेश पर विशेष रूप से प्रक्षेपित किए गए हैं । अंटार्कटिक में खनन कार्यों पर प्रतिबन्ध, वैज्ञानिक कार्यों पर लागू नहीं होता इसलिए ये भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगा ।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

***137. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृत्रिम रंग/सुगंध

***138. श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रंग/सुगंध उत्पादन उद्योग एक अत्यंत लाभप्रद उद्योग है;

(ख) क्या इन रंगों और सुगंधों, खाद्य की दृष्टि से जिनका कोई महत्व नहीं है, के तेजी से बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए सरकार का उपभोक्ताओं के हित में इन पर आने वाली लागत की लेखा-परीक्षा कराने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इस अत्यावश्यक कदम को न उठाने के क्या कारण हैं; और

(घ) संगठित और अन्य क्षेत्रों में इन उत्पादों का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या कितनी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) ऐसी इकाइयां अधिकांशतः लघु इकाइयां हैं जिसकी लाभदेयता का सरकार द्वारा आकलन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) सरकार का इस अवस्था में इस उद्योग की लागत लेखा-परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं है । फिर भी यदि कोई संगत तथ्य सरकार की जानकारी में आयेंगे तो तब सरकार मामले पर आगे विचार करने के लिए तैयार होगी ।

(घ) संगठित क्षेत्र में नौ कंपनियां रंग और सुगंध के निर्माण में लगी हुई हैं । इन उत्पादों का निर्माण कर रही लघु इकाइयों की ठीक-ठीक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि लघु इकाइयां राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत होती हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टैक्नॉलॉजी पार्क

*139. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में "इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों" की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद में भी ऐसा एक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

*140. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए क्या प्रभावशाली उपाय कर रही है और इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार के उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) सरकार ने, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए क्या नीति अपनायी है और यह नीति कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी तथा इससे लाभान्वित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों को लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या ग्रामीण औद्योगिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वित्तीय संस्थायें आवश्यक सहायता दे रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । किन्तु केन्द्र सरकार सुलभ और आसानी से उपलब्ध वित्त को प्रावधान, प्रौद्योगिकी के अंतरण, दुर्लभ और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रावधान में सहायता एवं अखिल भारतीय स्तर पर संस्थानात्मक मूलभूत सुविधाओं के सृजन जैसे उपायों द्वारा राज्य सरकारों के प्रयास में मदद करती है । ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का छिता-राव करने तथा एक ही स्थान पर लघु उद्यमियों को सभी सेवाएं एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य

से 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण विकास में संलग्न अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों विशेषकर कुटीर और अत्यन्त छोटे उद्योगों के विकास पर ज्यादा से ज्यादा बल देने का प्रस्ताव है । के०वी०आई०सी० का 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 22.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों जैसे अखिल भारतीय संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से इन उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाती है । 1989–90 के दौरान के०वी०आई० क्षेत्र को बैंक वित्त के रूप में लगभग 110 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी । आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को लगभग 200 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे । वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए और अधिक बैंक वित्त उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

अविकसित जिलों में उद्योगों की स्थापना

*141. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक रूप से अविकसित जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन अविकसित जिलों में उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई योजना लम्बित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार ने जून, 1988 में पूरे देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना की घोषणा की थी । उक्त योजना के अधीन पहले चरण में 70 विकास केन्द्र का विकास करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश (14) .	अनन्तपुर, चित्तूर, कुडडापाह, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मेहबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेलौर, निजामाबाद, ओजगोल, श्रीकाकूलम और वारांगल ।
बिहार (18) .	भागलपुर, चंपारण, दरभंगा, मुज्जफरपुर, पलामू, पूर्णिया, शहरसा, संथाल परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगुसराय, मुंगेर, खगरिया और माधोपुर ।
गुजरात (11)	अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, साबरकंठा, सुरेन्द्रनगर और डांग ।

हरियाणा (4)	.	भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़ ।
केरल (7)	.	अल्लेप्पी, कन्नानोर, मालापुरम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वाईनाड और इटूक्की ।
कर्नाटक (11)	.	बेलगाम, बीदर, बिजापुर, धारवार, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, नार्थ कानारा, रायचूर, साउथ कानारा और टुमकूर ।
मध्य प्रदेश (36)	.	बालाघाट, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दातिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खारगौन, मंडला, मांडशोर, मुरेना, नरसिंहापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजेन्द्रगाव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, शेवनी, साजापुर, शिवपुरी, सिद्धी, शुरगुजा, टिकमगढ़, विदिशा और नया सेहोर जिला ।
महाराष्ट्र (14)	.	औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुलधाना, चंद्रापुर, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नान्देड़, उसमानाबाद, परभनी, रत्नागिरी, यवतमाल तथा गढ़चिरोली ।
उड़ीसा (8)	.	बालासोर, बोलनगीर, धेनकलाल, कालाहन्डी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभन्ज तथा फुलबनी ।
पंजाब (5)	.	भटिन्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर तथा संगरूर ।
राजस्थान (16)	.	अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाडमेर, चुरू, डुंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुन, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर ।
तमिलनाडु (9)		धर्मापुर, कन्याकुमारी, मदुराई, नार्थ आरकोट, रामानाथपुरम, साउथ आरकोट, तंजावूर, तिरूचिरापल्ली तथा जिला पुडीकोट्टाई ।
उत्तर प्रदेश (41)	.	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बंदायूं, बहराइंच, बलिया, बांदा, बारांबंकी, बस्ती, बुलन्द शहर, चमौली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तर काशी, कानपुर देहात, पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर ।
पश्चिम बंगाल (13)		बांकुरा, बीरभूम, बर्द्धमान, कूच-बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नाडिया, पुरूलिया तथा पश्चिम दिनाजपुर ।

असम	समस्त राज्य
हिमाचल प्रदेश	"
जम्मू और कश्मीर	"
मणिपुर	"
मेघालय	"

नागालैंड	समस्त राज्य
सिक्कम	"
त्रिपुरा	"
अरूणाचल प्रदेश	"
गोवा	"
मिजोरम	"
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	"
दादरा और नगर हवेली	"
दमन और दीव	"
पांडिचेरी	"
लक्षद्वीप	"

नोट : इस जिले/क्षेत्र में 1–10–70 को मौजूद जिला/क्षेत्र शामिल होंगे जो इन जिलों को काटने से पूर्व इसके पुनर्गठन से पहले थे और उसके बाद औद्योगिक रूप से पिछड़े बने रहे।

कुन्नामंगलम, केरल में कम्प्यूटर केन्द्र

468. **श्री ई० अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुन्नामंगलम्, केरल में कंप्यूटर केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा करने और इसको चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कम्प्यूटर केन्द्र को दक्षिणी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :
(क) भारत सरकार ने केरल राज्य के कुन्नामंगलम् में कोई कम्प्यूटर केन्द्र नहीं स्थापित किया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत केरल को दी गई धनराशि

469. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1990–91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केरल को कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को अपने हिस्से की कितनी धनराशि देनी है;

(ग) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1990–91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना को लागू करने के लिए अपने हिस्से की धनराशि दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र गठित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० व्यंकट स्वामी) : (क) 1990-91 के दौरान केरल राज्य को जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए 4332.78 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी ।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में बांटा जाता है। 1990–91 के लिए केरल राज्य के संबंध में राज्य का अंशदान 1083.20 लाख रुपये था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) केरल सरकार ने 1990–91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अपने अंशदान के रूप में 1215.28 लाख रुपये की राशि रिलीज की थी।

(ङ) जी, हां ।

(च) कार्यक्रम की निगरानी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर की जाती है । केन्द्रीय स्तर पर, इसकी निगरानी राज्य सरकारों से मासिक, तिमाही तथा वार्षिक आधार पर प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के जरिए की जाती है ।

केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों के जरिए मौके पर जाकर जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है । राज्य मुख्यालयों में जवाहर रोजगार योजना का कार्य देखने वाले अधिकारियों से नियमित रूप से जिलों का दौरा करने तथा क्षेत्रीय दौरों के जरिए यह पता लगाने की अपेक्षा की गई है कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से हो रहा है तथा कार्यों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रियाओं तथा विशिष्टताओं के अनुसार हो रहा है । इसी प्रकार, जिला, उप-मंडल (सब-डिवीजन) तथा खण्ड स्तर के अधिकारियों से भी भीतरी क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर जाकर कार्यक्रम के सभी पहलुओं की निकटता से निगरानी करने की अपेक्षा की गई है। कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वे निरीक्षणों की एक सूची तैयार करें जिसमें राज्य सरकार के स्तर से लेकर खंड स्तर तक के प्रत्येक कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय दौरों की न्यूनतम संख्या दर्शायी जाए ।

केरल में पुनालुर पेपर मिल का अधिग्रहण

470. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में पुनालुर पेपर मिल का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को पुनालुर पेपर मिल का अधिग्रहण करने के निर्देश दिये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रुग्ण एककों को पुनः चालु करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन):(क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वे हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० (एच०एन०एल०) द्वारा मै० पुनालुर पेपर मिल्स लि० का प्रबंध अधिग्रहण करने के संबंध में विचार करें । राज्य सरकार के कहने पर एच०एन०एल० ने एक संभाव्यता अध्ययन किया जिससे प्रतीत होता है कि मै० पुनालुर पेपर मिल्स लि० के संयंत्र तथा मशीनों की वर्तमान अवस्था में इसे चलाना व्यावहारिक नहीं होगा । अतः हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि० जिसकी एच०एन०एल० एक सहायक कंपनी है ने मै० पुनालुर पेपर मिल्स लि० के प्रबंध का अधिग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ए तथा 18 एए के उपबंधों के अधीन सरकार ने सारे देश में कुछ औद्योगिक एककों के प्रबंध के अधिग्रहण का अधिकार दिया है। परन्तु रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए प्रबंध का अधिग्रहण अभी तक कोई सफल साधन सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान नीति ऐसे अधिग्रहण के पक्ष में नहीं हैं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन 1982 के बाद किसी एकक का अधिग्रहण नहीं किया गया है। सराकर की सामान्य चालू नीति, जिसका वर्षों से एक निश्चित रूप है, ना तो अजीव्यक्षम रुग्ण उद्योगों का अधिग्रहण करने के लिए है और ना उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए है। सरकार रोगनाशक उपायों की अपेक्षा निरोधक उपायों पर अधिक बल दे रही है। नीति रूप में भी सरकार रुग्ण/अधिग्रहीत एककों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में इसलिए नहीं है ताकि देश के दुर्लभ साधनों का उपयोग जीव्यक्षम तथा नये सक्षम एकक लगाने में किया जा सके।

सीरे के आसवन का (मोलैसेस हिसिलेशन) स्वचालित ईंधन के रूप में प्रयोग

471. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे के आसवन को (मोलैसेस हिसिलेशन) स्वचालित ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का, सीरे के आसवन के वाणिज्यीकरण करने के लिए कोई नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी हां। सीरे के आसवन का प्रयोग सीधे मोटर ईंधन के रूप में अथवा गैसोलीन के साथ एक मिश्रण अथवा डीजल के रूप में किया जा सकता है। गैसोलीन के साथ लगभग 10 प्रतिशत इथानोल का मिश्रण भी वाहन की ईंधन पद्धति के लिए किसी बड़े संशोधन के बिना किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) देश में वाणिज्यिक रूप से मोटर ईंधन के रूप में इथानोल के प्रयोग करने की तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता की अभी व्यवस्था करनी है।

उर्वरकों की मांग और सप्लाई

[हिंदी]

472. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरकों का गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार किये गये उत्पादन, उनकी मांग, सप्लाई औल आयात किये जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरक का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1991–92 के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे प्राप्त करने हेतु इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के न्यूट्रियेन्ट-वार उत्पादन के ब्यौरे मूल्यांकित आवश्यकता, आपूर्ति और आयात, वर्ष-वार विवरण-I संलग्न हैं।

(ख) 1990–91 के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरकों का कुल उत्पादन न्यूट्रियेंट-वार निम्न प्रकार है :—

(000 मी० टन न्यूट्रियेंट में)

	एन	पी
सार्वजनिक क्षेत्र	2,873	511
निजी क्षेत्र	2,398	1,308

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के उर्वरकों की उत्पादन लागत, प्रति मी० टन निम्न प्रकार है :—

मद का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र (रु०)	निजी क्षेत्र (रु०)
यूरिया	3,157	3,321
अमोनियम सल्फेट	2,607	2,131
डी ए पी	5,261	5,719
एस एस पी	2,260	1,853

टिप्पणी : उत्पादन लागत में एस एस पी को छोड़कर पूंजी से सम्बद्ध प्रभार शामिल नहीं है।

विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बिक्री मूल्य जो सभी क्षेत्रों के संबंध में समान है, संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) 1991–92 के लिए समग्र देश के लिए निर्धारित न्यूट्रियेन्ट-वार लक्ष्य 73.50 लाख टन नाइट्रोजन और 26.50 लाख टन फास्फोरिक उर्वरक है जो कच्चे माल की उपलब्धियों के अध्यधीन है।

वर्ष 1991–92 के लिए अलग-अलग एककवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उत्पादन एककों से आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करके उत्पादन पर निगरानी रखी जाती है। उत्पादन एककों की कच्चे माल, पावर और कोयला आदि प्राप्त करने में सहायता भी की जाती है ताकि वे अपने उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें।

विवरण I

(क) उर्वरक उत्पादन के आंकड़े

(आंकड़े लाख मी० टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)
1988–89 . . .	67.12	22.52
1989–90 . . .	67.47	17.96
1990–91 . . .	69.93	20.52

(ख) मूल्यांकित आवश्यकता　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(लाख टन)

वर्ष	(एन)	(पी)	(के)	योग
1988–89 . . .	71.45	28.65	11.96	112.06
1989–90 . . .	77.64	31.92	12.41	121.97
1990–91 . . .	82.41	35.32	13.55	131.28

(ग) उर्वरक खपत के आंकड़े

वर्ष	(एन)	(पी)	(के)	योग
1988–89 . . .	72.51	27.21	10.61	110.40
1989–90 . . .	73.86	30.14	11.68	115.68
1990–91 . . .	79.66	32.86	13.24	125.76

(घ) उर्वरक आयात के आंकड़े

वर्ष	(एन)	(पी)	(के)	योग
1988–89 . . .	2.19	4.07	9.82	16.08
1989–90 . .	5.23	13.11	12.80	31.14
1990–91 . . .	4.14	10.16	13.28	27.58

विवरण II

उर्वरक के वर्तमान खुदरा मूल्य

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	मूल्य रु०/मी० टन
(1)	(2)	(3)
1.	यूरिया (46%)	2350
2.	अमोनियम सल्फेट (20%एन)	1650
3.	केलसियम अमोनियम नाइट्रेट (25%)	1700
4.	केलसियम अमोनियम नाइट्रेट (26%)	1770
5.	म्यूरियट आफ पोटाश (60%के)	1300
6.	सल्फेट आफ पोटाश (50%के)	2100
7.	डाइ अमोनियम फास्फेट (18–46–0)	3600
8.	एन पी के (17–17–17)	2600
9.	एन पी के (15–15–15)	2100
10.	एन पी के (19–19–19)	2950

(1)	(2)	(3)
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20–20–0)	2600
12.	नाइट्रो-फास्फेट (20–20–0)	2400
13.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16–20–0)	2300
14.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24–24–0)	3050
15.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28–28–0)	3600
16.	एन पी के (14–28–14)	3050
17.	एन पी के (14–35–14)	3400
18.	एन पी के (10–26–26)	2950
19.	एन पी के (12–32–16)	3250
20.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (46%पी) (ग्रेंडूलर)	2600
21.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (पाउडर)	2400
22.	सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर) (14%पी$_2$ओ$_5$)	820
23.	सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर) (16%पी$_2$ओ$_5$)	950
24.	सिंगल सुपर फास्फेट (ग्रेंडूलर) (16%पी$_2$ओ$_5$)	1100
25.	अमोनियम क्लोराइड (25%एन)	1700
26.	एनहाइड्रोस अमोनिया	3770
27.	नाइट्रो फास्फैट (23–23–0)	2930

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

474. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 के दौरान उर्वरकों का कुल कितना आयात किया गया; और

(ख) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) वित्तीयवर्ष 1990–91 के दौरान 1335.82 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के कुल 44.90 लाख टन तैयार उर्वरकों का आयात किया गया था ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखना

475. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखने के लिए सरकार का प्रस्ताव एक बोर्ड के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्राम पंचायतों को सहभागी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद पहले से ही काम कर रही है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य इत्यादि शामिल है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकार के सुझाव पर, अधिकतर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उचित दर दुकानों/ग्राम स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता/परामर्शदात्री समितियां गठित की हैं, जिनमें आमतौर पर विभिन्न स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।

सचिवों के पद

476. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवा प्रत्येक के कनिष्ठतम अधिकारियों को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पदों पर पदोन्नत किस वर्ष किया गया था;

(ख) प्रत्येक सेवा में कितने वरिष्ठ अधिकारियों का तुलनात्मक रूप से वर्ष-वार चयन/नियुक्ति की गई तथा किस सेवा में उनको भेजा गया;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकार के सचिव अथवा समकक्ष पद कुल कितने थे; और

(घ) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार पदधारियों का उनकी सेवा के साथ ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवा प्रत्येक के कनिष्ठतम अधिकारियों का, जिन्हें भारत सरकार के सचिव अथवा इसके समकक्ष पदों पर पदोन्नत किया गया है, आबंटन वर्ष निम्न प्रकार से है :—

अखिल भारतीय सेवा

1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा . .	1960
2.	भारतीय पुलिस सेवा .	1958

केन्द्रीय सेवाएं

1.	भारतीय राजस्व सेवा . . . (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद)	1957
2.	भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) . . .	1955
3.	भारतीय रक्षा लेखा सेवा	1956
4.	भारतीय डाक सेवा	1956
5.	भारतीय रेलवे लेखा सेवा	1957
6.	भारतीय रेलवे यातायात सेवा . . .	1957
7.	आई०आर०एस०ई०	1957
8.	आई०आर०एस०एम०ई०	1956
9.	आई०आर०एस०ई०ई०	1957
10.	भारतीय आर्थिक सेवा . . .	(पार्श्विक प्रविष्टि : इस संबंध में वर्ष प्रासंगिक नहीं है)

11.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा	ऐसा कोई अधिकारी नहीं है।
12.	भारतीय विदेश सेवा	1960
13.	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (पार्श्विक प्रविष्टि) .	1963
14.	केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा . . .	ऐसा कोई अधिकारी नहीं है।
15.	भारतीय विधि सेवा	1967 (पार्श्विक प्रविष्टि)

(ख) प्रत्येक सेवा में जिन वरिष्ठ अधिकारियों का तुलनात्मक रूप से चयन/नियुक्ति की गयी तथा उन्हें किस सेवा में भेजा गया, की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	अखिल भारतीय सेवा/ केन्द्रीय सेवा	वर्ष-वार आबंटन का ब्योरा					
		1955	1956	1957	1958	1959	1960
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भा०प्र०से० . .	शून्य	11	20	26	23	34
2.	भा० पु० से० (पुलिस) .	..	10	26	5	..	..
3.	भा०रा०से० (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	—शून्य—					
4.	भा०रा०से० (आयकर) .	—शून्य—					
5.	भा०र०ले०से० . .	—शून्य—					
6.	भा० डाक सेवा (डाक) .	—शून्य—					
7.	भा०रे०ले० सेवा .	—शून्य—					
8.	भा०रे०या० सेवा	—शून्य—					
9.	आई०आर०एस०ई० .	—शून्य—					
10.	आई०आर०एस०एस०ई०	—शून्य—					
11.	आई०आर०एस०ई०ई० .	—शून्य—					
12.	भा०आ० सेवा .	—शून्य—					
13.	के०वि०इं० सेवा . .	—शून्य—					
14.	आई०एस०एस० .	—शून्य—					
15.	भा०वि० सेवा (विदेश) .	..	1	2	2	2	3
16.	के०ज०ई० सेवा . .	—शुन्य—					
17.	भा०वि०से० (विधि) .	—शून्य—					

(ग) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सचिव अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्तगत इसके समकक्ष पदों की कुल संख्या 124 है।

(घ) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार पदधारियों का उनकी सेवा के साथ ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	सेवा	सचिव स्तर
1.	भा० प्र० सेवा	78
2.	आई०ए० एण्ड ए०एस०	1
3.	भा० रा० सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) . .	1
4.	भा० रा० सेवा (आयकर)	1
5.	भा० र० ले०से०	1
6.	भा० पु० से० (पुलिस)	4
7.	भा० डा० सेवा (डाक)	1
8.	भा० रे०ले० सेवा	2
9.	भा० रे० या० सेवा	2
10.	भा०आ० से०/भा०सां० सेवा	2
11.	भा० विदेश सेवा	3
12.	आई०आर०एस०ई०/आई०आर०एस०एम०ई०/आई०आर०एस०ई०ई० आदि	4
13.	के०वि०ई० सेवा	1
14.	भारतीय विधि सेवा	4
15.	अन्य*	19
	कुल	124

*इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो किसी भी संगठित केन्द्रीय सेवा के संबंध नहीं रखते हैं।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल का संकट

477. **श्री काशी राम राणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए भेजी गई 650 करोड़ रुपये की एक योजना को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो कब और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी धनराशि दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस समय यह योजना किस चरण में विचाराधीन है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात की राज्य सरकार ने योजना को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है और निविदाएं आमंत्रित करने का काम नॉडल एजेंसी के रूप में गुजरात राज्य निर्माण निगम को सौंपा गया है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जाँच

478. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीपेरूम्बुडर में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल के विचारणीय विषय क्या हैं; और

(ख) आज तक जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) यह मामला सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है । ऐसे मामलों में जांच के लिए कोई विचारणीय विषय नहीं होते क्योंकि ऐसी जांच विधि के संगत उपबन्धों अर्थात् आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन की जाती है ।

(ख) जांच चल रही है और इस स्तर पर सूचना प्रकट करना भावी जांच के हित में नहीं होगा ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शीतल पेयों का निर्माण और वितरण करने की अनुमति

479. **प्रो०के०वी० थामस :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में शीतल पेयों का निर्माण और वितरण करने की अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनका वार्षिक कारोबार कितना है;

(ग) इन कंपनियों द्वारा भारत में शीतल पेयों के निर्माण और वितरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इन शर्तों का इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है । फिर भी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हिस्से वाली कंपनी (जिसे "फेरा" कंपनी के नाम से अधिक जाना जाता है) को बहुराष्ट्रीय कंपनी माना जाता है । इस समय भारत में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी मृदु पेय के निर्माण और वितरण में नहीं लगी हुई है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रेशम उत्पादकों को दी गई धनराशि

480. **डा० असीम बाला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाखों निर्धन रेशम उत्पादकों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के अपने वचन को निभाने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग को एक अधिक जिम्मेदार तथा जन-कल्याणी संगठन बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने मौजूदा कोकून और यार्न बाजारों, जिन्हें सरकारी/गैर-सरकारी अथवा दोनों ऋणदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तथा बोर्डों को कार्यगत पूंजी के रूप में कितनी धनराशि दी है; और

(ग) ऐसी संस्थाओं/बोर्डों का पता, वित्तीय स्थिति, कारोबार प्रगति तथा उत्पादकों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उत्पादकों को दिये गये वचनों सहित अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) रेशम उद्योग संबंधी कार्यकलाप निसंदेह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का एक खादी सिल्क कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कुल रेशम क्षेत्र का 7 % हिस्सा आता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इस उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विकास हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है । इसने रेशमकोष की रीलिंग में उन्नत किस्म के कुटीर बेसिनों का प्रादुर्भाव किया है, यह अम्बर चर्खे पर धागा कातने का परीक्षण कर रहा है और इसने अर्ध-स्वचालित करघों का प्रचलन आरंभ किया है।

(ख) वर्ष 1989-90 में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कार्यशील पूंजी के लिए अपने बजट से 47.12 लाख रुपये और अपनी बैंक वित्त योजना से 731.05 लाख रुपये की राशि 4% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करायी है जों प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थानों तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को दी गयी है । सिल्क खादी के क्षेत्र में धागे का ऐसा कोई बाजार नहीं है, क्योंकि इन संस्थानों में जो धागा तैयार किया जाता है वह इन्हीं संस्थानों में सिल्क खादी बनाने में उपयोग के लिए होता है।

(ग) देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सिल्क कार्यक्रम के अधीन सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों की कुल संख्या लगभग 450 है ।

[हिंदी]

रंगीन टेलीविजनों की पिक्चर ट्यूबों का आयात

481. **श्री राजवीर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रंगीन टेलीविजनों की पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान किये गये आयात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण तथा निर्यात कर रही हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा) : (क) तथा (ख) पिक्चर ट्यूबों की मांग की पूर्ति इस समय स्वदेशी स्रोतों से की जाती है । किन्तु, यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों में स्वदेशी उत्पादन में कमी हो जाती है तो सरकार मांग और पूर्ति के बीच के अन्तराल को दूर करने के लिए पिक्चर ट्यूबों का आयात करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर सकती है। रंगीन टी० वी०/रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन/निर्यात के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1989-90 के दौरान 3.2 लाख तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 4.2 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) जो स्वदेशी कम्पनियां रंगीन टी०वी० पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण और निर्यात कर रही हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. मेसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

2. मेसर्स अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड
3. मेसर्स समटैल कलर लिमिटेड।

बिहार की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं

482. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की उन परियोजनाओं के नाम क्या है जो योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिये लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) बिहार की कोई परियोजना निवेश के अनुमोदन हेतु योजना आयोग के पास लंबित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ के गांवों का विकास

483. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के किसी गांव को ग्रामीण विकास योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) चण्डीगढ़ के सभी गांवों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित जवाहर रोजगार योजना और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की योजना चण्डीगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1.08 लाख श्रम दिनों के परिकल्पित रोजगार सृजन के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन को 28.14 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी । लक्ष्य की तुलना में, 0.11 लाख श्रम-दिनों का रोजगार सृजित किया गया है । वर्ष 1991-92 के लिए 38.81 लाख रुपये का आबंटन किया गया है । राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की योजना के तहत वर्ष 1990-91 के दौरान चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के राजस्व तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन को 15.00 लाख रुपये की सहायता मुहैया कराई गई थी ।

वर्ष 1990-91 के दौरान मारुति कारों का निर्यात

484. **श्री प्रकाश बापू बसंतराव पाटील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य की तुलना में वास्तव में कितनी प्रतिशत मारुति का निर्यात किया गया ;

(ख) मारुति कारों की कम सप्लाई का निर्यात प्रतिबद्धताओं पर क्या असर पड़ा;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित अर्जन की तुलना में निर्यात अर्जन में कितने प्रतिशत की कमी हुई; और

(घ) निर्यात लक्ष्य में कमी होने के मुख्य कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 में 10,000 वाहनों के निर्यात के मूल लक्ष्य की तुलना में मारुति ने 4,908 वाहनों का निर्यात किया । तथापि, सभी निर्यात वचनबद्धताएं पूरी कर ली गई ।

(ग) और (घ) मारुति ने 1990-91 में 40 मिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य की तुलना में 41 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम एवं गैरलेखा परीक्षित) अर्जित किए। इसमें माना गया निर्यात तथा अन्य स्रोतों से आय शामिल है ।

प्रसारण सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना

485. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण सुविधाओं का विस्तार और सुधार करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ देशों के साथ नए प्रसारण कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की कोई व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो यह व्यवस्था किन-किन देशों के साथ की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना और उनमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य नियमित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर किया जाता है ।

(ग) और (घ) भारत के 58 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा 21 देशों के साथ रेडियो एवं टी० वी० प्रोटोकोल हैं जिनके अन्तर्गत परस्पर हित के आधार पर कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया जाता है । जिनकी सूची विवरण-I और II में दी गई है । सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में आमतौर पर निम्नलिखित व्यवस्था होती है :—

(i) कार्यक्रमों का आदान-प्रदान ।

(ii) कार्मिकों का आदान-प्रदान ।

(iii) एक-दूसरे के देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर राष्ट्रीय दिवस मनाना ।

(iv) एक दूसरे के देश के रेडियो और टी० वी० दलों को उनके दौरे के दौरान तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना ।

विवरण I

उन देशों के नाम जिनके साथ भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं

क्रम संख्या	देश का नाम	क्रम संख्या	देश का नाम
1.	अफगानिस्तान	30.	कुवैत
2.	अल्जीरिया	31.	मॉरिशस
3.	अंगोला	32.	मैक्सिको
4.	आस्ट्रेलिया	33.	मंगोलिया
5.	अर्जेन्टीना	34.	मोरक्को
6.	बहरीन	35.	मालदीव
7.	बंगलादेश	36.	नॉर्वे
8.	बेल्जियम	37.	नाइजीरिया
9.	बुल्गारिया	38.	नीदरलैंड
10.	क्यूबा	39.	पाकिस्तान
11.	साइप्रस	40.	फिलीपीन्स
12.	चेकोस्लोवाकिया	41.	पोलैंड
13.	चीन	42.	पुर्तगाल
14.	इजिप्त	43.	कतार
15.	इथोपिया	44.	रोमानिया
16.	फिनलैंड	45.	सीरिया
17.	फ्रांस	46.	स्पेन
18.	जर्मनी	47.	सोमालिया
19.	घाना	48.	सूडान
20.	ग्रीस	49.	सेशल्स
21.	हंगरी	50.	ट्युनीशिया
22.	इंडोनेशिया	51.	टर्की
23.	ईरान	52.	संयुक्त अरब अमीरात
24.	इराक	53.	सोवियत रूस
25.	इटली	54.	उगांडा
26.	जोर्डन	55.	यमन
27.	केनिया	56.	युगोस्लाविया
28.	कोरिया (डी०पी०आर०)	57.	जिम्बाब्वे
29.	कोरिया (आर०ओ०के०)	58.	पेरू

विवरण II

उन देशों के नाम जिनके साथ भारत के रेडियो और टी० वी प्रोटोकोल हैं

क्रम सं० देश का नाम

1. अफगानिस्तान
2. बुल्गारिया
3. चीन
4. साइप्रस
5. चेकोस्लोवाकिया
6. जर्मनी
7. हंगेरी
8. ईरान
9. इराक
10. इटली
11. कोरिया (डी० पी० आर०)
12. ओमान
13. पोलैंड
14. सेशल्स
15. सीरिया
16. तंजानिया
17. टर्की
18. सोवियत रूस
19. वियतनाम
20. यमन
21. युगोस्लावियां

राजनीतिक दलों को समाचार बुलेटिनों में दिया गया समय

486. **प्रो० राम कापसे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में राजनीतिक दलों को दल-वार कितना-कितना समय दिया गया ; और

(ख) मुंबई दूरदर्शन पर मराठी समाचार बुलेटिनों में राजनीतिक दलों को, दल-वार कितना-कितना समय दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरीजा व्यास) : (क) सूचना विवरण-I में संलग्न है ।

(ख) सूचना विवरण-II में संलग्न है ।

4—189 एल० एस० एस०/एन० डो०/91

विवरण I

जनवरी से जून, 1991 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों को दिये गये समय का दल-वार विवरण

दलों के नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
	मिनट	मिनट	मिनट	मिनट	मिनट	मिनट
सजपा . . .	18	66	58	61	28	15
कांग्रेस (आई) . .	26	41	44	46	24	41
जनता दल . . .	05	23	17	36	20	21
भाजपा . . .	08	15	21	32	18	31
सी०पी०आई० (एम०) . .	02	14	11	25	08	16
सी० पी० आई० . .	—	09	07	22	04	08
राष्ट्रीय मोर्चा . .	06	05	14	21	—	12
डी०एम०के० . . .	—	03	04	07	—	03
ए० आई० ए० डी० एम० के० . .	—	02	04	03	—	07
लोक दल . . .	—	—	—	02	सैकिंड 40	—
तेलुगुदेशम . . .	—	—	02	सैकिंड 50	—	03

विवरण II

अप्रैल से जून, 1991 के दौरान मुम्बई दूरदर्शन केन्द्र द्वारा मराठी समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों को दिये गये समय का विवरण।

दलों के नाम	मास		
	अप्रैल, 91	मई, 91	जून, 91
	मिनट	मिनट	मिनट
कांग्रेस (आई) .	118	61	143
भाजपा . .	94	47	54
शिव सेना .	14	—	—
जनता दल .	72	35	17
सी० पी० आई० .	33	—	04
सी०पी०एम० .	—	—	16
सजपा . .	130	93	39
अन्य . .	56	06	21

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता

487. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या प्रधान मंत्री 25 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आई०टी०ई०सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अपने अधिकारियों की वरिष्ठता और वेतन को सुरक्षित नहीं रखा है;

(ख) ऐसे कितने लोग कार्मिक विभाग की विशेषज्ञ सूची में दर्ज हैं जिनके मामलों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विदेश गये अपने अधिकारियों की वरिष्ठता सुरक्षित रखने के लिये निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई;

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक विभाग के निर्धारित दिशानिर्देशों को प्रत्येक मामले में न अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें कुछ अधिकारियों ने अपने तौर पर विदेश में नियुक्ति स्वीकार की तथा विदेश से लौटने पर वरिष्ठता संरक्षण से भी लाभान्वित हुए ; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भेल की नीति के अनुसार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग/भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा चयन/नामांकन के आधार पर विदेशों में नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त कर्मचारियों को भेल में अपना धारणाधिकार बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है जिससे उन्हें कार्यमुक्त किए जाते समय पद की स्थिति, ग्रेड और वेतन-दर के अनुरूप भेल में वापस आने की सुविधा प्राप्त हो जाती है ।

विदेशी नियुक्ति की अवधि का मात्र इस बात से पदोन्नति के लिए लाभ नहीं मिलता परन्तु इसकी अनुमति उन परिस्थितियों में दे दी जाती है जबकि विदेशी नियुक्ति का अनुभव कम्पनी के उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभदायक पाया जाता है ।

(घ) ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

प्रतिकूल विदेशी समाचारों और प्रसारणों पर रोक

488. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश में दूसरे देशों से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल समाचारों और प्रसारणों पर किसी शक्तिशाली स्वदेशी उपग्रह के माध्यम से रोक लगाने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) टेक्नालाजी में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के कारण वस्तुतः राष्ट्रीय सीमाएं समाप्त हो गई हैं जिससे सूचना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को रोकने का कोई भी प्रयास प्रायः अप्रासंगिक हो गया है । तथापि, वित्तीय साधनों की वर्तमान सीमाओं के भीतर विदेशी प्रसारणों को यथासंभव मानिटर किया जाता है और ऐसे प्रसारणों के प्रतिकूल प्रचार का जवाब देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ।

[अनुवाद]

केरल में सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना

489. **श्री के० मुरली धर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित किये जाने संबंधी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागरकोईल स्थित आल इंडिया रेडियो का विस्तार

490. **श्री एम० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल स्थित आल इंडिया रेडियो का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरीजा व्यास) : (क) और (ख) : जी, नहीं । तथापि, तुत्तिकोरिन में लगाए जा रहे 200 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से कन्याकुमारी जिले के अधिकांश हिस्से में सेवा में और सुधार हो जाने की उम्मीद है ।

गुजरात को सप्लाई की जा रही चीनी आदि की मात्रा

491. **श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और चीनी आदि की सप्लाई राज्य की मांग के अनुसार की जा रही है;

(ख) क्या 1991 के जनगणना की जनसंख्या के स्थान पर 1986 की जनसंख्या के आधार पर इन मदों की मात्रा सप्लाई की जा रही है ;

(ग) क्या 1991 की जनगणना के आधार पर राज्य सरकार की मांग के आवश्यकतानुसार इन वस्तुओं के कोटे में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केंद्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें गुजरात शामिल है, को चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, केंद्रीय पूल में भंडार की स्थिति, इन वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता, गत समय में उठाई गई मात्रा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकता जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1–10–86 की अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड के आधार पर किया जाता है ।

केंद्रीय पूल से किया जाने वाला आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है, और इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना नहीं होता ।

सरकारी निगमों की स्थापना

492. **श्री चित्त बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती के अतिरिक्त कुछ और सरकारी निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरीजा व्यास): (क) और (ख) सरकार उन सार्वजनिक निगमों को जो विधि द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदंडों को पूरा करते हों, प्रसारण और टेलीकास्ट अधिकार देने और उन्हें प्रसार भारती के साथ स्पर्धा करने के प्रस्ताव के प्रति वचनबद्ध है । देश में सूचना की बढ़ती हुई आवश्यकता और टेक्नालोजी के क्षेत्र में हो रहे विकास की पृष्ठभूमि के संदर्भ में ऐसा करना जरूरी समझा गया है जिसने इलैक्ट्रानिक मीडिया के वर्तमान एकाधिकार को अप्रासंगिक बना दिया है ।

[हिन्दी]

आगरा में प्रदूषण-रहित उद्योग स्थापित करना

493. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आगरा के औद्योगिक विकास और बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिये वहां पर प्रदूषणरहित उद्योगों को स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) आगरा-मथुरा क्षेत्र जैसे पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक इलाकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन इलाकों में इलेक्ट्रानिक उद्योग जैसे गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है । आगरा में ऐसे उद्योगों की स्थापनार्थ राज्य सरकार ने कई संवर्धनकारी उपाय आरंभ कर दिये हैं जिनमें निम्न-लिखित शामिल हैं :—उद्यमिता के लिये प्रशिक्षण का प्रबंध, इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए सिकंदरा के

औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आरक्षण और बिजली की कटौती से छूट आदि। लाइसेंसीकरण से मुक्ति देने/छूट देने की श्रेणी के अधीन पंजीकृत योजनाओं के अलावा आगरा में 1986 के बाद से बर्नरों (सोडियम वेपर लैम्पों हेतु) के लिए पी सी ए ट्यूबों, और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण आदि बनाने के लिए नये उद्योगों की स्थापनार्थ तीन आशय पत्र दिये गये हैं। ये कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा को धन राशि का आबन्टन

494. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की वर्ष 1991–92 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय राज्य के लिए 150 करोड़ रू० का एक विशेष आबंटन भी मंजूर किया था, जिसे चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया जाना था;

(ख) क्या इस बीच यह राशि उड़ीसा को दे दी गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नौवें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार योजना ऋण के रूप में किया गया विशेष प्रावधान वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन था। उसे केन्द्र की संसाधन बाधाओं के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को बोनस के रूप में अत्यधिक लाभ

495. **सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली कामचलाऊ सरकार में अधिकांश मंत्रियों ने अपने पद-त्याग से पहले अपने वैयक्तिक कर्मचारियों को चार महीनों तक उनकी सहायता करने के लिए आभार स्वरूप अत्यधिक लाभ दिया था जैसा कि 22 अप्रैल, 1991 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्री-वार इस प्रकार उपहार स्वरूप कुल कितनी धन राशि दी गई और उन लाभार्थियों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार का बोनस देने से पहले वित्त मंत्रालय से परामर्श किया गया था, यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) किसी मंत्रालय/विभाग के मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अत्यधिक लाभ (बोनस बोनैंजा) के भुगतान की कोई योजना नहीं है। तथापि सरकारी कर्मचारियों को, सरकार

द्वारा कुछ निर्धारित शर्तों पर यदा-कदा और अनित्य प्रकार के कार्य के लिए मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिये मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 23–12–1985 के आदेशों द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। यदि मन्जूर किए जाने वाले मानदेय की धन राशि प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत आती है तो मंत्रालयों/विभागों को वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। पिछली सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि से संबंधित सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दरभंगा स्थित ट्रान्समीटर की प्रसारण क्षमता

496. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा स्थित ट्रांसमिटर की प्रसारण क्षमता बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) दरभंगा में प्रसारण सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने का अभी समय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

आयोडीन युक्त नमक की मांग और उत्पादन

497. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साधारण और आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन और वर्तमान मांग अलग-अलग कितनी है;

(ख) नमक आयुक्त ने आयोडीन नमक का व्यापारिक उत्पादन करने के लिए दिसम्बर, 1990 तक कितने नमक उत्पादन एककों को अनुमति दी और प्रतिवर्ष नमक उत्पादन की तदनुरूप प्रतिष्ठापित क्षमता क्या है; और

(ग) साधारण नमक की आयोडीनीकरण प्रक्रिया में कथित तदर्थवाद को देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं कि साधारण नमक की आयोडिनीकरण प्रक्रिया विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हो?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी० जे० कुरियन) : (क) साधारण नमक की 100 लाख मी. टन मांग की तुलना में इसका वार्षिक उत्पादन 110 लाख मी. टन है, जबकि आयोडीकृत नमक का उत्पादन और मांग दोनों 26 लाख मी. टन प्रति वर्ष है।

(ख) दिसम्बर, 1990 तक 439 एककों को आयोडीकृत नमक का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की अनुमति दी गयी थी, जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 56.88 लाख मी. टन है।

(ग) मूल रूप से निर्माताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे खाद्य मिलावट रोक अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित मानकों का अनुसरण करें । नमक विभाग भी खाद्य नमक का उपयुक्त आयोडीकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है —

(क) गुणवत्ता नियंत्रण में मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण,(ख) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में आकस्मिक जांच, अंतिम निर्माण के समय आयोडिकृत नमक का प्रेषण, (ग) नियमित चूककर्ताओं के मामले में आयोडिकृत नमक के निर्माण की अनुमति स्थगित करने के अति-रिक्त घटिया किस्म के आयोडिकृत नमक के बारे में राजसहायता के दावों में कटौती करना, और (घ) नियमित समय अन्तराल पर अचानक जांच ।

ग्रेनाइट उद्योग की स्थापना

498. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेनाइट उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 1990 के अन्त तक कितने आशय पत्रों की स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) राज्य-वार इस समय कितने एककों में उत्पादन हो रहा है ;

(ग) क्या ग्रेनाइट का निर्यात मुख्यत: "कट-ब्लाकों" के रूप में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ावा देने हेतु पूर्ण रूप से तैयार ग्रेनाइट उत्पादों का उत्पादन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) ग्रेनाइट एक गैर-अनुसूचित उद्योग है और इसके लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है । इस प्रकार, आशय-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं । कटे तथा पॉलिश किये हुए ग्रेनाइट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमियों को,100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के अधीन अनुमति पत्र दिये जा रहे हैं। अन्य मामलों में, ये एकक तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत किये जा रहे हैं । 283 एककों के पास 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के अधीन वैध अनुमति पत्र हैं और 1990 के अंत तक डी०जी०टी०डी० के पास लगभग 45 एककों का पंजीकरण हो चुका है ।

(ख) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इकतालीस (41) एकक उत्पादन कर रहे हैं :—

क्र. सं.	राज्य	100% निर्यातोन्मुख एककों की सं.	डी०जी०टी०डी० में पंजीकृत एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7	2
2.	उड़ीसा	1	..
3.	गोवा	1	..
4.	कर्नाटक	5	2
5.	तमिलनाडु	13	..
6.	पांडिचेरी	2	..
7.	राजस्थान	..	5
8.	गुजरात	..	1
9.	महाराष्ट्र	..	2
	योग	29	12

(ग) और (घ) लगभग 70–78% निर्यात कच्चे ब्लॉकों के रूप में है, शेष काटे हुए तथा पॉलिश किये हुए ग्रेनाइट होते हैं। क्योंकि ग्रेनाइट के प्रसंस्करण के कई एकक कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं इसलिए एककों के चालू हो जाने पर संसाधित ग्रेनाइट का निर्यात शुरू होगा।

औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाना

499. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा सम्बन्धित पार्टियों के नामों, उद्योग स्थापित करने के स्थानों तथा उत्पादों के नामों तथा उत्पादन क्षमताओं सहित क्या है;

(ख) इन लाइसेंसों की कार्यान्विती; यदि कोई प्रगति हुई है तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी मामलों की समीक्षा करने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लाइसेंसों को जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई थी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) नवम्बर, 1990 से जून, 1991 के दौरान कुल 253 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे। जारी किये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में उपक्रम का नाम, स्थापनास्थल, निर्माण की मद(दें) और क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूजलैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

(ख) दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि, जिसके भीतर उद्यमी से आशा की जाती है कि वह वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दे, के साथ औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाता है। चूंकि उक्त लाइसेंस अभी हाल में जारी किये गए हैं, इसलिए इनके कार्यान्वियन की वास्तविक स्थिति अभी बताना कठिन है। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

(ग) इस समय, ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार गुण-दोष के आधार पर निर्णयों की समीक्षा कर सकती है।

दिल्ली में नागरिक निकायों के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र

500. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और जल प्रदाय और मल निस्सारण उपक्रम के स्तर पर विद्यमान लोक शिकायत निवारण तंत्र अति अकुशल और अप्रभावी है;

(ख) क्या राजधानी में रह रहे हजारों शिकायतकर्ताओं को प्रतिदिन इन अधिकारियों से विशेष रूप से कंप्यूटर, बढ़े हुए बिलों आदि के संबंध में मिलना पड़ता है।

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और जल प्रदाय संस्थान में उच्च अधिकारियों को लिखे गये पत्रों की पावती भी नहीं दी जाती है ;

(घ) क्या जनता की उचित शिकायतों पर इन नागरिक निकायों के अधिकारियों की उदासीनता और कठोरता के कारण ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार का इन शिकायतों को दूर करने हेतु इन निकायों को केन्द्रीय नियंत्रण के अधीन लाने अथवा किसी अधिकारी को इन्हें दूर करने हेतु प्राधिकृत करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) लोक शिकायत निवारण तन्त्र, दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसु), जल प्रदाय और मल निस्सारण उपक्रम में विभिन्न स्तरों पर कार्य करता आ रहा है। ये शिकायतें इन संगठनों द्वारा की जाने वाली व्यापक सेवाओं से संबंधित होती हैं। कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जिनका निवारण तत्काल किया जा सकता है और ऐसा किया जाता है। कुछ अन्य शिकायतों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उनकी जांच, वित्तीय संस्वीकृतियों के अनुमोदन तथा अंतिम कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता होती है। शिकायतों की विविधता के अतिरिक्त, इन संगठनों द्वारा जिन शिकायतों का निवारण किया जा रहा है वें बहुत अधिक प्रति वर्ष हजारों की संख्या में हुआ करती हैं। जबकि पर्याप्त शिकायतों का निवारण तत्काल ही कर दिया जाता है, तो भी बहुत सी शिकायतें इस किस्म की हुआ करती हैं जिनका निवारण नहीं हो पाता और जिनका निपटान करने में समय लग जाता है।

इन शिकायतों का तत्काल निपटान किए जाने तथा साथ ही जनता को अधिकाधिक संतोष प्रदान किए जाने के लिए, क्रिया-विधि का सरलीकरण, कम्प्यूटीकरण, अद्यतन कार्यालय-उपस्करों का प्रयोग किए जाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इन सभी प्रयासों के बावजूद, निस्संदेह कुछ न कुछ असंतोष की गुंजाइश रह ही जाती हैं। ये संगठन इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और समाधान के लिए कार्रवाई करने के प्रयास करते रहते हैं।

इस समय लोक शिकायत निवारण के प्रयोजन के लिए इन संगठनों को केन्द्रीय नियन्त्रण में लाए जाने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

पाकिस्तान द्वारा अन्टार्कटिक में केन्द्र की स्थापना

501. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान भी अन्टार्कटिका में अपना केन्द्र स्थापित करने जा रहा है,

(ख) क्या इससे वहां पर भारतीय दल के खोज प्रयासों में किसी प्रकार की बाधा आयेगी, और

(ग) "अन्टार्टिका ट्रीटी नेशंस" द्वारा विशेषरूप से अन्टार्कटिका पर मानवीय गतिविधियों को प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां, श्रीमान। अंटार्टिक को प्रथम पाकिस्तानी वैज्ञानिक अभियान दिसम्बर, 1990 में भेजा गया था। सूचना के अनुसार, अनुवर्ती अभियान की भी योजनाएं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) अंटार्कटिक संधि क्षेत्र में किसी सरकारी या गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा प्रारम्भ किए गये क्रियाकलापों को वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार इस तरह से नियोजित एवं संचालित करने की आवश्यकता है, जिससे अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर निर्भर एवं संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव न पड़े।

सेवा संबंधी नियमों में संशोधन

502. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान सेवा संबंधी नियमों और आदेशों/निदेशों को संशोधित करने और अद्यतन बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुकुल बनाया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों तथा आदेशों/अनुदेशों में संशोधन तथा उन्हें अद्यतन बनाना, एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार जब ऐसा करना आवश्यक समझती है या फिर इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो सरकार ऐसा करती रहती है । ऐसे परिवर्तनों को केवल एक बार में नहीं किया जा सकता ।

इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि० में रोजगार

503. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि० उर्वरक कारखाना आवंला, बरेली, उत्तर प्रदेश में इसके चालू होने पर कितने मजदूर/कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने का अनुमान है;

(ख) इस समय उसमें वास्तव में कितने मजदूर/कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनमें स्थानीय लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन सभी परिवारों को रोजगार की सुविधा दी गयी है जिनकी जमीन कारखाने के लिए अधिगृहीत कर ली गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इफको के आवंला स्थित उर्वरक संयंत्र को चालू करते समय उसमें 689 कर्मचारी थे ।

(ख) इस समय उसमें 986 कर्मचारी हैं जिनमें से 308 बरेली के हैं जहां संयंत्र स्थित है ।

(ग) और (घ) इफको ने उन सभी भूमिहरों को सीधे रोजगार दिया है जिन्होंने अपनी 60% से अधिक भूमि आवंला परियोजना को बेची है । अन्य भूमिहरों को भी रोजगार प्रदान करना संभव हो सकता है, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हो और वे आवश्यक कौशल प्राप्त कर लें । अकुशल कार्यों के लिये रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं ।

इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि० में गुरू जल संयंत्र

504. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (आवंला) बरेली में इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के उर्वरक संयंत्र गुरू जल संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) स्थल चयन समिति ने भारी पानी संयंत्र स्थापित करने के लिए जिन स्थलों की सिफारिश की है उनमें से एक स्थल आंवला भी है। तथापि, इस बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए केन्द्रीय राज-सहायता योजना को पुनः आरम्भ करना

505. **श्री बासुदेव आचार्य**
प्रो० राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगीकरण के लिए केन्द्रीय राजसहायता योजना पुनः आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 30-9-1988 को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971 समाप्त कर दी गयी थी। सरकार ने मार्च, 1990 में घोषणा की कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों के लिए एक नयी निवेश राजसहायता योजना शुरू की जायेगी। तथापि, उक्त प्रस्तावित योजना अभी तक शुरू नहीं की गयी है।

महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय

506. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988–89, 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय भिन्न-भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय (अर्थात् प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) क्रमशः 5363 रु० तथा 6184 रु० थी। प्रति व्यक्ति आय के 1990–91 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रति व्यक्ति आय एक राज्य से दूसरे राज्य में अनेक कारणों से भिन्न-भिन्न होती है। उनमें से कुछ कारण है आधार संरचनात्मक विकास के स्तर, उद्यमशीलता, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास में भिन्नता होना।

(घ) महाराष्ट्र राज्य, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं में आधारिक संरचना उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि तथा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भी निवेश/परिव्यय शामिल है।

[हिन्दी]

रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन/खपत

507. श्री भोगेन्द्र झा
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष विभिन्न किस्म के रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार उत्पादन और खपत कितनी रही और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) सीमांत तथा छोटे कृषकों को कम मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण I में दिया गया है ।

पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार खपत संलग्न विवरण सं० II, III और IV में दी गयी है ।

आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी उर्वरक परियोजनाओं को पूरा करना वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण/पुनर्वास और नये उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करना शामिल है । उर्वरकों की संभावित सामान्य मांग और अनुमानित उत्पादन के बीच के अन्तर को आयातों के द्वारा पूरा किया जायेगा ।

(ख) उर्वरकों को पूरे देश में एक समान दर पर छोटे और सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को रियायती उपभोक्ता मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है ।

विवरण-I

राज्यवार उर्वरकों के उत्पादन के आंकड़े

(000 मी० टन)

राज्य का नाम	1988–89		1989–90		1990–91	
	एन	पी	एन	पी	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	194.3	189.1	185.1	188.6	182.8	229.7
केरल	276.9	135.4	198.1	109.1	237.6	120.3
कर्नाटक	152.2	60.9	104.2	30.6	134.7	42.5
तमिलनाडू	572.0	318.6	517.9	268.7	514.3	291.7
योग (दक्षिण क्षेत्र)	1195.4	704.0	1005.3	597.0	1069.4	684.2

विवरण-I

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम क्षेत्र						
गोवा	205.4	118.1	194.3	71.3	208.9	75.2
मध्य प्रदेश	284.2	52.9	379.8	65.0	396.0	72.4
महाराष्ट्र	993.2	169.7	838.7	188.3	909.1	186.3
गुजरात	1701.2	559.1	1664.1	421.7	1690.0	477.2
राजस्थान	142.0	68.8	164.8	44.0	169.8	45.4
योग (पश्चिम क्षेत्र)	3326.0	968.6	3241.7	790.3	3373.8	856.5
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	207.5	21.0	150.1	30.3	168.4	44.4
उड़ीसा	195.0	294.1	165.5	120.8	179.7	161.4
पश्चिम बंगाल	57.3	93.7	30.4	67.8	56.6	99.9
आसाम	147.3	1.0	185.0	1.1	120.9	1.0
योग (पूर्व क्षेत्र)	607.1	409.8	531.0	220.0	525.6	306.7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	206.1	21.0	219.7	14.0	217.4	19.2
पंजाब	388.4	42.4	427.9	71.2	393.8	80.1
उत्तर प्रदेश	989.4	105.8	1321.7	103.3	1413.1	105.2
योग (उत्तरी क्षेत्र)	1583.9	169.2	1969.3	188.5	2024.3	204.5
योग (अखिल भारत)	6712.4	2251.6	6747.3	1795.8	6993.1	2051.9

विवरण-II

राज्यवार उर्वरकों के उपयोग के आंकड़े

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1988–89 (टनों में)			
		नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	903608	345686	106033	1355327
2.	कर्नाटक	438035	230200	131617	799852

विवरण II—जारी

1	2	2	4	5
3. केरल .	80238	50884	82805	213927
4. तमिलनाडु .	416349	149261	202987	768587
5. अंडमान और निकोबार	170	137	119	426
6. पांडिचेरी . .	10033	3259	4896	18188
7. गुजरात . .	334738	164456	44273	643467
8. मध्य प्रदेश . .	386659	258401	39071	684131
9. महाराष्ट्र . .	533070	234002	124029	891101
10. राजस्थान .	211931	89748	3696	305375
11. दादर नगर हवेली .	346	241	23	610
12. गोवा, दमन और दीव .	2624	1768	1661	6053
13. हरियाणा . .	303610	119618	5944	509172
14. हिमाचल प्रदेश .	22219	4672	3407	30298
15. जम्मू और कश्मीर .	38412	11859	3245	53516
16. पंजाब .	795541	301829	19542	1116912
17. उत्तर प्रदेश .	1600504	434167	101208	2135869
18. चण्डीगढ़	1339	211	22	1572
19. दिल्ली .	7013	1918	200	9131
20. आसाम	13697	6206	5577	25480
21. मणीपुर . .	5179	1928	197	7304
22. मेघालय	1603	1233	226	3062
23. नागालैंड . .	173	120	6	299
24. सिक्किम .	1072	663	64	1799
25. त्रिपुरा .	4789	2775	1355	8919
26. अरूणाचल प्रदेश	201	110	47	358
27. मिजोराम . .	130	138	54	322
28. टी बोर्ड(एन ई)	21315	5636	17376	44327
29. बिहार .	456557	111713	39759	603029
30. उड़ीसा	114190	28910	18590	161690
31. पश्चिम बंगाल	365667	158957	110324	634948
अखिल भारत . .	7251012	2720686	1068353	11040051

विवरण-III

राज्यवार उर्वरकों के उपभोग के आंकड़े

(000 मी० टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष : 1989–90 (अनुमानित) नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1.	आंध्र प्रदेश . .	1018792	401681	111949	1532422
2.	कर्नाटक .	391935	248999	138170	779104
3.	केरल . .	78638	47252	86564	212454
4.	तमिलनाडु . .	400088	158630	223407	782125
5.	अंडमान और निकोबार .	177	98	55	330
6.	पांडिचेरी .	8682	3242	5025	16949
7.	गुजरात	434395	213864	47118	695377
8.	मध्य प्रदेश	372588	263728	38372	674688
9.	महाराष्ट्र	681000	326000	175000	1182000
10.	राजस्थान .	194353	86387	4851	285591
11.	दादरा, नगर हवेली	387	297	90	774
12.	गोआ, दमन और दीव	2502	1789	1426	5717
13.	हरियाणा .	402595	129067	3822	535484
14.	हिमाचल प्रदेश	23620	5272	3819	32711
15.	जम्मू और कश्मीर	32609	11757	3146	47512
16.	पंजाब .	817558	314777	12538	1144873
17.	उत्तर प्रदेश . .	1547683	455416	88613	2091712
18.	चण्डीगढ़ . .	1306	297	22	1625
19.	दिल्ली . . .	6972	1981	127	9080
20.	असम . . .	12802	6511	4315	23628
21.	मणिपुर . .	5594	1161	149	6904
22.	मेघालय . .	1573	1088	196	2858
23.	नागालैण्ड . .	299	328	65	692
24.	सिक्किम . .	986	484	196	1666
25.	त्रिपुरा . .	5857	1868	1376	9101
26.	अरूणाचल प्रदेश .	230	110	50	390
27.	मिजोरम . .	201	218	82	501
28.	टी बोर्ड (एन ई)	16069	5628	38274	51971
29.	बिहार .	411959	106655	45481	564095
30.	उड़ीसा	132667	43894	27974	204735
31.	पश्चिम बंगाल .	381625	175756	113714	671095
	अखिल भारत . .	7885942	3014236	1167986	11568164

विवरण-IV

राज्यवार उर्वरकों के उपयोग के आंकड़े

(टनों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष : 1990–91 (अनुमानित) नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	1085801	417017	132378	1635196
2.	कर्नाटक . .	407527	251355	152446	811328
3.	केरल . .	99396	59220	96302	254918
4.	तमिलनाडु . .	445537	178782	255034	379353
5.	अंडमान और निकोबार .	177	98	55	330
6.	पांडिचेरी . .	10974	4097	5978	21049
7.	गुजरात . .	412263	213039	63516	688818
8.	मध्य प्रदेश . .	460600	288093	43637	792330
9.	महाराष्ट्र . .	726000	300000	200000	1294000
10.	राजस्थान . .	254398	128929	6928	139840
11.	दादरा और नगर हवेली .	559	379	133	1071
12.	गोवा, दमन और दीव .	3735	2654	2121	8510
13.	हरियाणा . .	440479	150516	5622	596617
14.	हिमाचल प्रदेश .	25320	5780	4090	35198
15.	जम्मू और कश्मीर .	29620	9606	3839	43065
16.	पंजाब .	863822	345212	15047	1224001
17.	उत्तर प्रदेश . .	1682298	492226	99867	2274391
18.	चण्डीगढ़ . .	1306	297	22	1625
19.	दिल्ली . . .	8024	2345	205	10574
20.	असम . . .	19365	8186	7646	35197
21.	मणिपुर . .	6353	2865	488	9706
22.	मेघालय . .	1579	1073	164	2816
23.	नागालैण्ड .	496	469	148	1113
24.	सिक्किम . .	1081	508	109	1058
25.	त्रिपुरा . .	6197	2783	2749	11729
26.	अरूणाचल प्रदेश .	246	149	47	442
27.	मिजोरम . .	299	414	112	825
28.	टी बोर्ड (एन०ई०) .	20732	5882	26771	53305
29.	बिहार . . .	444241	120833	47729	612003
30.	उड़ीसा . .	133578	42177	24460	200215
31.	पश्चिमी बंगाल .	373813	191000	119109	684082
	अखिल भारत .	7965816	3286143	1324832	12576791

5—189 एल०एस०एस०/एन०डी०/91

बाबा साहेब आम्बेडकर पर फिल्म

508. **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता को काम पर लगा कर भारतरत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन पर फिल्म का निर्माण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से भारतरत्न बाबा साहेब आम्बेडकर पर एक फीचर फिल्म बनाने का प्रस्ताव है ।

[अनुवाद]

सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा में वृद्धि

509. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री पवन कुमार बन्सल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु ऊपरी सीमा में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों में केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश के अवसरों की प्रतिशतता में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो रोजगार कार्यालयों में प्रतीक्षारत हेतु युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध आंकड़ों से केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के अवसरों में किसी कमी के संकेत नहीं मिलते हैं । विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे ।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कागज का वितरण

510. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड ने 1989–90 के लिए अग्रिम के बावजूद भी शैक्षिक क्षेत्र के लिये आरक्षित राज-सहायता प्राप्त कागज का वितरण इस क्षेत्र में नहीं कर रहा है;

(ख) क्या उक्त-राज-सहायता प्राप्त कागज का नोट बुक बनाने में उपयोग करने वाले हजारों उद्योग बीमार हो गये हैं जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन 1989-90 के अग्रिमों के विरुद्ध सप्लाई पूरी नहीं कर सका क्योंकि 31–3–1990 के बाद अनुदान योजना नहीं बढ़ाई गई। फिर भी इससे या तो अग्रिम राशि को लौटाने के लिए या सरकारी सहायता के बिना सप्लाई करने के लिए कदम उठाये हैं।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक क्षेत्र को कागज की सप्लाई जारी है, यद्यपि सरकारी सहायता के बिना ही ऐसा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम का विस्तार

511. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के विस्तार के लिए अतिरिक्त धन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) अगले पांच वर्षों में भूस्थायी कक्षा में 2.5 टन भार के इन्सैट-2 श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम भूस्थायी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) के विकास से संबंधित चुनौती वाली परियोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी०एस० एस०सी०) के विस्तार और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक निधि प्रदान की गई है। इससे राकेट प्रमोचन के क्षेत्र में देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

512. **श्री भाग्य गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है और प्रत्येक में कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लाभ हुआ; और

(ग) लगातार घाटे पर चल रहे सरकारी उपक्रमों के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 31–3–90 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तथा प्रत्येक उद्यम में किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा 27-2-1991 को सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1989-90 के खंड-I में क्रमश: पृष्ठ संख्या वि० 208 से लेकर वि० 216 तक तथा पृष्ठ संख्या वि० 133 से लेकर वि० 145 में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1988-89 तथा 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उद्यमों की सूची सम्बद्ध लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-I में पृष्ठ संख्या वि० 50 से लेकर वि० 55 [विवरण 7 (क)], पृष्ठ 213 से 217 [विवरण 7(क)] तथा पृष्ठ

69 से 72 [विवरण संख्या 2.7(क)] में दी गई है, जो क्रमश: 27-2-1991, 15-3-1990 तथा 27-2-1989 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। अलग-अलग उद्यमों के बारे में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा उद्यमों द्वारा कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये कार्यवाई की जाती है। किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है :— वित्तीय, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन आदि। समझौता ज्ञापन की एक नई अवधारणा शुरू की गई है जो बेहतर कार्यनिष्पादन प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के परस्पर दायित्वों को स्पष्ट करती है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात

513. **श्री भाग्य गोवर्धन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में क्रमश: कितने मूल्य की विभिन्न इलेक्ट्रानिक सामग्री का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात बाजार का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये और यदि कोई परिणाम निकले हों, तो वे क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में कुल कितने मूल्य की इलेक्ट्रानिक सामग्री का उत्पादन हुआ; और

(घ) देश में निर्मित उस इलेक्ट्रिक सामग्री का नाम क्या है जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा में ठहर सकती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य नीचे दिए अनुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर निर्यात	कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात	कुल निर्यात
1988-89 . .	405	115	520
1989-90 .	700	165	865
1990-91 . .	690	220	910

(ख) निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए जो मुख्य उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार है :— इलेक्ट्रानिकी उद्योग द्वारा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, भारतीय इलैक्ट्रानिकी उद्योग के बारे में व्यापक रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेना और निर्यात के लिए जिन देशों को चुना गया है, उनके संभावित खरीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से संवर्धन अभिकरणों द्वारा प्रायोजित सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेना।

उपर्युक्त संवर्धनात्मक उपायों के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कुल उत्पादन मूल्य नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपयों में)
1988–89	7030
1989–90	9010
1990–91	9540

(घ) जिन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात की संभावना है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

निर्यात की सम्भावना वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

(क) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर तथा सम्बद्ध वस्तुएं

— वैयक्तिक कम्प्यूटर्स (पीसी, पीसी/एक्सटी, पीसी/एटी)
— मुद्रक
— फ्लॉपी डिस्क ड्राइव
— मॉनीटर
— कुंजीपटल
— मदर बोर्ड, मेमोरी मॉड्यूल्स

(ख) संघटक पुर्जे तथा सामग्रियां

— कैपेसिटर
— रेजिस्टर
— सेमी-कंडक्टर युक्तियां
— एकवर्णी पिक्चर ट्यूबें (स्क्रीन का आकार 36 सेमी० तथा 51 सेमी०)
— रंगीन टीवी पिक्चर ट्यूब
— विक्षेपक संघटक-पुर्जे (एकवर्णी तथा रंगीन टीवी के अनुप्रयोगों के लिए)
— टीवी ट्यूनर (समस्वरित्र)
— मुद्रित परिपथ बोर्ड
— चुम्बकीय टेप (श्रव्य/दृश्य)
— फ्लॉपी डिस्केट
— श्रव्य/दृश्य टेप हाउसिंग
— स्विचें
— श्रव्य टेप डेक मेकेनिज्म
— फेराइट
— स्थायी चुम्बक

(ख) संघटक पुर्जे तथा सामग्रियां—जारी

— ट्रांसफॉर्मर
— टेलीस्कोपिक एरियल
— कॉपर क्लैडलैमिनेट
— संकर सूक्ष्म परिपथ
— रजतित अभ्रक प्लेटें
— कनेक्टर

(ग) संचार तथा प्रसारण वस्तुएं

— एन्टीना
— उपग्रह संचार उपस्कर
— टेलीफोन उपकरण
— इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ईपी एबी एक्स) प्रणालियां
— आरएएक्स (ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज)
— 2 एमबी प्राइमेट्री पीसीएम
— दुतरफा संचार उपस्कर
— टी वी प्रसारण उपस्कर

(घ) उपभोक्ता वस्तुएं

— एकवर्णी तथा रंगीन टीवी सेट
— श्रव्य प्रणालियां/श्रव्य कैसेट रिकार्डर
— सार्वजनिक संबोधन (पी ए) प्रणालियां
— रेडियो (एफएम/एएम) तथा इसके संयोजक
— घड़ियां/दीवार घड़ियां (इनके मॉड्यूल)
— पूर्व रिकार्डित् श्रव्य/दृश्य कैसेट

(ङ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा परामर्श सेवाएं

(च) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण :

— अबाधित विद्युत आपूर्ति
— दुग्ध विश्लेषक
— दोलनदर्शी
— इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय उपस्कर
— कार्यालय उपस्कर

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना के प्रस्ताव

614. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों में चीनी मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या राज्य सरकार ने बरेली में नवाबगंज और मेअरगंज में चीनी मिलों की स्थापना के लिए कुछ गैर-सरकारी पार्टियों के आवेदनों पर मंजूरी देने की सिफारिश की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 30-6-1991 तक उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 184 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आवेदन पत्रों की जिलेवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बरेली जिले के मीरगंज व नवाबगंज में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की सिफारिश की गई है :—

1. केशव माथुर,
   सुगर यूनिट, नवाबगंज, जिला बरेली
2. मै० सिंभोली चीनी मिल्स लि०, मीरगंज,
   जिला बरेली

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शर्करा उद्योग में लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है । इन आवेदन पत्रों पर उक्त समीक्षा के बाद तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जाएगा ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में लंबित नये प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण

30-6-91 को स्थिति

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र
1	2	3
	जिला मुजफ्फरनगर	
1.	श्री गौतम आर० मोरारका, स्थान व जिला मुजफ्फरनगर	निजी
2.	मै० बाबरी पेपर मिल्स लि०, बाबरी, चौसाना खादर, स्थान-केदारगढ़, टिहरी या बेघरा, तह० कैराना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
3.	मै० गुलशन सुगर एंड कैमीकल्स लि० स्थान-लाम्राजोर, मीरनपुर या खसमपुर खोला या किलेरपुर जुमीर या जनसठ या चेतोरा या सिखोरा, तह० जनसठ, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
4.	मै० नुपूर प्रोफेशनल ऐंड (प्रा०) लि०, बाबरी या चौसारा खादर या कदोरगढ़, टिहरी या बाघड़ा, तह० कैराना, जि० मुजफ्फरनगर	निजी

विवरण—जारी

1	2	3
5.	बी० डी० जैन, स्थान/तह० बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
6.	मैं० चसरीसोना इन्वैस्टमैन्ट (इंडिया) लि०, स्थान (1) बुधीना, तह० व जि० मुजफ्फरनगर, स्थान (2) खरार, ता० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	निजी
7.	मै० कोन्टीनेन्टल पम्पस एंड मोटरस लि०, स्थान-खरार, तह० बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
8.	मै० एच० एस० भारतीय, स्थान व तह० बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर .	निजी
9.	श्री शैलेन्द्र मोहन, नई इकाई बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
10.	मै० रतन लाल परसरामपुरिया सुगर यूनिट, बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर .	निजी
11.	अलीमुद्दीन राणा सुगर फैक्ट्री, सहापुर, तह० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर .	निजी
12.	मै० श्री जगदम्बा एस्टेटस प्रा० लि०, सुगर यूनिट, चौसाना, तह० कैराना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
13.	मै० बाबरी स्ट्रा प्रोडैक्टस प्रा० लि०, सुगर यूनिट, बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
14.	मै० इन्जीनियरिंग एंड टैक्निकल सर्विस लि०,शिवपुरी, तह० जनसठ, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
15.	श्री चन्द्र कुमार जैन-पुरकाजी, तह० व जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
16.	मि० के० के० लुथर, साहपुर, जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
17.	श्री योगेश कुमार, बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
18.	मै० फ्लैक्स इन्डस्ट्रीज लि०, तह० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर .	निजी
19.	मै० विश्वज्योति ट्रेडिंग लि०, मीरपुर, तह० जनसठ, जि० मुजफ्फरनगर .	निजी
20.	मै० स्पेन्सर एंड कं० लि०, सिसौली, जिला मुजफ्फरनगर .	निजी
21.	मै० इन्डोडन इन्डस्ट्रीज लि०, मुजफ्फरनगर, तह० व जि० मुजफ्फरनगर	निजी
22.	श्री सुरेश पाल सिंह, ब्लाक यू०ओ०एम०, तह० कैराना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
23.	श्री जी० पी० गोयनका, बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर	निजी
24.	श्री भास्कर बैनर्जी, चौसाना, जिला मुजफ्फरनगर . .	निजी
	जिला मेरठ	
25.	के० आर० नारंग, स्थान-छपरौली, तह० बागपत, जिला मेरठ . .	निजी
26.	उ०प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, मउखास, जि० मेरठ .	सहकारी
27.	डा० रणजीत कुमार नियोगी, स्थान-खेकड़ा, तह० बागपत, जिला मेरठ .	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
28.	श्री देवी प्रसाद हाजरा, बढ़ावा, तह० बड़ौत, जि० मेरठ . .	निजी
29.	श्री वी० एस० दीवान, गांव मउखास, तह० व जिला मेरठ . .	निजी
30.	मै० कोल्टस इन्डस्ट्रीज इन्वैस्टमेंट लि०, बरनावा, तह० श्रधाना, जिला मेरठ	निजी
31.	मै० श्री ऐसीड एंड केमीकल्स लि०, बरनावा, तह० श्रधाना, जिला मेरठ .	निजी
32.	के० आर० नारंग, स्थान-बथुलिया, निचलाउल, जिला महाराजगंज .	निजी
33.	कुलदीप राज नारंग, रतनपुर, तह० नन्तानवा, जिला महाराजगंज	निजी
34.	मै० जे० बी० रे, मिसरौली, जिला महाराजगंज . .	निजी
35.	मै० श्री यू० के० बोस, झम-झमपुर चौक, तह० व जिला महाराजगंज	निजी
	जिला सहारनपुर	
36.	मै० जमुना सुगर मिल्स, अहीराना, तह० नकुल, जिला सहारनपुर	निजी
37.	मै० उ०प्र० सुगर एंड ओरगेनिक्स लि०, नागल, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर	निजी
38.	मै० राजपाल सिंह नागल सुगर मिल्स लि०, नागल, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर	निजी
39.	मै० विन मैडीकेअर लि०, स्थान-लखनौती-गंगोह, तह० नकुर, जिला सहारनपुर	निजी
40.	मै० नपुर प्रोफैशनल एंड प्रा० लि०, प्रस्तावित इकाई लखनौती (गंगोह), जिला सहारनपुर	निजी
41.	मै० इंडिया सैरोईल्स लि०, सुगर फैक्ट्री-लखनौती, तह० गंगोह, जिला सहारनपुर	निजी
42.	श्री हरभजन सिंह, स्थान-जिला सहारनपुर . .	निजी
43.	मि० सुरेश मित्तल, नांगल में चीनी फैक्ट्री के लिए, जि० सहारनपुर .	निजी
44.	मै० यू०पी० को-आप० शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, रामगढ़, (नाकुर-गंगोह) तह० नाकुर, जिला सहारनपुर	सहकारी
45.	श्री जी० पी० गोयनका, स्थान नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर .	निजी
46.	श्री जी० पी० गोयनका, स्थान लखनोटी (गंगोह), तह० नाकुर, जिला सहारनपुर	निजी
47.	श्री एच०वी०कनौड़िया, स्थान गंगोह के निकट, तह० गंगोह, जिला सहारनपुर	निजी
48.	श्री राकेश कुमार, स्थान नागल के निकट, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर	निजी
49.	श्री अल्नेश कुमार, गंगोह के निकट, तह० नाकुर, जिला सहारनपुर .	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
50.	मै० राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि०, यूमिट स्थान नागल, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर	निजी
51.	श्री विमलेश जाजु, गंगोह कस्बे के निकट, तालुक गंगोह, जिला सहारनपुर .	निजी
52.	डा० जी० एस० सी० राव, स्थान छलौली, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर .	निजी
53.	श्री संगत सिंह, स्थान छलौली, तह० देवबंद, जिला सहारनपुर . .	निजी
54.	मै० राय बहादुर नारायण सिंह मिल्स लि०, स्थान गंगोह (लखनोटी), जिला सहारनपुर	निजी
55.	मै० विम्पर ट्रेडिंग लि०, स्थान गंगोह, तहसील सहारनपुर, जिला सहारनपुर	निजी
56.	श्री ओ० पी० अग्रवाल, स्थान नागल (देवबंद और सहारनपुर के बीच) सहारनपुर शहर से 20 कि०मी०, जिला सहारनपुर	निजी
	जिला मथुरा	
57.	श्री महेश चतुर्वेदी, तहसील मांत, जिला मथुरा . . .	निजी
58.	मै० सुजुकी (इंडिया) लि० बालदेव में प्रस्तावित, तह० सदाबाद, जिला मथुरा	निजी
59.	मै० श्री मुरलीधर अग्रवाल, राया-माट रोड में शुगर फैक्ट्री, तह० गोकुल, जिला मथुरा	निजी
60.	श्री अरूणेश कुमार, जरारा के निकट, मांत, जिला मथुरा . .	निजी
61.	श्री एस० एन० चतुर्वेदी, स्थान कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा .	निजी
62.	एच० के० चड्ढा, स्थान-बालदेव, तहसील और जिला मथुरा .	निजी
	जिला लखीमपुर खीरी	
63.	मै० यू० पी० को-आप०शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, स्थान सारदानगर, तह० निघासन, जिला लखीमपुर खीरी	सहकारी
64.	मै० विन-मेडिकेस लि०, स्थान-शारदानगर, तह० लखीमपुर, जिला खीरी लखीमपुर	निजी
65.	विमल जैन, शारदानगर में प्रस्तावित शुगर फैक्ट्री, तह० निघासल, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
66.	मै० कृष्णा खन्ना, मितौली (मोहम्मदी के निकट) में प्रस्तावित शुगर फैक्ट्री, तहसील मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	सहकारी
67.	मै० यू०पी० को-आप० शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०, यूनिट स्थान-मितौली (मोहमदी के निकट), तह० मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	सहकारी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
68.	एन० के० माथुर शुगर फैक्ट्री, स्थान मितौली (मोहमदी के निकट) तह० मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
69.	श्री ओ० पी० शुक्ला, शारदानगर में शुगर फैक्ट्री, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
70.	श्री पवन अग्रवाल, मितौली में चीनी यूनिट, तह० मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
71.	मै० श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स लि०, बिजवा में प्रस्तावित नयी चीनी फैक्ट्री, तहसील और जिला लखीमपुर खीरी	निजी
72.	मै० शारदा शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, शारदानगर में चीनी यूनिट, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
73.	श्री जे० एस० नेगी, मोहम्मदी (निकट) में नयी शुगर फैक्ट्री, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
74.	मै० सिद्धार्थ शुगर्स लि०, स्थान-शारदानगर, तह०निघासन, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
75.	श्री अरविन्द सिंह, स्थान-जंग बहादुरगंज, जिला लखीमपुर खीरी .	निजी
76.	श्री सिद्धार्थ सिंह, स्थान-जंग बहादुर गंज, तह० मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
77.	मै० कैनन फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लि०, मितौली, तहसील मोहमदी, जिला खीरी	निजी
78.	मै० विन-मेडिकेयर लि०, स्थान-शारदानगर, तहसील तथा जिला लखीमपुर खीरी	निजी
79.	श्री ओ० पी० श्रीवास्तव, मितौली/जंगबहादुरगंज के निकट, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
80.	मै० प्रदेशिया इंड० एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० लि०, स्थान मितौली, तहसील मोहमदी, जिला लखीमपुर खीरी	सहकारी क्षेत्र
81.	मै० ओसवाल फैट्स एण्ड आयल्स लि०, स्थान मोहम्मदपुर, तहसील मोहमदी, जिला खीरी	निजी
82.	मै० गैनन फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लि०, स्थान शारदानगर, तहसील लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
83.	मै० गैनन फाइनेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट लि०, स्थान बिजुआ, तहसील गोला गोकरण-नाथ, जिला लखीमपुर खीरी	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
84.	मै० बालाजी लीजिंग एण्ड इंडस्ट्रीज कं० लि०, स्थान शारदानगर, तहसील लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी	निजी
85.	श्री महेन्द्र वी० दोशी, स्थान मितौली, तहसील मोहमदी, जिला खीरी .	निजी
86.	श्री ममडह, स्थान मितौली, तहसील मोहमदी, जिला खीरी . .	निजी
87.	मै० स्ट्रा प्राडक्टस लि०, स्थान जंग बहादुर गंज, जिला लखीमपुर खीरी .	निजी
	जिला अलिगढ़	
88.	मै० एसोसिएटेड शुगर मिल्स, लि०, स्थान और तहसील खैर, जिला अलीगढ़	निजी
89.	श्री करूण राज नारंग, स्थान और तहसील खैर, जिला अलीगढ़ . .	निजी
	जिला मुरादाबाद	
90.	मै० यूनाइटिड शुगर्स लि०, स्थान और तहसील चजलैत, जिला मुरादाबाद .	निजी
91.	इंदरवीर सिंह, स्थान और तहसील जिला मुरादाबाद . .	निजी
92.	श्री अमरसिंह, स्थान फजलपुरमाही, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद .	निजी
93.	मै० गंगा शुगर एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, यूनिट स्थान गाव धमारा, तहसील डगुआरा, जिला मुरादाबाद	निजी
94.	मै० स्वदेशी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, यूनिट स्थान अगवानपुर, तहसील और जिला मुरादाबाद	निजी
95.	श्री टी० पी० बंसल, स्थान छाबड़ा के पास, तहसील चंदौसी, जिला मुरादाबाद	निजी
96.	श्री पवन कुमार चौधरी, स्थान-फतेहपुर बिशनोई, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद	निजी
97.	मै० बीनागुडी टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, स्थान-धनौरा, तहसील गजरौला, जिला मुरादाबाद	निजी
98.	मै० श्री आनन्द होल्डिंग्स लिमिटेड, स्थान-फतेहपुर बिशनोइ, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद	निजी
99.	मै० फ्लेक्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, स्थान मतलाबपुर, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद	निजी
100.	श्री जिया कदरी, स्थान मतलाबपुर, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद .	निजी
101.	मै० चजलैत शुगर मिल्स लिमिटेड, स्थान चजलैत, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद	निजी
102.	श्री अरूण कुमार राठी, स्थान गांव रतूपूरा, तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
	जिला इटावा	
103.	मै० श्री तिलक धर मारफत डी० सी० एम० श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्थान जसवन्त नगर, तहसील एवं जिला इटावा	निजी
104.	मै० मंत्री उद्योग लिमिटेड, स्थान-जसवन्त नगर, तहसील एवं तालुक इटावा	निजी
105.	श्री मनोज सिंगल, स्थान और जिला इटावा . . .	निजी
106.	मै० एलौरा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, स्थान और जिला इटावा	निजी
107.	मै० सनराईज डिस्टलरीज लि०, इटावा, तह० इटावा, जिला इटावा	निजी
	जिला बिजनौर	
108.	अवधेश कुमार, जिला बिजनौर	निजी
109.	श्री विपिन गोयल, शुगर फैक्ट्री, नजदीक किरातपुर, तह० नजीबाबाद, जिला बिजनौर	निजी
110.	श्री अवधेश कुमार, गांव कबूलपुर, तह० व जिला बिजनौर .	निजी
111.	मै० चन्डक शुगर मिल्स लि०, चन्डक, तह० व जिला बिजनौर .	निजी
112.	श्री देविन्द्र सिंह, चन्डक, तह० व जिला बिजनौर . .	निजी
113.	श्री पीयूष कुमार, हलदौर-नाहटौर रोड, तह० व जिला बिजनौर	निजी
114.	श्री राकेश कुमार, हलदौर, जिला व तह० बिजनौर .	निजी
115.	श्री बली राम, चन्डक, तह० व जिला बिजनौर . .	निजी
116.	श्री प्रमोद कुमार, नियर गांव कोतवाली, तह० नगीना, जि० बिजनौर	निजी
117.	श्री यदायन वीर, चन्डक, तह० नजीबाबाद, जि० बिजनौर	निजी
	जिला फतेहपुर	
118.	आर० विजय कुमार, धाता, तह० खागा, जि० फतेहपुर . .	निजी
119.	मै० महर्षि हेवन आन अर्थ डेवलपमेंट कारपो० लि०, शुगर फैक्ट्री, उन्नीर, तह० व जिला फतेहपुर	निजी
	जिला आजमगढ़	
120.	राजेश कुमार गुप्ता, नजदीक निओरी अतरौली, जिला आजमगढ़	निजी
121.	श्री सतीश कुमार सिंह, अतरौली-निओरी, तह० फूलपूर, जिला आजमगढ़ .	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
	जिला गोरखपुर	
122.	मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, मिसरौली, जिला गोरखपुर .	सहकारी
123.	मै० प्रेस्टीज फाइबर्स लि०, शुगर यूनिट, दैदारी/जरचा/धौलाना, तह० ददारी, जिला गाजियाबाद	निजी
124.	श्री ओम प्रकाश परसुरामपुरिया शुगर यूनिट, धौलाना, तह० हापुर, जिला गाजियाबाद	निजी
125.	मै० महावीर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कं० (प्रा०) लि०, यूनिट धौलाना, तह० हापुड़, जिला गाजियाबाद	निजी
126.	नै० श्री अजय के० स्वरूप सुगर फैक्ट्री, धौलाना, जिला गाजियाबाद .	निजी
127.	मै० अशोका मरकेन्टाइल लि०, स्थान धौलाना, तह० हापुड़, जिला गाजियाबाद	निजी
128.	मै० मिडलैंड मरकेन्टाइल लि०, नियर पिलखुआ टाउन, जि० गाजियाबाद	निजी
129.	मै० श्री संजीव अग्रवाल, पिलखुआ, तह० हापुड़, जिला गाजियाबाद .	निजी
130.	मै० आर० के० अग्रवाल, मन्डोला, तह० व जिला गाजियाबाद . .	निजी
	जिला वाराणसी	
131.	श्री ए० के० श्रीवास्तव, चकिया चन्दौली, तह० चन्दौली, जिला वाराणसी .	निजी
132.	उ०प्र० राज्य चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, चकिया चन्दौली, जिला वाराणसी .	सहकारी
	जिला कानपुर	
133.	मै० आमरपाली इन्टरनेशनल, बिल्हौर (नजदीकी क्षेत्र), तह० बिल्हौर, जिला कानपुर (देहात)	निजी
	जिला बरेली	
134.	केशव माथुर शुगर यूनिट, स्थान व तह० नवाबगंज, जिला बरेली	निजी
135.	मै० सिंभोली शुगर मिल्स लि०, नजदीक मीरगंज, जि० बरेली . .	निजी
136.	मै० सिन्थेटिक्स एंड कैमीकल्स लि०, फतेहगंज पश्चिम, तह० व जिला बरेली	निजी
137.	मै० ओसवाल स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि०, औरंगाबाद, डा० नवाबगंज, जिला बरेली	निजी
138.	मै० अमरपाली इन्टरनैशनल, स्थान व तह० नवाबगंज, जि० बरेली .	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
139.	श्री डी० के० श्रीवास्तव, स्थान व तह० नवाबगंज, जि० बरेली	निजी
140.	श्री एन० के० श्रीवास्तव, स्थान व तह० नवाबगंज, जिला बरेली	निजी
141.	मै० जे० के० इन्डस्ट्रीज लि०, मीरगंज, जि० बरेली	निजी
	जिला सीतापुर	
142.	मै० गोबिन्द शुगर मिल्स लि०, ऐरास्टेट, जि० खीरी, नई चीनी फैक्ट्री, बेहता-रूसा, तह० बिस्वान, जिला सीतापुर	निजी
143.	मै० सेक्ससरिया बिस्वान शुगर, बेहाता-रूसा, तह० बिस्वान, जिला सीतापुर	निजी
144.	मै० सेक्ससरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि०, स्थान शाह महोली, तह० व जिला सीतापुर	निजी
	जिला हरिद्वार	
145.	मै० के० एम० शुगर मिल्स लि० चीनी फैक्ट्री, जिला हरिद्वार	निजी
146.	मै० नारसन डिस्टलरी एंड शुगर मिल्स, नारसन, जि० हरिद्वार	निजी
147.	मि० रजनीश अग्रवाल, गुरूकुल नारसन, जि० हरिद्वार	निजी
148.	मै० गेलोर्ड इन्टरनैशनल लि०, नजदीक नारसन, जि० हरिद्वार	निजी
149.	श्री धर्मवीर सिंह, सकौती, तह० रूड़की, जि० हरिद्वार	निजी
150.	श्री पवन सी० सहानी, सकौती, तह० रूड़की, जि० हरिद्वार	निजी
	जिला रामपुर	
151.	मै० धानम ट्रेडर्स एंड एजेन्सीज लि०, मेलक, जिला रामपुर	निजी
152.	श्री सुधीर कुमार परसरामपुरिया, स्थान मिलक, मीरगंज, तह० मिलक, जिला रामपुर	निजी
153.	राजा बुलंद शुगर कं० लि०, मिलक, जिला रामपुर	निजी
154.	मै० शिव पेपर मिल्स लि०, धौली, तह० मिलक, जिला रामपुर	निजी
155.	मै० सीतानी फाइनेन्स एंड लिजिंग कं० लि०, रामपुर, जि० रामपुर	निजी
156.	मै० वरिन्द्र एग्रोकेमिकल्स लि०, गांव किरमचा, तह० मिलक, जि० रामपुर	निजी
	जिला नैनीताल	
157.	श्री दीपक सिंह, काशीपुर, जिला नैनीताल	निजी
158.	मै० थापर एग्रोमिल्स लि०, गाँव चोरगालिया, तह० सीतारगंज, जिला नैनीताल	निजी
159.	मै० कुमाऊं फार्माकैप्स एंड कैमीकल्स प्रा०लि०, बेलपारो, जिला नैनीताल	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
	जिला हरदोई	
160.	श्री प्रताप नारायण पाण्डेय, दारापुर, मालावान, तह० विलग्राम, जिला हरदोई	निजी
161.	मै० मुदीतवर्मा, जहानी खेड़ा, एंड नजदीकी गांव, तह० शाहबाद, जिला हरदोई	निजी
162.	श्री आनन्द स्वरूप अग्रवाल, पिहानी, तह० शाहबाद, जि० हरदोई .	निजी
163.	मै० श्री एसिड्स एंड केमीकल्स लि०, मालीवाना, तह० विलग्राम, जिला हरदोई	निजी
164.	मै० श्री एसिड्स एंड कैमीकल्स लि०, कछोना, जि० हरदोई . .	निजी
	जिला शाहजांहपुर	
165.	चौ. बलवंत सिंह, जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर	निजी
	जिला गौंडा	
166.	श्री सुधीर कुमार परसरामपुरिया, स्थान व तह० मानकपुर, जि० गौंडा .	निजी
167.	मि० आई० अहमद, नजदीक देवरिया/मानकपुर, तह० मानकपुर, जिला गौंडा	निजी
	जिला `वरिया	
168.	मि० सुब्रत राय, नजदीक हाता, तह० व जिला देवरिया .	निजी
169.	मिसेज स्वपना राय, नजदीक पाथरडेय/तारूआना, जिला देवरिया .	निजी
170.	मै० कैमकरोन (इंडिया) लि०, फाजिलनगर, तह० फाजिलनगर, जिला देवरिया	निजी
171.	मै० श्री एम० जी० गोयल, घोरा-बजुरग, तह० हाता, जि० देवरिया .	निजी
172.	मै० मि० यू० के० बोस, नजदीक दोमठ/तारीसूरन, जि० देवरिया .	निजी
173.	मै० प्रतापपुर शुगर एंड कैमीकल्स लि०, दोमठ, हाता, जि० देवरिया .	निजी
174.	मै० उ०प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, तिनफरिया, तह० तमकुही राज (सिओराही), जिला देवरिया	सहकारी]
	जिला इलाहाबाद	
175.	मै० खोडे ईश्वर एंड सन्स, प्रतापपुर, तह० हान्डिया, जिला इलाहाबाद	निजी
	जिला बुलंदशहर	
176.	मै० गननोन फाइनेन्स एंड इन्वैस्टमेंट लि०, अगोता, तह० स्याना, जिला बुलंदशहर	निजी
177.	श्री योगेश सराफ, बुलंदशहर, तह० व जिला बुलंदशहर . .	निजी

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
	जिला फैजाबाद	
178.	श्री अमर सिंह, अकबरपुर, जिला फैजाबाद . . .	निजी
179.	मैं० यश पेपर्स लि०, अकबरपुर, जिला फैजाबाद . . .	निजी
	जिला बाराबंकी	
180.	मैं० श्री जे० बी० राय, कोटिवा धाम, तह० राम स्नेहघाट, जि० बाराबंकी	निजी
	जिला मैनपुरी	
181.	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, नजदीक मैनपुरी, तह० मैनपुरी, जि० मैनपुरी .	निजी
182.	मैं० हरिसन्स मल्यालम लि०, भूगाँव, जिला मैनपुरी . . .	निजी
	जिला फर्रुखाबाद	
183.	मैं० स्पेन्सर एंड कं० लि० रजाईपुर, जिला फर्रुखाबाद	निजी
	जिला बदायूं	
184.	श्री अबदुल दाबीर, स्थान व तह० बिसौली, जिला बदायूं . .	निजी

[अनुवाद]

पंचायती राज विधेयक पुरःस्थापित करना

515. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद के चालू अधिवेशन के दौरान संसद में पंचायती राज विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० व्यंकटस्वामी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पंचायती राज विधेयक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सभी संबंधितों से परामर्श करने के बाद इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर दूरदर्शन विज्ञापनों का प्रभाव

516. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता तथा रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों पर दूरदर्शन के विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या निर्माताओं द्वारा विज्ञापनों पर जितनी धनराशि व्यय की जाती है मूल्यों में उतनी कमी करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो निर्माताओं का उपभोक्ताओं पर मनमानी करने के क्या कारण हैं; और

6—189 एल०एस०एस०/एन०डी०/91

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान निर्माताओं/कम्पनियों/उत्पादकों ने दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कितनी धनराशि व्यय की और पिछले तीन वर्षों के वर्ष-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) किसी वस्तु का दूरदर्शन पर विज्ञापन देना माल/सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने का एक न्यायोचित माध्यम है । उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, उत्पादन लागत, बाजार शक्तियों, मांग और पूर्ति आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है और वाणिज्यिक विज्ञापन उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित/विनियमित करने का कोई उपाय नहीं है ।

वाणिज्यिक विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उनके ग्राहक की ओर से तैयार किये जाते हैं और सरकार को विज्ञापनों की तैयारी पर कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ता है । चूंकि विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा निर्माताओं के लिए तैयार किए जाते हैं इसलिए ऐसे विज्ञापनों पर निर्माताओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । तथापि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण का विनियमन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा किया जाता है ।

सुपर बाजार में दवाएं उपलब्ध न होना

517. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुपर बाजार अपने भंडारों में जीवन रक्षक औषधों सहित सभी प्रकार की दवाओं को रखने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो कब और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सुपर बाजार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सुपर बाजार द्वारा प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की आम तौर पर जाने वाली दवाओं को स्टोर में उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जाते हैं । वस्तु सूची नियंत्रण तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारण, देश में विनिर्माताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा उत्पादित प्रत्येक दवा को रखना संभव नहीं है । तथापि, सुपर बाजार प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की जीवन रक्षक दवाओं तथा आम तौर पर मांगी जाने वाली औषधियों को रखने के सभी प्रयास करता है । कभी-कभी सप्लायर से उपलब्ध न होने अथवा औषधि की आपूर्ति कम होने या सुपर बाजार के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से सुपर बाजार में कोई-कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है । चूंकि सुपर बाजार सीधे दवाएं आयात नहीं करता है, अतः आयातित औषधियों/जीवन रक्षक दवाओं की अपनी आवश्यकता के लिए उसे स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है । स्थानीय स्रोतों के पास आयातित दवाएं उपलब्ध न होने पर माल खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । तथापि, यदि मांगी गई औषधि उपलब्ध नहीं होती है तो सुपर बाजार समान चिकित्सीय प्रभाव की दूसरी औषधि दे देता है ।

हालांकि धन संबंधी कठिनाई होने से कभी-कभी सुपर बाजार को सप्लायरों को समय पर भुगतान करने में, जिनमें दवा विभाग के सप्लायरों का भुगतान शामिल है, बाधा हो सकती है, तथापि यह कहना

सही नहीं होगा कि औषधियों का भंडार समाप्त होने की यदि कोई स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण वित्त संबंधी कठिनाइयां हैं । सुपर बाजार अपनी अंश पूंजी बढ़ाने तथा आंतरिक रूप से निधि सृजित करके अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कदम उठा रहा है ।

सुपर बाजार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न दवाखानों को सप्लाई की गई दवाओं के प्रति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से 70 लाख रु० की धनराशि ली जानी है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । उपर्युक्त बकाया धनराशि के भुगतान से स्टोर की नकदी की स्थिति में सुधार होगा ।

दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति आयुक्त से की गई अपीलें

518. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति आयुक्त को खाद्य तेल लाइसेंसिंग आदेश, 1977 के अंतर्गत गत 12 महीनों के दौरान कितनी अपीलें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक अपील पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन अपीलों पर कार्यवाही करने में देरी किए जाने के क्या कारण हैं और कार्यवाही किए जाने/उत्तर देने के लिए सभी लम्बित पड़ी अपीलों की संख्या कितनी है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) विगत 12 महीनों के दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त दिल्ली को खाद्य तेल लाइसेंसिंग आदेश, 1977 के अंतर्गत तीन अपीलें प्राप्त हुई । एक का निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहले ही किया जा चुका है । दूसरी अपील की सुनवाई 13-8-91 को होनी है । तीसरी अपील स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई है और शीघ्र ही उसे विचार के लिए लिया जाएगा । इस आदेश के उपबंधों के अंतर्गत अपील के निपटान के लिए कोई नियत समय नहीं है ।

गुजरात को आयातित पामोलिन तेल की सप्लाई

519. **श्री काशीराम राणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को 1 नवम्बर, 1990 से प्रारम्भ होने वाले चालू तेल वर्ष में जून, 91 तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना में कितना आयातित पामोलिन तेल का आवंटन किया गया;

(ख) राज्य को यह तेल किस आधार पर आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार राज्य को खाद्य तेल का आवंटन करने से पहले वहां के लोगों की खाने की आदतों और उपभोग के तरीकों को ध्यान में रख रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1 नवम्बर, 1990 से शुरू होने वाले वर्तमान तेल वर्ष के दौरान जून, 1991 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना में गुजरात को आवंटित आयातित पामोलीन की मात्रा नीचे दी गई है :—

(i) गुजरात	14,200 मी०टन
(ii) महाराष्ट्र	20,600 मी० टन
(iii) उत्तर प्रदेश . . .	6,000 मी० टन
(iv) तमिलनाडु . . .	7,575 मी० टन

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, देशीय तेलों की स्थानीय उपलब्धता, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की यथार्थपरक मांग, सरकार के पास आयातित खाद्य तेलों की उपलब्धता, माल उठाने की गति आदि जैसी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) जी, हां ।

चीनी का आयात/निर्यात

520. श्री काशीराम राणा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के कोटे का आवंटन 1 अक्तूबर, 1986 के पुराने मानक को मानने के स्थान पर 1 जनवरी, 1991 की संभावित जनसंख्या के आधार पर तय किया है;

(ख) क्या निकट भविष्य में चीनी का आयात/निर्यात करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) निकट भविष्य में चीनी के आयात का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने इस वर्ष 5.61 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी देने का निर्णय लिया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) वाणिज्यिक निर्यात	5.00 लाख टन
(2) यू०एस०ए०/ई०ई०सी० को तरजीही कोटे के तहत निर्यात .	0.25 लाख टन
(3) नेपाल को निर्यात	0.27 लाख टन
(4) अन्य विविध निर्यात	0.09 लाख टन
	5.61 लाख टन

[हिन्दी]

सूरत में स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता

521. श्री काशीराम राणा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत (गुजरात) में स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता 100 वाट से बढ़ाकर एक किलोवाट करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) और (ख) सूरत (गुजरात) स्थित दूरदर्शन की वर्तमान प्रसारण सुविधाओं का विस्तार पर्याप्त वित्तीय साधन प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

522. श्री मदन लाल खुराना : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है परन्तु इसकी खरीद कम हुई और किसानों ने गेहूं को ऐसे खुले बाजार में जहां बाजार दर अधिक है बेचने के लिए रख रखा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाये है ताकि आने वाले दिनों में खाद्य भंडार स्थिति न बिगड़े तथा पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अप्रभावित रहे;

(ग) क्या किसान अपने भंडार का निर्धारित हिस्सा सरकार को बेचने के लिए बाध्य है; यदि हां, तो क्या उतना भाग खरीदा जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) फसल वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 54.5 मिलियन मीटरी टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 49.6 मिलियन मीटरी टन उत्पादन हुआ था। वर्तमान रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान 12-7-91 की स्थिति के अनुसार 7.7 मिलियन मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 10.9 मिलियन मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी। रबी विपणन मौसम, 1991-92 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जोकि 1990-91 के मौसम के लिए निर्धारित किए गए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 15 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था ।

मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किया गया उचित औसत किस्म का सभी स्टाक भारतीय खाद्य निगम/राज्य की एजेन्सियों द्वारा खरीद लिया जाता है । किसान अपनी पैदावार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से अधिक मूल्यों पर खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

(ख) 1-6-1991 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में कुल 11.31 मिलियन मीटरी टन गेहूं का स्टाक उपलब्ध था, जोकि 31 मार्च, 1992 को समाप्त गेहूं वर्ष के शेष भाग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

523. **श्री कोडुकीकुन्नील सुरेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991 में अब तक स्थापित किए गए आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या है ;

(ख) आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में नया एफ०एम० आकाशवाणी केन्द्र चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1991 के दौरान, अब तक 18 नये रेडियो स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं । वे स्टेशन हैं : अलवर, तिरुपति, बारीपदा, गोधरा, अहमदनगर, भटिंडा, कठूआ; बेतूल, बिलासपुर, सासाराम, चित्रदुर्ग, शिवपुरी, हासन, कन्नानूर, जोरहाट, नान्देड़, अनन्तपुर और कुरुक्षेत्र ।

(ख) देश में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थानों तक का चयन करते समय जिन मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है उनमें ये प्रमुख है : अब रेडियो सेवा से कवर न हुए क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता तथा पहाड़ी, पिछड़े, आदिवासी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना; तकनीकी व्यवहार्यता; शेष ग्रामीण एवं शहरी आबादी के लिए कवरेज प्रदान करना; कार्यक्रम निर्माण और सम्पर्क सुविधाओं की उपलब्धता; भाषायी और सांस्कृतिक आवश्यकताएं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता ।

(ग) और (घ) केरल में, कोचीन और कन्नानूर में हाल में एक-एक एफ०एम०ट्रांसमीटर तथा बहुउद्देश्यीय स्टुडिओ से सेवा शुरु हो गई है । इसके अलावा, इदुक्की में 2 × 3 कि०वा०एफ०एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टुडिओ तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ एक नया रेडियो स्टेशन लगभग तैयार होने वाला है ।

औद्योगिक विकास केन्द्र

524. **श्री कोड़ीकुनील सुरेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास केन्द्रों के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार, कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है अथवा व्यय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे०कुरियन): (क) से (ग) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में विकास केन्द्र स्थापित करने के वास्ते जून, 1986 में एक योजना की घोषणा की । पहले चरण में 70 विकास केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है जिनमें से 61 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है तथा उनकी घोषणा कर दी गई है । अब तक घोषित किये गये विकास केन्द्रों का विवरण संलग्न है । प्रत्येक विकास केन्द्र का विकास करने पर लगभग 25-30 करोड़ रु० की लागत आयेगी । इस योजना के लिए 1991-92 के बजट अनुमानों के विवरण में 50 करोड़ रु० की राशि शामिल की गई है ।

विवरण

चुने गए विकास केन्द्र

विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2
आन्ध्र प्रदेश (4)	
1. विजयानगरम-बोब्बिली	विजयानगरम
2. ओंगोल	प्रकाशम
3. खम्माम (वेमसूर मंडल)	खम्माम
4. हिंदुपुर	अनंतपुर

विवरण—जारी

1	2
बिहार	
1. जसोरिया	औरंगाबाद
2. भागलपुर	भागलपुर
3. पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया
4. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
5. हजारीबाग	हजारीबाग
गोवा (1)	
1. इलैक्ट्रॉनिक सिटी	वर्ना प्लेटो
गुजरात (3)	
1. पालनपुर	बनासकांठा
2. वगरा	भड़ोच
3. गांधीधाम	कच्छ
हिमाचल प्रदेश (1)	
1. शिमला	शिमला
जम्मू और कश्मीर (2)	
1. सांभा	जम्मू
2. गंदरबल	श्रीनगर
कर्नाटक (3)	
1. धारवाड़	धारवाड़
2. हसन	हसन
3. गिल्लेसुगर	रायचूर
केरल (2)	
1. शेरतल्लई	अलेप्पी
2. तेलिचेरी	कन्नानोर
मध्यप्रदेश (6)	
1. खेड़ा	धार
2. घिरोंगी	भिंड
3. सिल्तरा	रायपुर
4. चैपुरा	गुना
5. बोरई	दुर्ग
6. सतलापुर	रायसन

विवरण—जारी

1	2
मणिपुर (1)	
1. कांगलातोंगबी	सेनापति
नागालैण्ड (1)	
1. दीमापुर	कोहिमा
उड़ीसा	
1. चौदवार	कट्टक
2. छत्रपुर	गंजाम
3. चिपलिमा	सम्बलपुर
पंजाब (2)	
1. भटिंडा . . .	भटिंडा
2. पठानकोट	गुरदासपुर
पांडिचेरी (1)	
1. करायकल	पांडिचेरी
राजस्थान	
1. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
2. झालावाड़	झालावाड़
3. बीकानेर	बीकानेर
4. आबू रोड	सिरोही
तमिल नाडू (3)	
1. मयलादेयुरं पूम्पुहर	तंजावूर
2. इरोड	पेरियार
3. तिरूनेल्वेली (गंगई, कोंडम नानूर ब्लॉक) . .	तिरूनेल्वेली-कट्टाबोमन
उत्तर प्रदेश (6)	
1. शाहजनवा	गोरखपुर
2. मूंगरा-सथारिया	जौनपुर
3. बनथरा	शाहजहांपुर
4. शिवराजपुर-पदमपुर	पौढ़ी गढ़वाल
5. बचौली-बुजुर्ग	झांसी
6. चौधरपुर	मुरादाबाद

विवरण—जारी

1	2
पश्चिम बंगाल (3)	
1. जलपाइगुड़ी	जलपाइगुड़ी
2. मालदा	मालदा
3. दूबराजपुर	बीरभूम
त्रिपुरा (1)	
1. चंपामुरा	पश्चिम त्रिपुरा
जोगिन्द्र नगर	
मूले नगर	
हरियाणा (2)	
1. जुलाना	जींद
2. बावल	महेन्द्रगढ़
महाराष्ट्र (5)	
1. धुले	धुले
2. रत्नागिरी	रत्नागिरी
3. नांदेड़	नांदेड़
4. अकोला	अकोला
6. चन्द्रपुर	चंद्रपुर
असम (2)	
1. रंगजुली	गोलपाड़ा
2. जाखलाबांधा	नौगांव

रत्नागिरी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

525. श्री गोविन्दराव निकम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध "हापुस" आम का उत्पादन किया जा रहा है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के न होने के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोंकण के रत्नागिरी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) : (क) यह सही है कि महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में "हापुस या अल्फांजी" आम बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। रत्नागिरी जिले में अनेक आम प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए गए हैं। जिनमें 5 बड़े यूनिट भी शामिल हैं। इस किस्म के आम की देश में खाने के लिये बिक्री के अलावा इसका निर्यात भी किया जा रहा है। इस किस्म के आम की बिक्री में गिरावट आने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी, नहीं। कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मराठी फीचर फिल्मों का दूरदर्शन से प्रसारण

526. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौराम दूरदर्शन पर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों की तुलना में कितनी मराठी फीचर फिल्मों का प्रसारण किया गया है; और

(ख) अधिक मराठी फिल्मों का प्रसारण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) तथा (ख) पिछले छः महीने के दौरान, केवल एक मराठी फीचर फिल्म दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाई गई क्योंकि निर्माताओं/अधिकारधारकों द्वारा 'दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु जिन अन्य मराठी फिल्मों की पेशकश की गई-उनमें कोई और फिल्म पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। अन्य भाषाओं की फिल्मों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार है :

1.	असमिया	1	6.	मराठी	1
2.	बंगला	4	7.	उड़ीया	1
3.	गुजराती	1	8.	पंजाबी	1
4.	कन्नड	2	9.	तमिल	2
5.	मलयालम	3	10.	तेलुगु	3

राष्ट्रीय नेटवर्क के अलावा, मराठी फिल्में दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई के महाराष्ट्र क्षेत्रीय नेटवर्क से नियमित रूप से सप्ताह में एक बार दिखाई जाती है।

[हिन्दी]

पैकेटों में खाद्य तेलों की बिक्री

527. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार खाद्य तेलों की बिक्री पैकेटों में करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि खुले बेचे गए [तेल में और डब्बा बन्द तेल के मूल्यों में काफी अन्तर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दिन अहमद) : (क) सरकार पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 2 किलोग्राम के टीनों और 1 किलोग्राम के पाउचों में पैक खाद्य तेल (आयातित आर०बी० डी० पामोलीन) की बिक्री कर रही है ।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पैकशुदा खाद्य तेलों की बिक्री के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(1) उपभोक्ता के लिए अच्छी किस्म और सही मात्रा सुनिश्चित करना; तथा

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई किए जाने वाले खाद्य तेलों को अनधिकृत स्रोतों पर जाने से रोकना ।

(ग) और (घ) पैकशुदा खाद्य तेलों के मूल्य, पैकिंग सामग्री की अतिरिक्त लागत, भराई में होने वाली उच्च हानि, पैंकिंग प्रभार आदि के कारण खुले तेलों की तुलना में अधिक होते हैं । जब कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तेलों की बढ़ी मात्रा अथवा समुची मात्रा छोटे पैकों में सप्लाई की जाती है तो पैंकिंक की लागत प्रति यूनिट कम होने की सम्भावना होती है । **[अनुवाद]**

उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात

528. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नीति के तहत इलेक्ट्रानिक्स की वस्तुओं का स्वतंत्रतापूर्वक आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नई नीति इन उत्पादों के घरेलू इलेक्ट्रानिक उद्योग और उपभोक्ता के लिए भी सहायक सिद्ध होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) उपभोक्ता इलेक्ट्रौनिक वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय को चन्द्रमा पर भेजना

529. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका की अथवा रूस की सरकार की सहायता से एक भारतीय को चन्द्रमा पर भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इस समय किसी भारतीय को चन्द्रमा पर भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु गैर-सरकारी चीनी मिलों के आवेदन पत्र

530. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गैर-सरकारी चीनी मिलों की ओर से उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं, जिन्होंने आवेदन पत्र दिए है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) 30-6-1991 तक गैर सरकारी चीनी मिलों की ओर से उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्राप्त 20 आवेदन पत्र विचारार्थ लंबित हैं। इन मिलों के राज्यवार नाम (संलग्न विवरण में दिए गए है)।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शर्करा उद्योग में लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। इन आवेदन पत्रों पर उक्त समीक्षा के बाद तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम
1	2
उत्तर प्रदेश	
1.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ
2.	आर० बी० नारायण सिं शुगर मिल्स लि०, लक्सर, जिला हरिद्वार
3.	सिम्भोली सुगर मिल्स प्रा० लि० सिम्भोली, जिला गाजियाबाद
4.	स्वरूप वेजिटेबल प्रोडेक्टस इन्डस्ट्रीज लि०, मनसूरपूर, जिला मुजफ्फरनगर
5.	दौराला सुगर वर्कस, दौराला, जिला मेरठ
6.	सेखसराय बिस्वान सुगर फैक्ट्री लि०, बिस्वान, जिला सितापुर
7.	धामपुर सुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला बिजनोर
8.	महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं०, लि० इकबालपुर, जिला सहारनपुर
9.	हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि०, गोलागोकरनाथ, जिला खीरी
10.	गंगेश्वर लि०, देवबंद, जिला सहारनपुर
11.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बलरामपुर, जिला गौंडा
12.	एल० एच० सुगर फैक्ट्री, लि० पीलीभीत, जिला पीलीभीत
13.	केसर इन्टरप्राइजिज लि०, बहेरी, जिला बरेली
14.	मै० के० एम० सुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, जिला फैजाबाद
15.	मै० अपर गंगा सुगर एंड इन्डस्ट्रीज लि०, सियोहारा, जिला बिजनोर।

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम
1	2
कर्नाटक	
16.	मै० गोदावरी सुगर मिल्स लि०, समीरवाडी, जिला बीजापुर
आन्ध्र प्रदेश	
17.	मै० के० सी० पी० लि०, व्युयुरु, जिला कृष्णा
18.	मै० सरवारया सुगर लि०, डा० चेल्लूरु, तह० रामचन्द्रापुरम, जिला पूर्वी गोदावरी
तमिलनाडु	
19.	मै० अरुणा सुगर एंड इन्टरप्राइजिज लि०, पेनाडम, ता. विलतागुडी, जि० द० अरकोट
मध्य प्रदेश	
20.	मै० जाओरा सुगर मिल्स, जाओरा, जिला रतलाम

[अनुवाद]

समुद्र तल के निर्जीव संसाधनों का विदोहन

631. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिन्द महासागर में हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल के निर्जीव संसाधनों के विदोहन की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) व्यापार की दृष्टि से, इस क्षेत्र में किन खनिज-भण्डारों का पता लगाया गया है ,

(ग) खनन कार्य के लिए यदि कोई परियोजना चलाई जा रही है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य में लगी भारतीय एजेंसी तथा विदेशी सहयोग कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र संस्तर के निर्जीव संसाधनों के खनन में इलमिनाइट, रूटाइल, जिरकौन, मोनाजाइट एवं कलकेरस मिट्टी की विद्यमानता का पता चला है। हालांकि अनन्य आर्थिक जोन में इन खनिज संसाधनों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत वाणिज्यिक व्यवहार्य में लाना सम्भव नहीं है।

(ग) ऐसे खनिजों के खनन के लिए कोई परियोजना प्रचालन में नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कूड़े-करकट का ईंधन के तौर पर प्रयोग

632. **प्रो० राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत शहरों से एकत्रित किए गए कूड़े-करकट को ईंधन की ईंटों में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) देश के उन शहरों के नाम क्या है जहां पर वें पायलट परियोजनाएं चल रही हैं; और

(घ) क्या पुणे शहर में भी इस प्रकार की परियोजना स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :(क) जी हां। नगर से एकत्र किए गए कूड़े-करकट को ईंधन की टिक्कियों में (ईंटों में नहीं) परिवर्तित करने की योजना तैयार की गई है।

(ख) नगर से एकत्र किए गए कूड़े-करकट से ईंधन की टिक्कियां तैयार करने के लिए एक पायलट प्लान्ट देवनार, बम्बई में स्थापित किया जा रहा है। अधिकांश सिविल निर्माण कार्य और उपस्कर लगाने का कार्य पूरा हो गया है और अब केवल लोड परीक्षण चल रहे हैं।

(ग) देवनार, बम्बई।

(घ) जी नहीं।

केरल में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

533. **प्रो० के० वी० थॉमस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1991 के दौरान उद्योगों के लिए नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केरल राज्य में नयं उद्योग लगाने के लिए 15 जुलाई, 1991 तक 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से, एक मामले में आशय पत्र पहले ही जारी कर दिया गया था और दो आवेदन पत्र नामंजूर कर दिए गए। शेष 16 आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से आय

534. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और जून, 1991 तक दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विभिन्न विज्ञापनों से कितनी आय हुई; और

(ख) किस विज्ञापन से सर्वाधिक आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1990 के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापनों से कुल 249.17 करोड़ रुपए की और जनवरी से जून 1991 तक 143.02 करोड़ रुपए की आय हुई।

(ख) "क्लोज-अप" विज्ञापन से दूरदर्शन को सब से अधिक आय हुई।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

536. **श्री राजवीर सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1991 के दौरान राज्यवार किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान कितने दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई जो अभी तक चालू नहीं हुई है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरीजा व्यास) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (1991-92) की शेष अवधि के दौरान जिन दूरदर्शन केन्द्रों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनके नामों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये केंद्र अपने-अपने क्षेत्रों की ग्रामीण और शहरी जनता को सेवा प्रदान करेंगे।

(ख) और (ग) यद्यपि, 1990 के दौरान कई दूरदर्शन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका था परन्तु इनमें से नौ परियोजनाओं को अपेक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण चालू किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

विवरण

1991-92 (जुलाई, 1991 से मार्च, 1992) की शेष अवधि के दौरान चालू किए जाने वाले लक्षित दूरदर्शन केन्द्र

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूरदर्शन केन्द्र
1	2
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, पोर्टब्लेयर,
2. असम . . .	कार्यक्रम निर्माण, सह-फीडिंग केन्द्र, गुवाहाटी स्टूडिओ, गुवाहाटी (स्थायी रूप से स्थापित) स्टुडियो, डिब्रूगढ़ स्टुडिओ, सिल्चर।
3. आन्ध्र प्रदेश .	उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०), अनंतपुर (शक्ति बढ़ाना) उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०), तिरूपति
4. बिहार . . .	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, मुजफ्फरपुर कार्यक्रम निर्माण सुविधा डाल्टनगंज उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०) डाल्टनगंज (शक्ति बढ़ाना)।
5. जम्मू और कश्मीर .	ट्रांसपोजर, सुरन कोट ट्रांसपोजर, नागरोटा

विवरण—जारी

1	2
6. कर्नाटक	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, गुलबर्गा उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०) धारवाड़ । उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०) शिमोगा
7. मध्य प्रदेश . .	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, रायपुर स्टुडिओ भोपाल उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (1 कि०वा०), जगदलपुर ।
8. महाराष्ट्र .	उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०) अम्बाजोगाई
9. मणिपुर	स्टूडियो इम्फाल
10. मेघालय . .	स्टूडियो, शिलांग स्टूडियो, तूरा
11. मिजोरम . .	स्टूडियो, ऐजवाल
12. नागालैन्ड . .	स्टूडियो, कोहिमा
13. उड़ीसा . . .	स्टूडियो, भुवनेश्वर उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०), भवानीपटना
14. पांडिचेरी . .	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, पांडिचेरी
15. सिक्किम . .	उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (1 कि० वा०) गंगटोक
16. त्रिपुरा . . .	स्टूडियो, अगरतला
17. उत्तर प्रदेश .	कार्यक्रम निर्माण सुविधा, बरेली उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (10 कि० वा०) बरेली, ट्रांसपोजर, मसूरी
18. पश्चिम बंगाल .	ट्रांसपोजर, टाईगर हिल
शीर्षक.—	
1. पी० पी० एण्ड एफ० सी०	कार्यक्रम निर्माण-सह-फीडिंग केन्द्र ।
2. पी० जी० एफ	कार्यक्रम निर्माण सुविधा ।
3. एच० पी० टी० . .	उच्च शक्ति ट्रान्समीटर ।

पेंशन के विनिमय मूल्य को पुनरारंभ करने की अवधि कम करना

536. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पेंशन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसके अनुसार पेंशन का विनिमय मूल्य सेवा निवृत्त होने के 15 वर्ष बाद पुनरारंभ हो जाएगा;

(ख) क्या इस अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा) : (क) विद्यमान आदेशों के अधीन पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली संराशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरा होने के बाद की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की विषाक्तता

537. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सर्वप्रथम कीटनाशकों का रासायनिक हथियारों के लिए पेटेंट विष के रूप में विकास किया गया था और ये अत्याधिक विषाक्त हैं;

(ख) क्या सरकार को कामगारों, छिड़काव करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे की जानकारी है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रिकार्ड किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कीटनाशक बनाने वाली 50 से अधिक फैक्टरीयां और 800 फार्मूलेशन संयंत्र हैं और यदि हां, तो इनमें बीमार होने/रिकार्ड किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ।

(घ) क्या कीटनाशकों की विषाक्तता को किसी अध्यादेश के जरिए सूचनीय बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी, हां। कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग की अनुमति देने से पूर्व इनके मनुष्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने की जांच की जाती है। किन्तु काम के दौरान स्वास्थ्य के लिए होने वाले खतरों और बिमारियों के ब्यौरों की इन्सेक्टिसाइडस अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत रिपोर्ट नहीं की जाती है/दर्ज नहीं किए जाते हैं ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । इन्सेक्टिसाइडस अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अन्तर्गत उचित उपबन्ध पहले से ही विद्यमान है ।

सुरक्षित कीटनाशक विकल्पों का विकास

538. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय फर्में बाजार में पहले से 1200 करोड़ रु० मूल्य के उपलब्ध कीटनाशकों को हटाकर अब उनके स्थान पर सुरक्षित कीटनाशक विकल्प का विकास करने के लिए पूंजी निवेश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार में उपलब्ध पादप कीटनाशक उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाजार में उपलब्ध जैविक कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा): (क) तथा (ख) जी, हां। अनेक भारतीय अनुसंधान संस्थाओं ने अधिक सुरक्षित कीटनाशकों एवं जैवनियंत्रण

7—109 एल०एस०एस० एम०डी०, 91

कर्मक विकसित करने एवं विनिर्माण करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया है। सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में से भारतीय रसायन प्रोद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं प्रमुख हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक कम्पनियों ने पारम्पारिक कीटनाशकों के स्थान पर नए एवं अधिक सुरक्षित कीटनाशक प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं : थियोडियाजुरोन (खर पतवार नाशक), क्लारोसल्फ़ुरोल (खर पतवार नाशक), लाम्बा साइहेलोथ्रिन (सिंथेटिक पाइरोथ्रायड), एस-सेनाडेलरेट (सिंथेटिक पाइरोथ्राड), एस-फ्ल्यूपाइफेनेट (सिंथेटिक पाइरेथ्रॉयड), एस-फ्ल्युकेलिनेट (सिंथेटिक पाइरेथ्रॉयड) तथा ग्लाइफॉसेट (खर पतवार नाशक)। इनमें से कुछ संबद्ध उद्योग हैं—ल्यूपिन लेबोरेटरीज, औरंगाबाद, गुजरात इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, इनडोफिल, गुजरात, रेनबैक्सी-मोन्टारी इन्डस्ट्रीज, चंडीगढ़, नोफिल कम्पनी लिमिटेड, पुणे तथा अन्य। कृषि मंत्रालय अपने एकीकृत पीड़कजंतु प्रबन्ध कार्यक्रम (आई पी एम) और बायोटैक्नोलोजी विभाग अपने राष्ट्रीय जैविक नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से कुछ प्रमुख फसल नाशक जंतुओं की रोकथाम के लिए अनेक जैव पीड़क जंतु नियंत्रण कर्मक विकसित कर रहा है एवं उनका मूल्यांकन कर रहा है।

(ग) भारतीय कम्पनियों द्वारा बिक्री के लिए निम आधारित कुछ उत्पाद (वानस्पातिक कीटनाशक) विकसित किए गए। उदाहरणत: नीमार्क, नेमोसाइड रिपेलिन, नेमेक्स, क्रॉयगार्ड, एजाबिन, मार्गोसाइड, नीमगार्ड, मार्गोसल, केमिसल, नीमप्लस, बायोसॉल तथा निम्बेसिडीन।

(घ) बाजार में नीम आधारित उत्पादों के अलावा अन्य कोई वानस्पतिक कीटनाशक उपलब्ध नहीं है। बंगलोर में स्थित एक गैर-सरकारी वाणिज्यिक कीटशाला अर्थात् "जैवनियंत्रण अनुसंधान प्रयोगशाला" कृषि, बागवानी, रोपण एवं अन्य पीड़क जंतुओं के जैविक नियंत्रण के लिए लाभकारी कीटकों के रूप में बहुत कम मात्रा में पराजीवियों एवं परभक्षियों की आपूर्ति करती रही है।

प्रदूषण उन्मुखी उद्योग

539. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन उद्योगों को प्रदूषण-उन्मुखी घोषित कर दिया गया है;

(ख) ऐसे एककों के विस्तार के प्रति सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी सीमा के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों के विस्तार के लिए अनुमति अथवा लाइसेंस न देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (घ) उन उद्योगों की सूची जिन्हें अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग माना गया है, संलग्न विवरण में दी गई है। इन उद्योगों हेतु स्वीकृत किए गए आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में केवल उसी समय बदला जाता है जब औद्योगिक एककों द्वारा निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी कर ली जाती हैं :—

(i) संबंधित राज्य सरकार के उद्योग निदेशक इसकी पुष्टि करें कि परियोजना के कार्य-स्थल का अनुमोदन सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण के दृष्टिकोण से कर दिया गया है।

(ii) उद्यमी, राज्य तथा केन्द्र सरकार को वचन दे कि उपयुक्त उपकरण लगाए जाएंगे और प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निर्धारित उपाय किए जाएंगे ।

(iii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह प्रमाणित करे कि यह प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और लगाए गए अथवा लगाए जाने के लिए प्रस्तावित उपकरण पर्याप्त हैं तथा आवश्यकता के अनुरूप हैं ।

सरकार की मौजुदा स्थापना स्थल संबंधी नीति के अनुसार, उन शहरों जिनकी आबादी 7.5 लाख और इससे अधिक है तथा मानक शहरी क्षेत्र अथवा अन्य शहरों और कस्बों की नगर सीमा की विशिष्ट दूरी के भीतर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाइसेन्सीकरण में छूट उपलब्ध नहीं है । कुछ शर्तों के अधीन इस क्षेत्र के भीतर-स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबन्धों से छूट की अनुमति केवल उन परियोजनाओं की स्थापना के लिए दी जाती है जो गैर-प्रदूषणकारी प्रकृति की है। प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर उद्योग लगाने के लिए स्थापना-स्थल सम्बन्धी नीति में छूट की जांच गुण-दोष पर की जाती है ।

विवरण

अत्यधिक प्रदूषणकारी माने गए उद्योगों की सूची

1. प्राथमिक धातुकर्मिय उत्पादन वाले उद्योग अर्थात्, जिंक, सीसा, तांबा, एल्यूमिनीयम तथा इस्पात
2. कागज, लुग्दी और अखबारी कागज
3. जीवनाशक/कीटनाशक
4. परिष्करणशालाएं
5. उर्वरक
6. पेंटस्
7. रंग (डाईयां)
8. चर्मशोधन
9. रेयॉन
10. सोडियम/पोटेशियम सायानाइड
11. प्रमुख औषधियां
12. फाउन्ड्री
13. बैटरियों का भण्डारण (लेड एसिड टाइप)
14. अम्ल/क्षार
15. प्लास्टिक

16. रबड़—सिन्थेटिक

17. सीमेन्ट

18. एस्बेस्टॉस

19. किण्वन उद्योग

20. इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग।

कच्ची सड़कों पर मिट्टी डालने और डामर बिछाने का काम

540. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्यक्रम को राज्य-वार और वर्ष-वार जो अन्तिम रूप दिया है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि आबन्टित की गई, कितनी राशि जारी की गयी और कितनी राशि उन्होंने वास्तव में खर्च की;

(ग) क्या कार्यक्रम के अन्तर्गत तुरन्त बाद के वर्षों में कच्ची ग्रामीण सड़कों पर मिट्टी डालना और डामर बिछाना शामिल है;

(घ) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान जिन ग्रामीण सड़कों पर मिट्टी डाली गयी और डामर बिछायी गयी, उनकी लम्बाई कितनी है और दिनांक 1-4-1991 को राज्य-वार, अनुमानित रूप से कितनी लम्बी कच्ची ग्रामीण सड़कों पर मिट्टी डालना और/अथवा डामर बिछाना बाकी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

ग्रामीण सड़कों के निर्माण और विकास का कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है और इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की योजनाओं में मुहैया कराये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़कों का निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की एक अनुमेय मद है और ग्राम पंचायतें इस कार्य को, उनकी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, कार्यान्वित कर सकती हैं। तथापि, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए निधियों का अलग से कोई निर्धारण नहीं किया जाता है। 1990-91 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित परिव्यय और किए गए खर्च को संलग्न अनुबन्ध में दिए गए विवरण में दर्शाया गया है। 1991-92 के लिए कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्रालय के पास कच्ची ग्रामीण सड़कों पर मिट्टी डालने अथवा उन पर डामर बिछाने के बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं है।

1990-91 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपयों में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		जवाहर रोजगार योजना
	परिव्यय	अनुमानित खर्च	खर्च
1	2	3	4
. आन्ध्र प्रदेश	10.00	10.00	13.89
2. अरूणाचल प्रदेश	7.00	7.00	0.37
3. असम	12.40	15.70	19.85
4. बिहार	75.00	38.22	57.49
5. गोवा	0.15	15.00	0.35
6. गुजरात	7.02	7.00	23.42
7. हरियाणा	..	..	7.28
8. हिमाचल प्रदेश	11.45	11.45	3.58
9. जम्मू व कश्मीर	4.78	6.88	4.26
10. कर्नाटक	15.62	15.62	9.88
11. केरल	12.50	14.50	32.74
12. मध्य प्रदेश	13.28	11.70	4.55
13. महाराष्ट्र	13.80	10.73	9.03
14. मणीपुर	4.50	6.00	अप्राप्त
15. मेघालय	2.15	2.15	..
16. मिजोरम	7.00	7.00	3.08
17. नागालैण्ड	0.65	0.65	0.78
18. उड़ीसा	16.80	17.17	18.13
19. पंजाब	..	0.10	0.07
20. राजस्थान	17.00	16.10	3.30
21. सिक्कीम	4.89	4.15	0.10
22. तमिलनाडु	23.00	23.30	40.55
23. त्रिपुरा	7.70	7.70	0.82
24. उत्तर प्रदेश	128.00	162.94	80.65
25. पश्चिम बंगाल	12.00	7.95	19.17
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.50	2.70	अप्राप्त

1	2	3	4
27. चण्डीगढ़	..	..	..
28. दादर व नगर हवेली . . .	0.16	0.16	0.22
29. दमन और दीव . . .	..	..	0.06
30. दिल्ली . . .	..	..	0.05
31. लक्षद्वीप . .	..	..	0.02
32. पांडिचेरी . . .	1.10	1.05	0.14
योग . . .	410.45	422.92	347.84

[हिन्दी]

उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

541. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने "चैलेंजेज ऑफ डेवलपमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1991 की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि अत्यधिक प्रतिबन्धों के कारण भारत में उद्योगों का पूर्ण रूप से विकास होने में मदद नहीं मिली;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा भारत में उद्योगों के विकास के संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट की "दि चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट" (विकास की चुनौती) नामक पुस्तिका के 1991 के संस्करण के अध्याय 4 में अन्य बातों के अलावा यह बात भी कही गयी है ।

(ख) और (ग) "इण्डस्ट्रीयल रेगुलेशन" नामक उपखण्ड का संबंधित अंश संलग्न विवरण में दिया गया है ।

भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में औद्योगिक विकास की सरकारी नीतियों की समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उचित उपाय किए जाते हैं ।

विवरण

विनियमनकारी सुधारों से छुटकारा : भारत व इंडोनेशिया

भारत की औद्योगीकरण संबंधी नीति का आधार आयात प्रतिस्थापन रहा है और यह असाधारण रूप से व्यापक है तथा इसके अन्तर्गत स्वदेशी बाजार में विनियमों का प्रतिबन्धात्मक तंत्र विद्यमान रहा है। ग्यारह उपक्षेत्रों में, जो कि भारतीय उत्पादों की लगभग 50% वस्तुएं बनाते हैं नीति के प्रमुख परिणाम यह रहे हैं कि : (क) कुछ बड़ी फर्मों का तो प्रभुत्व रहा है जब कि छोटे उत्पादकों को "कुचला" जा रहा है। (ख) अधिकांश उत्पादों के लिए संयंत्र का औसत आकार उत्पादन के आर्थिक आकार से छोटा है। (ग) संरक्षित फर्मों की पकड़ में अपना अलग बाजार है और इस

लिए यह बहुत अधिक लाभ अर्जित कर लेती हैं, 1982 में भारत के उत्पादन कार्य क्षेत्र में करों से पूर्व औसत लाभ वर्जित मूल्य का 20.8% था जब कि कोरिया के गणतंत्र में इसके मुकाबले 1981 के दौरान यह प्रतिशत 3.5% था। (घ) प्रौद्योगिकीय अविष्कारों की गति धीमी है। इन उद्योगों में 1966 और 1980 के दौरान कुल उत्पादकता में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा की शक्ति कम हुई है। क्या विकासशील देशों के निर्मित उत्पादक निर्यातों के अंश के रूप में निर्मित वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है और क्या 1978 के बाद से जी०डी०पी० ने इसका उत्पादन का अंश बढ़ा नहीं है। अन्य परिणामों की मात्रा के विषय में कुछ भी कहना बहुत कठिन है, लेन-देन की लागत अधिक है और प्रशासन की अधिकता द्वारा संसाधनों का दिशान्तरण अनुत्पादक लगान की आशा और अनिश्चय तथा विलम्ब करके कर दिया जाता है। इन्डोनेशिया में निजी क्षेत्र के रास्ते में विनियमों के कारण भी रूकावटें आयी हैं। वर्ष 1988 तक स्वदेशी और विदेशी निवेश कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, अनेक स्वीकृत परियोजनाओं पर क्षमता संबंधी सीमाएं तथा अन्य प्रकार की सीमाएं लागू थी। स्वीकृत स्वदेशी फर्म को भी परिचालन आरम्भ करने से पूर्व आयात-निर्यात लाइसेंस, घरेलू व्यापार लाइसेंस, भूमि के अधिकार, स्थायी परिचालन लाइसेंस और भण्डारण तथा स्थापनास्थल संबंधी परमिट लेने पड़ते थे। इन सब कामों में कई बार दो वर्ष तक का समय लग जाता था। 1980 से शुरू होने वाले दशक के मध्य तक कुल उत्पादकता 2.5% कम हो गई थी।

भारत में अभी हाल में जो आंशिक सुधार किए गए हैं वे सफल हुए हैं। वर्ष 1980 से शुरू होने वाले दशक के मध्य सें औद्योगिक लाइसेंसीकरण में कुछ राहत दी गई है इसी प्रकार कच्चे माल की कुछ वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं पर भी आयात नियंत्रण कम हुआ है हालांकि यह परिवर्तन बहुत छोटे हैं फिर भी इनका प्रभाव सकारात्मक था। प्रतिस्पर्धा के कारण बड़ी फर्मों के लाभ में कमी आई है (सबसे बड़ी 100 फर्मों का लाभ 1986–87 में लगभग 24.3% गिर गया जबकि इनकी बिक्री में 9% की वृद्धि हुई थी) और बहुत सी नई एवं छोटी फर्मों की स्थापना हुई।

इन्डोनेशिया में सुधार काफी व्यापक पैमाने पर हुए हैं। अब यदि स्वदेशी स्वामित्व की धारिता 20% तक हो तो विदेशी निवेश कर्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में फर्मों की स्थापना कर सकते हैं, स्वदेशी निवेश संबंधी नियमों में भी काफी ढील दी गई है। वर्ष 1989 में निजी निवेश बढ़ा है, अभी हाल के वर्षों में कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई है, और निवेश पर लाभ की औसत दर जो कि 1982-85 में 13% थी 1986–88 में बढ़कर 22% हो गई है।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

542. **श्री राम नाईक :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि संबंधी स्थायी सलाहकार समिति को समाप्त किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) कृषि नीति तैयार करने के सम्बन्ध में अपने विचार देने के उपरान्त 16-5-91 स्थायी सलाहकार समिति समाप्त कर दी गयी है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : महोदय मैं सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई के "सण्डे आबजर्वर" में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें बताया गया है कि "बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (बी०सी०सी०आई०) ने सी० आई० ए० की ओरसे भारतीय राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को धन दिया।"

महोदय यह समाचार पहले पृष्ठ पर छपा है और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है और हम सब इससे बहुत चिंतित हैं। समाचार पत्रों में समय-समय पर ऐसी खबरें छपती रही है। कई बार ये समाचार झूठे सिद्ध हुए हैं किन्तु ऐसे आरोप बार-बार लगाए जाते रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि अमरीका की आतंकवाद, मादक पदार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों सम्बन्धी सीनेट उपसमिति बी० सी० सी० आई० के कारोबारों से सम्बन्धित मामलों की जांच कर रही है और वह बी० सी० सी० आई० के बम्बई कार्यालय की भी जांच कर रही है जिसने कथित रूप से 17 अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को धन दिया है। यदि यह समाचार जानकारी प्रकाश में आयी है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उपसमिति अथवा अमरीकी प्रशासन ने भारत सरकार से सम्पर्क किया है अथवा विचार विमर्श किया है, और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने इस समाचार को पढ़ने के बाद अमरीकी प्रशासन से सम्पर्क किया है। हम यह जानना चाहेंगे कि ये समाचार सही हैं अथवा गलत यदि ये समाचार सही है तो हम जानना चाहेंगे कि वे राजनीतिज्ञ और अफसर कौन हैं। यदि यह झूठ है, तो हम चाहेंगे कि इस स्थिति को तुरन्त स्पष्ट किया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान। हम एक के बाद एक ले रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी कुछ कहते हैं केवल वही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। केन्द्र सरकार सम्भवतः किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों की स्थिति से काफी चिन्तित भी है। अतः केन्द्र सरकार को तत्काल ही बिहार पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सूखे की सम्भावित स्थिति से किसानों और मजदूरों की रीढ़ की हड्डी टूटे और उनके कराहने की आवाज कानों तक पहुंचे, केन्द्र सरकार को बिहार सरकार की मदद के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ही एक बड़ी विशेष अनुदान की राशि बिहार सरकार को दी जाय ताकि बिहार सरकार प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी से संघर्ष कर सके।

[अनुवाद]

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय मैं सभा को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, वह यह कि दूध की सप्लाई एक आवश्यक सप्लाई है और समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि कामगारों और मदर डेरी के अधिकारियों के बीच हुए झगड़ें में 60,000 लीटर दूध बिखर कर बेकार हो गया। रोज 8,000 लीटर दूध बर्बाद होता रहा है। मदर डेरी के अधिकारियों और कामगारों के बीच इस किस्म के झगड़े को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। 60,000 लीटर दूध बर्बाद होने से पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए। **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय : कृपया इस समाचार पत्र में छपा फोटो देखिए। यह एक बहुत गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, श्री राम नाईक, श्री एम० आर० जनार्दनन, श्री पी० जी० नारायणन, श्री मधुकर, श्री राम सिंह, श्री जसवंत सिंह, श्री चन्द्रजीत यादव और श्री किशोरी लाल श्री पणमुगम की कथित मौत से सम्बन्धित मुद्दा उठाना चाहते हैं। मुझे गृह मंत्री से पत्र मिला है। वह 10 या 15 मीनट के भीतर एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें खुरानाजी आप का भी नाम है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने मुझे लिखा है कि वह एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, तमिलडनाडु के अन्दर पहले प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को मरवाया। .... **(व्यवधान)** .... इस पर डिसकशन होना चाहिए, राजीव गांधी जी की हत्या किस प्रकार से करवाई गई। .... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप सब छोटे-छोटे वक्तव्य देना चाहते हैं, तो मैं आपको बारी-बारी से अनुमति दूंगा। कृपया अब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइयें।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सजेशन है, जब होम मिनिस्टर स्टेटमेन्ट दें, उसके बाद डिसकशन करा लीजिए और सब को उस समय कहने का मौका दीजिए, पहले मौका देने से कोई फायदा नहीं है। **(व्यवधान)**

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइये। जैसा कि मैंने कहा था गृह मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि वे स्वतः 10 अथवा 15 मीनट के भीतर सभा में एक वक्तव्य देंगे। वह दूसरी सभा में हैं और वह यहां आने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है और आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं, तो मैं भी आपको टाइम दे दूंगा, मगर उसके बाद उस पर कोई डिसकशन नहीं होगा। आप स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहब को करने दीजिए और रेगुलरली आप नोटिस देने के बाद, अगर कुछ निकलता है, उसको डिसकशन करना है, तो बाद में देखा जा सकता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी बजाय मैं आपसे वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा। हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो बाद में पूछा जा सकता है और अभी नहीं पूछा जा सकता।

(व्यवधान)

श्री एम० आर० जनार्दनन : संसद तमिलनाडु की जनता की आवाज नहीं सुन रही है। आप फोटो देखिए। **(व्यवधान)**

12.10 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त श्री षणमुगम का हिरासत से बच निकलना और बाद में उसकी मृत्यु हो जाना ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : श्रीमान्,

मैं, राजीव गांधी की हत्या के मामले में विशेष जांच दल द्वारा गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त श्रीं षणमुगम के हिरासत से भाग जाने और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने के बारे में सदन को सूचित करता हूं ।

राजीव गांधी हत्याकांड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसरण में, 24-5-1991 को एक विशेष जांच दल गठित किया गया। इस दल ने मामले की जांच में काफी प्रगति की और अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में, एक अभियुक्त श्री एन० षणमुगम, पुत्र नागराज पिल्ले, तमिलनाडु के थनजाउर जिले के कोडियाकाडू का था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री षणमुगम एक नामी तस्कर था और उसे लिट्टे उग्रवादियों को शरण देकर, विस्फोटक, ट्रान्समीटरस, पी० ओ० एल० इत्यादि जैसी सामग्री को चोरी-छिपे उनके पास पहुंचाकर उनकी मदद करता हुआ पाया गया। इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि उसके आदमियों ने, भानू सहित हत्या करने वाले दल के स्वागत, आवास और भारत में प्रवेश के दिन उनके लिए परिवहन की व्यवस्था की। स्थानीय पुलिस के पास आत्मसमर्पण करने के बाद भी श्री षणमुगम को विशेष जांच दल द्वारा 17-7-91 को गिरफ्तार किया गया । उसे विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, मद्रास के समक्ष 18-7-91 को पेश किया गया और 30 दिन तक पुलिस रिमांड में रखने की अनुमति प्राप्त की गई ।

विशेष जांच दल कि हिरासत में रहने के दौरान श्री षणमुगम ने उस स्थान के बारे में बताने की पेशकश की, जहां पर लिट्टे ने ट्रान्समीटर, उच्च शक्ति के विस्फोटक और अन्य सामग्री छिपा रखे थे । तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अधिकारियों का एक छोटा दल उसे 18-7-91 को वेदारणयम नामक स्थान पर ले गया और उसके बताये जाने पर वहां से दबाई हुई तथा छिपाई हुई सामग्री बरामद की गयी, जिसमे लिट्टे के वायरलेस सेट, बड़ी मात्रा में विस्फोटक, पैट्रोल के कनस्तर, आदि शामिल थे । कोडियाकाड आरक्षित जंगल में 18-7-91 को 5.00 बजे अपरान्ह से 19-7-91 को 9.00 बजे पूर्वाह्न तक रात भर बरामदगी का कार्य चलता रहा । श्री षणमुगम को 19-7-91 को 3.00 बजे अपराह्न वेदारणयम निरीक्षण बंगले में लाया गया और जांच कार्य जारी रहा । श्री षणमुगम को 9.45 बजे अपराह्न खाना दिया गया, उसके बाद वह अपने हाथ धोने बाहर गया । हाथ धोते समय वह अंधेरे में भाग गया । उस समय दो स्थानीय पुलिस षणमुगम की पहरेदारी कर रहे थे, जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का 1 पुलिस उप-अधीक्षक और 2 निरीक्षक उस कमरे में उपस्थित थे, जहां से वह बाहर गया । पहरा दे रहे दोनों कांस्टेबलों ने हल्ला मचाया और वहां उपस्थित सभी लोग तुरन्त अपराधी का पीछा करने के लिए भागे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ वाले कमरे में ठहरे हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक ने भी उसका पीछा किया। स्थानीय पुलिस और सी०आर०पी०एफ० ने भी उसको ढूंढने में हाथ बटाया परन्तु यह सब व्यर्थ रहा । 19-7-91 को

10.45 बजे अपराह्न थाना वेदारणयम में भा० दं० सं० की धारा 224 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और जांच कार्य शुरू किया गया ।

श्री षणमुगम की सफेद धोती तथा सफेद बनियान निरीक्षण बंगले से थोड़ी दूरी पर एक सूखी नहर में पड़े हुए पाए गए ।

20-7-91 को श्री षणमुगम का शव एक पेड़ की टहनी से रस्सी से लटका हुआ पाया गया और उस के मुंह के एक किनारे से लार टपकी हुई पाई गई। उसके अन्डरवियर में ताजे धब्बे भी दिखाई दिए, जो वीर्य के धब्बे की तरह थे और उसके पैरों पर एक नीली लुंगी भी मिली। शव को सबसे पहले श्री राजकुमार, ग्राम प्रशासन अधिकारी ने देखा और 20-7-1991 को 06.00 बजे वेदारणयम, के पुलिस निरीक्षक को इसकी रिपोर्ट दी गई। उसकी रिपोर्ट पर वेदारणयम थाने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मामला सं० 451/91 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, मन्नारगुडी, के द्वारा की गई मरणोपरान्त जांच-पड़ताल के दौरान शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं पाया गया। जांच पड़ताल का कार्य स्थानीय पंचायतदारों, मृतक के चाचा तथा उसके दो वकीलों की उपस्थिति में किया गया। शवपरीक्षा चिकित्सकों के एक दल द्वारा सरकारी अस्पताल नागापट्टीनम में की गई, जहां मृतक के शव को वेदरणयम से लाया गया था। मरणोपरान्त जांच-पड़ताल तथा शव परीक्षा की रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। थूक के रसायनिक विश्लेषण होने तक शवपरीक्षा की रिपोर्ट को सुरक्षित रखा गया है। शवपरीक्षा के उपरान्त मृतक के शव को उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। उसका 21-7-1991 को 4.07 बजे (अपराह्न) वेदारणयम में दाहसंस्कार कर दिया गया ।

सरकार इस घटना को बड़ी गम्भीरता से लेती है तथा जहां एक ओर सरकार मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्प है वहां दूसरी ओर इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्प है कि श्री राजीव गांधी की हत्या की मुख्य जांच का कार्य तीव्रता से चलता रहे तथा उसका तर्कपूर्ण निर्णय निकल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने स्वयं 22 और 23 जुलाई को मद्रास और श्रीपेरम्बूदूर का दौरा किया तथा स्वयं सब कुछ देखा तथा तमिलनाडु में सभी सम्बन्धितों से बातचीत की ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन परिस्थितियों की जांच करने, जिनके अन्तर्गत वह हिरासत से भाग निकला था तथा उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक अपर निदेशक के नेतृत्व में जांच कराने के आदेश दिए है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी ।

राज्य प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह शव परीक्षा तथा रासायनिक जांच कर्ता द्वारा थूक की जांच की रिपोर्ट शीघ्र दें जो कि मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक है ।

मैं, इस सम्माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जांचपड़ताल के कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए जो भी संभव होगा, किया जाएगा ।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह कहा है कि वक्तव्य दिया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं खड़ा हूं तो आप अपना स्थान ग्रहण करें यदि आप इस बारे में और अधिक जानकारी

प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि यह किस प्रकार किया जा सकता है और आप सब को अवसर मिलेगा। रिपोर्ट आप के पास है। आप इसे भी देख सकते है और यदि आप चाहें तो हम आपको प्रश्न पूछने का अवसर भी देंगे परन्तु इस समय नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अपने वक्तव्य में एक बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे अभी यह जानकारी प्राप्त हुई है :

"न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला, मद्रास ने यह निष्कर्ष निकाला है कि षणमुगम की आन्तड़ियों में कोई विषैला पदार्थ नहीं था।"

यह रिपोर्ट तंजावुर मेडिकल कालेज में भेजी जा रही है जहां तीन डाक्टरों ने शव-परीक्षा की थी। इन तीन डाक्टरों को अब शव-परीक्षा के बारे में अपना निर्णय देना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप किस समय हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं समय निश्चित करूंगा। उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय निर्धारित करूंगा। मैं इसकी जांच करूंगा और समय निश्चित करूंगा। अब श्री जोशी आप बोले। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय : यहां बताया गया कि मंत्री जी इस पर और बयान देंगे और हम सब लोगों को समय मिलेगा, ताकि हम लोग इस संबंध में बात कर सकें, लेकिन एक नई बात और मेरे सामने आई है, उसे मैं कहना चाहता हूं, ताकि दूसरे बयान में वह बात आ सके। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से अगर आप कहने लगेंगे तो यह आगे बढ़ता जाएगा। आप बैठ जाइए। जोशी जी आप कहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय .... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने जोशी जी को बुलाया है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी जो बोल रहे है, वही रिकार्ड पर जाएगा। मैंने आपको अभी नहीं बुलाया है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि समाचारपत्रों के कागज की कीमत, देशी और विदेशी कागज की कीमत नित्यप्रति बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कीमत ढाई गुना अधिक बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर इंडिया-टूडे जो एक साल पहले 4 रुपये में मिलती थी, अब 7–8 रुपए में उपलब्ध हो रही है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा निवेदन है कि लघु और मंझौले समाचारपत्रों के लिए देशी कागज का कोटा निश्चित कर दिया जाए, वरना हिन्दुस्तान में समाचारपत्र आम व्यक्ति को परचेजिंग पावर से दूर होता चला जाएगा। इस बारे में समाचारपत्रों के संगठन के अध्यक्ष श्री विश्व बन्धु गुप्ता ने एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है कि छोटे और मंझोले समाचारपत्रों के लिए देशी कागज का कोटा सुरक्षित कर दिया जाए। यही मेरा निवेदन हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जनवरी, 1991 में 360 कि०ग्रा०—एक कांडी रुई का मूल्य केवल 8,500 रु० तथा 9,000 रु० के बीच था। परन्तु अब इतनी ही रुई का मूल्य लगभग 16,000 रु० है, अत: अब बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। अनेक मिले बन्द होने की स्थिति में हैं जिसके परिणाम-स्वरूप कपड़ा मिलों के अनेक श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर सभा में विस्तार से चर्चा कीं जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में आपने उस दिन भी कहा था कि सदन को बताया जाएगा और कश्मीर के अन्दर आतंकवादियों ने इन्डियन ऑयल कारपोरेशन के डायरेक्टर, दुरैस्वामी को जो इतनों दिनों से अगुआ किए हुए हैं, आज से 8–10 दिन पहले जब मैंने यह प्रश्न उठाया था, उस समय आपने आश्वासन दिया था कि सदन को हम बताते रहेंगे, विश्वास में लेते रहेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है उसमें यह आया कि किसी भी क्षण छूट सकते हैं, फिर आया कि उन्होंने और शर्तें रखी हैं। आज सारा देश चिन्तित है, देश यह जानना चाहता है, देश को आशंका हो रही है कि यह सरकार तथ्यों को छिपा रही है देश से।

मेरा निवेदन यह है कि कहीं ऐसा न हों कि जिस तरह से पहले जनता दल की सरकार के समय में होम-मिनिस्टर की लड़की को छुड़वाने के लिए देश की इज्जत को दाव पर लगा दिया था उसी तरह से इस बार भी कोई ऐसी घटना न हो जाए। मैं जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से, प्रधान मंत्री महोदय से कि लेटेस्ट पोजिशन क्या है? दुरैस्वामी जी छूटने वाले हैं या नहीं, उनकी शर्तें क्या हैं, वे जिंदा भी हैं या नहीं जिन्दा है और बीच में मिडिल मैन-कौन पड़ा हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में इस हाऊस को और देश कों विश्वास में लें, यहा मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० मुरुगेसन (करूर) : महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्तरिम निर्णय के शीघ्र कार्यान्वयन पर केन्द्र सरकार की चुप्पी को लेकर तमिलनाडू के लोग आगामी शुक्रवार 26 जुलाई को एक दिन का राज्यव्यापी बन्द आयोजित करने जा रहें हैं। हम कावेरी नदी को सूखा देखकर पानी-पानी, चिल्लाते रहते हैं। हम हमेशा पानी के लिए चिल्लाते हैं। मैं समझता हूं कि पानी के मसले को हल किये बिना लोक सभा में किसी मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन कर्नाटक राज्य को अनुदेश जारी करें ।

अतः हम इस मामले में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप किए जाने की आशा करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय आतंकवाद बड़े जोरों से बढ़ रहा है । शाहजहांपुर जिले में एस०एच०ओ थानाध्यक्ष और तीन सिपाई मार दिए गए । बिजनौर के अन्दर एक सिपाई को मार दिया गया और आतंकवादियों के द्वारा दो थानेदार घायल कर दिए गए । नैनीताल के गदरपुर बाजार में दो बम विस्फोट हुए, जिसमें तीन लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए । यह सारा का सारा आतंकवाद इस समय उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और वह इसलिए बढ़ रहा हैं क्योंकि आतंकवादी वहां बढ़ते जा रहे हैं । मैं कल पीलीभीत गया था, 150 सीख बरेली जेल में बन्द हैं, उनका न तो ट्रायल हो रहा है और न हीं उनसे मिलने दिया जा रहा है । यह प्रशासन की निष्कीयता है, शासन की निष्क्रियता है । चार-पांच सालों से उनका ट्रायल नहीं हो रहा है । इसलिए पुलिस के लोग जब सीखों को बुलाते हैं तो वे लोग टी०ए० डी० ऐक्ट के मामले में आने के बजाए आतंकवादी बनना पसंद करते हैं । वहां की सिख फैडरेशन है, उसके मंत्री लखबीर सिंह ने मांग की है कि अगर पीलीभीत कांड पर एक महीने के अन्दर कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसा काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तहलका मच जाएगा । (व्यवधान) वहां के सीख समुदायों के लोग ज्युडिशियल जांच नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उसमें देरी होती है । वे सी०बी०आई० जांच की मांग कर रहे हैं । ......(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : डा० परशुराम गंगवार ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ श्री गंगवार का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा ।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डा० परशुराम गंगवार ।

[अनुवाद] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं पीलीभीत क्षेत्र का सांसद हूं । आतंकवादी घटना को कुछ लोग सीधे सीधे राजनीति से जोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थों को हल करना चाहते हैं । विलसन्डा संपूर्ण तराई क्षेत्र है, जो कि आतंकवाद से पीड़ित है । पीलीभीत क्षेत्र में पुलिस के लिए आधुनिक अस्त्र और आधुनिक वाहन होना बहुत जरूरी है जिससे वे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें । कुछ लोगों ने घटना की इतना पेचीदा बना दिया है कि उसकी सत्यता को जानने के लिए कुछ और तथ्यों का जानना होगा । (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के हीराकुंड में पिछले शुक्रवार अर्थात् 19 जुलाई, 1991 को एक दुःखद घटना घटी है ।

हीराकुंड पावर कम्पनी लि० इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी के लिए एक रक्षित विद्युत संयंत्र बना रही है । जब इस निर्माणाधीन संयंत्र की चिमनी के अन्दर काम हो रहा था तो चिमनी के अन्दर अचानक इसका ढांचा टूट जाने से 13 व्यक्ति, जो सभी पश्चिम बंगाल के थे, मारे गए और सात जख्मी हुए । उनमें से पांच की अभी भी वीएसएस मेडिकल कालेज अस्पताल में चिकित्सा हो रही है ।

जब इस घटना का कारण और परिस्थितियों के बारे में अभी तक पता नहीं चला है तो यह निस्संदेह प्रबन्धक और निर्माण एजेंसी की लापरवाही से हुआ है । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वे बचाव राहत तथा उपचार कार्य के प्रति गंभीर नहीं है **(व्यवधान)** शवों को निकालने में तीन दिन लगे । **(व्यवधान)** यह काफी गंभीर मामला है । इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इसलिए मेरी यह मांग है कि उड़िसा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा एक तकनीक विशेषज्ञ के सहयोग से यह पता लगाने के लिए एक न्यायिक जांच कराई जाए कि इस घटना के कारण और परिस्थितियां क्या थीं ताकि ऐसी घटना दुबारा न घटे। **(व्यवधान)** इस कम्पनी को आगे निर्माणकार्य न करने दिया जाए। अन्यथा मामला और जटिल होगा । इसलिए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएं तथा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए । **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : (जगतसिंहपुर) : विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने घोषणा की है तथा समाचार पत्रों में भी ऐसी खबर छपी थी कि वे राम जन्मभूमि के विवादास्पद स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरु करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य के मार्ग में आयी सभी बाधाओं को हटा देगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उन्हें मंदिर बनाने में मदद करेंगे। इससे देश में एक गंभीर समस्या उत्पन्न होगी । यदि वि० हि० प० इस ढंग से कार्य करती है तो इस से सारे देश में फिर साम्प्रदायिक हिंसा फैलेगी और देश की एकता तो धक्का लगेगा । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हल के लिए तत्काल मामले के शांतिपूर्ण प्रयास करे तथा यह कोशिश करे कि ऐसी बातें न हो जिससे देश की एकता प्रभावित हो । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ गुमानमल लोढ़ा के भाषण को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : भारत में चार करोड़ राजस्थानियों के साथ संविधान बनने से लेकर अब तक राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता न देने के कारण घोर अन्याय किया जा रहा

है। चार करोड़ व्यक्तियों के द्वारा जिस भाषा को बोला जाए और सारे भारत में तथा भारत के बाहर भी उस भाषा को बोला जाए और उसे अब तक मान्यता नहीं दिए जाने से इस घनघोर अन्याय के विरुद्ध भयानक आन्दोलन किया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि संविधान की आठवीं सूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करके राजस्थानियों के साथ न्याय किया जाए। [व्यवधान]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षत्र से एक आदमी असम में कार्यरत है। **(व्यवधान)** जो भोजन करके सबेरे दस बजे अपने कार्यालय जा रहे थे तो उनको असम में उल्फा उग्रवादियों ने कार्यालय जाते समय पकड़ लिया और पता नहीं कहां ले गए। उनके परिवार के लोग मुझसे मिले और उन्होंने मुझे अपनी दास्तान सुनाई .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको अपने स्थान पर बैठ जाना होगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप इस बात से सहमत हैं कि यह मामला हम सबों के लिए काफी चिंता का विषय है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। यह एसा मामला नहीं है जिस पर सरकार टाल मटोल करे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : यू० पी० में जनादेश मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइएं। .... **(व्यवधान)** आपको जो कहना था बड़े अच्छे ढ़ंग से स्पष्ट रूप से आप के लीडर ने कह दिया है, वह रिकार्ड में आ गया है। उसके बाद आप जाइंटली...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में नहीं बोल सकते। आप ऐसा क्यों करते हैं ? जब आप सभी बोलने लगते हैं तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है और ऐसा ही होता है कि जब आप बोलते हैं तो दूसरे भी बोलने लगते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जब कुछ भी आप बोलते हैं तो एक एक शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होता है आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए और यदि आपको कुछ कहना हो तो आपके नेता...

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : *(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

8—189 एल० एस० एस०/(एन०डी०)/91

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, यह संसद का अपमान है और आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। ये बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। संसद का कार्यवाही वृत्तांत काफी महत्वपूर्ण होता है। माननीय सदस्यों आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर व्यक्त की गई चिंता देश के सभी तबके के लोगों की चिंता है, क्योंकि इस प्रकार के मामले—यह इस सरकार द्वारा बतायी गयी स्थिति है, का समाधान शांतिपूर्ण तथा आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मंदिर बनाने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को इस परेशानी को समझना चाहिए। इस समय मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभा के सभी पक्ष के सदस्यों की बातों को उन सभी सदस्यों द्वारा उचित महत्व दिया जाना चाहिए जो इस मामले से चिंतित हैं। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्ष की इस समस्या को समझता हूं कि हर बात शांतिपूर्ण ढंग से निपटायी जानी चाहिए। परन्तु मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर अनेक विचार व्यक्त किए गए है कि अयोध्या में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल जनादेश का अपमान नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश सरकार को जनादेश प्राप्त है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो शुक्रवार को हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं अपने भाषण को समाप्त नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)** हम एक बार फिर इस विषय पर इस शुक्रवार अर्थात् परसों चर्चा करेंगे। श्री जायनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर यह अधूरी चर्चा जारी रहेगी। और इस पर हम निश्चित रूप से चर्चा कर सकते हैं कि जनादेश क्या है और जनादेश क्या नहीं है। **(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गुस्सा मेरे दल के विरुद्ध नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध है। **(व्यवधान)** अगले शुक्रवार को हम यह चर्चा कर सकते हैं कि जनादेश क्या है। **(व्यवधान)** कोई भी राजनीतिक दल जनादेश की अवहेलना नहीं कर सकता हैं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, श्री आडवाणी के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष जी, दिस इज टोटली रांग। मैन्डेट क्या है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं। प्लीज आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई, आप बैठ जाइए, बार-बार क्यों उठ रहे हैं। आप क्यों कन्फ्यूजन को ऐड कर रहे हैं। यदि सब लोग बोलने लगेंगे तो किस किस को समझाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, हां। आप बैठ जाइए। खुराना जी, प्लीज बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या है, आप बार-बार क्यों उठ रहे हैं। बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। पहले सुनिये।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सोनकर शास्त्री : आपका खड़ा होना उचित नहीं जब मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक एक उठ कर बोलेंगे तो मैं कितनी देर तक यहां खड़ा रहूंगा और आप कितनी देर तक इसी तरह बोलते रहेंगे। आपकी भावना का सब लोग आदर करेंगे। हाउस भी आदर करेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझे खत्म तो करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर शास्त्री यह ठीक नहीं है। हर बार आप खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, क्यों आप उसमें ऐड कर रहे हैं। मुझे कहने तो दीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, उसे यहां पर सबने सुन लिया है और आपके सारे लोगों की भावनाएं, इधर के माननीय सदस्यों की भी और उधर के माननीय सदस्यों की भी ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने बाजू में ग्लास रखकर के बोल रहा हूं। मैं कह रहा था कि जो भी माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार उद्धृत करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं ···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अगली बार खड़े होंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं कहने जा रहा था कि आपको, सारे लोगों को, सारे माननीय सदस्यों को इस हाउस में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाएगा, मगर देखिए, इस समय आप यह भी ध्यान रखिए कि आज के एजेन्डे पर इतना ही सवाल नहीं है, इसके बाद भी कुछ अहम सवाल आने वाले हैं। इसके बाद इन्डस्ट्रीयल पॉलिसी का स्टैटमेन्ट रखना है, उसके बाद बजट आने वाला है। इस विषय पर भी पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह खड़े होते हैं, तो यह अच्छा नहीं है। यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ बोल सकते हैं तो मैं आपको बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा। परन्तु कृपया इस तरह खड़े न हो। मैं प्रत्येक सदस्य, जो इस प्रकार खड़ा होगा, से बात नहीं कर सकता। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

मैं सभी सदस्यों को, जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं, बोलने का अवसर दूंगा। यह उचित अवसर है कि इस विषय पर सभा के समक्ष एक संकल्प विचाराधीन है और आप उस संकल्प पर बोलेंगे, अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस विषय को इस आधार पर समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने श्री आडवाणी की बात स्वीकार कर ली है। हमारे अनुसार वहां पर यह जनादेश नहीं हैं, अतः आप इस धारणा में न रहें कि हमने यह बात स्वीकार कर ली है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज यह सरकार अपहरण की सरकार हो गई है। जो आदमी रात को खा कर सोता है, वह सुबह उठते ही यह चिन्ता करने लगता है कि आज कहां अपहरण

हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव कोंहरा, देवरिया जनपद के एक परिवार के लोग मुझसे मिलने आए, उन लोगों ने मुझे बताया कि कोंहरा निवासी श्री देव किशोर जो असम में कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, एक जुलाई को अपने कार्यालय के लिए घर से लगभग 10 बजे चले।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, सारी डीटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग भी और हैं जिन्होंने बोलना है।

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के साथ ज्यादती हुई है, वह मैं बता रहा हूं। वे कार्यालय के लिए जा रहे थे, बीच में ही उल्फा उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर लिया और आज तक उनका पता नहीं है कि उनको कहां छुपा कर रखा गया है। उनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से और इस सदन के नेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्री देव किशोर तिवारी को कहां रखा गया है, इसका पता लगाकर परिवार को बताया जाए और उन्हें उग्रवादियों से रिहा कराया जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपका ध्यान तथा ··· **(व्यवधान)** ··· महोदय, मैं आपका ध्यान, सभा का ध्यान तथा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार इस बात पर उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रोध, निराशा, रोष तथा हतोत्साह व्याप्त है, कि भारतीय किसान यूनियन नामक एक संगठन के आदेश के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्म समर्पण कर दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सर, यह विषय यहां कैसे डिसकस हो सकता है। आप यू० पी० को यहां कैसे डिसकस करवा सकते हैं। यह क्या यू० पी० विधान सभा है? **(व्यवधान)** अगर यहां यू० पी० डिसकस होगी तो फिर बिहार और अन्य प्रदेश भी डिसकस होंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया वहां इस प्रकार न खड़े हो। कृपया बैठ जाएं। इस तरह बात करना आवश्यक नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : हम सब पुलिस बल के मनोबल की बात करते हैं। यहां पर एक पुलिसकर्मी को मार दिया गया था तथा चार को कई दिनों के लिए नजरबन्द रखा गया। तब भारतीय किसान यूनियन के नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनको तब ही रिहा किया जायेगा जब पहले पुलिस बल पर हमला करने वाले सभी दोषी व्यक्तियों को एक साथ रिहा कर दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं-भू नेता के साथ न केवल बातचीत की बल्कि भीड़ के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए सभी दोषी व्यक्तियों को छोड़ दिया। **(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश जो कि संघ का सबसे बड़ा राज्य है, में कानून का शासन है या नहीं। निश्चित रूप से यह देश के अन्य भागों को प्रभावित करेगा। गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश से बात करनी चाहिए। पुलिस बल के विरुद्ध भीड़ के आधिपत्य तथा इस भीड़ के आधिपत्य के समक्ष आत्म समर्पण की ऐसी घटनाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार एक पिछड़ा हुआ स्टेट है और यहां सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ भी पैदा होता है। लेकिन बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कोल आदि की जो भी रायल्टी है वह बहुत कम है और समय पर नहीं मिल पाती है। सबसे दु:खद बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में कहा है कि यदि भारत सरकार ने रायल्टी को बढ़ाने का काम नहीं किया तो वे आमरण अनशन पर चले जाएंगे, फास्ट अनटू डैथ जाएंगे। मैं समझता हूं कि बिहार का जो मामला है इसकी ज्यादा दिनों तक उपेक्षा की गई तो उसके बहुत गम्भीर परिणाम निकलेंगे। प्रधान मंत्री जी यहां नहीं है, मैं चाहता था कि प्रधान मंत्री जी के सामने यह बात कहूं। वित्त मंत्री हैं, सदन के नेता हैं, मैं चाहूंगा इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया जाए और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि भारत सरकार ने इस पर शीघ्र निर्णय नहीं किया, रायल्टी बढ़ाने का काम नहीं किया तो वे आमरण अनशन पर जाएंगे, मैं समझता हूं कि इसके गम्भीर परिणाम होंगे। गम्भीर परिणाम निकले इससे पहले सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करे। **(व्यवधान)** *

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह इस पहलू की जांच करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या का जो सवाल है ······ **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उस वक्त टाइम दे दूंगा।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : आप मुझे अगर इजाजत नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपको मालूम है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं बार-बार आपको तकलीफ दूं। चूंकि इस हाउस में एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो मेरे दोस्त आडवाणी जी ने उठाया है ··· **(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात सुन लें। ··· **(व्यवधान)**

جناب محمد یونس سلیم (کٹیہار) : محترم اسپیکر صاحب - آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایودھیا کا جو سوال ہے.........(انٹرپشنس)...............

ادھیکش مہودے ; میں آپ کو اس وقت ٹایم دے دونگا -

جناب محمد یونس سلیم : آپ مجھے اگر اجازت نہیں دین گے تو میں بیٹھ جاونگا - آپ کو معلوم ہے کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں بار بار آپ کو تکلیف دوں - چونکہ اس ہاوس میں ایک ایسا سوال اٹھایا گیا ہے جو میرے دوست اڈوانی جی نے اٹھایا ہے.........انٹرپشنس.........

آپ پہلے میری بات سن لیں.........(انٹرپشنس).........

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको उस समय समय दे दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : इस मामले में रूलिंग देने के बाद भी माननीय सदस्य इस पर कुछ कहेंगे तो हम भी उस पर बोलना चाहेंगे । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मामले को दुबारा न उठाए क्योंकि अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

12.55½ म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पंजाब राज्य भांडागारण निगम, चंडीगढ़ का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम, चण्डीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम, चण्डीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 116/91)

दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भंडार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1991

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भंडार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1991, जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 223(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 117/91)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा संघ लोक सेवा आयोग का चालीसवां प्रतिवेदन

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1991, जो 19 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 118/91

(2) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1989–90 का चालिसवां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने के कारण दर्शाने वाला ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 119/91)

भारतीय रबड़ विनिर्मिति अनुसंधान संघ ठाणे का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रबड़ विनिर्मिति अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय रबड़ विनिर्मिति अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1989–90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 120/91)

प्रसार भारती के गठन के लिए आवश्यक क्रियाकलापों सम्बन्धी विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरीजा व्यास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

प्रसार भारती के गठन के लिए आवश्यक क्रियाकलापों, जिन्हें तारांकित प्रश्न संख्या 63 और 80 के अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 17 जुलाई, 1991 को मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 121/91)

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी० जे० कुरियन) : मैं औद्योगिक नीति से सम्बन्धित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 124/91)

12.57 म०प०

सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सभा आज सायं 4.00 बजे म०प० स्थगित हो जाएगी और 5.00 बजे म० प० आम बजट की प्रस्तुति के लिए पुनः समवेत होगी । बीच में आधे घण्टे का समय देने के बजाय हम एक घण्टे का समय दे रहे हैं ताकि सब लोग समय पर अपना स्थान ग्रहण कर सकें ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, माननीय मंत्री, औद्योगिक नीति पर वक्तव्य क्यों नहीं पढ़ते हैं । **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : यह काफी लम्बा है । आप इन्हें कम से कम एक घण्टे का समय दें । **(व्यवधान)** इसे एक घण्टे के अन्तराल के दौरान पढ़ा जा सकता हैं जो 4.00 म०प० मिलेगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रतियां यहाँ वितरित नहीं की जाएगी । अन्यथा बहुत कठिनाई हो जायेगी । आपमें से कोई भी यहां से प्रति नहीं लेंगे । कृपया अपने स्थान पर वापस जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रकाशन फलक पर उपलब्ध हैं । यदि आवश्यक हुआ, तो इसे आपके स्थान पर भी वितरित कर दिया जाएगा । कृपया यहाँ न आयें ।

12.58½ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान निकोबार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 जुलाई 1991 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 जुलाई 1991 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.59 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगड़े (विलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में विशेष कर छत्तीसगढ़ अंचल में बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ने की परिस्थिति बन चुकी है। अधिकांश कृषक बुआई कर चुके हैं एवं मानसून नहीं आने से अंकुरित पौधे सूख चुके हैं। प्रथम बीज एवं खाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा बीज और खाद का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे लोग पलायन कर रहे हैं।

आवश्यक खाद्यान्न पदार्थों—चावल, गेंहू, तेल, शक्कर एवं मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। अतः केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि संभावित सूखे से राहत दिलाने हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षक भेजकर पूरी रिपोर्ट मंगाई जाएं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने हेतु राज्य शासन को निर्देश दिए जाएं ताकि छत्तीसगढ़ अंचल से पलायन रोका जा सके।

1.00 म०प०

(दो) हिमाचल प्रदेश में सूखे के कारण फसलों की क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने और तुरन्त राहत उपाय करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारी सूखा होने के कारण फल एवं अन्य अनाज और सब्जियां खतम हो गई हैं। जिला सिरमोर के ऊपरी भाग में मक्का की फसल सूख गई है। अदरक इत्यादि फसलों में बीमारी लग गई है। लोगों को सरकार से किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। न ही इस बात का अध्ययन किया गया है कि अभी तक किसानों की कितनी फसल नष्ट हो गई है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त एक स्टडी स्टीम का गठन किया जाए जो राज्य में जिला सिरमोर, सोलन, शिमला इत्यादि क्षेत्रों का दौरा करे और हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के लिए उचित प्रबन्ध किए जाएं।

(तीन) देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री मनकू राम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, देश के पिछड़े क्षेत्र, खासकर आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य सेवा एकदम कमजोर है। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, मिनी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में डाक्टरों से लेकर, अन्य आवश्यक स्टाफ नियुक्त नहीं किया जाता। इस कमी से ग्रामीण अन्धविश्वास जैसे देवी-देवता और बैगाओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

इसमें हर साल खूनी पेचिश और मलेरिया से सैंकड़ों बच्चे बेमौत मर जाते हैं। इस बीमारी से मरने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि देश की उप योजना क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य सेवा को सही ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी पदों को पूर्ण रूप से भरा जाय। इन बीहड़ क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों को वेतन के अलावा प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाय, तभी इन सुदूर क्षेत्रों में काम करने के लिए वे अधिक रूचि लेंगे।

(चार) रक्षा सेवाओं में "एक रैंक एक पेंशन" के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन हेतु शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को "एक रैंक एक पेंशन" देने के बारे में बार-बार घोषणाएं की हैं, परन्तु अभी तक सरकार की ओर से इसे लागू करने के सम्बन्ध में समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। भूतपूर्व सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि सूबेदार, मेजर तक के सैनिकों तथा अधिकारियों को एक रैंक के एक पेंशन देने का निर्णय ले लिया गया है जिससे 85 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा, बाकी 15 प्रतिशत के बारे में भी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। परन्तु इस आश्वासन के बावजूद अभी तक भूतपूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन नहीं दी गई है। इससे सारे देश में भूतपूर्व सैनिकों में असंतोष एवं अविश्वास की भावना बढ़ रही है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन देने की घोषणा को कार्यान्वित किया जाय और बाकी रहे रैंकों के लिए भी तुरन्त निर्णय लिया जाय।

(पांच) समस्तीपुर, बिहार में उर्वरक कारखाने के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण की रोक थाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले मे एक खाद का कारखाना चल रहा है। कारखाने के शुरूआत में ही प्रदूषण फैलने के भय से वहां के नागरिकों ने इसका घोर विरोध किया था। अभी तक कारखाने के कम्पन से अनेकों मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी पर्यावरण विभाग, भारत सरकार को लिखा गया पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला।

मैं भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से अनुरोध करता हूं कि जनहित में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अविलम्ब कारंवाई कर समस्तीपुर नगर में इस कारखाने से फैलने वाले प्रदूषण को तुरन्त रोककर समस्तीपुर के नागरिकों की जानमाल की रक्षा करें।

(छ) गढ़वाल उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : उत्तर प्रदेश के **पर्वतीय क्षेत्र** गढ़वाल में लगभग सूखे की स्थिति है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ योंही बोलेंगे, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने लिखित रूप में जो कुछ दिया है वही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी : पेयजल की समस्या बहुत ही गम्भीर हो गई है। अलकनंदा, भगीरथी, यमुना आदि जैसी प्रमुख नदियों के इस क्षेत्र से उद्गम होने और यहां से होकर बहने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है ।

जल संसाधन मंत्री से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय जल आयोग को इस मामले की ओर ध्यान देने के लिए और यथाशीघ्र दीर्घ कालीन और अल्पकालीन उपाय करने का निदेश दे ।

(सात) हावड़ा और खड़गपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की समय बद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलूक) : गाड़ियों का देर से चलना, विशेषकर स्थानीय गाड़ियों का, दक्षिण-पश्चिम रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर उपनगरीय सेक्शन में एक स्थायी विशेषता बन गई है।

तकरीबन सभी स्थानीय गाड़ियों (ई०एम०यू० सेवाओं) की सेवा बहुत खराब हो गई है और वे गन्तव्य स्थान पर देर से पहुंचती है जिसके कारण दैनिक यात्रियों, कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों, छात्रों, छोटे व्यापारियों आदि को काफी तकलीफ होती है। ई०एम०यू० कोच भी अब पुराने हो चुके हैं।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दक्षिण-पश्चिम रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर उपनगरीय सेक्शन के लाखों दैनिक यात्रियों के लाभ के लिए स्थानीय गाड़ियों के ठीक समय पर चलने की स्थिति सुनिश्चित की जाए । पुराने ई०एम०यू० कोचों को भी शीघ्र ही बदला जाना चाहिए ।

(आठ) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले मलयालम कार्यक्रमों को केरल के अन्य दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा रिले किए जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से केरल के पालाकांड सहित अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से मलयालम कार्यक्रमों की प्रसारण सुविधा प्रदान करने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है । इस सुविधा के अभाव में, राज्य के विभिन्न भागों में रह रहे लोग मलयालम कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर नहीं देख पाते हैं । ज्यादातर कार्यक्रम या तो हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में होते है । वहां के लोग उस भाषा को नहीं समझ पाते और वे दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही परिचित है । इस कारण उनके लिए इस प्रसार माध्यम की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती ।

यह समझा जाता है कि चैनलों की अनुपलब्धता के कारण यह सुविधा नहीं आरम्भ की जा सकी है। तथापि, अब आप्टिकल फाइबर केबल का कार्य पूरा हो चुका है और चैनल उपलब्ध है अतः सूचना मंत्रालय आवश्यक चैनल उपलब्ध करा सकता है । पालाकांड और केरल के दूसरे स्थानों में स्थित दूरदर्शन केन्द्र मलयालम कार्यक्रम को प्रसारित कर सकेंगे।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ।

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

1.09 म०प०

बजट (रेल)—1991-92—(सामान्य चर्चा)
और
अनुदानों की मांगें (रेल)—1991-92

अध्यक्ष महोदय : सभा अब रेलवे बजट और रेलवे के लिए अनुदानों की मांगों (1991-92) पर आगे चर्चा करेंगी ।

क्या राज्य मंत्री यहां हैं ? उपस्थित नहीं हैं। श्री डी० वेंकटेश्वर राव— उपस्थित नहीं है, श्री शिबू सोरेन—उपस्थित नहीं हैं। श्री सूरज मंडल—उपस्थित नहीं हैं, श्री पीयूष तीरकी—उपस्थित नहीं हैं, श्री कालका दास—उपस्थित नहीं हैं, श्री अनन्तराव देशमुख—उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए और बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि खण्डवा शहर में जो रेलवे लाइन है वह शहर के मध्य में हैं। इसके मध्य में होने की वजह से जो पुराने ओवर ब्रिज हैं वह भी जर्जर स्थिति में हैं और सकरा होने की वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके पूर्व श्री माधव राव जी सिंधिया, रेल मंत्री के समय में दूसरा ब्रिज 2-ए बनाने के लिए शासन की ओर से सर्वे किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है ?

1.10 म० प०

श्री राव राम सिंह पीठासीन हुए ।

उसी प्रकार इन्दौर, अमरावती मार्ग पर ग्राम निम्बोना में भी एक ओवरब्रिज बनाया जाए। यहां पर बहुत ज्यादा यातायात होने की वजह से और कई गाड़ियां यहां से पास होने की वजह से अत्यधिक समय तक यहां पर यातायात रुका रहता हैं जिसके कारण से घण्टों वाहनों को रुकना पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि एक और ब्रिज 2-ए, डबल रास्ता वाला बनाना निहायत आवश्यक है। इसलिए अतिशीघ्र इसके लिए काम शुरू किया जाये ।

बुरहानपुर में बोहरा समाज का तीर्थ स्थान हैं जिसमें दर्शन करने हेतु संपूर्ण भारतवासी ही नहीं अपितु दुनिया भर के यात्री आते हैं। साथ ही बुरहानपुर में एक गुरुद्वारा भी हैं, कई तीर्थ यात्री प्रतिदिन इस हेतु भी यहां आते हैं । बुरहानपुर एक दर्शनीय स्थल है एवं ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्य हमेशा वहां पर अनवरत चलते रहते हैं। जिससे हजारों की संख्या में यात्री लोग बुरहानपुर आते हैं। बुरहानपुर एक कपड़े का व्यापारिक केन्द्र होने की वजह से और करीब एक लाख रूई की गांठे प्रतिवर्ष यहां बनाई जाती हैं, जिससे व्यापारियों और किसानों का प्रतिदिन अधिक मात्रा में आना-जाना होता है। इसलिए यह निम्नलिखित गाडियां यहां रोकना बहुत जरूरी हैं :—

1. 2627, 2628 कर्नाटक एक्सप्रेस—बंगलोर से निजामुद्दीन
2. 2133, 2134 पुष्पकल—लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस
3. 2701, 2702 गोआ—निजामुद्दीन से मिरज

4. 4247, 4248 श्रम शक्ति—मुजफ्फरपुर से बम्बई
5. 2161, 2162 लश्कर एक्सप्रेस—यह गाडी मध्य रेलवे की गाड़ी है।

बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शहर से करीब पांच किलो मीटर दूर है। इस रेलवे स्टेशन पर कोई इंक्वायरी आफिस नहीं है, जिससे जनता को गाड़ियों की जानकारी न मिलने की वजह से बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहां पर इंक्वायरी आफिस के नाम पर एक टेलीफोन लगा है जोकि पार्सल आफिस से अटेच है, यहां पर पार्सल आफिस के इंक्वायरी के भी टेलीफोन आते रहते हैं, इसके कारण जनता को इंक्वायरी का नं० सुविधा से नहीं मिल पाता। इसलिए एक 24 घण्टे का इंक्वायरी आफिसर यहां पर रखा जाए और इंक्वायरी आफिस बनाया जाए।

रेलवे स्टेशन पर कोई टेलीफोन बूथ नहीं है, वहां पर टेलीफोन बूथ बनाया जाए। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की सख्त आवश्यकता है।

बुरहानपुर स्टेशन से बम्बई की आने जाने वाली अथवा दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में जोकि रात में चलती हैं। कृपया गाड़ी नम्बर 1037, 1038, 4678, 4677 एवं 3004 में यहां से थ्री टीयर में 4-4 बर्थ का एवं फर्स्ट क्लास एवं ए० सी० में दो-दो बर्थ का कोटा का अभाव है जिसे दिया जाना चाहिए। 1058 अप अमृतसर-दादर गाड़ी एवं 1057 डाउन दादर-अमृतसर गाड़ी के रुकने के समय में लगभग एक वर्ष से कटौती कर दी गई है। यह गाड़ी केवल 3 मिनट इस बड़े स्टेशन पर रुकती है जहां पर सैंकड़ों यात्री इस ट्रेन से उतरते एवं चढ़ते हैं। इसका स्टापेज़ पूर्वत: 5 मिनट किया जाना चाहिए।

रेलवे स्टेशन के पूर्व और पश्चिम की ओर दोनों तरफ जनता रहती है परन्तु रेलवे स्टेशन पर कोई भी ऐसा ओवरब्रिज इस ओर की जनता को उस ओर जाने के लिए नहीं बना है। एक ओवर-ब्रिज है जोकि दोनों प्लेटफार्म को जोड़ता है और उस पर से यदि जनता पार करे तो चेकिंग के वक्त उन लोगों को बगैर टिकट यात्रियों में गिनकर उन पर चार्जेज़ किए जाते हैं। जिससे दोनों ओर की जनता प्लेटफार्म पर न आते हुए ब्रिज के ऊपर से ही अपनी वस्ती में चली जावे। यह सुविधा होने से छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें भी सुविधा मिलेगी। साथ ही संकटकालीन स्थितियों में कोई भी वाहन रेलवे स्टेशन को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाया नहीं जा सकता। इसलिए रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर अथवा उत्तर की ओर स्टेशन के करीब की एक गेट ऐसा बनवा दिया जावे ताकि रेलवे लाइन क्रास करके जिस समय गाड़ी खड़ी न हो यह वाहन जा सके इसलिए एक रेल गेट की व्यवस्था स्टेशन के करीब होना आवश्यक है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष दिनांक 1-7-91 को जिन निम्नलिखित गाड़ियों में कोटा कम कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से पंजाब मेल 1037 डाउन में 2 ए०सी० सैकिंड के स्थान पर एक फर्स्ट क्लास कर दिया गया है। महानगरी 1093 डाउन में 2 ए०सी० सैकिंड के स्थान पर एक ए०सी० सैकिंड कर दिया गया है। पुष्पक 2133 डाउन में 2 फर्स्ट क्लास का कोटा निरस्त कर दिया गया है। कृपया इस सारे कोटे को पूर्व स्थिति में लाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आस्कर फर्नान्डीज। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अंग्रेजी में बोलें क्योंकि हमने कार्यालय को पहले सूचित नहीं किया था। आप

कृपया अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हालांकि कन्नड़ बहुत ही मधुर भाषा है फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अंग्रेजी में बोलें।

***श्री आस्कर फर्नान्डीज** (उदीपी) : महोदय, दुभाषिया आ गये हैं। वह पहले से ही बाक्स में मौजूद हैं। सभापति महोदय, देश के विकास में रेलवे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मेरे विचार से देश की आर्थिक स्थिति और रेलों के विकास को ध्यान में रखना ही काफी नहीं है। हमें अगले एक सौ वर्षों में रेलों के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे मित्र मुकुल वासनिक कल यह कह रहे थे कि माननीय रेल मंत्री जिस राज्य के हैं उस राज्य में रेलों के विकास को प्राथमिकता मिलेगी। पर ऐसा नहीं है।

लोगों का ऐसा ख्याल है कि यदि रेल मंत्री किसी खास प्रांत का हो तो उस प्रांत में रेलों का अच्छा-खासा विकास होगा। पर कम-से-कम कर्नाटक राज्य के मामले में तो ऐसा नहीं ही है। शायद कर्नाटक को अन्य किसी भी प्रांत के मुकाबले ज्यादा रेल मंत्री देने का गौरव प्राप्त हुआ है।

हमें रेलों के विकास के लिए करीब एक सौ वर्षों की दीर्घावधि योजना बनानी चाहिए। इससे देश के समग्र विकास में मदद मिलेगी। इस तरह से हमें यह पता रहेगा कि नई रेल लाईनें किन राज्यों में बिछायी जायेंगी। हमें हर राज्य में होने वाले रेल लाइनों के बदलाव, विद्युतीकरण आदि का भी पहले से ही पता रहेगा। ऐसी योजना सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। इस बारे में मेरी सलाह यह है कि नई रेल लाईनें बिछाने के लिए पहले ही जमीन का निर्धारण कर लिया जाए तथा प्रस्तावित रेल लाईन के दोनों ओर वृक्ष लगाये जायें। यदि ऐसा किया जायेगा तो जनता उस जमीन पर मकान नही बनायेंगी तथा जमीन को खाली करने का भी सवाल नहीं उठेगा। जनता भी यह जान कर खुश होगी कि अब औद्योगिक विकास होगा, सड़कें बनेंगी तथा पूलों का निर्माण होगा। इस तरह से निर्धारित जमीन को जनता को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इसे दे दिया जाता है तो उस जमीन को फिर वापस लेने के लिए सरकार को काफी धन खर्च करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो जमीन वापस लेने के लिए मंत्रालय को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े हैं।

रेलों का विकास केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। देश के तथा कई अन्य हिस्सों में सूखा पड़ सकता है। कुछ हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। कुछ अन्य समस्यायें भी हो सकती हैं। देश हर वर्ष राहत कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च करता है। यदि इस राशि के एक हिस्से को रेलों के विकास में लगाया जायें तो यह ज्यादा उपयोगी होगा।

माननीय मंत्री महोदय ने कई चीजों के भाड़े में वृद्धि की है पर उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। यहाँ मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे दूध पर भी भाड़े की दरों को न बढ़ाये। हमारे नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने हमारी पार्टी के चुनाव

*मूलतः कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो साधारण आदमी का जीवन ज्यादा खुश होगा। अतः मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करेंगे।

बजट में निजीकरण की भी चर्चा की गयी है। यदि इससे सरकार का काफी धन बचे और जनता को लाभ हो तो यह ठीक है। अन्यथा मैं निजीकरण, खास करके स्वच्छता सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ हूं। इस श्रेणी के सभी कर्मचारी समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के हैं तथा निजीकरण से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थायी काम या बेहतर वेतन तो उन्हें अभी भी नहीं मिलता है। अतः यदि रेलवे इन सेवाओं को अपने अधीन रखे तो यह बेहतर होगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे प्रांत से कई लोग रेल मंत्री बने, परन्तु मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कर्नाटक में रेलों का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है। मेरे प्रांत के लोग इस कारण काफी हताश है।

51 करोड़ रु० की इक्विटी पूंजी की मंजूरी देने के लिए कर्नाटक, केरल, गोआ, महाराष्ट्र तथा पूरे देश के लोगों की ओर से मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ। मेरे लिए वित्त की मंजूरी के बजाये योजना का पूरा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे कोकण रेल परियोजना को उसके निर्धारित समय यानि कि वर्ष 1994 की समाप्ति से पहले ही पूरा करवा लें। इस परियोजना के पूरा होने के बारे में लोगों के मन में कुछ शंकायें है। अब पर्याप्त धन राशि मंजूर की गयी है। अगले वर्ष भी कुछ धन राशि आबंटित की जा सकती है परन्तु लोग सोचते हैं कि इससे परियोजना के पूरा होने के कार्य को गति नहीं मिलेगी। अतः अब लगभग 300 करोड़ रुपये के रेलवे बांड शीघ्र जारी करना अत्यावश्यक हो गया है। केवल तभी हम जनता के मन में विश्वास पैदा कर सकेंगे।

इस परियोजना को लाभकारी बनाने के लिए यातायात सुविधाओं के साथ साथ माल की ढुलाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा।

हुबली होते हुए होसपेट से अंकोला तक के रेल मार्ग के विकास को कोंकण रेलवे परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए। अब लोह अयस्क को मद्रास पत्तन में भेजा जा रहा है और फिर वहाँ से इसे विदेशों को भेजा जाता है। इस अयस्क का निर्यात कारवार पत्तन अथवा मंगलोर पत्तन से भी किया जा सकता है। इससे धन और समय की काफी बचत होगी। अतः होसपेट से अंकोला के बीच में इस महत्वपूर्ण रेलमार्ग का तुरंत पूरा विकास किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्मानीय सभा में यह आश्वासन दिया है कि मैसूर से बंगलोर के बीच के रेल मार्ग को मीटर-गेज रेल लाईन में परिवर्तन का कार्य वर्ष 1992 की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा। इस आश्वासन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह सही समय पर पूरा हो जायेगा।

कर्नाटक के लोगों द्वारा मीरज-मंगलोर मीटर-गेज लाइन के परिवर्तन के लिए एक लंबे समय से मांग की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वे इस कार्य

की इसी बजट में ही सम्मिलित कर लें। यदि इस बजट में इसे शामिल कर पाना उनके लिए मुश्किल हो तो मैं चाहूँगा कि वे इसे अगले वर्ष के बजट में शामिल करने का आश्वासन दें।

मंगलौर देश की एक प्रमुख बन्दरगाह है। कोंकण रेलवे परियोजना इस बन्दरगाह के लिये वरदान सिद्ध हुई है। बंगलौर और मंगलौर के बीच मीटर-गेज लाइन है। इसे शीघ्रातिशीघ्र बड़ी लाइन में बदला जाना है। फिलहाल मंगलौर और बंगलौर के बीच रात्रिकालीन रेल सेवा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दिवसकालीन सेवा भी प्रारंभ की जाये। तत्कालीन माननीय रेल मंत्री द्वारा इस आशय का एक आश्वासन दिया गया था। मुझे आशा है कि यह कार्य शीघ्र कर दिया जायेगा।

समय की कमी के कारण मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यही बात दोहरा रहा हूँ कि कोंकण रेलवे परियोजना को ठीक समय पर पूरा कर दिया जाये, मंगलौर-उदीपी रेल लाइन बिछाने का कार्य भी यथाशीघ्र पूरा कर दिया जाये।

मैं वर्ष 1991-92 के लिये बहुत अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिये माननीय रेल मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इन शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : ऐसे अनेक माननीय सदस्य हैं जो रेल बजट पर बोलना चाहेंगे। अब समय बहुत कम है। इसलिये मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे पांच या छः मिनट से अधिक समय न लें ताकि अधिकाधिक माननीय सदस्यों को अवसर दिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि मैं उन लोगों में से हूं जो यह विश्वास करते है कि रेल मंत्रालय को अस्तित्व में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ....**(व्यवधान)**....... यह सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम से अधिक कुछ नही है। बेशक सर्वाधिक कर्मचारियों वाला यह देश का विशालतम संगठन है। किन्तु मुझे इसके मंत्रालय बने रहने का कोई कारण या औचित्य नजर नहीं आता। यह क्या नीतिगत निर्णय लेता है? कोई एक ऐसा रेल प्राधिकरण अथवा रेल निगम होना ही चाहिये जो लोक हित में रेल परिवहन की समस्याओं से निपटे और वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में, जैसा कि यह था, कार्य करे।

हालांकि आज यह एक मंत्रालय है और आपके समय में यह एक वाणिज्यिक संगठन था, रेल कर्मचारी जो परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं वे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साधारण कोटि के कर्मचारियों से बहुत अधिक हैं। संभवतः यह विगत व्यवस्था के अवशेष स्वरूप है। यह अतीत की पुनरावृति जैसा है जब रेलवे एक वाणिज्यिक संगठन था और प्रत्येक कर्मचारी को कतिपय सुविधायें और विशेषाधिकार दिये गये थे। अब इस मामले की पुनरीक्षा करने का समय आ गया है क्योंकि ये सुविधायें रेलवे द्वारा देश की आम जनता को दी जा रही सुविधाओं में कटौती करके ही दी जा रही हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत कम संख्या में उपलब्ध प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी-दो के डिब्बों के यात्रियों में बहुत निम्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी

9—189 एल०एस०एस०/एन०डी०/91

को यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि उनमें ऐसा करने का राजनीतिक साहस हो, तो उन्हें रेल कर्मचारियों को मिलने वाले अनुलाभों को कम करके सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के पूर्णतः समान कर देना चाहिये—न अधिक, न कम ।

दूसरा पहलू यह है—निस्संदेह माननीय मंत्री जी इस मामले में मुझसे सहमत नहीं होंगे—कि रेलवे एक राज्य के भीतर लगभग एक राज्य के समान कार्य कर रहा है । यह न केवल रेलों का ही संचालन करता है, यह स्कूलों को भी चलाता है, अस्पतालों को भी चलता है, कैंटीन और किचन चलाता है, खेती करता है, वन लगाता है और भी न जाने क्या क्या करता है । मेरे विचार से इन सब से रेल संगठन की कार्यकुशलता में कमी आती है । मैं समझता हूं कि हमारी शासन व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिसमें कार्यों का युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये, स्कूल केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ही संचालित किये जाने चाहिये भले ही अस्पतालों की सुविधायें रेल कर्मचारियों को प्रदान की जानी हो, किन्तु यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन रखना है, तो उन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन ही कार्य करना चाहिये और अन्य मामलों में भी ऐसा ही किया जाना चाहिये । अतैव, मैं माननीय मंत्री जी को दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय के अनुषंगी और गौण कार्यकलापों में कमी की जानी चाहिये और जहां तक संभव हो सके रेल विभाग अथवा रेल मंत्रालय को रेलों के संचालन के कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिये जिसे बेशक वह बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहा है । मैं समझता हूं कि लगभग हमेशा ही गाड़ियां अनियमित रूप से चलती है और मेरे विचार से इसका एक कारण यह है कि मंत्रालय का ध्यान बहुत बड़े क्षेत्र में बंटा हुआ है । इसलिये इसे फिर से अपना ध्यान देश की रेलों को नियमित रूप से और कुशलतापूर्वक चलाने के अपने प्राथमिक कर्तव्य पर केन्द्रित करना होगा ।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार हर वर्ष रेल के यात्री भाड़े और माल भाड़े में तदर्थ आधार पर कुछ 'वृद्धि कर देती है । हमें यह नहीं बताया जाता कि यह वृद्धि किस आधार पर की गई है । इसके पीछे जो राजनीति है, उसे हम समझते हैं । यदि कोई कमजोर सरकार हो, तो वह एक हद से आगे नहीं जाती, किन्तु यदि कोई मजबूत सरकार हो, तो वह यात्रियों और प्रयोक्ताओं के साथ अधिक निर्बाध और कठोरतापूर्वक खिलवाड़ कर सकती है । किन्तु हम चाहते हैं कि यात्री भाड़े और माल भाड़े की दरें वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था रेलों को वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना चाहिये । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि रेल भाड़ों के मौजूदा स्तर का और बजट में उन्होंने जिस वृद्धि का सुझाव दिया है, उसका क्या औचित्य है । उन्होंने हमें यूनिट लागत नहीं बताई है । उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि उन्होंने ये सुन्दर आंकड़े कैसे तैयार किये ।

हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ रेल सुविधायें कम पड़ती जा रही है। रेलों में बेहद भीड़, छतों पर बैठे यात्री, डिब्बों के जोड़ों पर बैठे यात्री—ये सब आम दृश्य हैं । मेरे विचार से इसका एक कारण है तथाकथित आधुनिकीकरण । वस्तुतः मैं इसे रेल सेवा को समृद्ध वर्ग के योग्य बनाया जाना कहूंगा । रेलें मुख्यतः धनी लोगों की सेवा का माध्यम बनती जा रही है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस सभा को यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें वातानुकूलित डिब्बों को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिये। आखिर हम सौ सालों से बिना वातानुकूलन सुविधा के यात्रा करते आये है। बेशक भारतीय धनी लोग, अफसर और रेल कर्मचारी आम जनता की तरह सामान्य सवारी डिब्बों में सफर कर सकते हैं। हमें केवल दो श्रेणियों रखनी चाहिये—एक कम दूरी की यात्रा के लिये, जिसमें हर यात्री के लिये बैठने के स्थान हों और दूसरा लम्बी दूरी की पूरी रात्रि की यात्राओं के लिये जिसमें सभी यात्रियों के सोने के लिये स्थान हो। इस प्रकार हमारे पास वस्तुतः केवल दो श्रेणियां होगी—बैठने की व्यवस्था युक्त श्रेणी और सोने की सुविधा युक्त श्रेणी। भले ही यात्री किसी भी स्तर का हो, सुविधायें एक समान ही होंगी।

मेरे विचार से यदि ऐसा कर लिया गया, तो यदि गाड़ियों और डिब्बों की संख्या यथावत ही रखी जाय, तो भी इनमें यात्रियों की संख्या, यात्री वहन क्षमता स्वतः ही बढ़ जायेगी। अब मैं माननीय मंत्री जी को अपने पांचवे सुझाव के संबंध में कहूंगा। मुझे लगता है कि यातायात की बहुलता वाले प्रमुख स्टेशनों (नोडल प्वाइंट्स) की संख्या में वृद्धि हो रही है। पटना ऐसे ही प्रमुख स्टेशनों में से एक है। यह महानगर नहीं है किन्तु यहां यात्रियों का यातायात बहुत बढ़ गया है जिसका प्रवाह सुबह शहर की ओर और शाम को शहर से बाहर की ओर होता है। इसके लिये क्या हम रोजगार देने वाले प्रमुख स्थानों के सभी ओर कुछ दूरी तक जैसे 20 मील की दूरी तक की एक अलग लाइन—एक समानान्तर लाइन नहीं बिछा सकते। इस रेलमार्ग पर लम्बी दूरी वाली गाड़ियां बिल्कुल न चलाई जायें। अधिकांशतः इस स्थानीय यातायात के कारण ही रेलगाड़ियां समय पर नहीं चल पाती हैं और देरी होती है। वस्तुतः स्थानीय यातायात से ही दूर जाने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में अड़चने आती हैं। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसे प्रत्येक शहर के लिये, जो यातायात का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है और जहाँ लोग भारी संख्या में सुबह आते हैं और जहां से लोग भारी संख्या में शाम को बाहर जाते हैं, वहां से समीपवर्ती क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने के लिये एक समान्तर रेल लाइन होनी चाहिये।

मैंने यह पाया है कि रेलवे में खानपान सेवाओं का स्तर बहुत ही गिर गया है। खाना बहुत ही घटिया किस्म का होता जा रहा है। पता नहीं क्यों थाली की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर खाने के वितरण की यह घटिया व्यवस्था शुरू की गई—पता नहीं, मैं इसका वर्णन कैसे करूं—इसमें आपको कागज की परतवाले अल्युमिनियम के फोइल दिये जाते है। आप ठीक से खा नहीं सकते। मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये, खासकर इसलिये कि किचन कार अभी भी गाड़ी से जुड़ी रहती है, इसे अलग नहीं किया गया है हालांकि इसके पीछे विचार यह था कि यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तैयार खाना मिलने लगेगा, तो कम से कम एक और सवारी डिब्बा आपको उपलब्ध हो सकेगा और उसका यात्रियों को ढोने के लिये उपयोग किया जा सकेगा। ऐसी नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हम फिर से पुरानी व्यवस्था को अपना लें और खानपान सेवाओं में सुधार करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बात की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि खासकर रेलवे में भर्ती के मामले में, रेल बोर्ड

के कार्यकरण में भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध असहनीय हो गई है । मैं समझता हूं कि अब तो माननीय मंत्री जी और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और ऐसी पद्धतियां तैयार करनी चाहिये जिनसे कि भर्ती और बुकिंग में भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया जा सके। इसका एक उपाय तो यह होगा कि लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती का कार्य उपयुक्त प्राधिकरणों को अन्तरित कर दिया जाये और रेल आयोग द्वारा केवल तकनीकी कर्मचारियों की ही भर्ती की जाये । मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक श्रेणी की संभावित रिक्तियों और परीक्षा की योजना की अग्रिम रूप से घोषणा अवश्य कर दी जानी चाहिये और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों को प्राप्त हुये अंक प्रकाशित किये जायें और यह महत्वपूर्ण सूचना प्रत्येक उम्मीदवार तक पहुंचाई जाये ।

मैं रेलवे की भूमि के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। मैंने देश के एक भाग से दूसरे भाग तक कीं यात्राओं के दौरान यह देखा है कि रेलवे की बहुत सारी जमीन अप्रयुक्त और खाली पड़ी है । सामान्यतया हमारे देश में गहन खेती नहीं की जाती । मेरा यह सुझाव है कि जो भूमि रेलवे के तात्कालिक उपयोग की नहीं है, भले ही उसका कब्जा और स्वामित्व रेलवे के पास हो, उसे ठीक रेल की पटरी तक, याने निकटतम व्यावाहिक सीमा तक कृषि, बागवानी और वानिकी के लिये आस पड़ोस के किसानों को दे दिया जाये तब वह भूमि बेकार नहीं पड़ी रहेगी और इससे देश की कृषि उपज में भी वृद्धि होगी।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र—किशनगंज के बारे में, जो कटिहार और नई जलपाईगुड़ी के बीच स्थित है, एक बात कहना चाहूंगा । कटिहार और नई जलपाईगुड़ी के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाये । मुझे आशा है कि इससे स्थिति में सुधार होगा । इस बीच माननीय मंत्री दिल्ली से केवल कटिहार तक जाने वाली गाड़ियों को नई जलपाईगुड़ी तक बढ़ाने पर विचार करें । मैं समझता हूं कि सभा में महानन्दा एक्सप्रैस को कटिहार से ठीक नई जलपाइगुड़ी तक बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था । ऐसा नहीं किया गया है।

महोदय, अन्त में मैं यह सुझाव दूंगा कि रेल दुर्घटनाओं में कमी करने के लिये प्रोत्साहनों और दण्ड की व्यवस्था अवश्य प्रारंभ की जाये । हाल में बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं जो स्पष्ट तौर पर मानवीय चूकों के कारण हुई । मानवीय चूकों को समाप्त करने के लिये एक ओर तो प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की कारगर व्यवस्था होनी चाहिये, दूसरी ओर अर्थदण्ड और सजा की व्यवस्था भी होनी चाहिये और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस स्थिति पर विचार करें ।

महोदय, मैं अवसर दिये जाने के लिये आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार करें।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शनिवार को और आज रेल बजट सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया और बहुत उपयोगी सुझाव दिये। भाग लेने के लिये उनका धन्यवाद करते हुए मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों पर कुछ कहना चाहूंगा ।

महोदय, रेलवे माल और यात्रियों के परिवहन के रूप में राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । तथापि हम सभी इस तथ्य से चिंतित हैं कि यात्री गाड़ियों की

समयबद्धता सन्तोषजनक नही हैं । महोदय, हमने इस मुद्दे को लिया, हमने कड़ा निदेश दिया है और हम नजर रखे हुए हैं और बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि अब उनकी समयबद्धता में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है । तथापि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है जिससे संतुष्ट हुआ जा सके, किन्तु हमें गाड़ियों की समयबद्धता में और अधिक सुधार करने के लिये अवश्य ही भरसक प्रयास करने चाहिये, गाड़ियां इतनी समयबद्ध हो जानी चाहियें कि यात्रियों को अनावश्यक कठिनाइयां न हो ।

सरकार गाड़ियों की समयबद्धता के अतिरिक्त यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए भी बहुत उत्सुक है । सुरक्षा के बारे में बात करते समय कुछ सदस्यों नें यह भी कहा कि हमें दुर्घटनाओं और अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये । बेशक भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं के रूख में कमी आ रही है । फिर भी हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकते । हमें दुर्घटनाओं को रोकना है और इसके लिये कुछ माननीय चूकों को भी रोकना होगा और जो लोग सुरक्षा के लिये जिम्मेदार है, उन्हें सलाह दे दी गई है । उन्हें मानवीय चूकों को रोकने के लिये प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ।

महोदय, जहां तक सुरक्षा का संबंध है, भारतीय रेलों में सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों पर भी निर्भर है क्योंकि कानून और व्यवस्था की देखभाल राज्य सरकारों को ही करनी होती है । फिर भी रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों की तथा अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी करता है ।

महोदय, इस प्रकार वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित कराने के लिये कि रेलों की समयबद्धता बनाई रखी जाये और संरक्षा तथा सुरक्षा का कार्य भी भली भांति किया जाये, दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ रही है ।

जैसा कि हम सभी अनुभव करते आये है, बहुत समय से और अभी भी कर्मचारियों द्वारा आरक्षण का कार्य हाथोंसे किया जाना भारतीय रेलों के गरीब यात्रियों के लिये एक समस्या है । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये, बहुत पहले 1980 में ही प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदृष्टतापूर्वक कम्प्यूटर से यात्रियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था को अपनाना स्वीकार किया था । इस तरह यह परियोजना शुरू की गई और अब हर किसी को यह जानकर खुशी होनी चाहिये कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में आरक्षण के लिये कम्प्यूटर उपलब्ध हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों में ये परियोजनायें शुरू की जा रही हैं । मौजूदा बजट में भी कुछ स्टेशनों को शामिल किया गया है । वे स्टेशन हैं, वाराणसी, वड़ोदरा, आगरा, जोधपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, तिरूचिरापल्ली और सूरत । मैं समझता हूं कि इन सभी परियोजनाओं के समय पर पूरा हो जाने पर हम 70 प्रतिशत यात्रियों के लिये कम्प्यूटरों से आरक्षण कर सकेंगे। मुझे कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर अधिक जोर देने की जरुरत नहीं क्योंकि आधुनिक विश्व में यह उचित प्रशासन और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिये आवश्य हो गया है ।

हम माल ढोने के लिये एक परीक्षणात्मक कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं । यह इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जायेगा । कम्प्यूटरीकरण के विषय में बोलते हुये मैं श्री राजीव गांधी को नहीं भूल सकता जिन्होंने न केवल भारतीय रेल में कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था लाने

के लिये, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था की प्रगति के लिये कार्य किया। अतः भारतीय रेलवे में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिये मैं एक बार फिर श्री राजीव गांधी को उनकी दूरदर्शिता के लिये सलाम करता हूँ। मुझे आशा है कि 10 वर्षों के अन्दर माल-भाड़ा प्रक्रिया सूचना प्रणाली का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाएगा। जहां तक यात्रियों के आरक्षण का सम्बन्ध है, यह पांच अथवा छह: वर्षों में कर दिया जाएगा।

महोदय, माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने कम्प्यूटरीकरण के बारे में बोलते हुए बोरीविली में कम्प्यूटरीकरण के बारे में पूछा है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि कार्य चल रहा है तथा इस वर्ष दिसम्बर से पहले यह सुविधा उपलब्ध हो जाने की आशा है।

महोदय, इस सभा के माध्यम से मैं लोगों से भारतीय रेल में बिना टिकट यात्रा न करने की अपील करना चाहता हूँ। उन्हें देशभक्त बनना चाहिए और इसलिए किसी को भी बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अपराध है। अब हमनें बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रूपए कर दिया है। ये सभी बातें गौण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए और यदि छोटी-सी बात के लिए लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे तो इससे भारतीय रेल की कार्यात्मक निष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1990-91 में हमनें बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 25 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की जबकि पिछले वर्ष 23 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई थी। फिर बिना टिकट यात्रा वास्तविक रूप से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बाधा भी उत्पन्न करती है, क्योंकि बिना टिकट वाले यात्री रेल में चढ़ जाते हैं और टिकट वाले यात्रियों की सीटों पर बैठ जाते हैं।

श्री अमल दत्त :(डायमंड हार्बर) : आपको इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेल को कितनी धनराशि का नुकसान होता है। किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस बारे में कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं यही बात कह रहा हूँ। यदि रेल विभाग ने एक वर्ष में 34 करोड़ रुपए की वसूली की है, तो यह और अधिक होनी चाहिए।

श्री अमल दत्त : ऐसा न यहां होता है न ही वहां। आपको यात्रियों से करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। बिना टिकट यात्रा करने से कितनी धनराशि का नुकसान होता है? यह 250 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए अथवा हजारों करोड़ रुपए भी हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप यह स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों हुआ है कि भारतीय रेलवे ने कोई सर्वेक्षण भी नहीं किया, ताकि हम बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को होने वाले नुकसान के बारे में कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते। मैंने स्वयं इस प्रश्न को अनेक रेल मंत्रियों के साथ उठाया है परन्तु किसी भी मंत्री ने अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या किया गया है। हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

हम इस मुद्दे पर अधिक जोर देंगे कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाये जायेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में कमी आए तथा

अधिक धनराशि की वसूली की जाए तथा टिकटों की बिक्री भी बढ़ेगी। इससे भारतीय रेल को अप्रत्यक्ष राजस्व की प्राप्ति होती है।

अपने भाषण के प्रारम्भ में माननीय सदस्य श्री अन्ना जोशी ने विद्युतीकरण पर बल दिया था। सरकार इस बारे में बहुत सचेत है कि भारतीय रेल में ऊर्जा संरक्षण तथा अन्य अनेक कारणों से विद्युतीकरण अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं पहले ही 10083 कि० मी० रेलमार्ग का विद्युतीकरण कर दिया गया हैं तथा आठवीं योजना में 3000 कि०मी० मार्ग का और विद्युतीकरण करने का हमारा प्रस्ताव है।

अब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीस, जो मेरे मित्र भी है, यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं अभी भी यह महसूस करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा था, मुझे अवश्य ही उसका उल्लेख करना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि चलस्टाक पर पिछले वर्ष किए गए 680 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में इस वर्ष केवल 607 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। यहां मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि हमारे यहां भारतीय रेल वित्त निगम है। इस वर्ष, यह निगम 1500 करोड़ रुपए के बांड जारी कर रहा है। भारतीय रेल द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा प्रदान की गई सारी पूंजीं चल-स्टॉक पर लगाई जाएगी। इस प्रकार 607 करोड़ रुपए में 1500 करोड़ रुपए जोड़ देने से यह धनराशि 2107 करोड़ रुपए हो जाती है। पिछले वर्ष यह यह धनराशि केवल 1850 करोड़ रुपए थी।

श्री अमल दत्त : माननीय रेल मंत्री द्वारा दिए गए बजट भाषण में यह नहीं बताया गया है कि रेल बांडों को जारी करके एकत्र की गई 1500 करोड़ रुपए की सारी धनराशि चल-स्टॉक पर ही खर्च की जाएगी।

श्रीमल्लिकार्जुन : मैं अभी संसद के समक्ष यह वचन देता हूँ। यदि बजट भाषण में यह नहीं बताया गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा एकत्र की गई सारी धनराशि चल-स्टॉक पर लगाई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, यह नीतिगत मामला है, मंत्रीजी को निश्चित संसद को बताना चाहिए।

सभापति महोदय : वे अभी बता रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अभी बता रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : वास्तविक स्थिति यह है कि चालू वर्ष में भारतीय रेल ने चल-स्टाक के लिए 2107 करोड़ रुपए की कुल धनराशि प्रदान की हैं। विशेष रूप से हमारी उत्पादन इकाइयां अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने पिछले वर्ष 110 इंजिन बनाए थे। पिछले वर्ष इससे 40 करोड़ रुपए की लागत से 147 डीजल के इंजन बनाए थे।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है।

कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने वर्ष 1990-91 के दौरान 600 सवारी डिब्बे बनाने का रिकार्ड उत्पादन किया है जो हमारे अनुमान और उम्मीद से कहीं अधिक है। इसी कारण हम इन उत्पादन एककों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करते हैं। अन्यथा भी रेल कर्मचारी अपनी सतर्कता और कर्त्तव्य के प्रति जागरुक रहने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

इसी प्रकार हमारा चल-स्टॉक के बारे में विचार है। इस सबके बावजूद, भारतीय रेल में अपेक्षित चल-स्टाक की कमी है। भविष्य में हमें भारतीय रेल में विभिन्न प्रकार के अभिनव परिवर्तनों के साथ इसका ध्यान रखना है।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कर्मचारियों के क्वार्टरों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि 40 करोड़ रुपए की तुलना में इस बजट में कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है। इस सम्बन्ध में मुझे यह बताना है कि इसके लिए भारतीय रेल कल्याण संगठन है। पिछले वर्ष भारतीय रेल कल्याण संगठन को मूल पूंजी के रूप में 8 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह संगठन रेल कर्मचारियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष इस विशिष्ट संगठन को मूल पूंजी के रूप में 8 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस प्रकार यह बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गई है। इस समय भी भारतीय रेल कल्याण संगठन को अस्थायी रूप से लगभग 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह संगठन सहयोग से कार्य कर रहा है और इस तरह रेलवे इस संगठन सम्बद्ध रहा है।

सभापति महोदय : यह 10 करोड़ रुपए 38 करोड़ रुपए के अतिरिक्त हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जी, हां। कुछ माननीय सदस्यों ने उपरि पुलों के बारे में उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों द्वारा सभी राज्यों में अनेक उपरिपुलों की मांग की गई है और इन्हें व्यावहारिक रूप देना है। परन्तु, मुझे यहां इस बारे में उल्लेख करना है। जहां तक सड़क पर उपरिपुलों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को अनुमानित लागत का 50% लेना होता है। मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ जो राज्य सरकारों के साथ सड़क के उपरिपुलों के मामले को उठाने के इच्छुक हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, हमें अन्य 50% हिस्सा देने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक ने हरियाणा में सड़कों पर उपरिपुलों के बारे में उल्लेख किया है। यह मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है। जैसे ही यह मामला सुलझ जाएगा, रेल विभाग को आगे कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

माननीय सदस्य और मेरे अच्छे मित्र श्री अमल दत्त जी ने अनेक मामलों का उल्लेख किया हैं। उन्होंने अनुसन्धान पर अधिक बल दिया है और यह भी कहा है कि अनुसन्धान कार्यों के लिए 5 करोड़ रु० की धनराशि का आबंटन अपर्याप्त है। हमारे यहां आर० डी० एस० ओ० संगठन है। यह संगठन निश्चय ही अच्छा कार्य कर रहा है। श्री अमल दत्त जी ने लगभग 5 करोड़ रु० के बारे में उल्लेख किया है। यह 5 करोड़ रुपए हैं। परन्तु सिर्फ बजट में हमने 21 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय के लिए निर्धारित किए हैं। अनुसन्धान एक मूलकारक है, जिसे हमें बढ़ावा देना है।

2.00 म०प०

अब वह नई परियोजनाएं बना रहे हैं और मैं यह उद्धृत करता हूँ :

".......औद्योगिकी विकास योजना आर० डी० एस० ओ० द्वारा तैयार की गई हैं 'जिसमें इस योजना के अन्तर्गत 280 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें विकसित देशों के बराबर आने के लिए देश में रेल प्रौद्योगिकी के विकास का प्रस्ताव है..."

अतः महोदय, हम इन सब बातों के बारे में जागरूक हैं। हमने अनुसंधान कार्य के विस्तार तथा अनुसन्धान वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक अपेक्षित कदम उठाए हैं।

हमारे सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा ऊर्जा के संरक्षण के बारे में हैं। किसी भी हालत में हम सन 2000 अन्त तक वाष्प इंजन समाप्त कर देंगे। यह प्रश्न माननीय श्री रामेया द्वारा भी उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि हमें वाष्प इंजन हटा देने चाहिए। यह एक निर्धारित नीति है। परन्तु इसके साथ ही साथ, हम विद्युत इंजन और डीजल इंजन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और इस प्रकार ऊर्जा का संरक्षण होगा।

एक माननीय सदस्य श्री अय्यूब खां ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहां गार्ड, ड्राइवर और कन्ट्रोल रुम के बीच सम्पर्क स्थापित करने की पद्धति क्यों नहीं है। भारतीय रेलवे में इस बारे में कार्य किया जा रहा है और जल्दी ही विद्युतीकृत सेक्शन जैसे दुर्ग-नागपुर, जो हावड़ा-मुम्बई मार्ग पर है, दिल्ली-मद्रास मार्ग पर नागपुर-इटारसी के बीच तथा इटारसी—भुसावल के बीच, जो दिल्ली—मुम्बई मार्ग पर है, जो लगभग 862 कि० मी० की दूरी है, पर इसे शुरू किया जाएगा। इस तरह से गार्ड, ड्राइवर और कन्ट्रोल रूप के बीच सम्पर्क स्थापित हो सकेगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली—हावड़ा राजधानी मार्ग पर 750 कि० मी० की दूरी के दिल्ली-मुगलसराय सेक्शन के कार्य की भी स्वीकृति दी गई है। हम दूर संचार की प्रगति तथा इसके अन्य वैज्ञानिक पहलूओं से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

एक अन्य माननीय सदस्य श्री श्रीधर ने इच्छा व्यक्त की कि विल्लुपुरम—मदुरै सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। यह यातायात की अधिकता और अन्य कारणों से सम्भव नहीं है.... [व्यवधान]

माननीय सदस्य श्री अय्यूब खां ने पुनः इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली—अहमदाबाद लाइन को बदला जाए। यह सघन मुख्य मार्ग है जो वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और यदि हम इसे बदलेंगे तो इसके लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जिससे मीटर गेज मार्ग भी अस्त-व्यस्त होगा, क्योंकि इसके साथ विभिन्न मार्ग जुड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : आपकी कांस्टीट्वेंसी में शताब्दी एक्सप्रेस जाएगी या नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : वह मेरी कांस्टीट्वेंसी से निकल कर आपकी कांस्टीट्वेंसी में पहुंच जाएगी।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : मैं चाहता हूँ कि सरकार यह स्पष्ट करें कि क्या वह इस बारे में निश्चित दृष्टिकोण आपनायेंगी अथवा क्या वह सभी स्थानों पर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने जा रही है अथवा क्या वह इसे छोड़ रही है अथवा क्या वह मीटर गेज लाइन को उन्नत कर रही है अथवा क्या वह लाइनों को बदलने के कार्य को बिल्कुल ही बन्द कर रही है। सरकार को इस बारे में एक नीति सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिए। इसे और आगे के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। वह इस बारे में कुछ नहीं कह रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक मीटर गेज लाइन का सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए, दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को उल्नत किया गया है। (व्यवधान)

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : इस प्रकार लाइन का उन्नत करना वैकल्पिक रूप से लाइन बदलने के कार्य का स्थान कैसे ले सकता है।

श्री मल्लिकार्जुन : इस दोनों को मिलाकर एक नहीं किया जाता। लाइन बदलने का कार्य अलग है। गाड़ियों की गति को बढ़ाने के लिए इन लाइनों को उन्नत किया गया है। **(व्यवधान)**

श्री शिवचरण माथुर : यदि यह गाड़ियों की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो यह ठीक है। परन्तु इन लाइनों को उन्नत कर देने से लाइनों को बदलने का कार्य पूरा नहीं हो सकता।

श्री मल्लिकार्जुन : यही बात मैं कह रहा हूँ। यह दिल्ली–अहमदाबाद सेक्शन को बदलने का यह विकल्प नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तन की बात सरकार वर्षों से कह रही है, लेकिन उसके बाद भी कन्वर्जन या अपग्रेडेशन का काम पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : दिल्ली–अहमदाबाद के बारे में ही कह रहे हैं। आप कृपया इन्टरप्ट न करें।

प्रो० रासा सिंह रावत : इस मांग को हम निरन्तर उठाते रहे हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . . .

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : आमान परिवर्तन तथा 24 नई लाइनों का कार्य चल रहा है। इस समय, इस कार्य को पूरा करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। धनराशि की कमी को देखते हुए हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ा था। तथापि, सरकार को मीटर गेज लाइनों को मजबूत बनाना है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : दिल्ली–अहमदाबाद मीटरगेज डबल कब तक हो जाएगा? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। यह प्रश्न काल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्या यह नीति सम्बन्धी निर्णय है कि आप लाइनों का उन्नत कर रहे हैं और लाइनों को बदल नहीं रहे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : कल मंत्री महोदय द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।

श्री श्रीधरण ने इच्छा व्यक्त की थी कि चेंगलपेट–मदुरै सेक्शन को दोहरा किया जाए। यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार रेल लाइनों को दोहरा किया जाता है अधिक यातायात तथा संतृप्त सेक्शनों की रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। इस समय इस सेक्शन के यातायात को देखते हुए इसे दोहरा करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी इस बात की आवश्यकता होगी, तो इस पर विचार किया जाएगा।

जहां तक करूर—डिंडिगल परियोजना के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में 18 करोड़ रुपए की पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है। (व्यवधान)

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : यह बहुत ही कम धनराशि है। यह परियोजना पिछले 15 वर्षों से लम्बित पड़ी है। जब पिछले सदस्य श्री के० डी० कोंयडारमन वहां थे, तो वह बहुत समय तक इस परियोजना के लिए संघर्ष करते रहे थे। और अब आप इस परियोजना के लिए इतनी कम धनराशि आबंटित कर रहे हैं। यह बहुत ही कम है। कृपया कुछ और अधिक धनराशि प्रदान करें। **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे कुछ नहीं कहना है। योजना आयोग द्वारा नई लाइनें बनाने के लिए जो भी धनराशि आबंटित की गई है उसमें से करूर—डिंडिगल लाइन के लिए इतना ही हिस्सा मिल सकता है। इसके साथ ही करूर—मदुरै समान्तातर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्य वर्ष 1992–93 तक पूरा हो जाएगा।

एक अन्य सदस्य श्री वासनिक ने इच्छा व्यक्त की कि जालना—बदायूं रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए जिसके लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस 165 कि० मी० लम्बी लाइन के निर्माण पर अनुमानतः 133 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से होने वाला लाभ नाममात्र है, जिससे यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य बन गई है। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

श्री धर्मपाल सिंह ने दिल्ली और सोनीपत के बीच और अधिक गाड़ियां चलाए जाने के बारे में कहा है। पहले ही दिल्ली और सोनीपत के बीच बीस जोड़े गाड़ियां चलती हैं और इनमें से 10 जोड़ी सवारी गाडियां हैं। यह वर्तमान स्थिति है।

2.09 म०प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

श्रीमती बासव राजेश्वरी ने कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोयले को ले जाने के लिए माल भाड़े के भुगतान के बारे में कहा है। माननीय सदस्य को यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि छोटे मार्ग से परिवहन की क्षमता के बढ़ने के साथ-साथ अब कोयला छोटे मार्ग द्वारा ले जाया जाता है और तदनुसार माल भाड़ा लिया जाता है। **(व्यवधान)**

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से यह आशा और उम्मीद रखते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि वह अन्तर्निहित वास्तविकता को समझेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि पटना—गया लाइन के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। खुद मंत्री जी ने इस सदन में पटना—लाइन के दोहरीकरण को स्वीकार किया था। यह लाइन जरूरी है, लेकिन अर्थ का अभाव है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि गया—पटना लाइन के दोहरीकरण की कोई योजना आपके पास है?
(व्यवधान)

सभापति महोदय : रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, कल तो रेलवे मिनिस्टर भी बोलेंगे । उस समय आपके जो प्वाइंट्स हैं आप उनको नोट करा दें , वह उसका रिप्लाई देंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोल ट्रांसपोर्टेशन बन्द हो गया है (व्यवधान) उसके कारण सारी इंडस्ट्री खतरे में हैं और कोल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण, वैगन्स नहीं मिलने के कारण सारी की सारी इंडस्ट्री कोल के अभाव में बंद होने के कगार पर आ गई हैं और जो वैगन्स मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : रेल बजट पेश करने के समय हमने रेल मंत्री से सताए गए रेल बल के कर्मचारियों की पुनः बहाली के लिए अनुरोध किया था । उनको उसका जवाब देना है ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप ऐसा कीजिए जब रेलवे मंत्री जबाब देते हैं तो आप हाउस में रहिए और उस समय आपको कोई कलेरीफिकेशन पुछना है तो पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति जी, करीब-करीब रेल में साढ़े अठारह लाख कर्मचारी काम करते हैं और रेल किसी भी देश का खास कर अपने देश के विकास के लिए खास कर ट्रांसपोर्ट और औद्योगिकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साधन है और मुझे एक बात कहने में थोड़ी सी हिचक हो रही है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, वह 1947 के बाद बहुत कम है । भारत सरकार को इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यह रेलवे लाइन बिछाई जाएं ताकि देश के बहुत से पिछड़े इलाके का विकास हो सके ।

आपने अपने भाषण में कोच के बदलने की बात कही है । आपके पास करीब-करीब 28 हजार कोच हैं और साढ़े पाच हजार कोच बदलने की बात कही है परन्तु आप हर साल जो कोच बदल रहे हैं उसमें करीब पांच सौ का टारगेट है । इस हिसाब से अगर आप कोच बदलेंगे तो इसमें बहुत साल लग जाएंगे । इस दिशा में कोई प्रयास होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक कोच का सुधार हो सके। उसका रिप्लेसमेंट हो सके ताकि रेल की व्यवस्था में सुधार हो सके । आपने एनवल प्लान का जिक्र किया है, इस साल 1991-92 में केवल 325 करोड़ की वृद्धि हुई है । मैं तो भारत सरकार से चाहूंगा कि जो इसमें 325 करोड़ की वृद्धि हुई है, हालांकि मंत्री जी ने कहा कि माडेस्ट इन्क्रीस है, मैं तो इसको माडेस्ट इन्क्रीज नहीं मानता, यह तो बहुत मिगर इन्क्रीज है इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि रेल सुविधा का विस्तार करने में रेल मंत्रालय को मदद मिल सके ।

सभापति महोदय, मैं कुछ अपने प्रदेश और क्षेत्र के सुझाव आपके माध्यम से, आपके सामने रखना चाहता हूं वह है दल्लीराजहरा, वैलाडीला, जो साऊथ ईस्टर्न रेलवे है, इस रेल्वे लाइन के संदर्भ में काफी सालों से मामला आपके विचाराधीन है । हालांकि स्टील मिनिस्टरी के रिक्वायरमेंट के लिए रेल लाइन बिछानी है, इसको वैलाडीला से लाना है, परंतु हमें जो जानकारी मिली है वे रावघाट से लाने की रिकवायर अब ज्यादा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि रेल मंत्रालय और

भारत सरकार इसमें फिर से पुर्नविचार करे और दल्लीराजहरा से रावघाट के बजाए इसको दल्ली राजहरा से बैलाडीला तक ले जाने की कोशिश करें ताकि बस्तर जिले के पिछड़े इलाके सें रेलवे लाइन का विस्तार हो सके। जब आलरेडी आपके पास माइन्स उपलब्ध हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं तो दूसरे माईन्स को ओपन करने से, मैं समझता हूं कि ये पुराने जो एगजिस्टींग माइन्स हैं उसी से ही आयरन-ओर लेना चाहिए और इससे दो फायदे होंगे उससे ओर की क्वालिटी अच्छी होगी और रेल सुविधा का विस्तार इस क्षेत्र में हो जाएगा। बैलाडीला को जोड़ने से मैं समझता हूं कि देश के भिलाई स्टील प्लांट के अलावा देश के अन्य इस्पात कारखानों को इमर्जेंसी में आप आयरन-ओर की सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस पर फिर से विचार करे और यह दल्लीराजहरा से बैलाडीला को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होगी। इस कार्य को गति देने की आवश्यकता है, ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके और भिलाई स्टील प्लांट को समयानुसार आयरन-ओर उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, रायपुर-धमतरी नैरो गेज है, इसको ब्राड गेज में बदलने की उस क्षेत्र की मांग काफी सालों से चली आ रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रायपुर-धमतरी नैरो गेज को ब्राड गेज में बदलने की कार्यवाही करें।

इसी प्रकार से जबलपुर, गोंदिया, सेंट्रल इंडिया की ट्रेंस, वाराणसी, लखनऊ से, इलाहाबाद से आने वाली ट्रेन्स से अगर सेंट्रल इंडिया में आना चाहें तो वाया इटारसी, रायपुर से घूम कर आना होता है। मैं चाहता हूं कि अगर जबलपुर-गोंदिया लाईन को जोड़ दिया जाए तो इलाहाबाद, वाराणसी से ग्रांड ट्रंक रूट से सेंट्रल इंडिया आने के लिए बहुत शार्ट कट ही जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस ओर मंत्रालय अवश्य ध्यान दे।

वेपाक से वेलाडीला जापान के सहयोग से रेलवे लाइन बनाई गई है। अभी तक इससे केवल आयरन-ओर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैं चाहूंगा कि पैसिंजर और गुड्स के लिए कोई कामन-ट्रेन यहां शुरू की जाए, ताकि इस इलाके के निवासियों के लिए आम सुविधाओं की चीजों का ट्रांसपोर्ट हो सके और उनको रेलवे की सुविधा प्राप्त हो सके। इस तरह से मंत्री जी, आपकी स्टेट से हमारी स्टेट के ताल्लुकात हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लाईन पर पैसिंजर और मालगाड़ी एक साथ चलाई जाए, ताकि इस इलाके को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।

मेरी कांस्टीट्वेंसी दल्ली-राजहरा में कैप्टिव माइन्स हैं, एक प्लांट भी है और इसका बहुत बड़ा रेलवे यार्ड है। यहां पर काफी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, ओपन लैण्ड है। इसमें माइंस के बहुत से एंप्लाइज और अन्य लोगों की आबादी बस गई है। मैं चाहता हूं कि बाकी की जो रेलवे की जमीन है वह पर्याप्त जमीन है, लोगों के काफी तादाद में बसने के बाद भी काफी जमीन है, मैं चाहूंगा कि दल्ली-राजहरा में रेलवे की जमीन में जो लोग आबाद हो गए हैं, उनको सैटल किया जाए, ताकि वहां पर पानी, बिजली और सड़क आदि की बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सके। जब तक इस बारे में आपकी तरफ से या आपके मंत्रालय की तरफ से पहल नहीं होगी, तब तक वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी।

सभापति महोदय, भिलाई में एक ओवर-ब्रिज बनाने की मांग भी काफी लंबे समय से चली आ रही है। जब श्री माधव राव सिंधिया रेलवे मंत्री थे और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वोरा जी थे, उस समय वहां के लोगों को ओवर-ब्रिज बनाने का आश्वासन भी दिया गया था। मैं निवेदन करना

चाहूंगा कि भिलाई में एक ओवर-ब्रिज शीघ्र बनाया जाए, ताकि वहां पर यातायात में जो असुविधाएं होती हैं, उनका निराकरण किया जा सके ।

इसी तरह से रेलवे में खानपान की सुविधाओं में भी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें और खानपान की सुविधाओं में सुधार करवाएं ।

आज लोगों में असुरक्षा की भावना दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है, इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

रेलों में सफाई की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । आशा है मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

एक ट्रेन विशाखापट्टनम से दिल्ली तक वाया रायपुर, नागपुर, "समता एक्सप्रेस" चलाई गई है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्रेन को प्रतिदिन किया जाए, ताकि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ राहत मिल सके । मैं चाहूंगा इस दिशा में मंत्री महोदय अवश्य ध्यान दें और कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, इस बार का जो रेल बजट है यह रेल बजट ऐसा है जैसे बासी पुराना खाना नमक मिर्च लगा कर गर्म करके थाली में परोसते हैं ।..

श्री विलास मुत्तेवार (चिमूर) : आप घर में ऐसा ही करती हैं कभी-कभी ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : हम नहीं करते हैं । हमें जरा आप दे दो करने के लिए, हम बता देंगे, कैसे करते हैं । मैंने बता दिया है कि आप कैसे करते हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस तरह की बातें करना बन्द कीजिए अन्यथा आपका अपना समय ही बर्बाद होगा ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा वही पुराना खाना थोड़ा सा नमक मिर्च लगा हुआ है, इसमें न कोई सुविधाएं हैं, न सामान्य लोगों के लिए कोई सहूलियतें हैं और न ही सुधार की दृष्टि से कोई नया विचार ही इसमें सम्मिलित किया गया है ।

महोदय, बातें तो बहुत की गयी हैं और रेल मंत्री जी ने कहा है कि माल के यातायात की दृष्टि से इस बार सफल प्रयास किए गए । यातायात, यानि ढुलाई भी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई, टनों में उसका हिसाब भी दिया गया । ये सब बातें तो ठीक हैं कि अधिक माल लदान के प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन उसमें मैं कहना चाहूंगी, यदि हम दृष्टिपात करें, थोड़ा सा देखें तो एक बात यह सामने आएगी कि जो माल लादा गया है उसमें ज्यादातर कोयला, सीमेंट, फूड-ग्रेन्ज और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी चीजें हैं लेकिन बाकी जो माल बचता है, कॉटन है, शूगर है, ऐडिबल ऑयल है, क्योंकि बाकी चीजों के लिए 89 से 90 प्रतिशत वेगन्ज आ जाते हैं और इनके लिए केपेसिटी बचती नहीं है । जो माल का लदान हुआ है, इसमें बाकी सब कुछ किया गया, उसमें मैं कहूंगी इण्डस्ट्रीज की दृष्टि से कोई भी विचार नहीं किया गया है । परटीकूलरली मैं कहूंगी कि सिक-इण्डस्ट्री की दृष्टि से कोई विचार नहीं किया गया है ।

हमारे मध्य प्रदेश में जैसे सिक-इण्डस्ट्रीज हैं, उनके लिए जैसे मैंने कहा कि कोयले का लदान, अब जो माल का लदान होता है इसमें ज्यादातर 40 से 45 परसेंट कोयले का होता है । लेकिन इस

कोयले के लदान में भी पूरी तरह से पूरे का पूरा कोयला रेल वेगन्स से इधर-उधर नहीं आ-जा पाता है। इसमें भी देखा जाए तो बाद में भी भेजना पड़ता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक रेल, 30 डिब्बों की एक रेल अगर कोयले का लदान लेकर चलती है तो 1700 टन कोयला एक समय में लदान हो कर जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। यही अगर बाई रोड ले जाया जाए तो तकरीबन 150 ट्रक उसमें लग जाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोयले का लदान रेल से होना चाहिए, जो होता नहीं है और उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है। अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां अगर कोयले का लदान, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन ठीक तरीके से नहीं होता है। जो हमारे यहां की सिक-इण्डस्ट्रीज हैं वें और भी बीमार हो जाती हैं और लेबर प्रोब्लम हमारे यहां खड़ी हो जाती है।

अगर देखा जाए, इन्दौर के लिए देखा जाए, तो इन्दौर को 149 वेगन्स, रेल मंत्री जी मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे यहां बहुत समस्याएं हैं, 149 वैगन्स हमारे यहां हैं, कोयले की ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए हुए हैं यानि 5 ट्रेन हैं या 149 वैगन्स हैं, अगर हिसाब से देखा जाए तो जनवरी में केवल 45 प्रतिशत ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, मई महीने में 30 प्रतिशत हुआ है और जून में 15 प्रतिशत हुआ है। उज्जैन में, इन दो महीनों में ट्रांसपोर्टेशन हुआ ही नहीं है कोयले का। फिर वही बात है भोपाल की, राजनांदगांव की, बड़ानपुर की यानि पूरा मध्य प्रदेश एक प्रकार से उपेक्षित रहा है जिसके कारण हमारे यहां की जो इण्डस्ट्रीज हैं, वे बहुत सफर कर रही हैं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी। बात यह भी की गयी हैं कि कोयले का लदान जो होता है, मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हम लाना चाहते हैं, ऐसी बात होती है, बैटर यूटीलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी की बात होती है, कई बार यह होता है कि अन-लोडिंग जो होता है वह फिक्स टाईम पर होता है। उसमें भी कोयले के लिए 5 घण्टे दिए हुए हैं। इन पांच घण्टों में अन-लोडिंग नहीं होता है। तो वैगन्स वैसे ही पड़े रहते हैं। दूसरे दिन तक वैसे ही पड़े रहते हैं। उसका दूसरी जगह उपयोग नहीं होता है। सैकण्ड वर्ल्ड वार में यह हुआ था कि डे एण्ड नाईट अन-लोडिंग चलती थी, जिसके कारण कॉटन इण्डस्ट्री ने कभी भी सफर नहीं किया था। इस बार भी विचार होना चाहिए कि केवल फिक्स टाईम पर अन-लोडिंग न करके उसको डे-नाईट अगर किया जाए तो वेगन्स जैसे पड़े रहते हैं, लोडिंग की बात वही होती है और लोडिंग के लिए वैगन दो-दो दिन तक पड़ी रहती है। उसमें हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि हम डेमरेज चार्ज लेते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हम केवल डेमरेज चार्जेस की बात नहीं सोचे। पूरी इंडस्ट्रीज, पूरे लदान की बात सोचें और ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता की बात सोचें। इस दृष्टि से भी पूरा-पूरा यूटिलाइज सभी डिब्बों का हो जाता है। बाकी चीजों का बाई रोड ट्रान्सपोर्टेशन होता है। बाकी चीजों के ट्रान्सपोर्टेशन के लिए उपलब्ध सेवा रहेगी। उसमें अगर कोयला है और इसके लिए पूरी-पूरी वैगन उपलब्ध रहेगी। कर्मचारियों के लिए यह कहा गया कि उन्हें पूरे उत्साह और लगन से काम करना चाहिए। माल-गाड़ी के डिब्बों की तरह यात्री गाड़ी डिब्बों की हालत भी खराब है। माल-गाड़ी के डिब्बों और गार्ड के डिब्बे की हालत मंत्री महोदय स्वयं जाकर देखें। मैंने मध्य प्रदेश में उज्जैन-इंदौर के बीच में स्वयं देखा है। चूंकि मुझे बोलना है इसलिए मैंने हर चीज का मुआयना किया। मुझे बताया गया कि एक पर्टिकुलर प्रेशर का इंडिकेटर इंजिन ड्राईवर और गार्ड के पास होता है। मुझे बताया गया कि जो पर्टिकुलर प्रेशर का इंडिकेटर था वह गार्ड के डिब्बे से गायब था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि अन्दाजा लगा लेते

हैं । ऐसा लगता है कि गाड़ियां राम-भरोसे चल रही हैं । हम राम भरोसे चलें तो अलग बात है.. (**व्यवधान**) मैंने स्वयं यात्री और माल-गाड़ी के डिब्बों की हालत देखी है । जो राम भरोसे पर विश्वास नहीं करते तो फिर भी गाड़ियां इसी पर चल रही हैं । गार्ड के डिब्बों में इंडिकेटर नहीं होता। जो आवश्यक कल-पुरजे होते हैं, वे निकल जाते हैं तो दोबारा नहीं लगते, कोई जाकर नहीं देखता । मंत्री महोदय कहते हैं कि कर्मचारी लगन और उत्साह से काम करें । जो कुछ सपना है वह पूरा करें, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है।..... (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात रखने के लिए समय चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब रेल बजट पर चर्चा चल रही है तो मंत्री जी कहां चले गए । इसके मायने यह अपमान है । ...... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हमसे पूछकर गए है ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मंत्री जी अब आ गए हैं । मेरा भाषण राम-भरोसे नहीं होगा । यात्री गाड़ियों की हालत वही की वही है । मैंने पिछले साल भी इसी सदन में कहा था कि इंदौर-बिलासपुर के बीच जो गाड़ी चलती है तो उसकी हालत देखने लायक है । उन डिब्बों की हालत देखने लायक है। इसमें और भी दूसरी बातें हैं, जैसे रेल नियमों का पालन नहीं होता है । सेना के जो पांच प्रतिशत डिब्बे लगते हैं वे भोपाल से लगते हैं, जबकि वह गाड़ी इन्दौर से शुरू होती है । मैं फिर इस गाड़ी की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । यह गाड़ी बहुत कम समय चलती है और राम भरोसे चलती है । इन्दौर में जो मीटर गेज चलती है...

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): आपका मतलब क्या है राम भरोसे करना चाहिए या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : राम पर भरोसा करके काम करो, यह मैं कहना चाहती हूं। वास्तव में इन्दौर जो एक औद्योगिक दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इतना होते हुए भी रेल की सुविधाओं की दृष्टि से जैसे पूरा मध्य प्रदेश उपेक्षित है वैसे ही मेरा संसदीय क्षेत्र इन्दौर भी उपेक्षित है । मक्सी-इन्दौर-दाहोद जो लाइन है उसके लिए हर साल थोड़ा-थोड़ा बजट बढ़ाया जाता है। गये साल पांच करोड़ रुपये रखे थे, इस साल ग्यारह करोड़ रखे हैं, जबकि यह तीन सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसे ही रूपया देते रहे तो कब तक इसको पूरा करेंगे, तीस या पैंतीस साल लग जायेंगे । मेरा निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना चाहिए । इस बार इसके लिए जो रूपये का प्रावधान रखा है वह ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है।

इन्दौर से खण्डवा अजमेर लाइन 108 साल पुरानी है, इस पर आजादी से पहले भी ध्यान नहीं दिया गया और आपके राज के चालीस सालों में भी इस पर कोई फिक्र नहीं की गई । इसमें सुधार की आवश्यकता हैं । यह एक महत्वपूर्ण ट्रैक है, लेकिन इसको सुधारने के नाम पर कोई प्रयास नहीं हुआ है । गये साल भी मैंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था । लेकिन लगता है कि बार-बार मंत्री बदलते जाते हैं, सरकारें बदलती जाती हैं और इसीलिए जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्री भले ही बदलें, लेकिन कागज और योजनायें अपनी जगह रहें और उस पर ध्यान दिया जाये और सुधार किया जाये।

रेल के माल और यात्री किरायें में भी वृद्धि की गई है । यह वृद्धि करते समय जरूर कहा गया कि यह कम है । यह दिखने में कम है, पेपर की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गत तीन साल से थोड़ा-थोड़ा करते हुए चालीस प्रतिशत वृद्धि एक प्रकार से हो गई है । यह भी कहा गया है कि यात्री और कुछ माल भाड़े में जो वृद्धि की गई है उसका असर नहीं पड़ेगा । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इसका जनता पर असर पड़ेगा इसका महंगाई पर विशेष सर्कुलर रहता है और चीजें जो आपने निकाल दी हैं, उसके बावजूद असर पड़ेगा । इसलिए उनकी भी दरें बढ़ेंगी । हो सकता है दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हों, लेकिन वास्तव में देखा जाये तो हमारे यहां व्यक्ति की जान की कीमत ही कम है, उसकी कमाई अन्य देशों की तुलना के मुकाबले कहीं कम है । आपने सहूलियत तो दी धेले की, लेकिन वृद्धि की रूपये की । तो यह भी गरीब देश के व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा है । मैं इसका विरोध करती हूं ।

मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से भी देखें तो एक प्रकार से वह उपेक्षित ही रहा है, उसकी तरफ भी आप थोड़ा-सा ध्यान दें । बम्बई से एक नई गाड़ी चलाई गई है, राजधानी जैसी है उसका पूरे मध्य प्रदेश में कोई स्टाप नहीं है, राजधानी का रतलाम में स्टाप है, लेकिन हमने कहा कि इसका रतलाम में नहीं तो नागदा में स्टाप दें, मेरा निवेदन है कि इसका भी मध्य प्रदेश में स्टाप होना चाहिए ।

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : सभापति महोदय, यह रेल का बजट है और इस बजट को जिस प्रकार से रेल मंत्री लाये हैं, एक कहावत है कि सोना लूटा जाता है और कोयले पर छापा पड़ता है । मंत्री महोदय रेल में द्वितीय क्लास के टिकट का पैसा बढ़ाकर गरीबों के ऊपर यह बोझ डाल रहे हैं । मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूं कि निचले स्तर के रेलवे के बारे में आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है । मैं रेल का एक साधारण कर्मचारी था जो निचले स्तर पर रु० 52 प्रतिमाह के हिसाब से सन् 1966 से 1969 तक काम किया है आसनसोल डिवीजन में । अगर आप रेल में सुधार करना चाहते हैं तो इन चीजों को छोड़कर जो बड़ी-बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, रेल का जो बड़ा कांट्रेक्ट होता है, सामान को इधर-उधर ले जाने में होती है, उसपर अगर आप कंट्रोल करें तो यह सब ठीक हो सकता है ।

दूसरी बात, हर स्टेशन पर जो क्लेम होता है, हर साल आपको सामान का बहुत ज्यादा क्लेम (भुगतान) देना पड़ता है, इस सब में रेल के बुकिंग वाले मिलकर करते हैं । सामान दस नग आया, चोरी होता है एक पीस और उसका क्लेम दस पीस पर किया जाता है ।

इस प्रकार आपका आर०पी०एफ० है जिसका नाम "राशन पानी फ्री" है । यह जरूरी है कि वहां इनको ऐसे काम करने से रोकने का प्रयास करें तो सुधार हो सकता है । सभापति महोदय, हम आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन समय की कमी के कारण पूरी बात की बजाय यह कहूंगा कि इस सब का भ्रष्टाचार जड़मूल में है । रेलवे बोर्ड के अन्दर जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने वाले कौन हैं, इस सदन के मैम्बर नहीं है लेकिन ऐसे लोग हैं जो रेलवे बोर्ड से सांठ-गांठ करके ऊंची कीमतों पर उन सामानों की आपको पूर्ति करते हैं ।

सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद रेल की बुनियादी चीजों में सुधार नहीं हुआ है और जहां से मैं आता हूं, वहां की जनता बहुत दुखी है । हमारे क्षेत्र से देश का 45 प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है, यह झारखण्ड का इलाका है जहां से ढुलाई का काम करते हैं लेकिन देश की

10—189 एल० एस० एस०/एन०डी०/91

आज़ादी के बाद एक इंच भी रेल का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं किया गया है । जिस समय हमारा जन्म हुआ था, उस समय से आज तक केवल वही पैसेंजर ट्रेन चलती रही है जिसपर आज भी हमें चढ़कर अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है, उसमें कोई तबदीली नहीं हुई है । आप देश में उन क्षेत्र में रेलगाड़ियां चलाते हैं, जहां पहले से अधिक हैं । चाहे एअर कंडीशंड हो, शताब्दी हो या सुपर फास्ट हो लेकिन साधारण जनता और गरीब लोगों के लिए कोई गाड़ी नहीं चलाते हैं । हमारे क्षेत्र में इतनी कम गाड़ियां हैं लेकिन कलकत्ता चले जायें या किसी बड़े स्टेशन पर तो बरसात के दिनों में जिस तरह से कीड़े-मकौड़े निकलते हैं, हावड़ा स्टेशन पर वैसे ही लोग निकलते हैं । आसनसोल-बर्द्रवान लाइन का निर्माण नहीं किया गया । हमारे 20 कि०मी० के क्षेत्र में पहाड़पुर-राजमहल हैं जहां से चाईना क्ले वहां से मिलती है उसे ले जाने के लिए आप रेलवे लाइन का नलमटिया से फरक्का तक निर्माण करें । आप इससे ज्यादा और क्या करेंगे कि मात्र 88 किलोमीटर रेल लाईन का निर्माण भी आज तक आपने नहीं किया । उसमें 80 किलोमीटर हमारे संथाल परगना की जमीन पड़ती है । और 8 किलोमीटर बंगाल का इलाका पड़ता है । आपने रेलवे का आफिस भी हमारे यहां न बनाकर मालदा में जाकर बनाया । संथाल परगना के 80 किलोमीटर भाग में जिन लोगों की जमीनें गयीं, उनमें से एक भी आदमी को आपने नौकरी नहीं दी और सारी सुविधाएं मालदा में ले गये । जब गनीखां चौधरी साहब रेल मंत्री बने तो उनके समय में मालदा में रेलवे डिवीजन बन गया । हमारे क्षेत्र में स्थित मधुपुर से लोको शेड उठा दिया गया और गनीखां चौधरी साहब के रेल मंत्री बनते ही वहां रेलवे का लोको शेड बन गया । जब सिंधिया साहब रेल मंत्री बने तो उन्होंने ग्वालियर तक शताब्दी एक्सप्रेस चला दी परन्तु हमारे इलाके की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । जितने रेल मंत्री बने, जगदीश नारायण मंडल तक, किसी ने संथाल परगना की ओर ध्यान नहीं दिया । पहले हमारा दुमका हैड क्वार्टर होता था, बाद में संथाल परगना जिला बन गया, फिर कमिश्नरी भी बन गया, डिवीजन भी हुआ, लेकिन आज तक वहां किसी ने रेलवे का निर्माण नहीं किया, रेलवे का विस्तार नहीं किया। आपने कुल 67 किलोमीटर रेल का निर्माण करना था, जिस का अनुमानित खर्च 27 करोड़ रुपये आंका गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ । अरबों रुपया हमारे यहां से कोयले की ढुलाई या लोहे की ढुलाई से रेलवे को मिलता है लेकिन आप 67 किलोमीटर रेल का निर्माण आज तक नहीं कर सके । हमारे इलाके के लिये आप मात्र 27 करोड़ रूपया नहीं दे पाये । इस कारण रेलों का योगदान हमारे संथाल परगना के विकास में नहीं हो पाया । आजादी से पहले, मन्दार हिल पर एक मन्दिर था, भागलपुर से चढ़कर हजारों लाखों लोग उस मंदिर में दर्शनों ले लिये जाते थे, देवी पर माथा टेकने के लिये, इसलिये आपने मन्दार हिल तक तो रेल का निर्माण कर दिया लेकिन उससे आगे 20 किलोमीटर की दूरी पर गोड्डा हैडक्वार्टर तक, जहां से मैं जीत कर आता हूं, आजादी के बाद अभी तक आप रेलवे का एक्सटेंशन नहीं कर पाये हैं जबकि वहां की जनता की बहुत समय से मांग है ।

आप जानते हैं कि हमारा संथाल परगना कोयल, लोहा और चाइना क्ले आदि खनिज संपदा का भण्डार है लेकिन वहां कोई उद्योग क्यों नहीं लगता । उद्योग न लगने के कारणों में, एकमात्र कारण यह है कि वहां यातायात के साधनों का अभाव है । जो भी उद्योगपति वहां जाता है और सामान की ढुलाई, यातायात की ओर देखता है तो अपना मन बना लेता है कि यहां उद्योग नहीं लगाना । रेलवे का विस्तार वहां आज तक नहीं हो पाया है । मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वर्ष 1987 में इसी सदन में आपने माननीय सदस्य श्री सलाहुद्दीन अंसारी के प्रश्न संख्या 1380 के दिनांक 5-3-1987 को दिये उत्तर में जो आश्वासन दिया था कि संसाधनों के उपलब्ध होने पर, पैसे की व्यवस्था करके आप रेल का निर्माण करायेंगे, उसे पूरा कीजिये । एक सर्वे कमेटी भी बनी थी,

रेल लाओ समिति भी बनी थी, तत्कालीन माननीय सदस्यों के नेतृत्व में, उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है परन्तु आज तक उस रिपोर्ट के आधार पर कोई पग नहीं उठाये गये, कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

आखिर कब तक आप संथाल परगना में रेलवे का निर्माण करेंगे, विस्तार करेंगे, यह मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं । जो आदमी ज्यादा चिल्लाता है, हल्ला मचाता है, आन्दोलन करता है, उसके यहां रेलवे का निर्माण करेंगे या उस व्यक्ति तक रेलवे की सुविधा पहुंचायेंगे जो गरीब हैं, निरीह है । आज 70 परसेंट ट्राइबल आधा पेट खाता है, आधे कपड़े पहनता है । कब तक आप संथाल परगना मुख्याल तक रेलवे लाईन का निर्माण करने जा रहे हैं । करेंगे भी या नहीं । यदि आप वहां रेलवे लाईन का निर्माण नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताने के लिये आया हूं कि वहां के लोग आपको कोयला, लोहा आदि बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे । रेलों को भी जाम कर सकते हैं । आप जानते हैं कि संथाल परगना में एस.पी. माइन्स का कोयला बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में जाता है, दूसरी कई जगह जाता है परन्तु एस.पी. माइन्स में रेल न रहने के कारण, साइडिंग न होने के कारण, उस कोयले की ढुलाई ट्रकों के जरिये करके, कोयला बंगाल में सालानपुर यार्ड तक ले जाया जाता है । कोयले का उत्पादन एस.पी. माइन्स में होता है लेकिन उसकी बिक्री का सेंटर सालानपुर को दिखलाया जाता है, जो बंगाल में है । इस तरह बिहार सरकार को सेल्स टैक्स भी नहीं मिल पाता है, जो उसे मिलना चाहिये क्योंकि उसकी सेल बंगाल में दिखायी जाती है । इस तरह लाखों रुपये का नुकसान वहां की सरकार को होता है । विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर ईस्टर्न कोल फील्ड के लिये पहले पी. डब्ल्यू. आई. की साइडिंग होती थी, जिस साईडिंग पर उनका सामान उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था, लेकिन आज वह साईडिंग भी काम में नहीं आती है । ई.सी.एल. के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैंने उनको लिखा था और जब मैं बिहार विधान सभा का सदस्य था, तो एम.एल.ए. के रूप में भी मैंने उस समय के रेल मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस साहब को लिखा था, लेकिन उन्होंने मुझे लिखा कि वह साइड देना उचित नहीं है । इस प्रकार से कम खर्च में जो साइडिंग बन सकती थी, ढुलाई हो सकती थी वह साईडिंग नहीं बन सकी । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने यानी ईसीएल ने 2 करोड़ रुपये रेलवे की माइर्नाइजेशन के लिए रखा, लेकिन जीप खरीदने का एस्टीमेट भी उसमें मिला दिया गया और साइडिंग बनाने के काम को टाल दिया गया फिर ईसीएल मुकर गया कि इतनी लागत से हम साइडिंग नहीं बनाएंगे । वह साईडिंग नहीं बनाई और आज आपको 66 कि.मी. ट्रकों पर लादकर कोयला सलामपुर ले जाना पड़ता है । एस पी माइन्स से विद्यासागर रेलवे स्टेशन सिर्फ 24 कि.मी. पड़ता है और अगर आप मधुपुर से विद्यासागर रेलवे लाइन का निर्माण करें, वहां से दुमका ले जाएं, पलास स्थली गुरू, जो वहां कोयले की खदान हैं, वहां ले जाएं उसके बाद सीम लौंग पड़ता है, इस प्रकार यदि आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा । राजमहल से आप कोयला ट्रकों पर लादकर फरक्का ले जाते हैं । इस प्रकार से वहां पर रेलवे लाइन की बहुत जरूरत है । यदि यह रेल लाइन बन जाती है, तो आपको ढुलाई से पैसे भी मिलेंगे और जनता का विकास भी होगा । इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से वहां रेलवे लाइन बनाकर वहां के लोगों को सुविधा देनी चाहिए ।

दूसरी बात महोदय, संथाल परगना के हैडक्वार्टर रांची के बारे में, मैं कहना चाहता हूं । वहां सारे बिहार के विकास के कार्यालय हैं, लेकिन संथाल परगना के लोगों के लिए रांची जाने के लिए ट्रेन नहीं है । यहां आपके ये सब ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हैं । जब हमने रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिखी

तो जवाब आ जाता है, आपकी रिजीम में वह जवाब नहीं आया है, आपसे पहले की रिजीम में जवाब आया था । मंत्री जी लिखते हैं कि मैंने अफसरों से जांच करवाई है, यह संभव नहीं हैं । हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को सरकारी पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि की लिखी हुई बातों पर ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

महोदय जसीडीह से रांची के लिए शाम के समय एक ट्रेन का चलना बहुत जरूरी है । आज आपने दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानियों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन और शताब्दी एक्सप्रैस चला रखी हैं । ग्वालियर, जयपुर आदि सभी राजधानियों के लिए सुपर फास्ट ट्रेन चला रखी हैं, लेकिन बिहार की एक प्रकार से राजधानी ही कहें, रांची के लिए दिल्ली से कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है । आप वहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा ही नहीं देना चाहते हैं, कैसे बिहार का और उस क्षेत्र का विकास होगा । एक मात्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, जो चंडीगढ़ से चलती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, खजुराहो-सिंगरौली होते हुए फिर घूमकर रांची जाती है और 3 दिनों में वह ट्रेन पहूंचती है । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि दिल्ली से रांची के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन देनी चाहिए । इसी के साथ यह निवेदन भी है कि पटना और मुगलसराय से लेकर हावड़ा तक के बीच के स्थानों पर कई जगह पैसेंजर ट्रेन की मांग है वे चलनी चाहिए, तभी जाकर, जो साधारण यात्री हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको सुविधा हो सकती है ।

महोदय, माल की ढुलाई और बिना टिकिट यात्रियों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं । इसी प्रकार से रिजर्वेशन के सम्बन्ध में भी बहुत शिकायतें हैं । अब मैं रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहता हूं । पटना रिजर्वेशन ऑफिस पर जाकर आप देखिए, कितनी गड़बड़ी है । वहां ए. बी. सी. डी. नाम से रिजर्वेशन हो जाता है । एक दिन मैं हावड़ा स्टेशन के लिए टिकिट लेने जा रहा था । वहां एक आदमी खड़ा रहता है, वह ऐसे लोगों से जो टिकीट खरीदतें हैं, उनसे पूछता है कहां का रिजर्वेशन कराना है । उसने मुझसे भी पूछा, मैंने कहा—कहां का रिजर्वेशन दोगे, वह बोला जहां का चाहिए वहां का आपको अभी रिजर्वेशन देता हूं । बुकिंग आफिस में उनकी सांठगांठ होती हैं । उनको 25 रूपये दे दीजिए, तो आपको जिस ट्रेन की टिकिट चाहिए, वह मिल जाएगी और ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन मिल जाएगा । आप स्टेशन पर जाइए, जो टिकिट लेकर जाते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा । कंडक्टर सरदारजी को देख लेगा, तो सरदार जी वहीं दूर से ही हाथ से इशारा कर देंगे और वह कंडक्टर उनको ए.सी.टू टायर में आराम से बैठाकर ले जायेगा । पटना रिजर्वेशन ऑफिस का भी यही हाल है । एम.एल.ए. को ऊपर वाली सीट दें देंगे और पैसे देने वाले को नीचे की सीट पर सुलाकर ले जाएंगे । इन चीजों को आप देखिए । बिना टिकट चलने वालों को ज्यादा सुविधा हैं । रेल मंत्रालय, आपके सरकारी कर्मचारी यह आदत डाल रहे हैं कि लोगों को टिकट लेकर चलने से कम सुविधा मिलती है । इसलिए टिकट लेना बन्द हो रहा है और टिकट लेकर न जाइए तो रेल में ज्यादा सुविधा मिलती है, पैसेंजर को बर्थ मिल जाती है इसलिए वह कन्डक्टर को पैसा देकर सीट ले लेते हैं । इन चीजों में सुधार करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और अपने भाषण में मांग करता हूं कि सरकार संथाल परगना जसीडीह दुमका और गोड्डा रेलवे लाइन का निर्माण करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं रेलवे बजट पर चर्चा करने के लिये मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ खड़ा होता हूं। माननीय रेल मंत्री को इस बात के लिये बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि रेल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि न हो तथा रेलवे प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये कुछ कदम उठाये जाने का प्रस्ताव तथा रेल कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कदम उठाये जाने का प्रस्ताव भी किया है। परन्तु दूसरी ओर मैं बहुत ही भ्रम में पड़ गया हूँ कि यह बजट कुछ नहीं बल्कि यथास्थिति बनाये रखने वाला है इस बजट में गतिशीलता नहीं है जो श्री जाफर शरीफ जैसे मंत्री के स्वभाव को देखते हुये अपेक्षित थी। हो सकता है ऐसा कारण हो कि उन्हें देश की स्थिति को देखते हुये परिस्थितिवश दबाव में आना पड़ा हो क्योंकि आर्थिक स्थिति की विषमतायें तथा अन्य कठिनाइयां हैं जो उनके नियन्त्रण के बाहर है।

परन्तु मुझे और अधिक भ्रम है, कहना चाहिये कि निराशा है कि रेलवे का रूख मेरे गृह राज्य केरल के लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, विशेषकर मालाबार क्षेत्र के प्रति। मुझे नहीं पता कि रेलवे का उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों है? रेलवे को मालाबार क्षेत्र के साथ अपने लम्बे अर्से के सम्बन्धों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रेलवे की शोरूवण्णूर से मंगलोर तक जाने वाली शताब्दी पुरानी रेल लाइन वहां से गुजरती है। परन्तु मुझे अफसोस है कि रेल मंत्री के बजट भाषण में उस क्षेत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तथा शोरूवण्णूर से मंगलोर तक की रेल लाइन की दोहरा रेल लाइन में बदलने का भी कोई जिक्र नहीं है। इन क्षेत्रों में डिब्बे भी शताब्दीयों पुराने है। ये डिब्बे इस बात का सबूत हैं कि यह रेलवे एक शताब्दी पुरानी है। यदि आप रेलवे का इतिहास देखना चाहे तो और हमारी रेलवे एक शताब्दी पुरानी है तो यह अच्छा होगा कि हमारे क्षेत्र के रेलवे डिब्बे देखें।

आप रेलवे संग्रहालय क्यों नहीं बनाते हैं जिसमें कम से कम इन डिब्बों को रखा जा सके जिनकी प्रतिकृति एक शताब्दी पुरानी है? आप हमारे क्षेत्रों में ये पुराने डिब्बे क्यों रखते हैं? अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह रेलवे अधिकारियों को निर्देश दें, कि कम से कम मालाबार क्षेत्र के लोगों को देश का साधारण नागरिक समझा जायें जो वही किराया दे रहे है जो अन्य क्षेत्रों के लोग देते हैं।

हम नई रेल लाइन तथा नई परियोजनाओं एवं गाड़ियों से वंचित हैं। क्या रेलवे के पास केरल के लिए परियोजनाओं में केवल एक ही परियोजना है जो कायनकुलम से अल्लेप्पी अथवा त्रिचूर से गुरुवायूर तक हैं? रेलवे ने प्रस्तावित कट्टीपुरम से गुरुवायूर तक की रेल लाईन पर काम क्यों नहीं शुरु किया है? यदि कट्टीपुरम से गुरुवायूर तक की रेल लाइन पर काम शुरू हो जाता है तो वह मालाबार के लोगों के लिये बहुत लाभकारी होगी। इससे इस उपेक्षित क्षेत्र को सहायता मिलेगी।

दूसरा मामला जो मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं वह मालाबार विशेषकर इर्नाड क्षेत्र से संबंधित है जिसने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई रेलवे नहीं है तथा केवल एक ही रेल लाईन है। परन्तु नीलाम्बर-शोरनूर रेल लाईन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं पायी गई है। परन्तु मुझे यह कहते हुये खेद है कि रेलवे ने इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद और सक्षम नहीं बनाया है। लोग उस रेल लाइन को

विशेषकर रविवार वाले दिन प्रयोग करना चाहते हैं। रेलवे ने यह विशेष रूख अपनाया है कि रोजाना दो गाड़ियों के चलने के बजाये रविवार को केवल एक गाड़ी चलेगी। यदि इस लाइन पर नई गाड़ियाँ चलायी जाती हैं, तो वह और अधिक व्यवहार्य होगा और है। वारास्ता होकर नीलाम्बर से कालीकट तक की रेल गाड़ियाँ चलाना संभव हो सकेगा अथवा शोरूवण्णुर से होकर नीलाम्बूर से अल्लेप्पी तक रेल गाड़ियाँ चलाना संभव होगा।

अत: संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे ने शायद इस क्षेत्र की पूरी तरह से अवहेलना की है। तथा उस सेक्शन में सुधार करने के लिये जो प्रावधान किया गया है वह केरल के लिए अत्यधिक अपर्याप्त है। त्रिवेन्द्रम से क्वीलोन दोहरी लाइन बिछाने के लिए बजट में केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि उसके लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान करना आवश्यक है तथा केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण बिल्कुल भी नहीं किया गया है।

अत: मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र, विशेषकर मालाबार क्षेत्र, के विकास के लिए कुछ और ध्यान दिया जायें। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक नई लाइन का निर्माण करें जोकि छोटी है परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लाईन नीलाम्बर से फेरोक तक वारास्ता मंजेरी है। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे। एक ओर नीलाम्बर लाइन को आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जायेगी। दूसरी ओर रेलवे इन लोगों की अच्छी सेवा कर सकेगी जिन्होंने अर्नाड क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम में महान त्याग किए थे।

अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि नई रेल लाइन के लिए समुचित कदम उठाये जाये। वह लाइन सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जैसे मावूर तथा मंजेरी। अत: मैं इस अवसर मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि पूरी शक्ति के इस नई लाइन, अर्थात् वारास्ता मंजेरी होते हुये जाने वाली नीलाम्बर-फेरोक रेल लाइन को बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

दूसरी बात जो मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं तथा उनके माध्यम से उनके विभाग की जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह है कि रेलवे के पास जो संसाधन उपलब्ध है उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। रेलवे को यथा सम्भव उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो रेलवे के क्षेत्राधिकारों में हो।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शोरूवण्णूर की त्रिकोणीय भूमि का उपयोग किया जो चारों तरफ से मंगलोर से त्रिवेन्द्रम तथा मंगलोर से मद्रास तक की लाइनों को जोड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा मैं कहूंगा कि यह वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका उपयोग रेलवे द्वारा रेल प्रचालन तथा वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उपयोग किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि माल भाड़े में की जाने वाली वृद्धि, जिसका प्रस्ताव मंत्री महोदय ने किया है, वह मेरे अनुसार केरल जैसे राज्य के लिये वहन करना बहुत मुश्किल है। केरल उपभोक्ता राज्य है। हमें सब कुछ दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। परन्तु वस्तुस्थिति क्या है? मंत्री महोदय के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि केवल 10 प्रतिशत है। यह सही है कि यह केवल 10 प्रतिशत है। परन्तु 1989–90 में वृद्धि 11 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक थी।

3.00 म०प०

1990–91 में पुनः 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब फिर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की गयी है। अतः तीन साल के दौरान माल भाड़े में करीब 38 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। केरल जैसा छोटा राज्य इस वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकता है हमें अभी कच्चा माल जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात तथा कोयला दूर दराज के क्षेत्रों से लाना पड़ता है। अतः हमारे राज्य के छोटे उद्योग माल भाड़े में की गई वृद्धि के कारण बढे हुए इस अतिरिक्त मूल्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जोकि माल भाड़े की वृद्धि के कारण है। अतः सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह वृद्धि 38 प्रतिशत हैं 10 प्रतिशत नहीं जिसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

मैं कर्मचारियों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। विशेषकर निम्न श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की दशा सुधारने के मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरणार्थ रनिंग भत्ते का प्रावधान है। रनिंग भत्ता चालकों तथा गार्डों को दिया जाता है। माल ले जाने वाले लड़कों तथा टी०टी०ई० के बारे में क्या व्यवस्था है। उन्हें बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि रेलवे का यह विचार है कि यह उन लोगों को दिया जाता है जो रेल गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेलवे के स्टेशन मास्टरों ने न्यायालय में एक याचिका दायर की है। और यह कहा था कि वे भी रेल गाड़ियां चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु फिर रेलवे का यह दृष्टिकोण था कि रेल गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है तथा केवल इंजन के चालक और गार्ड ही जिम्मेदार हैं .... **(व्यवधान)**

रेल मंत्री श्री सी०के० जाफर शरीफ : जबसे चर्चा शुरू हुई है, मैं सबकी बात सुन रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों के विचारों की सराहना करता हूं तथा अधिक आबंटन, क्षेत्रीय विकास, यात्री सुविधायें, कर्मचारियों का कल्याण आदि के बारे में अनेक विचारों से सहमत हूं। परन्तु मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वे माल भाड़े और यात्री किराये के बारे में मेरी सहायता करें तथा मुझे बताएं कि वे मुझसे उसे बढ़ाने या घटाने की अपेक्षा करते हैं।

श्री ई० अहमद : मैं इस मामले में मंत्री की चिंता की सराहना करता हूं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि निम्न श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं और मुद्दे नहीं उठाना चाहता हूं क्यों कि अन्य सदस्य ऐसा करने के इन्तजार में हैं।

यह स्वाभाविक है कि रेल मंत्री के सामने आनेवाली समस्यायें पेचीदी हों। भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश हमारे देश में तीन श्रेणियों के मंत्री हैं। प्रथम श्रेणी के मंत्री "जी हां कहने वाले मंत्री" हैं। उदाहरणार्थ विकास के प्रभारी मंत्री। उद्योग मंत्री "नहीं" नहीं कह सकते हैं। वाणिज्य के प्रभारी मंत्री 'नहीं' नहीं कह सकते हैं। दूसरे श्रेणी के मंत्री "जी नहीं कहने वाले मंत्री" हैं। वे "हां" नहीं कह सकते हैं। उदाहरणार्थ वित्त मंत्री "हां" नहीं कह पायेंगे क्योंकि उन्हें अतिरिक्त भार सहन करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी के मंत्री "परकलम मंत्री" हैं। स्व० श्री कामराज इस "परकलम मंत्रियों" की श्रेणी में आने वाले प्रथम मंत्री थे। मैं रेल मंत्री को भी इस "परकलम मंत्री" की श्रेणी में रखता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष हमारे रेलवे मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट आज की अर्थव्यवस्था में रखा है, वह मामूली बचत वाला बजट है।

इस बजट में कुछ नई परियोजनाएं और कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का उन्होंने जो प्रयास किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान से, हिन्दुस्तान के हर कोने से मांग उठ रही है—रेल लाइन बिछाओ और पिछड़ापन भगाओ। उस दृष्टिकोण से रेलवे लाइन बिछाना और रेलवे लाइन का लाना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक भावनात्मक प्रश्न भी हो गया है। इस बजट में जहां-जहां रेलवे मंत्रीजी ने नई रेल लाइन लाने का और कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का जो प्रस्ताव रखा है, वह उस क्षेत्र के लिए ठीक होगा, लेकिन छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का या नई रेलवे लाइन बिछाने का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। अब तक यह देखा गया है कि जहां भी राजनीतिक जोर या पोलिटिकल जोर होता है, वहां नई रेलवे लाइन लाई जाती है या वहां छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पिछड़ा और अत्यावश्यक होने के बावजूद जहां से कुछ मांग नहीं हुई या जहां के लोग खामोश रहे, उनकी हमेशा उपेक्षा हुई और इसी उपेक्षा का शिकार हमारा विदर्भ क्षेत्र हुआ है। लगातार हर बजट में यह आशा के साथ की इस बार हमारी मांग मंजूर होगी, हमें कुछ रेल लाइनें दी जाएगी, छोटी रेलवे लाइन का कन्वर्जन होगा, अगले साल हो जाएगा, लेकिन पिछले साल की तरह अगला साल भी निकल गया, उसका प्रारूप हमें इस बजट में देखने को मिला है। हमें जाफर शरीफ साहब से बड़ी आशा थी, इसलिए कि हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है, लेकिन उन्होंने इस साल भी हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, मैं विदर्भ के उन पिछड़े क्षेत्रों से आता हूं, जैसे भण्डारा, चन्द्रपुर और गडचिरोली। यह परम्परागत आदिवासी क्षेत्र हर दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में अंग्रेज डेढ़ सौ साल राज कर गए, उनको हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र नजर आया, उनको वहां पोटेंशियल नजर आया, वहां कोयला हैं, वहां थिक फौरेस्ट है, वहां राइस होता है, वहां बांस होता है जो पूरे हिन्दुस्तान में जाता है। शायद इसलिए वहां की जो बैकवर्डनेस है, जो रिच-फारेस्ट है, जिसको आमदनी में बदलने की बड़ी पोटेंशियेलिटी है, वहां उस जमाने में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन लगाई और आज उसको सौ साल हो गए हैं। लेकिन वह पोटेंशियेलिटी हमारे रेलवे मंत्रालय को कभी नजर नहीं आयी और जब-जब भी हमने उस रेलवे लाइन को कन्वर्ट करने की लगातार मांग की है, उस तरफ हमारे रेलवे मंत्रालय का ध्यान नहीं गया। मैं लोकसभा में तीसरी बार चुनकर आया हूं और दस साल से लगातार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि चन्द्रपुर, गोंदिया और जबलपुर—चन्द्रपुर-गोंदिया नैरो गेज 242 किलोमीटर की रेलवे लाइन है—इसको कन्वर्ट करने की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन हर बार हमें यह कह दिया जाता है कि रिसोर्सेज कम हैं, आपको आठवीं योजना तक इन्तजार करना पडेगा। हम आठवीं योजना के कगार पर पहुंच गए है और अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

3.08 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं, सभापति महोदय, यह भी कहूंगा कि वह पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी डोमिनेटेड क्षेत्र है, वहां कोई भी उद्योग नहीं लगता है, महाराष्ट्र में गढ़चिरोली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जो नो इन्डस्ट्री-डिस्ट्रिक्ट है। लगातार छः-आठ साल से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट दोनों की ओर से कई प्रकार की रियायतें, कन्सैशन और सबसीडी देने के बावजूद भी कोई भी बड़ा उद्योगपति वहां उद्योग लगाने नहीं आया है। इसलिए रेलवे लाइन के अभाव में कोई भी उद्योगपति उस क्षेत्र में कितने भी बैनिफिट रहे हो, जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी औद्योगिकरण न बढ़ने की वजह से, उस आदिवासी क्षेत्र में आन्दोलन हो रहा है, युवा वर्ग में असन्तोष व्याप्त है। वह आन्दोलन अब नक्सलाइट ग्रिड में चला गया है। अभी तीन-चार दिन पहले मैंने लोकसभा में नक्शलवादी गतिविधियों जो मेरे क्षेत्र में बढ़ गई हैं, उस दिशा में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। वहां कोई भी सुविधा न होने की वजह से, कोई दिशा न होने की वजह से और वहां के रिसोर्सेज का प्रापर तरीके से यूटिलाइजेशन न होने की वजह से वहां प्राब्लेम बढ़ रही है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह रेलवे लाइन से हमारी भावना का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, उसको कन्वर्ट करने की वे कोशिश करेंगे। इस दिशा में मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब माधव राव सिंधिया जी रेल मंत्री थे, मैंने उन से मिल कर इस बारे में मांग की थी। और उन्होंने अपने अधिकारियों से उस दिशा में कुछ प्रस्ताव लाने के लिए कहा था। प्रस्ताव जब आया तो यह कह कर उत्तर मिला कि इस रेलवे लाइन पर जो पैसेंजर ट्रैक है, उसमें पैसेंजर बैठते ही नहीं। उन्होंने आठ दिन का मुझे रेवेन्यू दिया। इस आठ दिन में केवल 336 रुपया इस रेलवे ट्रैक से प्राप्त हुआ। मैंने मंत्री महोदय को 8 दिन के भीतर वहां जो रेलवे चलती है उसके फोटोग्राफ्स लाकर दिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस ट्रेन में जो पैसेन्जर बैठे थे, डिब्बों के अन्दर, लेकिन उससे ज्यादा डिब्बों के ऊपर भी पैसेन्जर बैठे थे। जब कि रेलवे मंत्रालय की ओर से मंत्री महोदय के पास उत्तर आया था कि रेल में ज्यादा लोग नहीं चलते हैं। उसके बाद टिकटलेस यात्रियों के खिलाफ जो कम्पेन किया गया था उसमें रेलवे को हजारों रुपए प्राप्त हुए। जब उनको यह बताया गया था तब उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि यहां टिकट के बिना लोग यात्रा करते हैं और उसको रोकने की आवश्यकता है।

हम बैकवर्ड रिजन, ट्राइबल रिजन और डाउन ट्राडन के लिए ज्यादा कमिटेड हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस दिशा में आप देखेंगे ये जो रूट हैं चन्द्रपुर से गोंदिया रेलवे लाइन को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते, तब तक लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहां जो रेल गाड़ी चलती है वहां तक लोगों को दूर तक जाना पड़ता है और माल भी वहां से भेजने के लिए जैसे—चावल, चटाई और कोयला वहां से ढुला कर ले जाना पड़ता है और वहां के लोगों की मांग को जब तक आप पूरा नहीं करते, जो चन्द्रपुर से वड़सा तक आपकी ट्रेन आती है उसको आप सोंदड तक आगे कराइए। दूसरा नागपुर से उपरेड तक बड़ी रेलवे लाइन हो, क्योंकि वहां कोयला होता है और थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला जाता है, वहां तक आपकी बड़ी लाइन आई है। अगर उसी लाइन को आप उमरेड से वड़सा तक जोड़ देते हैं, जो केवल 80 कि०मी० है तो मैं समझता हूं कि चन्द्रपुर और गढ़चिरोली जिले की जो नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट का एक बैनिफिट लोगों को उपलब्ध है वह बेनिफिट लेने के लिए उद्योगपति वहां आ सकते हैं।

इस बजट में आपने जो विदर्भ और नागपुर, जो हमारे हिन्दुस्तान के सेन्टर में है। जहां पर हिन्दुस्तान के लोगों का आवागमन होता है, लेकिन आपने नागपुर की बड़ी उपेक्षा की है, पिछली बार आपने नागपुर से दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन और बम्बई के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन जरूर शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन इस बजट में हमें बड़ी निराशा हुई कि इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। जब कि लगातार हमको आश्वासन मिले। अक्सर नागपुर और विदर्भ की उपेक्षा क्यों होती है इसका पता हमें नहीं चला, लेकिन मैं आपसे कहुंगा कि हमें बार-बार आश्वासन मिले कि नागपुर और विदर्भ की उपेक्षा नहीं होगी।

मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि नागपुर इन्डस्ट्रियल एरिया है जहां डिफेंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं। करीबन 10 हजार लोग वहां काम करते हैं और एक मांग बड़े जोरों से चल रही है कि नागपुर मध्य से आप अंबाझरी डिफेन्स फैक्ट्री तक एक लोकल चलाइए। नागपुर महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है और डेवलपिंग शहर है इसलिए वहां तो लोकल चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भंडारा से जवहरनगर और सर्वत्रनगर, जो हमारी दूसरी डिफेन्स फैक्ट्री है वहां से करीब 8 से 10 हजार लोग काम करते हैं वहां भी एक लोकल ट्रेन चलाने की मांग है, इसको भी आप चलाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि विदर्भ, जो एक बड़ा डेवेलपिंग एरिया है और वहां पर जो बैकवर्ड एरिया है, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। चन्द्रपुर से गोंदिया जो रेलवे लाइन है, अगर आप इसके लिए कोशिश करते हैं तो नेशनल हाइ वे का करीबन 60 से 70 कि०मी० का जो अन्तर है वह कम होगा। जिससे भाडे में कमी होगी और वहां का आवागमन बढ़ेगा।

इसलिए मैं बार-बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और बाकी छोटी-मोटी मांगें हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इस बार आप विदर्भ और विशेष कर मेरे क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० वसंत पवार (नासिक) : सभापति महोदय, मैं रेल बजट तथा अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा होता हूं।

रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा है। यह एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरे नंबर पर है अतीत में भारतीय रेल की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। परन्तु पिछले कुछ दिनों से यह बहुत तेजी से बिगड़ रही है।

रेल द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगभग दो करोड़ है तथा हाल ही में इसमें 5.17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। मैं रेल मंत्री की इस खराब स्थिति में यह बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसा करता हूं। परंतु मुझे आशा है कि वह उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा यात्रियों के कल्याण पर और अधिक ध्यान दें।

सामान्यतः हमने देखा है कि डिब्बों की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है क्योंकि वे बहुत पुराने हो गये हैं। 1,500 डिब्बों की कमी है तथा वर्ष 1990–91 के दौरान केवल 600 डिब्बों को बनाने की योजना बनायी गई है। मुझे नहीं पता कि इन 2,100 डिब्बों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा, कि नई रेल लाइनों के निर्माण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने पहले ही कहा है कि वे एक कार्य बल की स्थापना करने जा रहे है। भविष्य में रेलवे की योजना तथा आधुनिकीकरण के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है परंतु इसे अभी भी और तेजी से तैयार करना होगा।

चिकित्सक तथा सर्जन होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम रेलों में यात्रा करते हैं तो डिब्बे में रखेवे "फर्स्ट-एड बाक्स" में कोई दवाई नहीं होती है। रेलवे में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी किस्म कि प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है।

जहां तक सुरक्षा उपायों का सवाल है, प्रत्येक मृत व्यक्ति पर रेल मंत्रालय दो लाख रुपए का भुगतान करती है। परंतु इसकी प्रक्रिया बहुत पेचीदी है। संबंधित व्यक्ति को धन प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। इसे आसान बनाया जाना चाहिये।

यदि व्यक्तियों तथा उपकरणों द्वारा गलती होती है तो दुर्घटनायें होती हैं। इसके साथ-साथ पुराने डिब्बों तथा पुराने इंजनों के कारण भी दुर्घटनायें होती हैं। दुर्घटनाओं का भी लोगों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। लोगों को रेलवे में विश्वास होना चाहिए तथा यह महसूस करना चाहिए कि दुर्घटनायें नहीं होंगी। यदि लोगों को विश्वास नहीं होगा तो लोग रेल द्वारा यात्रा करने में हिचकिचाएंगे।

जहां तक समय पालन का सवाल है, गाड़ियां देरी से आ सकती हैं परंतु यात्री नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि शत प्रतिशत समय पालन क्यों नहीं हो सकता है। जोकि वर्तमान नियम न होकर एक अपवाद है। समय पालन न होने के कारण काफी नुकसान है जिसमें लोगों के काम के घण्टों का भी नुकसान होता है। यदि डिब्बे उपलब्ध नहीं है या इनके उपलब्ध होने में 25 घण्टे से अधिक की देरी होती है, तो नष्ट होने वाले सामान जैसे अंगूर, प्याज तथा अन्य फल बर्बाद हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय बर्बादी हैं। अतः मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसानों को नुकसान न हो।

विगत में रेलें सही समय पर चल रही थी। रेल की सीटी सुनकर किसान यह समझ जाते थे कि क्या समय हो रहा है। परन्तु अब ऐसा नहीं है। अतः इस पर भी ध्यान देना होगा।

अभी-अभी मेरे एक मित्र ने रेलवे में भ्रष्टाचार की बात की थी। एक एजेन्सी है, यदि आप उस एजेन्सी के सदस्य बन जाते हैं तो आप बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं और यदि आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो जो भी जुर्माना होता है वह उस एजेन्सी द्वारा अदा किया जाता है। यह जो कुछ चल रहा है एक प्रकार का बीमा है। अतः इसके बारे में भी सोचना होगा। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि बिना टिकट यात्रा करने वाले शत प्रतिशत व्यक्ति पकड़े नही जाते हैं।

रेल मंत्री ने स्थलों के निजीकरण की बात कही है। यह बहुत अच्छा है कि उन्होंने निजीकरण की दिशा में कार्य करना शुरू किया है। मैं समझता हूं। कि यह अच्छा कदम है और इससे रेलवे की कार्य कुशलता में सुधार होगा।

जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है कोंकण रेलवे ने एक व्यवस्था की है परन्तु यह बहुत ही छोटी व्यवस्था है तथा यह पुरा होने में वर्षों लगेंगे। कोंकण क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के लोगों द्वारा यह मांग रखी गयी है। हमें उन्हें इस सुविधा से लम्बे समय तक वंचित नहीं रखना चाहिये। महाराष्ट्र में एक और समस्या है कि रेल लाइनों के नजदीक झुग्गियों का निर्माण किया गया है। रेल लाइनों के निकट झुग्गियों के रहने से मानव जीवन को खतरा होता है तथा इससे रेल गाड़ियों के समय पर चलने में भी बाधा पड़ती

है। महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि झुग्गियों को रेलवे लाइन से 30 फीट की दूरी पर रखा जाये। परन्तु रेल मंत्री ने इससे इन्कार कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने वह भूमि देने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने बाजार दर पर प्रति वर्ष 6.25 प्रतिशत किराया मांगा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक भूमि नहीं दी जा सकती है। झुग्गियों में रहने वाले लोग इतना अधिक 6.25 प्रतिशत किराया प्रति वर्ष देने की स्थिति में नहीं हैं। अतः समाधान यह होगा कि भूमि को एक प्रतिशत किराये पर लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया जायें। केवल तभी रेल लाइनों के निकट झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भूमि मिल सकेगी और गाड़ियां भी समय से चल सकेंगी।

महाराष्ट्र के सी० आई० डी० सी० ओ० ने बेलापुर-मानखुर्द लाइन पर सानपाड़ा स्टेशन के निर्माण के लिए दो-तिहाई खर्च देने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव अभी तक रेल मंत्रालय में ही पड़ा है। अभी तक उसे मंजूरी नहीं दी गई है। मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव की जांच करें।

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, नासिक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगले महीने वहां पर कुंभ मेला लगने जा रहा है जिसमें नासिक और त्र्यंबकेश्वर में देश भर से लाखों लोग आयेंगे। बेहतर परिवहन सुविधाओं के लिए वहां पर विशेष गाड़ियां चलायी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि नासिक रोड़ रेलवे स्टेशन का उन्नयन करके इसे टर्मीनस बनाया जाये। मैं पुणें से नासिक रोड़ तथा नासिक रोड़ से सूरत तक एक नई रेल लाइन का भी प्रस्ताव करता हूं। यह रेल लाइन दो राज्यों तथा दो राज्यों के तीन औद्योगिक शहरों को जोड़ेगी। इससे आदिवासी लोगों को भी फायदा होगा।

जहां तक पंचवटी एक्सप्रेस का सम्बन्ध है, इसमें पहले से ही काफी भीड़ भाड़ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह मनमाड से बम्बई तक एक समानांतर गाड़ी चलायें जो दोनों स्टेशनों से एक ही समय रवाना हो। मैं माननीय मंत्री से वर्तमान गाड़ी में एक विशेष प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाने का अनुरोध करूंगा। मैं जब भी प्रथम श्रेणी में यात्रा करता हूं तो मैं देखता हूं कि डिब्बे में सीट न मिलने के कारण कई लोग खड़े रहते हैं।

नासिक रोड पर आरक्षण के कोटे को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यातायात बढ़ रहा है। नासिक रोड पर कम्प्यूटर से आरक्षण की सुविधा शुरु की जानी चाहिए। नासिक से नासिक रोड रेलवे इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग की अनुमानित लागत 90.28 लाख रुपए है। परन्तु अनुदानों की मांगों में सिर्फ एक लाख रुपये का प्रावधान है। इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। एस० एल० एस० और ट्रैक्शन मोटर फ्रेम की पुनःस्थापना की लागत 2.62 करोड़ रुपये है, परन्तु इसके लिए मात्र 48.27 लाख रुपये का प्रावधान है। इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन मामलों की जांच करें।

मुझे खुशी है कि लासलगांव जहां देश का सबसे बड़ा बाजार, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निफाड़ और ओढ़ा में रेलवे उपरिपुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा होने पर वहां परिवहन सुविधायें बढ़ेंगी तथा इससे किसानों को मदद मिलेगी। येवला तालुका के कुसुमाड़ी गांव में भी रेलवे फाटक की मांग की जा रही है। इस जगह पर कई मौतें हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि येवला तालुका के कुसुमाड़ी गांव में वह एक रेलवे फाटक की भी व्यवस्था करें।

मैं अनुरोध करूंगा कि मृत रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए रेलवे स्टाल आरक्षित किये जायें, ताकि वे कुछ कमा सकें और निजीकरण की नीति भी अच्छी साबित हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं रेलवे मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि देश में रेलों के बारे में कुछ अनुसंधान कार्य भी होना चाहिए तथा आम आदमी को रेलवे के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि उन्हें यह लगे कि रेलवे राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा उसे इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए ।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

डा० जयंत रंगपी (स्वशासी जिला) : सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि यह रेल बजट एक बड़ी चालाकी से तैयार किया गया है । यह आम आदमी के हितों के खिलाफ है । यही नहीं, यह कांग्रेस (आई) पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण के भी प्रतिकूल है । कांग्रेस (आई) ने यह घोषणा की थी कि वह सौ दिनों के भीतर कीमतों की वृद्धि पर रोक लगायेंगी । परन्तु इस रेलवे बजट द्वारा उसने खुद ही यात्री किराये तथा माल भाड़ों में वृद्धि की है जिसका मुद्रास्फिति-कारी प्रभाव होगा और इसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी।

फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि सरकार आसाम की जरूरतों पर ध्यान देगी। परन्तु आसाम तथा पूर्वोत्तर के लोगों की काफी दिनों से यह मांग है कि गुवाहाटी से तिनसुकिया के बीच की वर्तमान मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। परन्तु इस मामले पर ध्यान देने में बजट पूर्ण रूप से असफल रहा है । निस्संदेह हम सीमाओं और मजबूरियों को समझते हैं परन्तु समस्या की गम्भीरता तथा सामाजिक आर्थिक समस्या और चिरकालिक मांग को देखते हुए इसे जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी ।

फिर गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के बीच की लाइन सिर्फ आसाम राज्य के लिए ही नहीं है अपितु यह पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम तथा मेघालय के लिए भी आवश्यक है। अतः मुझे उम्मिद है कि माननीय मंत्री पुनर्विचार करे । यह वादा करेंगे कि गुवाहाटी से डिब्रुगढ़ के बीच की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा ।

दूसरे, आसाम के लोगों की एक और चिरकालिक मांग यह है कि रांगिया में एक डिविजनल मुख्यालय हो और प्रशासनिक कार्य सुचारु रूपसे चलने और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की पूरा करने के लिए भी यह आवश्यक है और इस सम्बन्ध में भी रेल बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे उम्मिद है कि माननीय मंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे तथा रांगिया में शीघ्र ही उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत एक डिविजनल मुख्यालय की स्थापना हो जायेगी।

मैं आपका ध्यान एक और मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं एक अत्यधिक पिछड़े अर्थात् आसाम के पर्वतीय जिले का हूं। मैं आसाम के दोनों पर्वतीय जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं। और वहां मुख्यालय डीफू है तथा वहां एक रेलवे स्टेशन भी है। परन्तु नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, तिनसुकिया मेल तथा आसाम मेल जैसी कुछ लम्बी दूरी की रेल गाड़ियां वहां नहीं रुकती हैं। वहां पर सिर्फ एक रेल गाड़ी रुकती है। परन्तु यह दोनों पर्वतीय जिलों का जिला मुख्यालय है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की जांच करे तथा कम-से-कम नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, तिनसुकिया मेल तथा आसाम मेल जैसी लम्बी दूरी की गाड़ियों डीफू में भी रुकनी चाहिए।

फिर कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के प्रति भी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। यहां मैं भ्रष्टाचार के केवल एक पहलू को उजागार करना चाहूंगा। हमारे जिले में सागौन तथा अन्य जंगली उत्पादों की बहुतायत है तथा इनकी तस्करी पिछले कुछ समय से हो रही है। जब स्वशामी जिला परिषद में हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमने कई कड़े कदम उठाए तथा इमारती लकड़ियों तथा मागौन की सड़क के रास्ते होने वाली तस्करी रुक गई। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें ऐसे अनेक मामलों का पता चला है कि लकडी के तस्करी द्वारा लाये गये लकड़ी के लट्ठों और इमारती लकड़ी को वन विभाग तथा जिला परिषद के समुचित दस्तावेजों के बिना रेलवे द्वारा बुक कर दिया जाता है। हमने ऐसे दो-तीन मामलों का पता लगाया है तथा हम डिविजनल रेल अधिकारियों और संबंधित स्टेशन मास्टरों से मिले हैं। उस समय वे कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और जिन्होंने उस बहुमूल्य सागौन लकड़ी को बुक किया था उनकी पहचान भी नहीं कर पाये। फिर हमने इस भ्रष्टाचार संलग्न स्टेशन मास्टरों पर मुकदमा चलाने की कोशिश की। परंतु इसी बीच उनका स्थानांतरण मालेगांव जिला मुख्यालय से कहां और कर दिया गया तथा हम उन पर मुकदमा नहीं चला पायें।

यहां मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे जिले करबी आंग लोंग से इमारती लकड़ी बोकाजान और लुमडिंग रेलवे स्टेशनों से बिना समुचित दस्तावेजों के बुक किया जा रहा है। अतः हमारी कड़ी निगरानी के कारण सड़क मार्ग से तो तस्करी बन्द हो गयी है फिर भी रेलवे में भारी भ्रष्टाचार है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या आप मुझे लिखकर सूचित करेंगे ?

डा० जयंत रंगपी : मैं आपको जरूर लिखकर सुचित करूंगा।

महोदय, मुझे उम्मीद है कि निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से रेलवे में खान-पान तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत निम्न वर्गों के कर्मचारियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैं उम्मिद करता हूं कि उत्तर-पूर्व के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय उचित कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौलबाग) : सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चहता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। रेलवे विभाग का देश की प्रगति और समाज की सेवा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य से आज इस विभाग से न जनता संतुष्ट है, न यात्री संतुष्ट हैं न इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी संतुष्ट है। और न इसका प्रगति में जो सहयोग होना चहिए वह हो रहा है। मैं जानता हूं कि विभाग की इस असफलता में जनाब जाफर शरीफजी का कोई भाग नहीं है। क्योंकि ये तो अभी बनें हैं। विभाग की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, जनता आज इतनी असंतुष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में यह प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाया। यह ठीक है कि जनाब जाफर शरीफ जी इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन जाफर शरीफ जी ने जो रेलवे का बजट प्रस्तुत किया उसमें भी कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं जिससे यह भरोसा किया जा सके कि यह देश का महत्वपूर्ण विभाग जनता की कुछ सेवा करेगा या इस राष्ट्र के विकास के लिए जो अपेक्षायें हैं उनको पूरा कर पायेगा। बल्कि दुर्भाग्य यह है कि जहां जनता को राहत देनी चाहिये थी, माननीय मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है, उसमें किराये को और बढ़ाया है, जहां उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुयें मिलनी चाहिए थीं, वहां माल भाड़े में बढ़ोत्तरी करने से महंगाई और बढ़ जायेगी। इस बजट से

स्पष्ट है कि जिस तरह से माल भाड़े में वृद्धि की गई है यह लगता है कि महंगाई बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा जो राष्ट्र और समाज के लिए घातक है।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस बजट के पेश होने से महंगाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जिससे जनसाधारण की कमर टूटेगी। माननीय रेल मंत्री जी ने इस सदन के सामने ऐसा कोई पग नहीं सुझाया, समाज के सामने नहीं रखा जिससे हम लोगों से यह कह सके कि आने वाले समय में आपको कुछ राहत मिलेगी। इस बजट से न जनता सुखी है, न इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी इससे खुश हैं और न इस बजट से समाज में विश्वास पैदा हुआ है। इनके कर्मचारी प्रतिदिन विभाग की ओर से हो रहे अन्याय से कुचले जा रहे है।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे कालोनी—किशनगंज सराय रोहिल्ला और डी० सी० एम० कालोनी आते हैं। वहां पर मुझे बुलाया गया और अपनी मांगों से अवगत कराया। वे रेलवे कर्मचारी जिस तरह से रेल विभाग की दुर्व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं उसका उदाहरण यह उनका मांग-पत्र मेरे हाथ में है। मैंने इस संदर्भ में इस मांग पत्र के आधार पर रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी और कुछ सवाल भी रेल विभाग से किए थे। मैं मांग करता हूं कि आपके माध्यम द्वारा रेल मंत्री जी से कि रेलवे में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बच्चे को वहां नौकरी दी जाये उसके स्थान पर और जिन क्वार्टरों में वे लोग रहते हैं, वह रेलवे कर्मचारी के पास रहे और उसकी दुर्दशा न हो ऐसा एश्योरेन्स रेलवे विभाग को देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रकार के पग उठायेंगे जिससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। मैं इनके विभाग की बात लेता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दो साल में एक रेल पास मिलता है और जो बड़े अधिकारी लोग हैं, उनको एक साल में दो बार मिलता है। इसका मतलब यह है कि जिसकी शक्ति है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, उनको एक साल में दो दफा पास और जिस गरीब आदमी की परचेजिंग पावर नहीं है, उसको दो साल में एक बार ? मैं समझता हूं कि यह जो अन्तर है, इसको समाप्त करके गरीब को प्रोत्साहन देने के लिए उसे ज्यादा पास देने चाहिए। अगर इतना न हो पाये तो कम से कम बराबर-बराबर तो मिलना ही चाहिए।

सभापति महोदय, किशनगंज और सराय रोहिल्ला की रेलवे कालोनी के रहने वालों के लिए रेलवे ने कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं की है। छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जिनके लिए वहां दवाई की व्यवस्था नहीं है, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। अनेक वर्षों से वहां के कर्मचारी यह मांग करते आ रहे हैं कि उनकी बस्ती में 20-बिस्तर वाला एक अस्पताल होना चाहिए लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक वहां पर अस्पताल का निर्माण नहीं किया गया है। मैं रेल मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में तुरन्त देखें कि वहां पर 20—बिस्तर वाला एक अस्पताल जरूर निर्माण करवा दें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई सेंट्रल स्कूल नहीं है। बहुत दिनों से किशनगंज-सराय रोहिल्ला के रेलवे कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके क्योंकि रेलवे के स्कूलों का स्तर ठीक नहीं है। इसलिये जब वहां सेन्ट्रल स्कूल होगा तो जिन कर्मचारियों के बच्चे सेन्ट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, ट्रांस्फर होने पर भी वे बिना किसी बाधा के सेन्ट्रल स्कूल में पढ़ सकेंगे। इसलिये अविलम्ब वहां पर एक सेन्ट्रल स्कूल खुलवाया जाये।

सभापति जी, किशनगंज काफी बड़ी रेलवे कालोनी है परन्तु रेलवे विभाग ने वहां पर अभी तक दूध उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई दूध की डेरी वहां नहीं है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि उक्त कालोनी में तुरन्त मदर डेरी का एक बूथ खोला जाना चाहिये ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दूध आसानी से उपलब्ध हो सके और सस्ती दर पर दूध खरीद कर वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

इतनी बड़ी वस्ती होने के बावजूद, रेलवे विभाग ने आज तक वहां परिवहन या टैक्सी स्कूटर आदि की कोई व्यवस्था नहीं की है। जब भी कोई बिमार होता है, किसी को और दुःख होता हैं, इसके अलावा वहां से बड़ी संख्या में कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिये आते हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने, उनके डिमाण्ड करने के बावजूद अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वहां से डायरेक्ट कोई बस रेलवे स्टेशन तक चल सके। मेरी मांग है कि रेलवे मंत्री जी उनकी इस कठिनाई की ओर अविलम्ब ध्यान देंगे।

आज रेलवे से न केवल जनता परेशान है बल्कि रेलवे विभाग के कर्मचारी भी बेहद दुखी हैं। वैसे तो मैंने उनकी अनेक मांगे सदन में प्रस्तुत की हैं, कुल मिलाकर 17 उनकी डिमाण्डस हैं, जिनमें से कुछ मांगों को मैंने सदन में उठाया है, बाकी डिमाण्डस को पत्रों या क्वैश्चनस के जरिये रेल मंत्री जी तक पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि जाफर शरीफ साहब जहां रेलवे के कर्मचारियों को सहूलियतें देने की व्यवस्था करेंगे वहीं यात्रियों को भी सहूलियतें देने की दिशा में अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। **(व्यवधान)** हां इनका कहना ठीक हैं। अगर वे शरीफ हैं तो शराफत का तकाजा है कि रेल कर्मचारियों को सहूलियतें दें। मैं आपसे सहमत हूं और मैंने आपकी बात को वहां तक पहुंचा दिया है।

आज ही मैं गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ से आ रहा था और मैं रैलवे की दुर्दशा देखकर आश्चर्य-चकित रह गया। आरक्षित कम्पार्टमेन्ट में भी बिना रोक-टोक लोग आ जा रहे थे। न वे किसी को बैठने दे रहे थे, न किसी को बात करने दे रहे थे। बिना रोक-टोक चले आते थे। मैंने कण्डक्टर से भी शिकायत की। कण्डक्टर कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जब मैंने पूछा कि क्या इनके पास टिकट है तो बोला नही, टिकट तो नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कैसे आ रहे हैं। बस आ रहे हैं। आरक्षित कम्पार्ट-मैन्ट में भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये जहां कर्मचारियों को शिकायत हैं, जनता को भी शिकायत हैं और यात्रियों को भी शिकायतें हैं। देश के विकास में रेलवे का महत्वपूर्ण स्थान रहा है परन्तु उससे काफी नीचे स्तर पर यह विभाग काम कर रहा है। लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा निवेदन है कि जाफर शरिफ साहब, रेल किरायों में जो वृद्धि की है, उसमें कुछ राहत दें, जनता की तकलीफों को देखें और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की तकलीफों को भी दूर करने की व्यवस्था करें ताकि रेल विभाग अच्छी तरह से, स्मूथली चल सके। मुझे इतना ही कहना है। समय देने के लिए सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं और उम्मिद करता हूं कि रेल मंत्री जी अपनी शराफत का परिचय देते हुए, जनता को और अपने कर्मचारियों को तुरन्त राहत पहुंचाने का काम करेंगे।

कई माननीय सदस्य : सभापति जी, जनता दल की तरफ भी तो ध्यान दीजिए, एक भी जनता दल के सदस्यों को आपने नहीं बुलवाया है।

सभापति महोदय : एक लेडी मेम्बर के बाद। श्रीमती क्षीरसागर।

[अनुवाद]

*श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर (बीड़) : सभापति महोदय, महिला सदस्यों को भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं वाद-विवाद में बहुत कम भाग लेती हूं। मुझे बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद देश एक संकटमय दौर से गुजर रहा है। वे नेतृत्व के गुणों से संपन्न एक महान लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने देश का नेतृत्व बड़ी सक्षमता से किया था और उनका नजरिया भी आधुनिक था। मैं रेल मंत्री को इस लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने रेल बजट को आधुनिक नजरिये को ध्यान में रखते हुए बनाया है।

कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे के मुताबिक इस रेल बजट में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई रियायतों का प्रस्ताव किया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त लेवी नहीं लगायी गई है। रेल बजट की यह बात स्वागत योग्य है। यात्री किराए तथा माल भाड़े में वृद्धि करने से रेलवे को 584 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि विकलांग लोगों के लिए किराए में पिछले वर्ष की गई 50% की रियायत को इस बार भी फिर से शुरू करना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मदद मिल सके। मेरा निवेदन है कि यह रियायत हमारे जवानों की विधवाओं को भी मिलनी चाहिए।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की एक बड़ी मांग अर्थात् पारली-बीड़ रेल लाइन की मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। इस क्षेत्र के लोग पिछले 20 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। बीड़ महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री ने अनुग्रह पूर्वक इस रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया था। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस बजट में इस रेल लाइन का प्रावधान नहीं है। इस जिले के लगभग चार लाख लोग आजीविका की तलाश में दूसरी जगहों में जाते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस क्षेत्र के विकास की ओर सरकार आखिर कब ध्यान देगी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करना सरकार की नीति है। मैं रेल मंत्री से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं चार महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करूंगा। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि बीड-पारली रेल लाइन के लिए आवश्यक प्रावधान वह इसी बजट में कर दें।

सरकार ने कोंकण रेल निगम की स्थापना से संबंधित कदम उठाए हैं। मेरा निवेदन है कि इसी तरह एक मराठवाड़ा रेलवे निगम भी बनाया जाये। कोंकण रेलवे तथा मनमाड़-औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए पिछले बजट में क्रमशः 14 और 10 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया गया था। परन्तु इस बजट में क्रमशः 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी है। यदि आवन्टन में इसी तरह कटौती होती रही, मैं यह कहने को विवश हूं कि यह योजना कभी भी पूरी नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि इन दोनों रेल लाइनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक के लिए कम-से-कम 20 करोड़ रुपये का आवन्टन होना चाहिए।

मैं इस बात की सराहना करती हूं कि सिर्फ कुछ खास चुनी गई परियोजनाओं को ही कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। परन्तु मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगी कि बॉंड जारी करके रेल लाइनों को पूरा

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

11—189 एल०एस०एस०पी०/91

करने के लिए संसाधन जुटाये जा सकते हैं । मेरा प्रस्ताव है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी सम्बन्धी काम किया जा सकता है, इससे रोजगार भी मिलेगा तथा रेल लाइनों को भी शीघ्र पूरा करने में मदद मिलेगी ।

अब मैं मिरज-लातूर और मराठवाड़ा लाइन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी । जब हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 11 वर्ष पहले मराठवाड़ा जिले का दौरा किया था तो उन्होंने इन रेल लाइनों के बनाये जाने की घोषणा की थी । परन्तु मुझे यह देखकर दुःख हुआ है कि मिरज-लातूर लाइन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है । मेरा अनुरोध है कि इस रेल लाइन के लिए भी इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाए ।

रेलवे की खान-पान सम्बन्धी व्यवस्था सचमुच बहुत बुरी स्थिति में है । मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस सेवा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । चपाती और दाल तो कई बार अधपकी ही रहती है । खान पान संबंधी सेवा को शीघ्र सुधारणा अत्यावश्यक है । मेरा सुझाव है कि इंदिरा महिला विकास योजना के अन्तर्गत रेलवे की खान-पान संबंधी सेवाओं की देख रेख करने के लिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। महिलाएं स्वाभाविक रूप से इस काम को करने में ज्यादा निपुण होती हैं । मुझे लगता है कि यदि महिलाओं को खान-पान की सेवा का कार्यभार दे दिया जाए क्योंकि वे स्वादिष्ट भोजन बनाने में सक्षम हैं तो वे इसका प्रबन्ध अच्छे ढंग से करेंगी और रेल यात्रियों को स्वादिष्ट और बेहतरिन खाना मिल सकेगा ।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी गाड़ियां समय पर नहीं चलती है । मैं महसूस करती हूं कि यह सुनिश्चिय किया जाए कि गाड़ियां समय पर चलें ।

मैं यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि रेलवे को 'शिष्टाचार सप्ताह' भी मनाना चाहिए । जो यात्री दूसरे दर्जे में यात्रा करते हैं उनके साथ रेलवे के कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है । यदि 'शिष्टाचार सप्ताह' मनाया जाए तो मुझे विश्वास है कि रेलवे के कर्मचारी यात्री-जनता के निकट आयेंगे । मैं मंत्री महोदय से इस सुझाव पर विचार करने का आग्रह करती हूं ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि बीड़ जैसे पिछड़े क्षेत्र पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि कम से कम चार महीनों के बाद बीड़-परली रेल लाइन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा काम शुरू किया जाना चाहिए ।

मंत्री महोदय कर्नाटक के हैं । मैं भी कर्नाटक की हूं । मेरे माता-पिता कर्नाटक में रहते हैं । मेरी उनसे कोई खास मांग नहीं है । परन्तु मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय मुझे अपनी बहन समझकर मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करें । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मेरे नम्र निवेदन पर विचार करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करती हूं तथा आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कारण की मंत्री जी ने बिहार के विकास के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं की है । खासकर मध्य बिहार में पर्यटन स्थल की असीम संभावनाएं

हैं, उसको देखते हुए ग्रैन्ड कॉर्ड जो लाइन है, उसमें मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विशेष ध्यान देंगे, ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन में आज तक आजादी के बाद से 43-44 वर्षों में कोई नई ट्रेन नहीं चलाई गई है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पटना से दिल्ली और अमृतसर के बीच सप्ताह में 81 जोड़ी गाड़ियां चलती हैं जबकि ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन से आजादी के पूर्व जो अंग्रेजों द्वारा ट्रेन चलाई जाती थी आज वही ट्रेन चल रही है, कोई नई ट्रेन नहीं चलाई जाती है। मात्र 17 जोड़ी गाड़ियां सप्ताह में ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन पर चलाई जाती हैं जबकि पटना और अमृतसर के बीच 81 जोड़ी गाड़ियां चलाई जाती हैं। पूर्व में जनवरी 1991 को सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था कि डीलक्स एक्सप्रेस को नियमित रूप से ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन पर चलाया जाएगा। लेकिन वह भी सिर्फ थोथे आश्वासन के रूप में देखे गये, उसको रोकने का काम नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन पर नियमित रूप से डीलक्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा जो बौद्ध गया है वह पर्यटन स्थल है, वहां पर पर्यटन यात्री बौद्ध मन्दिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस गया स्टेशन पर नहीं रोकी जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गया स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को भी रोकने का काम किया जाए। इसके अलावा बोकारो से जो मद्रास एक्सप्रेस चलाई जाती है उसका विस्तार गया तक किया जाए। कारण कि गया के बाद जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मद्रास के लोग देखने के लिए आते हैं और मध्य बिहार के लोग मद्रास इलाज कराने के लिए जाते हैं। जो मद्रास और बोकारो एक्सप्रेस है वह आठ बजे सुबह आकर बोकारो में लग जाती है और सात बजे रात्रि में उसको खोला जाता है। अगर इस बीच जो गाड़ी खड़ी रहती है उसका विस्तार गया तक कर दिया जाए तो मध्य बिहार के लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। सासाराम-आरा लाइट रेलवे जो आज से दस साल पहले चलती थी उसको बन्द कर दिया गया है। आजादी के बाद देश में नए-नए रेल विकास किए जा रहे हैं और हमारे बिहार में पुरानी रेल को भी कबाड़ करके उसका अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आरा-सासाराम लाइट रेलवे को तत्काल बड़ी लाइन में परिणत करें ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। इसके अलावा पटना सें गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण जो लम्बे अरसे से बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार में प्रस्ताव करके भेजा है, लम्बित पड़ा हुआ है। इससे सबसे बड़ा लाभ बिहार को होगा कि उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार का सीधा सम्पर्क हो जाएगा और यातायात की सुविधा बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पटना गंगा पर तत्काल रेलवे पुल का निर्माण करवाया जाए।

इसके अलावा 1984 में पुहलेजा, पीपराडीह, चन्दूनाथपुर, भावनाथपुर रेल लाइन निर्माण के लिए बिहार सरकार ने प्रस्ताव करके भेजा है और केन्द्र सरकार ने 1988 में एक नई रेल सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था जिसकी स्वीकृति 1988 में हो चुकी है कि 1988 में कार्य बड़ी तेजी पर लगाया जाएगा लेकिन आज तक पुहलेजा, पीपराडीह, चन्दुनाथपुर, भावनाथपुर के लिए कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, न ही कोई काम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्य में अविलम्ब तेजी लायी जाए। ग्रैन्ड कॉर्ड लाइन पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए मुगलसराय से सोन नगर तक तीसरी लाइन सेवा उपलब्ध कराई जाए। रोहतास जिले के महत्व को ध्यान में रखते हुए सासाराम रेलवे स्टेशन को तत्काल सुन्दर बनाया जाये, कारण कि वह ऐतिहासिक जगह है। वहां शेरशाह का किला है। शेरशाह ने पूरे हिन्दुस्तान पर पूरे पांच वर्षों तक हुकूमत किया था। बाहर से उस किले को देखने के लिए लोग आते हैं लेकिन उनके लिए कोई ट्रेन

सुविधा उपलब्ध नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तत्काल वहां सासाराम रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यकरण किया जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मोहन विष्णू रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मुम्बई वी० टी०-करजत तथा कसारा (लोकल) तथा चर्च गेट-विरार लोकल गाड़ियों के प्रत्येक डिब्बे में बिजली द्वारा संचालित ठहरने का स्थान दर्शाने वाले गन्तव्य बोर्ड लगाने के बारे में मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं । मुम्बई वी० टी० से लोकल रेल गाड़ी को करजत और कसारा तक बढ़ाने की आवश्यकता है और वह चर्चगेट से विरार तक बढ़नी चाहिए । कोंकण क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों की गति बढ़ाने की भी आवश्यकता है । मुम्बई वी० टी० तथा करजत के बीच तथा चर्च गेट तथा विरार के बीच चलने वाली लोकल गाड़ियों में स्टेशनों के नामों की घोषणा करने के लिए सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी ।

कोंकण क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के लिए सरकार ने 51 करोड़ रुपये अनुदान दिया है । इस अनुदान की राशि बढ़ाई जानी चाहिए । सरकार का यह निर्देश है कि रेलवे कारपोरेशन में स्थानीय लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए लेकिन देखने में आया है कि उसमें महाराष्ट्र से बाहर के लोगों को भर्ती किया जाता है । सरकार का इस बारे में जो निर्देश है उसे लागू करने के लिए मैं रेल मंत्री जी सें आग्रह करता हूं । सर्विस के लिए पेपरों में जो विज्ञापन निकलते हैं वे केवल अंग्रेजी और हिन्दी के पेपरों में ही निकाले जाते हैं । मेरा आग्रह है कि वे विज्ञापन मराठी पेपरों में भी निकलने चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को मालूम हो सके । स्टाल स्थानीय लोगों को देने के लिए भी मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं ।

अब मैं रेल मंत्री जी से एक बात की जानकारी चाहूंगा । कोंकण रेलवे के लिए जो पैसे एलाट किए गए हैं वह पैसे क्या कारपोरेशन शेयर मार्किट में इन्वैस्ट कर सकता है । मेरी जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक आफ मैसूर में वे दस करोड़ रुपए रखे हुए हैं । इसके लिए आपसे अनुमति ली गई हैं या नहीं ? यह आपको मालूमात कर लेना चाहिए ।

महाराष्ट्र में दिवा-वसई रेलवे प्रकल्प, आपटा-रोहा रेलवे प्रकल्प, कर्जत-लोणावला, ईगतपुरी-कसारा (तीसरी लाइन) के लिए किसानों की जमीन रेलवे विभाग ने ली थी । इसके बदले में रेलवे विभाग ने किसानों को कितने पैसे दिए हैं ? क्या आप नौकरी में उन्हें इसके लिए वरीयता देते हैं या नहीं ? इसकी भी जांच होनी चाहिए । कुर्ला-बान्द्रा टर्मिनल के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रेलवे विभाग की तरफ से आवन्टित किए जाने चाहिए । ठाणे कुर्ला, विक्रोली, ट्राम्बे, वडाला लाइन के लिए अनुदान देने की आपसे बिनती करता हूं ।

सरकार ने जो भाड़े में वृद्धि की है, उसका मैं विरोध करता हूं । 100 दिन में महंगाई कम करने वाली सरकार जिन चीजों की कीमते कम करने वाली है, उनके तो नाम बता दिए लेकिन जिन चीजों के ऊपर भार अधिक पड़ने वाला है यानी वह महंगी होने वाली है, उनके नाम नहीं बताए हैं । 100 दिन में महंगाई कम करने वाली सरकार ने 100 दिन के अन्दर ही महंगाई लाने वाला बजट पेश किया है ···(**व्यवधान**)····

4.00 म०प०

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पहले बार मैं बोल रहा था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 5.00 म०प० पर बजट के लिए पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

4.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 5.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

5.00 म० प०

लोक सभा 5.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मारीशस के प्रधान मन्त्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मारिशस के प्रधान मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजिनी जगन्नाथ इस समय भारत के सरकारी दौरे पर है ।

मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मारिशस के प्रधान मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ इस माननीय सभा की कार्यवाही देखने के लिए इस समय विशेष कक्ष में विराजमान हैं ।

मैं अपनी, और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का हार्दिक स्वागत करता हूं । हम अपने देश में उनकी प्रसन्नता तथा लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं । हम मारीशस की संसद और हितैषी जनता के प्रति भी अपनी शुभ कामनाएं सम्प्रेषित करना चाहते हैं ।

5.01 म०प०

बजट (सामान्य) 1991—92

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) :

महोदय,

मैं वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करता हूँ । इस समय मुझे एकाकीपन की अनोखी अनुभूति हो रही है । मैं बजट भाषण को एकाग्रचित सुनने वाले एक मनोहर, मुस्कराते चेहरे को अनुपस्थित पा रहा हूं । श्री राजीव गांधी अब नहीं रहे । परंतु भारत को 21 वीं सदी में ले जाने का सपना, भारत को एक मजबूत, संगठित व तकनीकी रूप से विकसित परंतु एक उदार भारत का उनका सपना आज भी जीवित है । मैं इस बजट को उनकी प्रेरणादायक स्मृति को समर्पित करता हूँ ।

2. नई सरकार, जिसने मुश्किल से एक महीना पहले ही कार्यभार सम्भाला है, को एक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है । भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत ही

नाजुक है । नवम्बर, 1989 तक, जब हमारी पार्टी सत्ता में थी, हमारी अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास काफी सुदृढ़ था । लेकिन, उसके पश्चात् की राजनीतिक अस्थिरता, राजकोषीय असंतुलनों में वृद्धि तथा खाड़ी संकट, इन सभी के मिलेजुले प्रभाव के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में अत्यधिक कमी आई। वाणिज्यिक ऋणों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाओं में कमी के कारण पूंजी प्रवाह में भारी कमी हुई है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुलाई, 1990 तथा जनवरी, 1991 में लिए गए भारी ऋणों के बावजूद हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों में भारी कमी आई। हम, दिसम्बर, 1990 से तथा विशेष रूप से अप्रैल, 1991 से एक संकट के कगार पर खड़े हैं । विदेशी मुद्रा का यह भारी संकट हमारी विकास प्रक्रिया को बनाए रखने तथा विकास कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक गंभीर चुनौती है । विपरीत आंतरिक और बाह्य कारणों के मिश्रण से, 1990 के मध्य से मूल्य स्तर पर भारी मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि हुई है । भारत के लोगों को दो अंकीय मुद्रास्फीती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारे समाज के निर्धन वर्गों को सर्वाधिक आघात पहुंचता है । संक्षेप में, हमारी अर्थव्यवस्था का संकट काफी गहरा और तीव्र है । स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह की परिस्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई है ।

3. बड़े और निरंतर वृहत-आर्थिक असंतुलन और निवेशों के कम प्रतिफल के कारण तथा विशेष रूप से पिछले निवेशों पर लाभ की कम दरों के फलस्वरूप इस समस्या का प्रादुर्भाव हुआ है । सरकारी व्यय में अवहनीय वृद्धि हुई है । बजटीय आर्थिक सहायता, जिसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव शंकास्पद है, खतरनाक गति से बढ़ने दी गई है । हमारी कर प्रणाली में अभी भी अनेक खामिया हैं । इस प्रणाली में सुस्पष्टता नहीं है, जिसके कारण इस प्रणाली में दी गई विभिन्न रियायतों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना सरल नहीं है । सार्वजनिक क्षेत्र को इस ढंग से नहीं चलाया गया, जिससे कि निवेश हेतु यथेष्ट अधिशेष धनराशियों का सृजन हो सके । उद्योगों को अत्यधिक तथा प्रायः अविवेकपूर्ण ढंग से संरक्षण प्रदान करने से एक स्पन्दनशील निर्यात क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रोत्साहन में भी कमी आई है। इससे आय और सम्पत्ति संबंधी विषमताओं में बढ़ोतरी हुई है । इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों के विरूद्ध कार्य किया है । सरकार के आय और व्यय के बीच बढ़ते हुए अंतर से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय और व्यय के बीच के अंतर में बढ़ोतरी हुई है । यह वृद्धि, भुगतान संतुलन के चालु खाते के घाटों में परिलक्षित होती है ।

4. राजकोषीय व्यवस्था का संकट एक गंभीर चिंता का विषय है । केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो कि राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है, जब कि 1980 के दशक के प्रारम्भ में यह 6 प्रतिशत तथा 1970 के दश.क के मध्य में 4 प्रतिशत था । इस राजकोषीय घाटे को उधार लेकर पूरा करना पड़ा। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार का आंतरिक कर्ज बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है । इस कर्ज का परिशोधन करना अब दूभर हो गया है । केवल ब्याज की

अदायगियों की राशि ही सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत है और यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत बैठती है । अगर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, जिसका सुधार करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

5. भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत कठिन है। चालू खाते का घाटा, जो कई वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत था, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है। इन लगातार घाटों के परिणामस्वरूप, जिनका वित्तपोषण अनिवार्यत: विदेशों से उधार लेकर करना पड़ा, विदेशी ऋणों में, जिनमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां भी सम्मिलित हैं, निरंतर वृद्धि होती रही है तथा 1990-91 के अंत में इन ऋणों की राशि सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23 प्रतिशत होने का अनुमान है । परिणामस्वरूप, ऋण परिशोधन भार, 1990-91 की वर्तमान लेखा प्राप्तियों का लगभग 21 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह दबाव पिछले वर्ष खाड़ी संकट के कारण चरम बिंदु पर पहुँच गया । दिसम्बर, 1990 के बाद से, भुगतान संतुलन की स्थिति लड़खड़ाती हुई एक संकट से दूसरे संकट में पहुँचती गई । विदेशी मुद्रा भंडार के वर्तमान स्तर से, जो इस समय लगभग 2,500 करोड़ रुपए है, मात्र एक पखवाड़े की अवधि के लिए आयात का वित्तपोषण हो सकेगा ।

6. मूल्य संबंधी स्थिति, जो हम सभी लोगों के लिए तात्कालिक चिंता का विषय है, एक गम्भीर समस्या बन गई है, क्योंकि मुद्रास्फीति दो अंकीय स्तर तक पहुंच चुकी है । 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । वर्ष 1990-91 में मुद्रास्फीति के संबंध में मुख्य चिंता की बात यह रही कि मुद्रास्फीति आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर ही केन्द्रित रही। लगातार तीन अच्छे मानसूनों और इस प्रकार तीन शानदार फसलों के बावजूद इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई । मुद्रास्फीति से सभी को दुख होता है, विशेषरूप से हमारी जनसंख्या के निर्धन वर्गों को, जिनकी आय सूचीबद्ध नहीं होती है ।

7. अब गंवाने के लिए कोई समय बचा नहीं है । वर्ष प्रतिवर्ष न तो सरकार और न ही कोई अर्थव्यवस्था अपने साधनों की सीमा से बाहर चल सकती है । युक्तिचालन करने, धन अथवा समय उधार लेकर गुजारा करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है । वृहत्-आर्थिक समायोजन, जो काफी पहले ही किए जाने चाहिए थे, को और अधिक टालने का अर्थ यह होगा कि भुगतान संतुलन की स्थिति, जो इस समय काफी जटिल है, नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तथा मुद्रास्फीति, जो पहले ही काफी अधिक है, बरदाश्त की सीमा को पार कर जाएगी । अर्थव्यवस्था के प्रबंध को सुधारने के लिए हमारी कार्य नीति का आरंभिक बिन्दु और निस्संदेह केन्द्र-बिन्दु, चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्वसनीय राजकोषीय समायोजन तथा वृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण होना चाहिए और उसके पश्चात राजकोषीय स्थिति को सतत् रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया में, अनिवार्य रूप से, अधिक नहीं तो कम से कम तीन वर्ष लगेंगे । लेकिन परेशानी उठाये बिना कोई भी समायोजन नहीं किया जा सकता । आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने के लिए, लोगों को आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

8. अर्थव्यवस्था के इस वृहत् प्रबंध कार्य के लिए, बीच की इस अवधि में हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम किया जाए, राजस्व घाटे में भी पर्याप्त रूप से कमी लाई जाए तथा भुगतान संतुलन के मौजुदा खाते के घाटे को कम किया जाए । केवल ऐसे विवेकपूर्ण प्रबंध द्वारा ही हम आंतरिक और बाह्य ऋण में हो रही घातांकीय वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकेंगे और सरकार तथा देश पर पड़ने वाले ऋण परिशोधन भार को प्रबंध योग्य सीमाओं में रख सकेंगे। वास्तव में, हमें सरकार के आन्तरिक ऋण तथा देश के बाह्य ऋण भार को कम करने के लिए सजग रूप से प्रयास करने चाहिएं, ताकि विकास प्रक्रिया के वित्तपोषण के लिए हम अधिकाधिक अपने ही संसाधनों पर निर्भर कर सके । परिवर्तन की इस अवधि के दौरान हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इस समायोजन से निर्धन वर्ग पर कम से कम भार पड़े । हम मानवीय तरीके से समायोजन करने के लिए वचनबद्ध है । हमारा यह भी प्रयास होगा कि समायोजन प्रक्रिया हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्निहित विकास की प्रेरणाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे । समायोजन और स्थिरीकरण को अब टाला नहीं जा सकता । हमें तेजी से और दृढ़ता से कार्य करना होगा । यदि हम इन आवश्यक सुधारों को आरम्भ नहीं करेंगे तो मौजुदा स्थिति से विकास में बाधा आएगी, आर्थिक मंदी पैदा होगी तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और हानि पहुंचेगी तथा निर्धन लोगों पर और अधिक भार पड़ेगा ।

9. मात्र वृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण और राजकोषीय समायोजन ही पर्याप्त नहीं हैं । इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग के रूप में आर्थिक नीति और आर्थिक प्रबंध में सुधार किए जाने चाहिए, जिनसे बर्बादी और अकार्यकुशलता दूर हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के लिए गतिशीलता का एक नया तत्व शामिल किया जा सके। सुधार प्रक्रिया में औद्योगिक उत्पादन की कार्यकुशलता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विगत की तुलना में अधिक मात्रा में विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे निवेश की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए कि भारत के वित्तीय क्षेत्र को तेजी से आधुनिक बनाया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के निष्पादन को सुधारा जाए । इसके फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, इस तेजी से बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी पर्याप्त प्रौद्योगिकीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रख सकेंगे । मुझे विश्वास है कि आवश्यक संरचनात्मक और नीति संबंधी सुधारों और स्थिरीकरण उपायों के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के पश्चात् हमारी अर्थव्यवस्था समुचित मूल्य स्थिरता और अधिक सामाजिक समानता के साथ पुनः सतत् विकास के रास्ते पर लौट आएगी ।

10. हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रयत्नों का आभारी होना चाहिए, जिनके कारण हमने एक अच्छा विविधीकृत औद्योगिक ढांचा विकसित किया है । जैसे-जैसे हम विभिन्न संरचनात्मक सुधार लागू करते हैं, यह हमारे लिए एक बड़ी परिसंपत्ति का कार्य करता है । तथापि, प्रवेश पर सीमाओं एवं फर्मों की आकार वृद्धि पर रोक लगाए जाने से प्रायः लाईसेंसिंग में एवं एकाधिकारक की मात्रा में वृद्धि हुई है । इससे भारतीय उद्योग के कुछ हिस्से जकड़े गए है, जिनसे उत्पादकों के

हितों की रक्षा तो होती है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। लागतों को कम करने, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और गुणवत्ता मानकों को सुधारने पर, अपर्याप्त रूप से बल दिया गया है। घरेलू बाजार में फर्मों के बीच प्रतियोगिता की मात्रा बढ़ाना जरूरी है, जिससे कि उत्पादकता बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार करने और लागतों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है, जिनसे घरेलू क्षेत्र में विनियमन में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। यह प्रगति हमारे सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप होगी और भुगतान संतुलन संबंधी अपरिहार्य बंदिशों से सुसंगत भी होगी।

11. औद्योगिक विकास संबंधी नीतियों का व्यापार संबंधी नीतियों के साथ घनिष्ट संबंध है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरण में संरक्षण जरूरी था, जिससे कि हम प्रारंभिक अवस्था में बिना किसी बाधा के काम कर सकते। पिछले चार दशकों में आयात प्रतिस्थापन का काम किया गया, जो सदा ही सुचारू नहीं रहा बल्कि कभी-कभी अविवेकपूर्ण रहा। अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग को विदेश में एक क्रमिक ढंग से प्रतियोगी बनाने के लिए सक्षम बनाया जाए। इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में सरकार ने आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन लागू किए हैं; जिनका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में कटौती करना, तेज निर्यात संवर्धन और आयात में इष्ट-तम कमी लाना है। 1 और 3 जुलाई, 1991 को किये गए विनिमय दर संबंधी समा-योजन तथा प्रतिपूर्ति (रेपलिशमेंट) लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाना, व्यापार नीति में सुधार की दिशा में दो प्रमुख प्रारम्भिक उपाय हैं। ये सुधार मात्रात्मक प्रतिबंधों की तुलना में मूल्य आधारित तंत्र की दिशा में परिवर्तन करने की एक शुरूआत हैं।

12. औद्योगीकरण के लिए योजना तैयार करने के चार दशकों के बाद अब हम विकास के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं, जब हमें उसका स्वागत करना चाहिए, न कि उसे शंका की दृष्टि से देखा जाए। हमारे उद्यमी किसी से कम नहीं हैं। हमारा उद्योग आधुनिक हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमें पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजारों की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में क्रमिक ढंग से विदेश में प्रतियोगिता करने में सक्षमता आएगी। लागत, कार्यकुशलता और गुणवत्ता पर भी वांछित ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, हमने निम्नलिखित ढंग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया है। प्रथमतः, 51 प्रतिशत तक विदेशी शेयर पूंजी की बढ़ी हुई सीमा के साथ विशिष्ट उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तत्काल अनु-मोदन दे दिया जाएगा, बशर्ते कि शेयर पूंजी प्रवाह निवेश के समय पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त हो और कुछ समय के दौरान लाभांश निर्यात आय द्वारा संतुलित हो जाए। दूसरे, निर्यात कार्यकलापों में प्रमुख रूप से लगी व्यापार कंपनियों को 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी की अनुमति दे दी जाएगी। तीसरे, चुने हुए क्षेत्रों में अनेक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ बातचीत करने और चुने हुए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित करने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे पर्याप्त निवेश आकर्षित किया जा सकेगा और उच्च-प्रौद्योगिकी तथा विश्व बाजारों तक पहुंच सुलभ हो सकेगी।

13. हमारे गणराज्य के संस्थापकों के लिए विकास की नीति में सरकारी क्षेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग था, जो गतिशील, आधुनिक, प्रतियोगी और पर्याप्त अधिशेषों के सृजन में सक्षम होगा । सरकारी क्षेत्र ने हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विविधिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । लेकिन अनेक कमियां भी रही हैं। विशेषकर, सरकारी क्षेत्र व्यापक स्तर पर आंतरिक अधिशेषों का सृजन नहीं कर पाया है, इसलिए इस कठिन स्थिति में सरकारी क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि इसे विकास का एक साधन बनाया जा सके, न कि बिना पर्याप्त प्रतिफल के यह राष्ट्रीय बचतों का शोषक बनता रहे । इसे काफी हद तक स्वीकार किया गया है, लेकिन कथनी और करनी में अभी भी अन्तर है । इस अंतर को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के निवेशों के पोर्टफोलियों की समीक्षा की जाएगी जिससे कि सरकारी क्षेत्र भविष्य में अपना कामकाज, देश के लिए महत्वपूर्ण, अर्थव्यवस्था के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले व आधारभूत ढांचे के लिए अनिवार्य क्षेत्रों तक ही सीमित कर सके। संसाधन जुटाने, जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से पारस्परिक निधियों में तथा सरकारी क्षेत्र की निवेश संस्थाओं तथा इसके साथ ही इन फर्मों के कर्मचारियों को, चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के 20 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी दी जाएगी । वे सरकारी उद्यम, जो निरन्तर रुग्ण रहते हैं और जिनमें सुधार नहीं लाया जा सकता, उन्हें दुबारा शुरू करने या उनके संबंध में पुनर्वास की योजना बनाने के लिए उन्हें औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को अथवा स्थापित किए जाने वाले उच्चाधिकार प्राप्त ऐसे ही किसी निकाय को सौंपा जाएगा, औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड के पुनर्वास संबंधी उपायों से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र की व्यवस्था की जाएगी। प्रबंध में स्वायत्तता और तदनुरूपी जिम्मेदारी की व्यवस्था, सरकार और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच सहमति ज्ञापनों की एक प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है ।

14. हमारी बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थान, अर्थव्यवस्था में वित्तीय आधारभूत ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारी बढ़ती हुई और फैलती हुई वित्तीय प्रणाली ने संस्थात्मक वित्त के एक विशाल क्षेत्र के प्रसार में मदद दी है तथा इसने हमारी बचत दर, विशेषरूप से वित्तीय बचतों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक अत्यंत उल्लेखनीय उपलब्धि है, परन्तु हमारी वित्तीय प्रणाली में कुछ कड़ापन और कतिपय कमजोरियां आ गई है, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए । वित्तीय क्षेत्र में सुधार का हमारा उद्देश्य, इसकी परंपराओं में सुधार करते हुए, आर्थिक विकास और प्रतियोगितात्मक क्षमता के एक अभिन्न अंग के रूप में इसके बुनियादी योगदान को संरक्षित करना होना चाहिए। इस कार्य में यह जरूरी है कि पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित की जाए, विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किए जाए और देश के वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता में सुधार किए जाएं। कोई जादुई समाधान संभव नहीं है। ये जटिल समस्याएं हैं, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए, मैं एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं, जो वित्तीय प्रणाली की संरचना, गठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करेगी । यह समिति सरकार को ऐसे उचित उपायों

के संबंध में सुझाव देगी जो हमारे वित्तीय क्षेत्र की स्थिति को सुधारने और व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होंगे, जिससे कि यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के सिद्धान्तों और मानदण्डों को छोड़े बिना अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके ।

15. ब्याज दरें वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ऋण बाजारों के विकास के निर्माणात्मक स्तर पर ब्याज दरों में प्रशासनिक हस्तक्षेप आवश्यक और वांछनीय भी है । तथापि, हमारे विकास के वर्तमान स्तर पर, हम हस्तक्षेप की मात्रा घटा सकते हैं और ब्याज दरों के ढांचे में अधिक लचीलापन ला सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की निम्नतम निर्धारित दर निश्चित करके और वाणिज्यिक बैंकों को उनके जोखिम के आधार पर निम्नतम स्तर से अधिक ब्याज दरें लेने की स्वतंत्रता देकर इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है । सरकार भी सावधि ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को ऐसी ही स्वतंत्रता देने का विचार रखती है, जहां न्युनतम ब्याज दर 15 प्रतिशत होगी और ये संस्थाएं ऋणकर्ता की साख को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। सरकारी क्षेत्र के लिए कर-मुक्त बाण्डों को छोड़कर, पूंजी बाजार में जारी किए गए परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार के ऋण-पत्रों के लिए ब्याज दरों के संबंध में सभी प्रकार के प्रतिबंधों को दूर करने का भी प्रस्ताव है। इसके बाद, ऐसे ऋण साधनों पर ब्याज दर का अधिशासन बाजार प्रणालियों द्वारा होगा और ऐसे ऋण साधनों की ऋण साख (रेटिंग) पूंजी बाजार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाएगी । भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार ब्याज दरों के ढांचे पर लगातार नजर रखेगी । हाल ही में बैंक जमा राशियों पर देय ब्याज दर में वृद्धि की गई है। अब मैं अल्प बचत स्कीमों पर देय ब्याज की दरों के संबंध में इसी प्रकार का प्रस्ताव करता हूं। हमारा अंतिम उद्देश्य, सामान्य और वास्तविक दोनों ही ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कमी लाना है । यह तभी संभव हो सकेगा जब अगले तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में पर्याप्त रूप से कमी आ जाए ।

16. वर्ष 1987-88 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गान्धी ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास के वास्ते, निवेशकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और व्यापारिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए सरकार स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के नियमन तथा सुचारू कामकाज के लिए एक अलग बोर्ड स्थापित करेगी । यद्यपि बोर्ड की स्थापना कर दी गई परंतु दुर्भाग्यवश बोर्ड को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के लिए विधान अधिनियमित नहीं किया जा सका है । अब ऐसा तत्काल किया जाएगा और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों को प्रशासित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को पूर्ण सांविधिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। इन शक्तियों की पूंजी निर्गम नियंत्रक और सरकार से एक स्वतंत्र निकाय को सौंपने से इस देश में स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने और मानीटर करने में मदद मिलेगी । स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में व्यापार पैकेज, जिसमें राष्ट्रीय निकासी और समझौते की एक प्रणाली तथा एक केन्द्रीय संग्रह स्थल की स्थापना करना शामिल है, पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

17. पारस्परिक निधियों के संबंध में एक प्रतियोगी ढांचा विकसित करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रगति हुई है और उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। बहुत से निवेशकर्ताओं के लिए, शेयरों के प्रत्यक्ष स्वामित्व की तुलना में पारस्परिक निधियां अधिक उपयुक्त निवेश साधन है। सरकार, पारस्परिक निधियों के माध्यम से पेश की जाने वाली इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमों के लिए पहले ही कर रियायते प्रदान कर रही है। सरकार ने अब निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र पारस्परिक निधियों के लिए इस क्षेत्र को खुला छोड़कर पारस्परिक निधियों के विकास को और प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। निवेश करने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा करने तथा पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सभी पारस्परिक निधियों के परिचालन के लिए व्यापक मार्गदर्शी रूपरेखाएं विकसित की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए एक विधान अधिनियमित करने पर भी विचार किया जाएगा।

18. अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी तथा उनमें और ढील दी जाएगी ताकि अनिवासी भारतीयों द्वारा औद्योगिक व अन्य उद्यमों की स्थापना किए जाने में सभी बाधाओं और सभी प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर किया जा सके। अनिवासी भारतीयों के लिए अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश करने के लिए नए क्षेत्र उपलब्ध कराये जाएंगे जिनमें आवास, आधारभूत ढांचा तथा अचल संपत्ति का विकास शामिल हैं। उदाहरणार्थ आजकल विदेशी राष्ट्रीयता वाले अनिवासी भारतीयों को रिहाइशी संपत्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) की धारा 31 के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होती है। अब प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों को इस उपबंध से सामान्य रूप से छूट दे दी जाए। तथापि, ऐसे आवास की बिक्री से प्राप्त राशि तथा किराये की आमदनी अप्रत्यावर्तनीय होगी। अनिवासी भारतीयों के लिए एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करने के वास्ते केंद्रीय सरकार के साथ परस्पर विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का है। मैं राज्य सरकारों से भी अनिवासी भारतीयों के लिए आयुक्त का एक कार्यालय स्थापित करने का आग्रह करूंगा।

19. मुझे विश्वास है कि अब समय आ गया है कि ऐसे क्षेत्रों में टैरिफ और घरेलु कीमतें निर्धारित करने के लिए अधिक स्पष्ट संस्थागत साधन अपनाये जाए, जहां अब भी भारतीय उद्योगों को विदेशी पतियोगिता से बचाने तथा प्रशासित कीमतों के निर्धारण की आवश्यकता होगी, विशेषकर सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए, हमें औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का पुनर्गठन करने और इसे एक टैरिफ आयोग में परिवर्तित करने पर विचार करना चाहिए।

20. अब जबकि हम 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, भारत एक अजीब स्थिति में आ पहुंचा है। इस स्थिति में हम जो निर्णय लेते है और जो निर्णय नहीं लेते हैं, उन्हीं पर आने वाले काफी समय तक भविष्य निर्धारित होगा। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए, इस विषय पर देश भर में

पर्याप्त रुप से चर्चा हो । एक लोकतांत्रिक समाज में यह अन्यथा नही हो सकता । हम इस चर्चा से क्या प्राप्त कर सकते है ? हमारे सामने जो बात स्पष्ट रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अगर हम अपनी योजना प्रक्रिया को छोड़ दें तो हम एक न्यायोचित समाज की स्थापना करने का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते । परंतु, भारत का भावी विकास इस बात पर अत्यंत निर्भर करता है कि योजना प्रक्रिया को कितने अच्छे ढंग से, तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है । मेरा विश्वास है कि अपने समाज के संसाधनों के अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और सुव्यवस्थित समन्वय के बिना, विकास असंतुलित रहेगा । इससे न्याय के लम्बे अर्से से संजोए गए मूल्यों का उल्लंघन होगा और इससे भारत अपनी सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक क्षमता से नीचे ही रहेगा । परंतु हमारी योजना प्रक्रिया एक गतिशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी होनी चाहिए । आर्थिक प्रक्रियाओं के अत्यधिक केन्द्रीयकरण तथा नौकरशाही के कारण इनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं । हमें बाजार प्रणालियों के प्रचालन के लिए संभावनाओं और क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है । मात्रात्मक नियंत्रणों की अपेक्षा एक सुधरी हुई मूल्य प्रणाली, साधनों के आवंटन का एक उत्तम साधन हो सकती है । परन्तु, बाजार केवल उनकी सेवा कर सकता है, जो बाजार प्रणाली के अंग हैं । हमारे देश में अधिकांश लोग अस्तित्व बनाए रखने की अर्थव्यवस्था में रहते हैं । हमें प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के विश्वसनीय कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो इन लोगों की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करे । हम पर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी और सड़को जैसी अच्छी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी है । इसी प्रकार, परिवहन, संचार और ऊर्जा जैसे पूंजीगत और गहन प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों के विकास, जो लम्बी अवधि वाले है, की पहले से अधिक ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी भूमि और जल का अपक्षरण जो इस देश के लाखों गरीब लोगों की जीविका के लिए एक खतरा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए भी प्रभावी सरकारी नेतृत्व और कार्रवाई की आवश्यकता होगी ।

21. हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है । पश्चिमी विश्व में अपने प्रारंभिक चरण में औद्योगिक क्रांति में सामाजिक दुर्दशा एवं अन्याय को ध्यान मे रखे बिना, जो इस प्रक्रिया के लक्षण थे, केवल धन अर्जित करने पर ही अधिक बल दिया गया । शासन-तंत्र का लोकतंत्रीकरण काफी बाद में हुआ । अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था के त्वरित औद्योगिक परिवर्तन के लिए नया मार्ग बनाने में समाजवादी प्रयोग और शासन व्यवस्था ने, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ जैसे देशों में प्रौद्योगिकीय और सैनिक क्षमताएं विकसित करने, त्वरित औद्योगिक विकास और मानव संसाधनों के विकास के लिए पूंजी के संग्रहण में काफी सफलता प्राप्त की है । परन्तु हाल ही की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि इस दृष्टिकोण में भी, विशेषरूप से तकनीकी परिवर्तन के प्रबंध में इसकी विभाजक कार्यकुशलता, पर्यावरणात्मक ह्रास पर नियंत्रण और व्यक्तियों की विशाल अंत-र्निहित शक्ति और प्रतिभा का उपयोग करने में, अनेक कमिया हैं । भारत में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रयोग प्रारंभ किया था—एक ऐसा प्रयोग जिसका उद्देश्य अपनी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों की

अच्छाइयों और गुणों को एकीकृत करना था । हमें विकास, आधुनिकीकरण और बृहत्तर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है । लेकिन, हम इन सभी क्षेत्रों में अभी भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर पाए हैं । हमें, लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग रहते हुए, इस अधूरे काम को पूरा करना है ।

22. इसके साथ ही, हमे धन अर्जित करने तथा विकास प्रक्रिया में इसके समुचित स्थान को समझना चाहिए । क्योंकि इसके बिना, हम अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता तथा बिमारी के कलंक को दूर नहीं कर सकते । लेकिन, हम धन अर्जित करने की प्रक्रिया में सामाजिक दुर्दशा और अन्याय को अपरिहार्य बुराइयों के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । मौजूदा समय की मूल चुनौती, इस बात को सुनिश्चित करना है कि धन अर्जित करने के कार्य को न केवल समानता और न्यायोचित ढंग से किया जाए, बल्कि इसका उपयोग सभी की गरीबी दूर करने और विकास करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए ।

23. धन के सृजन के लिए हमे पूंजी के संचय को बढ़ावा देना चाहिए । इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि मितव्ययता बरती जाए । हमें उन लोगों के रास्ते की बाधाओं को भी दूर करना होगा जो धन का सृजन करने में जुटे हैं । इसके साथ ही, हमे धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा । अंतिम विश्लेषण के तौर पर, सभी धन संपत्ति एक सामाजिक उत्पाद है । जो इसका सृजन करते है और इसके स्वामी है, उन्हें इसे एक न्यास के रूप में रखना चाहिए तथा इसका उपयोग समाज, विशेषरूप से जो असुविधाप्राप्त और साधनहीन है, के हित में करना चाहिए । वर्षों पहले, गांधीजी ने न्यास-धारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था । यह सिद्धांत हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए । गांधीजी जिस मितव्ययता का व्यवहार करते थे और जिसका उपदेश देते थे, वह लोक-तांत्रिक राजनीति के ढांचे में त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है । संपत्ति धारकों के लिए उन्होंने जिस न्यासधारिता का निर्धारण किया था, उसमें सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त शामिल था ।

24. सुधार की महत्ता पर प्रकाश डालने का मेरा उद्देश्य अविवेकपूर्ण और हृदयहीन उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना नहीं है, जो हमने पश्चिम की समृद्ध समाज से उधार लिया है । उपभोक्ता-वादी प्रवृति के संबंध में मुझे दो आपत्तियां हैं । पहली तो यह कि हम इसे वहन नहीं कर सकते । एक ऐसे समाज में, जहां हमें पीने के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आवास तथा अन्य बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की कमी है, यह दुख की बात होगी कि हमारे उत्पादक संसाधनों का उपयोग मुख्यतः एक छोटे से वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए । हमारे देश में पीने और सिंचाई के लिए पानी, ग्रामीण सड़कों, अच्छे शहरी ढांचे तथा गरीबों के लिए प्राथमिक शिक्षा, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता इतनी अधिक न कि उन्नत औद्योगिक सोसायटियों की नकल पर उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना प्रभावी ढंग से बंद किया जाना चाहिए । विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कार्यकुशलता और मितव्ययता दोनों पर ही जोर दिया जाना चाहिए । मितव्ययता से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन को अभाव-ग्रस्त अथवा शुष्क और नीरस बनाया जाए जो खुशी और हंसी की तरफ पीड़ामय दृष्टि

से देखें। मेरे विचार में, हमारे इस प्राचीन देश में निर्धनता, भुखमरी तथा बीमारी को समाप्त करने के एक उत्तम उद्देश्य के प्रयास में मितव्ययता समाज को एकजुट रखने का एक उपाय है।

25. अब मैं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय समायोजन की चर्चा करूंगा। अर्थव्यवस्था में राजकोषीय असंतुलन को दूर करने की शुरूआत व्यय में कटौती और सरकार की आय में वृद्धि करके की जानी चाहिए जिससे कि राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके तथापि, बीच की इस अवधि में, हमारी राजकोषीय व्यवस्था तभी समर्थ बन सकेगी, यदि राजस्व प्राप्तियों से न केवल राजस्व व्यय की पूर्ति हो, बल्कि ऐसे क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए भी पर्याप्त अधिशेष की व्यवस्था हो सके, जिनसे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होते, जैसे कि रक्षा या सामाजिक क्षेत्र। यदि बजट में निवेश संबंधी व्यय से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती तो इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमारी राजकोषीय व्यवस्था के संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात में राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे दोनों में ही कमी करने की आवश्यकता होगी, केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 का बजट इस दिशा में एक जरूरी पहला कदम है।

26. इस बात को मानना होगा कि वर्ष 1991-92 के दौरान राजकोषीय घाटे में आवश्यक कटौती करना एक अति कठिन कार्य है। मार्च, 1991 में संसद में पेश किये गए अंतरिम बजट में 38,475 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया था। लेकिन यह अनुमान कुछ ऐसे निर्णयों की धारणाओं पर आधारित था जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। नियमित बजट को विलम्बित करने से यह कार्य और भी कठिन हो गया क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के लगभग चार महीने किसी भी राजकोषीय सुधार के बिना ही गुजर गए हैं। वास्तव में, राजस्व और व्यय की पिछली प्रवृत्तियों से पता चलता है कि हमारी तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने पर, 1991-92 के दौरान राजकोषीय घाटा 52,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के स्तर तक पहुंच सकता है। आंकड़ों के दोनों सेटों के बीच के अंतर से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक राजकोषीय सुधार की वास्तविक मात्रा का पता चलता है।

27. उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1990-91 के लिए अल्पावधिक राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से उधारों द्वारा यथामापित 11,430 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा, 10,722 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से काफी अधिक था, जो राजस्व में, विशेष रूप से कंपनी कर राजस्व में, भारी कमी के कारण था। इससे उस बाधा का पता चलता है, जिससे हम शुरूआत कर रहे है। अब मैं वर्ष 1991-92 की स्थिति का उल्लेख करूंगा।

28. आयोजना-भिन्न व्यय के बढ़ते स्तर के कारण, जिसे उधार लेकर वित्तपोषित किया गया है, सरकार द्वारा की जाने वाली ब्याज की अदायगियों में घातीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 के दौरान 21,850 करोड़ रुपए की ब्याज अदायगी के संशोधित अनुमान केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 1991-92 के दौरान 27,450 करोड़ रुपए की अनुमानित ब्याज अदायगियां, मौजूदा कर की दरों

पर केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत हिस्सा है । यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही और कोई सुधार संबंधी उपाय न किये गये तो वर्ष 1994-95 तक ब्याज की अदायगियां केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के 50 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक हो जाएगी। इन परिमाणों और अनुपातों से स्थिति की गंभीरता और आगामी तीन वर्षों के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय में भारी समायोजन किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता का पता चलता है ।

29. वर्ष 1990-91 के कुल आयोजना-भिन्न व्यय का संशोधित अनुमान 76,761 करोड़ रुपए था । सामान्य तौर पर, अत्यधिक सख्ती से जांच करने के बाद भी, लेकिन व्यय को कम करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अभाव में, 1991–92 में यह आयोजना-भिन्न व्यय बढ़कर 89,000 करोड़ रुपए हो गया होता । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय सुधार का कोई भी प्रयास तभी सार्थक होगा, यदि आयोजना-भिन्न व्यय में उस स्तर से, कम से कम 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाए, जहां यह अन्यथा पहुंच जाएगा ।

30. आयोजना-भिन्न व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक ब्याज अदायगियां हैं । अगर इस वर्ष के दौरान सरकार के उधार में आमूल कटौती कर दी जाती है, फिर भी अगले वित्तीय वर्ष में ब्याज अदायगियां 35,000 करोड़ रुपए के आस पास होंगी । तीन वर्षों के लिए सरकारी उधार में सख्त अनुशासन के माध्यम से ही 1994-95 तक ब्याज अदायगियों की घातीय वृद्धि पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है ।

31. आयोजना-भिन्न व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन है, जहां वर्ष 1990–91 के संशोधित अनुमानों में 15,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । अगर रक्षा पक्ष को छोड़ दिया जाए, तो आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है कि व्यय में कमी करने के प्रयास से राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े । इसलिए, हम रक्षा सेवाओं की कार्यकुशलता और कारगरता को कम किए बिना व्यय को सीमित करना चाहते हैं । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में रक्षा के लिए 16,350 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है ।

32. माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि 3 जुलाई, 1991 से निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता समाप्त कर दी गई है । विनिमय दर में समायोजन और प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग प्रणाली के विस्तार द्वारा, जो जुलाई के प्रारंभ में कार्यान्वित की गई थी, निर्यात क्षेत्र की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जा रही है । फलस्वरूप, पहले की गई 4,200 करोड़ रुपए की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के लिए अब केवल 1,224 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान 3,000 करोड़ रुपए तक की राशि की बचत होगी ।

33. जहां तक उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता का संबंध है, आज की शाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और पोटाश के सल्फेट जैसे निम्न विश्लेषण उर्वरक, मूल्य और आवागमन संबंधी नियंत्रणों से मुक्त होंगे । अन्य सभी उर्वरकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त, एकल सुपर फास्फेट के मामले में उत्पादकों को प्रति

टन देय आर्थिक सहायता की भी सीमा निर्धारित की जाएगी, ताकि अगले कुछ वर्षों में पूर्ण विनियमन की ओर जाया जा सके; यह सभी उच्च लागत वाली इकाइयों की लागत कम करने और क्षमता में सुधार करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा । इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं आज कृषि मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है ।

34. उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के लिए आर्थिक तर्क अत्यंत स्पष्ट है और इसका विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त, मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जुलाई, 1981 से उर्वरकों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इन दस वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्राप्त हुए धान और गेहूं के खरीद मूल्य और अन्य फसलों के बाजार मूल्यों में भी लगातार वृद्धि हुई है । वसूली मूल्यों में उपयुक्त वृद्धि करके, उर्वरकों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी ।

35. हम यह भी सुनिश्चित करते रहेंगे कि आयोजना संसाधनों का 50 प्रतिशत भाग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निवेशित किया जाए । छोटे और सीमांत किसानों के लिए कुएं खोदने तथा छिछले नलकूपों के लिए सहायता देने की चल रही योजनाओं के लिए व्यवस्था दुगुनी कर दी जाएगी । दुर्गम क्षेत्रों में जहां जल-स्तर बहुत नीचा है, सहायता की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा । इसी प्रकार, पीने योग्य पानी, खारे पानी, जलचर-पालन और तेलहनों व दालों के उत्पादन के लिए सहायता की व्यवस्था में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाएगी । छोटे ट्रेक्टरों और इसी प्रकार के उपकरणों, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और कम पैदावार वाले क्षेत्रों में अच्छे किस्म वाले बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है । इस खरीफ मौसम में कार्यान्वित की जाने वाली एक अन्य नई योजना, राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और किसानों के समूह को थोड़े से शुल्क के भुगतान पर कपास अथवा दालों की फसल के अंतर्गत पता लगाए गए बड़े क्षेत्रों में मुक्त पौध संरक्षण प्रदान करने के संबंध में है । इन क्षेत्रों में एकीकृत कीट प्रबंध के लाभ का प्रदर्शन करना भी संभव होगा । उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में संभावित किसी कमी, और खपत में कमी से बचने के लिए ऋण संबंधी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता विशेषरूप से सुनिश्चित की जा सके । इसके साथ ही संपूर्ण देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और कृषि सलाहकार सेवाओं को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि उर्वरकों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके और जैव-उर्वरकों को लोकप्रिय बनाया जा सके । हम ऐसी कुछ सिंचाई परियोजनाओं का भी पता लगाएंगे, जिन्हें इसी वर्ष पूरा किया जा सके और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाए । अन्य नई योजनाओं को भी धन का अभाव महसूस नहीं होने दिया जाएगा । जहां तक संभव होगा हमारा बल किसानों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने पर होगा, न कि राहतों और आर्थिक सहायता पर ।

36. चीनी से संबंधित आर्थिक सहायता, जिससे राजकोष पर प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है सचमुच एक विपथन है, जो हमारी प्रणाली में जनवरी, 1990 से प्रभावी हुई है, जबकि उत्पादकों को अदा किया जाने वाला वसूली मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए निर्गम मूल्य में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया गया । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, अधिकांशत: महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में 5.25 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर चीनी की अल्प मात्रा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि बाजार में अधिकांश व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत अदा करते हैं । सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस आर्थिक सहायता को तत्काल

12—189 एल०एस०एस० (एनडी)/91

समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप आज शाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का निर्गम मूल्य 85 पैसे प्रति कि०ग्रा० बढ़कर 6.10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि यह कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण निर्धनों की चावल और गेहूं जैसी खाद्यान्नों की बुनियादी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और अधिक कारगर ढंग से सेवा कर सके। चालू वर्ष में खाद्यान्न संबंधी आर्थिक सहायता की व्यवस्था बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए की जा रही है, जबकि अन्तरिम बजट में केवल 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी तथा 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 2,450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

37. विभिन्न दरों में समायोजन के फलस्वरूप, जो जुलाई, 1991 के शुरू में किए गए थे, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात बिल की रुपयों में कीमत में वृद्धि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की जाए। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को रोकने में भी सहायता मिलेगी। मोटर स्पिरिट, घरेलू एल०पी०जी० और देश के अंदर उपयोग के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। डीजल तथा गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए केरोसीन को छोड़कर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए केरोसीन की कीमत 10 प्रतिशत कम कर दी जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि 15 अक्तूबर, 1990 से लागू कीमत में वृद्धि की दृष्टि से 50 प्रतिशत तक वापस जाना। सर्वाधिक कठिन वित्तीय स्थिति में भी ऐसा गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिनके लिए केरोसीन, प्रकाश और ईंधन का एक अनिवार्य स्रोत है। यद्यपि डीजल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी, मैं किसानों के हितों की रक्षा करने का भी प्रयास करूंगा, जो डीजल का उपयोग करते हैं और इस प्रयोजन के लिए मैं राज्य सरकारों के साथ चर्चा करूंगा। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि इस शाम से प्रभावी हो जाएगी और इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है।

38. ब्याज अदायगियों, रक्षा और आर्थिक सहायताओं को छोड़कर, आयोजना-भिन्न व्यय के संबंध में 1991-92 के बजट अनुमानों में 28,073 करोड़ रुपए की कुल व्यवस्था, 1990-91 के संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था की तुलना में 1,538 करोड़ रुपए की कमी दर्शाती है। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि चालू वर्ष में मंत्रालयों और विभागों द्वारा महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के भुगतान के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, तो ऐसे अन्य आयोजना-भिन्न व्यय में कुल कमी 2,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। हाल के वर्षों में, मंत्रालयों को अनुदेश जारी करने की यह एक सामान्य प्रथा रही है कि इस प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अनुमोदित बजट अनुमानों में से ही पूरा किया जाना चाहिए। इससे अनिवार्य रूप से योजना पक्ष से संबंधित कुछ कार्यक्रमों को उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। मेरा इरादा आयोजना-भिन्न प्रशासनिक व्यय में अधिकतम संभव मितव्ययिता लागू करने का है। अत: सभी मंत्रालयों से अपने-अपने कार्यकलापों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि जो प्राथमिकताएं सूची में सबसे नीचे हैं, उनके लिए कम व्यवस्था की जाए, जबकि जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है उनके लिए व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। सभी मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में प्रयत्न पहले ही प्रारंभ किए जा चुके हैं और यह कार्य अगस्त, 1991 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इस दृष्टिकोण से, अन्य आयोजना-भिन्न व्यय में प्रस्तावित कमी, जिसका मैं सदन के समक्ष वायदा कर रहा हूं, योजना कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था में कमी किए बिना और अधिक सार्थक तरीके से लागू की जाएगी ।

39. आयोजना-भिन्न व्यय का एक बड़ा घटक और है, जो राजकोष पर भार है । मैं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम के अंतर्गत सरकार की बाध्यता का उल्लेख कर रहा हूं । दुर्भाग्यवश, पिछले वर्ष लागू की गई इस स्कीम के अंतर्गत कुल राजकोषीय देयता के संबंध में बहुत कम अनुमान लगाया गया था । पिछले वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में उपलब्ध कराई गई 1,500 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त हमें चालू वर्ष में 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है । लेकिन, इतना ही पर्याप्त नहीं है । हमें अगले वर्ष के लिए भी इतनी ही राशि की व्यवस्था करनी होगी ।

40. व्यय के क्षेत्र में प्रमुख समायोजनों के परिणामस्वरूप, जिनका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है, वर्ष 1991–92 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय के लिए बजट अनुमान 79,697 करोड़ रुपए है । ब्याज अदायगियों को अल्पावधि में कम करना सम्भव नहीं है । ब्याज अदायगियों को छोड़कर, चालू वर्ष के लिए आयोजना-भिन्न व्यय में की गई व्यवस्था, 1990–91 के संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था की तुलना में 4.9 प्रतिशत की कमी दर्शाती है, और जो व्यवस्था इस वर्ष के लिए की जानी थी, उसकी तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की कमी दर्शाती है, लेकिन ऐसा लागू किए जा रहे विशिष्ट उपचारात्मक उपायों के कारण संभव हुआ है । इस प्रकार हमने आयोजना-भिन्न व्यय में 10 प्रतिशत की कमी करने की अपनी वचनबद्धता पूरी कर दी है, जिसका हमारे घोषणापत्र में उल्लेख किया गया था ।

41. कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में विकास संबंधी हमारी कार्यनीति में विशेष बल वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है । इनमें रोजगार कार्यक्रमों में पर्याप्त वृद्धि करना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण, सिंचाई वाले कुओं के लिए कार्यक्रम का विस्तार आदि शामिल हैं । इसके लिए आयोजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने और कुछ मामलों में उनके पुन:निर्धारण करने की जरूरत होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और गरीबों के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के लिए व्यय पर अधिक बल दिया जा सके । निस्संदेह, हमारी कार्य नीति, पहली अप्रैल, 1992 से शुरू होने वाली आठवी पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित होगी । हमारा यह प्रयत्न होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को इस कैलेण्डर वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया जाए, ताकि 1992–93 के लिए वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ उस वर्ष के लिए केन्द्रीय और राज्यों के बजटों में बदली हुई प्राथमिकताओं को दर्शाया जा सके ।

42. चूंकि पहले लेखानुदान केवल प्रथमचार माह के व्यय को पूरा करने के लिए लिया गया था, इसलिए यह बजट जुलाई, 1991 के अन्त से पहले प्रस्तुत किया जाना था । इसलिए 1991–92 के लिए वार्षिक योजना का पुन:निर्धारण करने के लिए हमारे पास समय नहीं था, जिसमें हमारी विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरी तरह से परिलक्षित किया जा सके । इसके अलावा, इस वर्ष की वार्षिक योजना का भारी राजकोषीय उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में समायोजन करना पड़ा है, जिन-पर हमे अमल करना है । वस्तुत: पहले यह अनुभव किया गया था कि केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन और राज्यों के लिए केन्द्रीय आयोजना सहायता में पर्याप्त कमी करना आवश्यक होगा । तथापि, सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि आयोजना-भिन्न व्यय में प्रस्तावित पर्याप्त

कटौतियों के फलस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता के प्रवाह को अब 14,710 करोड़ रुपए के स्तर पर बनाए रखना संभव होगा, जैसा कि 1991-92 के अंतरिम बजट में दर्शाया गया है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय 19,015 करोड़ रुपए के बजट समर्थन सहित 42,969 करोड़ रुपए के स्तर पर मामूली वृद्धि दर्शाता है।

43. मुझे इस बात का अहसास है कि विद्युत, कोयला, संचार और पैट्रोलियम जैसे मूल आधारभूत क्षेत्रों पर हमें और अधिक ध्यान देना होगा। वर्तमान स्थिति में, जबकि विदेशी मुद्रा की अत्यंत कमी है, यह विशेष रूप से आवश्यक है कि कोयले, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युतीय ऊर्जा के घरेलू उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। उद्योग, कृषि, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक किफायत को प्रोत्साहित करने के लिए भी त्वरित आधार पर प्रयास करने होंगे। पारेषण तथा वितरण लाइनों में होने वाली हानियों में भी भारी कटौती करनी होगी, जो इस समय 22 प्रतिशत तक के अत्यधिक स्तर पर ही रही हैं। एक बार स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा लेने के बाद हम इस काम पर ध्यान लगाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि अब किए जा रहे राजकोषीय उपचारात्मक उपायों के फलस्वरूप, तब तक साधनों की स्थिति में सुधार होने से हमें आवश्यक नम्यता प्राप्त हो जाएगी। इस समय मेरा प्रयास है कि राजकोष पर बाध्यकारी दबावों के बावजूद केन्द्रीय आयोजना के लिए उचित सहायता के माध्यम से आवश्यक निवेश बनाए रखे जाएं।

44. यह बजट तैयार करते समय, मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि राजकोषीय समायोजन का भार राज्य सरकारों पर न पड़े। मेरा यह विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार को राजकोषीय उपचारात्मक उपाय लागू करके एक उदाहरण कायम करना चाहिए और मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, प्रयास करेंगी। विशेषकर, मैं उनसे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इण्डिया और भारतीय रेलवे को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय राशियों का भुगतान तत्काल किए जाने के अनुरोध करना चाहूंगा। हम राज्य स्तर के उद्यमों को केन्द्र से राज्यों को साधनों के अनियोजित और अनधिकृत अंतरण का माध्यम नहीं बनने दे सकते। यह न तो उचित है और न ही न्यायसंगत। अतः यह प्रथा तत्काल बंद की जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को अपने राजकोषीय निष्पादन को सुधारने तथा अपने सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली को कारगर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्हें मुझसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं उन्हें भारतीय रिजर्व बंक से अनधिकृत ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने की अनुमति देकर राजकोषीय ढिलाई को पनपने दूं। मैं चाहता हूं कि वे देश की राजकोषीय स्थिति को सुधारने के कठिन कार्य में सक्रिय सहयोगी बनें।

45. वृहत् आर्थिक समायोजन की प्रक्रिया, जिसे इस बजट के साथ शुरू किया जा रहा है, को पूरा होने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। समायोजन का यह कार्य मानवीय ढंग से होना चाहिए। इसलिए, परिवर्तन की इस अवधि के दौरान हम हर तरह से यह प्रयास करेंगे कि गरीबों पर इस समायोजन का कम से कम भार पड़े। कुछ सीमा तक गरीब लोगों पर भार कम ही पड़ेगा, जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाएगी। हम मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करेंगे। इस बजट की यह राजकोषीय नीति इस संबंध में मुख्य रूप से योगदान देगी। इसके अतिरिक्त हमारा यह प्रयास रहेगा कि सामाजिक क्षेत्रों के लिए परिव्यय में वृद्धि करके गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना, रोजगार के अवसर पैदा करना जैसे कार्यों

को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी रहेगा । इसके साथ ही, सरकार समाज के सर्वाधिक कमजोर और असुरक्षित वर्गों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है ।

46. ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय, जो पिछले वर्ष 3,115 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर इस वर्ष 3,508 करोड़ रुपए किया जा रहा है । इसमें केवल रोजगार कार्यक्रमों के लिए 2,100 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । विभिन्न रोजगार संबंधी कार्यक्रमों से लगभग 90 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार सृजित होने की संभावना है । यदि, इस वर्ष हम अपने घोषणापत्र में बताएं गए 100 करोड़ कार्यदिवस के लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वह अवधि, जिसमें ऐसे रोजगार की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, पहले ही समाप्त हो चुकी है । इस समय तैयार की जा रही आठवी योजना में हमारी पार्टी के घोषणापत्र में उल्लिखित दीर्घावधिक रोजगार लक्ष्यों और सिंचाई कुंओं के निर्माण जैसे लक्ष्यों, शहरी रैन-बसेरे और सुलभ-शौचालयों तथा गांवों में निर्धन पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक नीति और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा ।

47. ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए व्यवस्था को बढ़ाकर 758 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जिससे वर्ष 1992–93 के अंत तक "स्रोतहीन समस्या वाले गांवों" को पूरी तरह से इसके अंतर्गत शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की जा रही है । पहले यह आशा की गई थी कि इन सभी गांवों को आठवीं योजनावधि के अंत तक शामिल कर लिया जाएगा । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी थी और इस प्रयोजन के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की थी । अब श्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों की कमी आड़े न आए ।

48. यह बड़ी चिंता की बात है कि योजना प्रक्रिया के चार दशकों के पश्चात् भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को हम अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं । इस कार्यक्रम के लिए विगत में भी अपर्याप्त राशि आवंटित की गई है । अब यह निर्णय लिया गया है कि न केवल शुष्क शौचालयों को बदलने संबंधी कार्यक्रम में तेजी लाई जाए, बल्कि सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और उनके पुन:प्रशिक्षण के लिए आवंटन की राशि में भी वृद्धि की जाए । इस प्रयोजन के लिए, इस कार्यक्रम हेतु आवंटन की राशि में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर वर्ष के दौरान और अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी । इस कार्यक्रम के लिए बढ़ी हुई व्यवस्था को मिलाकर कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के वास्ते कुल परिव्यय, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित हैं, की राशि 1990-91 की 364 करोड़ रुपए की राशि से बढ़ाकर 1991–92 में 479 करोड़ रुपए कर दी गई है । महिला और बाल विकास विभाग, जो हमारे निर्धन समाज के दो सर्वाधिक सुविधाहिन वर्गों का कार्य देखता है, के लिए पिछले वर्ष के 330 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर इस वर्ष 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए मैं 1991–92 के लिए 1,051 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था कर रहा हूं, जबकि 1990–91 में यह राशि 950 करोड़ रुपए थी ।

49. सामाजिक क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों का आवंटन मानव संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मेरे लिए शिक्षा, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका पुनर्निर्माण करने का हमारा प्रयास केवल तभी सफल हो सकता है, जब हम अपने लोगों के लिए निवेश करें। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रथम पीढ़ी के शिक्षा ग्रहण करने वाले वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अवसर की समानता को सही अर्थों में महत्व देना है, तो अच्छी शिक्षा अमीर लोगों के बच्चों का ही विशेषाधिकार नहीं रहना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि हमारे सामने चाहे जो भी बाधाएं हों, वित्तीय समर्थन के अभाव में शिक्षा के कार्यक्रम प्रभावित न हों। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को हमारे 21वीं सदी में पहुंचने से पहले एक वास्तविकता बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, परंतु इसके साथ ही, इन संस्थाओं में किए गए वर्तमान निवेश से इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताएं बहुत अधिक है और हमें संसाधनों का पता लगाने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया गया बजट समर्थन एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु यह एकमात्र स्रोत नहीं बने रह सकते। मैं 1990-91 में शिक्षा के लिए किए गए 865 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 1991-92 में 977 करोड़ रुपए कर रहा हूं। यह आवंटन शिक्षा के प्रति मेरी प्रबल वचनबद्धता और शिक्षा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है। मैं इससे भी अधिक करना चाहता था, परंतु हमें राजकोष पर दबाव के साथ रहना सीखना चाहिए।

50. विश्व में वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों की संख्या की दृष्टि से हमारा देश तीसरे स्थान पर है। फिर भी, हमारे देश में प्रौद्योगिकीय विकास न तो इस संख्या के और न ही उस निवेश के अनुरूप हुआ है, जो हम अपनी निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए करते रहे हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी नीति में उपयुक्त परिवर्तन करके इस अंतर को कम करना होगा और हमारे विकास की अपेक्षाओं के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अधिक घनिष्ठता से संबद्ध करके नई प्रौद्योगिकियों के बेहतर उन्नयन, उन्हें खपाने, अपनाने तथा अंगीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। यह काम और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं।

51. सरकार ने पांच नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है। इनमें से पहला कदम पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक निगम स्थापित करना है, जिसे कांग्रेस के घोषणापत्र में पहले 100 दिनों में पूरा करने के लिए शामिल किया गया है। इस निगम के ढांचे और कार्य को कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी घोषणा इस सत्र की समाप्ति से पूर्व कर दी जाएगी।

52. सरकार पर्याप्त धनराशि के साथ एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि (नेशनल रीनिवल फंड) स्थापित करेगी। इस निधि का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी परिवर्तन और उत्पादक उपकरणों के आधुनिकीकरण की लागत की जिम्मेदारी कामगारों पर न पड़े। यह निधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जो कामगारों को प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रतिकूल परिणामों

से सुरक्षा प्रदान करेगी । मेरा अनुमान है कि इस निधि की मात्रा में वृद्धि होगी और राज्य सरकारें भी यथासमय इस निधि में अपना अंशदान करेंगी । यह निधि तकनीकी परिवर्तन के दौरान प्रभावित कामगारों के लिए न केवल सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था करेगी, बल्कि इससे भी अधिक बात यह होगी कि उन्हें पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक लाभकारी उत्पादक भागीदार बनने की स्थिति में हो सकें ।

53. तीसरा कार्यक्रम साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बच्चों की देखभाल से संबंधित है । ये दंगे हमारे गणराज्य की स्वच्छ छवि पर एक धब्बा है । हमारी सरकार सभी धर्मों और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है । साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे । फिलहाल, दंगा पीड़ित परिवारों को अलग-अलग राशियों की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था है । परन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसी क्षतिपूर्ति दंगा प्रभावित परिवारों के बच्चों के हितों की हमेशा रक्षा नहीं करती । वे बच्चे बाद में असंतुष्ट और असंगठित वयस्कों के रूप में बड़े होते हैं । वे असामाजिक तत्वों और प्रतिक्रियावादी दकियानूसी, रूढ़िवादी तत्वों के प्रचार का सरलता से शिकार हो जाते हैं । ऐसे बच्चों के हितों की रक्षा करने, उनके कल्याण, विशेषकर उनकी शिक्षा की देखरेख करने के लिए सरकार एक स्वायत्तशासी गैर-सरकारी संगठन के रूप में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हारमोनी) की स्थापना करने का इरादा रखती है । केन्द्रीय सरकार वर्ष 1991-92 में इस फाउंडेशन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी । मैं राज्य सरकारों तथा साथ ही उद्योग और व्यापार को इस अच्छे उद्देश्य के लिए उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

54. चौथा कार्यक्रम, देश के प्रत्येक भाग से युवकों को बड़ी संख्या में देश के अन्य भागों में जाकर अल्प अवधि के लिए काम करने के योग्य बनाने और उन्हें विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों के साथ परस्पर मिलने का अवसर देने की एक योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए है । इस दिशा में नवोदय विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कदम पहले ही उठाया जा चुका है । इसे अब सुदृढ़ किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा ।

55. पांचवां कार्यक्रम दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संवर्धन से संबंधित है । एक राष्ट्र के रूप में हम गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने विकास संबंधी अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता को बांटने और निकट सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं । भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे तृतीय विश्व में विकास प्रक्रिया में अपना योगदान कर सकें । विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अनुभव, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में बहुत से विकासशील देशों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक और सहायक हो सकता है । हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में हम कम से कम 500 स्वयंसेवकों को चुने हुए देशों में, विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यों में भाग लेने के लिए भेज सकेंगे । इस कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाएगा और इस सत्र की समाप्ति से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाएगी ।

56. इस सदन को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जुलियस के० न्येरेरे की अध्यक्षता वाले 'दक्षिण आयोग' की सिफारिशें स्वीकार करके, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के समर्थन में जनमत जुटाने और इस संबंध में ठोस कार्रवाई कार्यक्रम बनाने के लिए हमारी सरकार को सलाह देने हेतु, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित करने का हमारा प्रस्ताव है।

इस समिति में सरकार, व्यापार और उद्योग, श्रमिक संघों और बुद्धिजीवी व्यवसायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

57. अपने महान नेता राजीव गांधी की यादगार को बनाए रखने के वास्ते तथा उन आदर्शों और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जिनके लिए वह जीवित रहे तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यह फाउंडेशन अन्य बातों के अलावा, विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित कार्रवाई कार्यक्रम, साक्षरता के प्रचार-प्रसार, पर्यावरण की सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रोन्नयन, कम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों, स्त्रियों और विकलांग व्यक्तियों के उत्थान, प्रशासनिक सुधार तथा विश्व-अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर विशेष रूप से जोर देगा । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में तथा फाउंडेशन के सराहनीय उद्देश्यों के समर्थन में सरकार ने चालू वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए का अंशदान करने का निर्णय किया है ।

58. इन नये कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक ठीक-ठीक राशियों का निर्धारण हो जाने तक, वित्त मंत्रालय के योजना परिव्यय में 250 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की व्यवस्था सम्मिलित की गई है ।

59. 1991—92 के लिए कुल 1,13,422 करोड़ रुपए के व्यय की बजट व्यवस्था की गई है, जिसमें से 79,697 करोड़ रुपए योजना-भिन्न व्यय तथा 33,725 करोड़ रुपए योजनागत व्यय के लिए है ।

60. राजस्व प्राप्तियों के क्षेत्र में, कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 66,218 करोड़ रुपए का सकल-कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि, इसकी तुलना में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 58,916 करोड़ रुपए थी । 1991-92 में राज्यों को करों में से उनके हिस्से के रूप में 15,643 करोड़ रुपए की अदायगी की जाएगी जबकि 1990-91 के लिए संशोधित अनुमानों में यह राशि 14,535 करोड़ रुपए थी । इस प्रकार, केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियां, जिनमें कर-भिन्न राजस्व शामिल है, 1991-92 में बढ़कर 65,524 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 1990-91 में यह राशि 57,381 करोड़ रुपए थी ।

61. पूंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, इस वर्ष बाजार उधार की राशि 7,500 करोड़ रुपए होगी जोकि पिछले वर्ष की 8,000 करोड़ रुपए की राशि से कम है । यह केन्द्रीय सरकार के उधारों को कम करने के लिए ठोस प्रयासों का एक भाग है, जो वरना पिछली प्रवृत्तियों के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत और अधिक हो गई होती । लघु बचत के निवल संग्रहण से 8,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के बराबर ही है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनींदा उपक्रमों में से अपनी इक्विटी का 20 प्रतिशत भाग का विनिवेश करके उसे सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तथा पारस्परिक निधियों के पक्ष में अंतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोष में 2,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी । इस विनिवेश से इक्विटी का आधार विस्तृत होगा, प्रबन्ध में सुधार होगा तथा इन उद्यमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी ।

62. विदेशी सहायता से, जिनमें अनुदान को छोड़कर, 3,510 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है, जब कि 1990–91 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 3,984 करोड़ रुपए थी। यद्यपि विनिमय दर में हाल ही के समायोजनों के परिणामस्वरूप, ऋण की वापसी अदायगी और ब्याज अदायगी संबंधी देयताओं में हुई वृद्धि को बजट अनुमानों में पूरी तरह से दर्शाया गया है, तथापि विनिमय दर में समायोजनों के कारण विदेशी सहायता के रुपए मूल्य में होने वाली संभावित वृद्धि का अभी अन्दाजा लगाया जा रहा है। इन प्राप्तियों में जिस सीमा तक वृद्धि होगी, उसी के अनुसार व्यय में भी वृद्धि हो जाएगी, जबकि यह सहायता उन संबंधित परियोजनाओं या स्कीमों को प्रदान की जाएगी जिनके लिए यह सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार, ये परिवर्तन बजटीय घाटे को निष्प्रभावी करने वाले होंगें तथा इन्हे संशोधित अनुमान तैयार करते समय सम्मिलित कर लिया जाएगा।

63. प्राप्तियों और व्यय की अन्य भिन्नताओं को हिसाब में लेते हुए, कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार कुल 1,03,698 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है तथा कुल व्यय 1,13,422 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार, अतिरिक्त संसाधन जुटाए बिना, बजटीय घाटा 9,724 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा 15,859 करोड़ रुपए तथा राजकोषीय घाटा 39,732 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

6.00 म०प०

64. माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि व्यय सम्बन्धी समायोजन, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित राजकोषीय समाधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु, सरकार की आय बढ़ाने के लिए राजस्व जुटाने के उपायों के बगैर राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब मैं प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में राहत, प्रोत्साहन तथा लेवी प्रस्तुत करने में सदन के सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

65. प्रत्यक्ष करों से राजस्व की राशि में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात और कुल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में पिछले समय में लगातार कमी दर्ज की गई। हमारी राजकोषीय पद्धति में न्यायर गति और सन्तुलन बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए। विकास के लिए उन लोगों से साधन जुटाए जाने चाहिए जो क्षमता रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए हमें प्रत्यक्ष करों पर अधिक बल देना चाहिए। इसके लिए जहां कहीं आवश्यक हो दरों में वृद्धि तथा बेहतर कर अनुपालन की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रणाली को युक्ति संगत बनाना; जिससे अधिकतम सीमान्त कर की दर कम होती है, प्रक्रियाएं सरल बनती हैं, रियायतों की प्रचुरता कम होती है और आय के विभिन्न स्तरों पर आयकर की औसत दरें अधिक उचित स्तर पर आती हैं, आवश्यक है। बजट प्रस्तुत करने से पहले इतना समय उपलब्ध नहीं था कि इसमें कोई आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते। फिर भी मैंने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए सजग प्रयास किया है।

66. इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आयकर और धनकर दोनों ही के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन होता है। यदि अगले कुछ महीनों में कर अनुपालन में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ तो सरकार के पास ऐसा अपराध करने पर कर-वंचक को पर्याप्त ऊंची कीमत अदा कराने के कड़े उपाय अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कर-वंचकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से पहले मैं उन्हें काले धन को प्रकाश में लाने का एक अन्तिम अवसर देना चाहूंगा। इस प्रकार जुटाए

13—189 एल० एस० एस० (एनबी)/91

जाने वाले काले धन का उपयोग झोपड़पट्टियों का सुधार करने और ग्रामीण निर्धनों के लिए कम लागत वाले मकानों का निर्माण जैसे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा ।

67. मेरा प्रस्ताव एक स्कीम शुरू करने का है, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 30 नवम्बर, 1991 के दिन की कार्य समाप्ति से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में धन जमा करा सकता है । उसके पश्चात् ऐसी जमा राशि में से 40 प्रतिशत को घटाकर एक विशेष लेवी के रूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक में एक निधि की पूंजी होगी । इस निधि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार झोपड़पट्टियों का सुधार करने और निर्धनों के लिए कम लागत वाले मकानों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा । जमाकर्ता को शेष राशि, उसके द्वारा चुने गए किसी भी प्रयोजन के लिए एकाउन्ट पेयी चैकों के माध्यम से एक अथवा अधिक किस्तों में निकालने की छूट होगी । इस जमा राशि के लिए अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । ऐसी राशि जमा करने वाले व्यक्तियों को निधियों के उन स्रोतों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिनसे वें राशियां जमा की गई हैं । दूसरे शब्दों में जमा की गई धनराशि के सम्बन्ध में, कोई जांच-पड़ताल अथवा अन्वेषण नहीं किया जाएगा । तथापि प्रत्यक्ष कर कानून के उपबन्ध विशेष लेवी की कटौती के बाद, जमा करने की तारीख से, निवल जमा राशि पर लागू होंगे । संबंधित व्यक्ति की आय के आकलन में लेवी की रकम के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति नहीं होगी । इस संबंध में आवश्यक विधान, संसद के इसी सत्र में शीघ्र ही पेश किया जाएगा । स्कीम के ब्यौरे तथा इसके लागू होने की तारीख भी शीघ्र ही घोषित की जाएगी ।

68. आयकर अधिनियम में एक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत, करदाता जीवन में एक बार घोषित की गई राशि पर दण्ड और ब्याज की छूट पाने की सुविधा का लाभ उठा सकता है। जिन व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ उठा लिया है, मेरा प्रस्ताव उन्हें अपनी बेहिसाबी आय बताने का एक और अवसर देने का है । इस प्रयोजन के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 273क में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव सम्मिलित है ।

69. समझौता आयोग की स्थापना निर्धारिती को उसकी अघोषित आय और धन की घोषणा करने का अवसर देने के लिए की गई थी । विद्यमान प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आयकर आयुक्त, कुछ आधारों पर समझौता आयोग द्वारा कोई आवेदन स्वीकार करने पर आपत्ति कर सकता है । इससे अनावश्यक देरी होती है । इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है । तथापि, समझौता आयोग, आयुक्त की रिपोर्ट मांगता रहेगा और उस पर ध्यान देगा, बशर्ते की यह रिपोर्ट छः महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाए ।

70. हमारे चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया गया है कि हम उपयुक्त कर छूटों द्वारा लाभों के पुनर्निवेश को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करेंगे, जहां बड़े पैमाने पर निवेश की अत्यन्त आवश्यकता है, जैसे कि कम और मध्यम आय वर्ग के सामूहिक आवास, राजमार्ग, सड़कें और पुल, गैर-परम्परागत ऊर्जा, स्कूली इमारतें और पेयजल आपूर्ति । इसलिए, कोई व्यापार अथवा व्यवसाय चलाने वाले किसी भी करदाता के कर-योग्य लाभ का आकलन करने में, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली स्कीमों अथवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अदा की गई पूरी राशि की कटौती की व्यवस्था करने के लिए मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम में एक प्रावधान करने का है। दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मेरा प्रस्ताव प्रमुख व्यक्तियों की एक

राष्ट्रीय समिति गठन करने का है जो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनके लिए सहायता की आवश्यकता हैं, तथा यह समिपित विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों की सिफारिश करेगी । कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय न करने वाले करदाताओं के मामले में भी इसी प्रकार की कटौती की अनुमति होगी ।

71. शिक्षा और अनुसंधान के लिए मेरी वचनबद्धता को देखते हुए तथा हमारी विकास प्रक्रिया में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव कुछ कर-रियायतें देने का है, जिनसे सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के वित्तपोषण में मदद मिलेगी तथा जिनसे लेखकों और प्रकाशकों को कुछ प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

72. इस समय कोई व्यापार या व्यवसाय करने वाले करदाताओं को ही उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार की श्रेणी से सम्बद्ध सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए किसी अनुमोदित विश्व-विद्यालय, कॉलिज अथवा अन्य संस्थाओं को अदा की गई राशि के संबंध में कटौती की छूट प्राप्त है । मेरा विचार है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में शोध कार्य करने के लिए और अधिक कर-प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है । इसलिए मेरा प्रस्ताव, इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए, चाहे उस व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नहीं । अदा की गई राशि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की शत-प्रतिशत कटौती की छूट देने का है । मेरा प्रस्ताव, कोई व्यापार अथवा व्यवसाय न करनें वालें कर-दाताओं को भी इस कटौती की छूट देने का है ।

73. हमारे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में, पुस्तकों की भूमिका के महत्व को दोहराना आवश्यक नहीं है । अच्छी और कम कीमत की पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा प्रकाशन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव वर्तमान लेखावधि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभों में से 20 प्रतिशत की कटौती की छूट फिर से शुरू करने का है । विभिन्न भारतीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय में से भी 25 प्रतिशत की कटौती फिर से शुरू करने का है । यह भी चालू आय अर्जन अवधि से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी ।

74. विदेशी संस्थात्मक निवेश आकर्षित करने के लिए, ऑफशोर कन्ट्री फण्ड विशेषत: अनिवासी भारतीयों से, महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है । भारत में इस दिशा में 1989 में शुरूआत की थी । तथापि हाल में ऑफशोर कन्ट्री फण्ड में विदेशी संस्थात्मक निवेशकों की रुचि में कमी के लक्षण देखने में आए हैं । तुलनात्मक राष्ट्रीय कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह की दिशा को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है । इसलिए मेरा प्रस्ताव, यू० टी० आई० के यूनिटों अथवा अन्य पारस्परिक निधियों से ऑफशोर निधियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय व ऐसे यूनिटों से दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों पर कर की दर को पर्याप्त रूप से कम करने का है । लाभांश आय पर कर की प्रस्तावित दर 10 प्रतिशत होगी, जबकि इस समय यह दर 25 प्रतिशत है । दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव 10 प्रतिशत की इसी दर का है, जबकि इस समय लगभग 45 प्रतिशत की दर प्रभावी है ।

75. दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुसंख्यकों के संघर्ष में हमारी गहरी भावात्मक रुचि को ध्यान में रखते हुए तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता की पुष्टि के रूप में मेरा प्रस्ताव है कि अफ्रीका निधि के लिए दान, आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत 100 प्रतिशत कटौती के पात्र होंगे ।

76. सरकार अपने अभागे विकलांग नागरिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है । उनकी कठिनाई को कुछ सीमा तक कम करने के प्रयास के रूप में मेरा प्रस्ताव, पूर्णतः नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 80प के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का है । इस कर-रियायत का लाभ आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों को भी देने का प्रस्ताव है ।

77. आवास सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना सरकार की सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है । इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर छूट का लाभ, राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता स्कीम जैसी ही हुडको और राज्य आवास बोर्डों जैसे सार्वजनिक आवास निगमों द्वारा शुरू की गई संविदात्मक स्कीमों पर भी लागू करने का है । इसके अतिरिक्त, धारा 88 के अन्तर्गत कर सम्बन्धी छूट, भूमि की लागत के लिए लिए गए ऋणों की किस्तों/वापसी अदायगी तथा उन स्थितियों, जिनमें मकान पहली अप्रैल, 1987 से पहले खरीदा अथवा निर्मित कराया गया था, में भी उपलब्ध होगी ।

78. हमारे साफ्टवेयर उद्योग ने हाल ही के वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है । तथापि, वृद्धि के लिए अभी भी बहुत बड़ी अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है। यही समय है जब हम समुद्र-पारीय साफ्टवेयर बाजार पर अधिकार करने का प्रयास कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ मैं साफ्टवेयर के निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80जजग के अधीन कर सम्बन्धी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । इस छूट से इस उद्योग को निर्यात में तेजी से वृद्धि दर्ज करनी चाहिए ।

79. मैं, संसाधित खनिजों के निर्यात के लिए भी धारा 80जजग के अन्तर्गत छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

80. मेरा विचार है कि वास्तुकला, लेखा-पद्धति आदि जैसी विभिन्न क्षेत्रों में हमारे व्यावसायिकों के पास जो वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक कार्यकुशलता, ज्ञान तथा अनुभव है, उसमें देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अत्यधिक क्षमता है । उनमें से अनेक अपने व्यवसाय को व्यक्तिगत तौर पर अथवा भागीदारी वाली फर्मों के रूप में चलाते हैं । उन्हें धारा 80ण के अन्तर्गत उपलब्ध कर छूट से लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए मैं कर रियायत को, जिससे अभी केवल निगमित क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता है, निगमित भिन्न निर्धारितियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं ।

81. ऐसे क्षेत्रों में जहां आजकल ऐसी सुविधाएं लगभग उपलब्ध नहीं हैं, पर्यटन के आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं पर्वतीय तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित नए स्वीकृत होटलों में किए गए व्यय को दस वर्ष की अवधि के लिए व्यय कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । मैं ऐसे होटलों को धारा 80झ के अन्तर्गत उनके लाभों के सामान्य 30 प्रतिशत कटौती के स्थान पर 50 प्रतिशत कटौती देने का भी प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करें।

82. हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में स्वस्थ पूंजी बाजार की भूमिका की सराहना के संकेत के रूप में, मैं दीर्घावधिक पूंजी प्राप्तियों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अभी उपलब्ध 10,000 रुपए की मूल कटौती को 15,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

83. जैसा कि, पहले बताया गया है, मैं कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर राजस्व के अनुपात में ह्रास की प्रवत्ति को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहता हूं। इसलिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता के माध्यम से इस वर्ष अतिरिक्त संसाधन जुटाने का मेरा प्रस्ताव है। मैं अब बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा राजस्व जुटाने के लिए अतिरिक्त कर लगाने के अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

84. ऐसे आय-अर्जकों का पता लगाने के लिए, जिनमें से अधिकांश अन्यथा अपनी आय घोषित नहीं करेंगे अथवा अपनी पूरी आय घोषित नहीं करेंगे, सरकार को सक्षम बनाने के वास्ते मेरा प्रस्ताव, कमीशन, बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर अदा किए गए ब्याज और राष्ट्रीय बचत योजना से आहरणों जैसे भुगतान के नए क्षेत्रों को स्रोत पर कर की कटौती की योजना में शामिल करने का है। छोटे जमाकर्ताओं के लिए असुविधा को न्यूनतम करने के लिए केवल प्रतिवर्ष 2,500 रुपए से अधिक के ही भुगतान के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो सीमा से अधिक भुगतान प्राप्त करेंगे, परन्तु जिनकी आय कर योग्य नहीं है, उन्हें निर्धारित तरीके से घोषणापत्र प्रस्तुत करके कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त करने की सुविधा होगी।

85. आय में से अल्पावधिक पूंजी हानियों को प्रतिसन्तुलित करने की वर्तमान व्यवस्था से कर वंचन होता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से होने वाली हानि का केवल अन्य पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से होने वाली प्राप्ति में से ही समंजन किया जाना चाहिए। यह ही तार्किक है। कुछ बेइमान करदाताओं द्वारा खरीदी जाने वाली अल्पावधिक पूंजीगत हानियों की प्रथा भी इससे समाप्त हो जानी चाहिए।

86. कई वर्षों से, जुआ खेलने की प्रवत्ति रखने वाले लोगों ने दौड़ों को अधिकाधिक संरक्षण प्रदान किया है। मैं घुड़दौड़ सहित दौड़ों से होने वाली आय के सम्बन्ध में 5,000 रुपए की आयकर छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति जो शर्त लगाते हैं, अब दौड़ों से होने वाली अपनी आय को सरकार के साथ बांटने में आनन्द का अनुभव करेंगे।

87. प्रोफेसर कल्डोर ने एक बार कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में 45 प्रतिशत से अधिक आयकर की अधिकतम सीमांत दर नहीं होनी चाहिए। हम एक ऐसी कर प्रणाली के प्रति दृढ प्रतिबद्ध हैं जो सरल, विश्वसनीय और साथ ही प्रगतिशील हो, जिसमें लोग यह महसूस करें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वर्तमान राजकोषीय कठिनाइयों पर जैसे ही हम काबू पाएंगे, वैसे ही हम इस दिशा में शुरूआत करने की उम्मीद करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रक्रिया हमारी सरकार की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूरी कर ली जाएगी। यदी सभी करदाता अपना आयकर पूर्णतः और तुरन्त अदा करने का निश्चय कर लें तो वे स्वयं कर सुधार की प्रक्रिया को तेज करने में मदद दे सकते हैं। परन्तु राजकोषीय संकट के बीच में ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है। हमें अच्छे समय का इन्तजार करना होगा। इन परिस्थितियों में, मैं जो कुछ कर सकता हूं, वह यही है जो मैं इस वर्ष : के लिए प्रस्ताव कर रहा हूं। अधिभार सहित वैयक्तिक आय कर दर के ढांचे को अपरिवर्तित रखना। मैंने करदाता पर और बोझ नहीं डाला है, यही अपने आप में एक राहत है।

88. मुझे धनकर की दरों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता हेतु बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे इन अभ्यावेदनों में काफी बल दिखता है। तथापि राजस्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही समयाभाव के कारण मैं धनकर की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

89. धन कर लगाने के प्रयोजन के लिए, परिसम्पत्तियों का नियमानुसार मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को उनके बाजार मूल्य अथवा उसके लगभग मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। मेरे विचार से इन नियमों में कुछ विसंगति पैदा हो गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके नाम से कोई परिसम्पत्ति है तो उसका मूल्यांकन बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। लेकिन, यदि व्यक्तियों के किसी समूह के पास कोई परिसम्पत्ति किसी निवेश कम्पनी के माध्यम से है तो इन परिसम्पत्तियों का कर योग्य मूल्य काफी कम हो जाता है, क्योंकि यह बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि खाता मूल्य पर आधारित होता है। इसलिए, मैं इस विसंगति को हटाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके लिए यह व्यवस्था होगी कि निवेश कम्पनियों के अनुद्धृत शेयरों का मूल्यांकन करते समय, परिसम्पत्तियों का विघटन मूल्य उनके बाजार मूल्य के अनुसार किए गए पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होगा।

90. मैं इस बात से निराश हूं कि हाल के वर्षों में निगमित क्षेत्र के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, मूल्यवर्धित और लाभ उचित रूप से निगम कर प्राप्तियों में परिलक्षित नहीं हुए हैं। विशेषकर पिछले वित्तीय वर्षों का अनुभव गम्भीर चिंता की बात है। इसलिए, मैं बहु-जनधारित कम्पनियों के लिए निगम कर की दर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर रहा हूं। अल्प-जनधारित कम्पनियों के लिए भी निगम कर की दर में 5 प्रतिशत बिन्दु की समनुरूप वृद्धि करके 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की जा रही है। मैं 15 प्रतिशत के अधिभार को भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

91. व्यापारिक कम्पनियों और औद्योगिक कम्पनियों के बीच निगम कर की दरों में पारम्परिक भिन्नता अपनी उपयोगिता की दृष्टि से काफी पुरानी हो गई है। इसलिए, मेरा प्रस्ताव इस भिन्नता को समाप्त करने का है।

92. मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मध्यावधि में निगम कर की दरें और प्रणाली, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनना है। मैं वर्तमान राजकोषीय संकट पर काबू पाने के बाद शीघ्र ही इस कार्य पर ध्यान दूंगा।

93. हमारी अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि पूंजी दुर्लभ है। इन आर्थिक वास्तविकताओं को हमारे राजकोषीय नीति में परिलक्षित होना चाहिए। फिर भी, पिछले कई वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में अधिक पूंजी सघनता के प्रति चिन्ताजनक बदलाव देखा गया है। इससे उन मामलों में भी विकृति और परिहार्य कठिनाई उत्पन्न हो गई है, जिनमें श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है अथवा उत्पादन के पूंजी घनत्व वाले उपायों को अपना कर रोजगार की संभावनाओं को कम कर दिया जाता है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अन्य आर्थिक और तकनीकी विचारों के अनुसार ऐसा बदलाव न्यायोचित नहीं है, राजकोषीय प्रोत्साहनों से ऐसे बदलाव को मदद मिली है। यद्यपि, प्रौद्योगीकीय उन्नयन और सतत आधुनिकीकरण की अनिवार्यताओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे उद्योग क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी सघनता को रोका जाना चाहिए।

94. संयंत्र और मशीनरी के बारे में, 1987 में निर्धारित की गई मूल्यह्रास की दरें काफी उदार हैं तथा इनके अन्तर्गत टूट-फूट के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति से कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मूल्यह्रास की इन दरों से व्यापारिक परिसम्पत्तियों की वास्तविक आर्थिक अवधि का

पता नहीं चलता है। अधिकांश संयंत्र और मशीनरी के मामलों में लागू 33.33 प्रतिशत की वर्तमान दर के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति छः वर्षों में पूरी तरह से अवलिखित होगी। मेरे विचार में, भारत में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की गति, व्यापारिक परिसम्पत्तियों की वास्तविक आर्थिक अवधि तथा कर प्रेरित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आठ वर्ष की अवधि अधिक युक्तिसंगत होगी। इसलिए, मैं मशीनरी और संयंत्रों के लिए मूल्यह्रास की सामान्य दर 33.33 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं हवाई जहाजों, मोटर बसों, मोटर टैक्सियों तथा कुछ अन्य उपस्करों के मूल्यह्रास की दर को 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूँ, जिससे लागत की पूरी वापसी पांच वर्षों की बजाए छः वर्षों में होगी। लेकिन, ऊर्जा बचाने वाले यंत्रों तथा पुनर्जीवीय-ऊर्जा यन्त्र के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे कुछ अन्य संयंत्रों और मशीनरी तथा उनकी मदों के मामले सें 100 प्रतिशत मूल्यह्रास की दर को जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, जिस परिसम्पत्ति का प्रयोग वर्ष में 6 महीने से कम अवधि के लिए किया जाता है, उन मामलों में मैं मूल्यह्रास की दर को सामान्य दरों के 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

95. विशेष संस्थाओं को उनकी प्रारम्भिक अवस्था में कर-सहायता देना आवश्यक है। लेकिन इसे निरन्तर जारी नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अलग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसकी स्थापना के पश्चात् से ही अपनी आय पर सम्पूर्ण कर छूट मिली हुई है। मैं इस छूट को वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है।

96. 1987 में, सरकार ने आडम्बरपूर्ण व्यय पर कर लागू किया था। यह कर उन होटलों, जिनमें कमरे का किराया 400/- रुपए प्रतिदिन से अधिक है, में किए गए व्यय के 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। मेरा इस कर को उन रेस्तराओं में किए जाने वाले व्यय पर भी लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें वातानुकूलन जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह कर ऐसे व्यय पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

97. बाध्यकारी राजकोषीय दबावों तथा संसाधन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं ब्याज-कर को फिर से लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसे सर्वप्रथम 1974 में शुरू किया गया था और 1978 में उठा लिया गया था तथा जिसे 1980 में संशोधित रूप में फिर से शुरू किया गया था और अन्ततः 1985 में उठा लिया गया था। मैं इस कर के क्षेत्र को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। यह नया कर सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमित क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत में दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर मिलने वाली ब्याज की सकल राशि पर लगाया जाएगा। ये संस्थाएं उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दरों में आवश्यक समायोजन करके अपनी प्रतिपूर्ति कर लेंगी। इस प्रस्तावित कर से उधार की लागत में वृद्धि होने तथा सरकार को राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इसलिए, इसका मौद्रिक तथा राजकोषीय दोनों प्रकार का प्रभाव होगा।

98. यह प्रस्तावित कर, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय कम्पनियों द्वारा भारत में दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित सकल ब्याज की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। विभिन्न ऋण संस्थाओं के बीच हुए लेन-देनों पर प्राप्त ब्याज को इस प्रस्तावित कर से मुक्त रखा जाएगा। प्रस्तावित कर भविष्य में लागू होगा तथा 1 अक्तूबर, 1991 से पहले अर्जित होने वाले ब्याज पर कर

नहीं लगाया जाएगा । आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य आय का परिकलन करते समय यह कर कटौती के रूप में अनुमत्य होगा ।

99. प्रत्यक्ष कर कानूनों में किए गए अन्य छोटे-छोटे परिवर्तनों के संबंध में, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता ।

100. प्रत्यक्ष करों पर मेरे प्रस्तावों से 2,139 करोड़ रुपये के निवल राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है, जिसमें से 97 करोड़ रुपए राज्यों को प्राप्त होंगे ।

101. सदन के माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत कठिन है । विदेशी मुद्रा को बड़ी मात्रा में आकर्षित करने के उद्देश्य से मैं दो स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

102. पहली स्कीम के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव यह है कि विदेशी मुद्रा में प्रेषणाएं भारत में किसी भी व्यक्ति को की जा सकती हैं । चाहे भारत में दान प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी प्रेषणा उपहार के रूप में प्राप्त हुई हो, फिर भी उस पर उपहार कर नहीं लगेगा । प्रत्यक्ष कर कानून और विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत ऐसी प्रेषणाओं की निधियों के स्रोतों की जांच-पड़ताल नहीं की जाएगी । दूसरे शब्दों में मेरा प्रस्ताव इन कानूनों के अन्तर्गत ऐसी प्रेषणाओं को मुक्त करने का है । इन प्रेषणाओं की रुपया प्राप्तियों पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान सामान्य तरीके से लागू होंगे । यह स्कीम तत्काल लागू हो जाएगी और 30 नवम्बर, 1991 को कार्य समाप्ति तक खुली रहेगी । इस स्कीम के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे । मेरा प्रस्ताव इस संबंध में सदन के समक्ष यथाशीघ्र आवश्यक विधान पेश करने का भी है ।

103. दूसरी स्कीम के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक भारत विकास बाण्ड जारी करेगा, जिनका मूल्य अमरीकी डालर में होगा । ये बाण्ड अनिवासी भारतीयों द्वारा और उनकी समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होंगे । इन बाण्डों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जिनकी परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी । ये बाण्ड अनिवासी भारतीयों के बीच पूर्णतः हस्तान्तरणीय होंगे । बाण्डों से ब्याज पर आयकर से छूट होगी । परिपक्वता की अवधि तक बाण्ड धनकर से भी मुक्त होंगे । अनिवासी धारक के लिए बाण्ड का अंकित मूल्य और उस पर ब्याज को विनिमय दर संरक्षण के साथ प्रत्यावर्तीत किया जा सकेगा । इन बाण्डों को निवासियों को उपहार रूप में भी दिया जा सकता है, जिन्हें देश में प्रेषणाओं के लिए पहली स्कीम की तरह उन्मुक्ति और क्षमा प्रदान की जाएगी । ऐसी क्षमा और उन्मुक्ति केवल प्रथम निवासी दान प्राप्तकर्ता को ही उपलब्ध होगी । इस उपहार पर उपहार-कर से छूट होगी । निवासी दान प्राप्तकर्ता बाण्ड धारक को भी विनिमय दर संरक्षण और आयकर तथा धनकर से परिपक्वता तक उसी छूट का अधिकार होगा, किन्तु राशि केवल भारत में रुपयों में अदा की जाएगी और उसे विदेश नहीं भेजा जा सकेगा । ये बाण्ड देश में भारतीय स्टेट बैंक की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में 30 नवम्बर, 1991 को कार्य समाप्ति तक बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे । स्कीम के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे । मैं सदन के सम्मुख आवश्यक विधान शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा ।

104. अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने विस्तृत सन्दर्भ को ध्यान में रखा हैं । हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों के अनुसार, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जरूरी वस्तुओं और सामान की

कीमतें नियन्त्रण में रखी जाएं। आडम्बरपूर्ण उपयोग रोका जाना चाहिए और करों का बोझ समाज के अधिक समृद्ध वर्गों द्वारा उठाया जाना चाहिए। इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों की इस प्रकार से संरचना करने का प्रयास किया है कि देशज उद्योगों को बढ़ावा मिले तथा साथ ही निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक मदों के आयात में कोई बाधा न हो। दीर्घावधि में, यदि राजस्व में वृद्धि होती है और कर अनुपालन में सुधार होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की दरें कम हो जाएगी। अब भी, आयात शुल्क में कुछ आशोधन का प्रयास किया जा रहा है तथा अगले बजट में प्रणाली को सुचारू बनाने तथा दरों को कम करने के लिए और अधिक व्यापक आधारित प्रयास किए जाएंगे। मैंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से औद्योगिक क्षेत्र की, विशेष रूप से निर्यात-प्रधान उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो।

105. मेरा इरादा, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत व सरल बनाने का है, ताकि प्रणाली में होने वाली देरिया दूर हो सकें तथा साथ ही कर समाहर्ता व करदाता के बीच अन्योन्यक्रिया को कम से कम किया जा सके। समयाभाव को देखते हुए इस बजट में ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकता है, परन्तु शीघ्र ही हम कर प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों के एक भाग के रूप में ठोस उपाय तैयार कर सकेंगे।

106. हाल ही के वर्षों में, अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर अत्यधिक निर्भरता देखने में आई है। इससे लागतों में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसका प्रभाव प्रतिगामी होता है। इसलिए मैं साधन जुटाने के प्रमुख स्रोत के रूप में अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रहा हूं। वस्तुतः, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों का समग्र प्रभाव, जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, राजस्व नकारात्मक है।

107. सीमा शुल्क के क्षेत्र में, पिछले समय में, नवोदित उद्योगों के संरक्षण और राजस्व जुटाने की आवश्यकता के उद्देश्य से ऐसी स्थिति हो गयी है कि कतिपय मदों के लिए निर्धारित आयात शुल्क की दरें असाधारण रूपसे अधिक हैं और अनेक मामलो में ये 300 प्रतिशत से भी अधिक हैं। सुधार के उपाय के रूप में, मेरा प्रस्ताव टेरिफ शिखरों को समाप्त करना तथा जहां अभी सीमा-शुल्क की बुनियादी व सहायक दरों का योग 150 प्रतिशत से अधिक है, उसे कम कर के 150 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रस्ताव है, जिससे 150 प्रतिशत से अधिक की टैरिफ सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद केवल आयातित अल्कोहल वाले पेय पदार्थ तथा यात्री सामान इसका अपवाद होंगे। पूरे वर्ष में इस मद से 132 करोड़ रुपए की हानि होगी।

108. पिछले वर्ष राजकोषीय स्थिति में गिरावट को देखते हुए सीमा शुल्क की सहायक शुल्क दरों को 15 दिसम्बर, 1990 से सभी मदों पर बढ़ा दिया गया था, ताकि अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकें। यह वृद्धि युक्ति संगत नहीं थी और भार की दृष्टि से असमरूप थी। कुछ मामलों में सहायक शुल्क दर 20 प्रतिशतता बिन्दु बढ़कर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई, जबकि कुछ अन्य मामलों में मात्र 5 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ी अर्थात् 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गई। इस अत्यन्त व असमान वृद्धि से कुछ मदों पर शुल्कों का भार अत्यधिक बढ़ गया और इससे समग्र कर ढांचे में विकृतियां भी पैदा हो गई। जो विकृतियां उत्पन्न हो गई थी, उन्हें दूर करने तथा शुल्क दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव लगभग उन सभी मदों पर 10 प्रतिशत बिन्दु की

शुल्क राहत प्रदान करने का है, जिनपर 20 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि कर दी गई थी। तथापि कुछ मदों पर, जो पर्यावरणात्मक संरक्षण, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा बचाने आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, मेरा प्रस्ताव 15 दिसम्बर 1990 से पहले लागू दरों के स्तर को वापस लाने का है। इन मदों में, अवशिष्ट कागज, कच्चा काष्ठ, अगरबत्तियों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाला जिगट, एथीलीन, ईंधन इन्जेक्शन उपस्कर के लिए मशीनरी तथा मुद्रण व समाचार-पत्र उद्योग के लिए मशीनरीं की कुछ मदें शामिल हैं। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप पूरे वर्ष में 472 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

109. सामान्य परियोजनाओं तथा मशीनरी के लिए पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क की प्रचलित दरें सामान्यतः अधिक हैं। यद्यपि इस समय राजस्व निहितार्थों की वजह से, जो इस समय बहुत अधिक हैं, मैं पर्याप्त कटौती नहीं कर मकता, मेरा प्रस्ताव शुल्क दरों को 85 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत करने का है। इसके साथ ही उनके कल-पूर्जों पर शुल्क की दरों को भी 65 अथवा 70 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 5 प्रतिशत कम किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के फलस्वरुप पूरे वर्ष में 167 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

110. स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने सन् 1987 में एक प्रोद्योगिकीय उन्नयन स्कीम शुरू कि थी। इस स्कीम के अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन उपस्करों के विनिर्माण, पेपर मशीनरी, वस्त्र मशीनरी तथा ऐसी मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत उपस्करों के आयात पर राजकोषीय राहत प्रदान की गई थी। भारत में विनिर्मित मशीनों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में यह स्कीम बहुत उपयोगी रही है। इस स्कीम को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव रियायती शुल्क वाली मशीनरी मदों की सूची का विस्तार करने का है, जिन पर 50 प्रतिशत की दर से रियायती शुल्क लगेगा। इसके फलस्वरूप पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

111. हमने अपने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में अनेक नए कदम उठाएं हैं। अब मैं उन कुछ राजकोषीय उपायों का जिक्र करूंगा, जिनसे निर्यात प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा।

112. इस समय मुक्त व्यापार क्षेत्र में लगी इकाईयों अथवा 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान उपक्रमों को अपने उत्पादन का कुछ अनुपात घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है। तथापि, विद्यमान यह शर्त कि देय उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क के बराबर होना चाहिए, बाधक सिद्ध हुई है। इन इकाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इस प्रयोजन के लिए उन्हें घरेलू बाजार में एक आधार का निर्माण करने से नहीं रोका जाना चाहिए। तदनुसार, मेरा प्रस्ताव उस सामान पर जिसे इस स्कीम के अन्तर्गत घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है, उत्पाद शुल्क एक ऐसे स्तर तक कम करने का है, जो ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के आधे के बराबर हो बशर्ते कि, अन्य बातों के साथ-साथ, शुल्क, देशज टैरिफ क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली ऐसी ही मदों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से कम नहीं होगा।

113. समुद्रीय उत्पाद उद्योग के विकास के लिए, इस उद्योग द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट मशीनों पर शुल्क रियायत के रूप में राजकोषीय राहत प्रदान की गई है। मेरा प्रस्ताव इस शुल्क राहत को ऐसी मशीनरी की कुछ और मदों पर भी लागू करने का है। हमारे मछुआरों के कल्याण को ध्यान

में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव, मछलियों का जाल बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले विनिर्दिष्ट धागों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट देने का है।

114. संसाधित चमड़े के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात प्रोत्साहन के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्थाव पोलीयूरेथीन फिल्म तथा फोइल तथा साथ ही पोलीओल्स पर सीमाशुल्क की बुनियादी और सहायक शुल्क को 150 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करने का है। आई-सोसायनेट्स पर शुल्क को 120 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण चर्म परिरक्षकों, यथा टी०सी०एम०टी०बी० और पी०सी०एम०सी० पर आयात शुल्क, जो अभी 150 प्रतिशत से अधिक है, कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है। ये परिरक्षक कुछ अन्य रसायनों का स्थान लेंगे, जिनके बारे में सन्देह है कि उनका कर्कटरोगजनन प्रभाव होता है। मेरा प्रस्ताव, इस समय चर्म उद्योग द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध रियायती शुल्क ऐसी मशीनरी की कुछ और मदों पर भी लागू करने का है।

115. सिन्थेटिक क्यूबिक जिरकोनियम, जो प्राकृतिक हीरों के काफी हद तक समान होता है, बड़ी संख्या में शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। इससे बनाए गए जेवरात भी बड़ी मात्रा में निर्यात किए जा सकते हैं। क्यूबिक जिरकोनियम के देशज विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव कच्ची सामग्री अर्थात्, जिरकोनियम आक्साइड तथा इट्रियम आक्साइड पर आयात शुल्क को 150 प्रतिशत से अधिक के वर्तमान स्तर से कम करके 40 प्रतिशत करने का है।

116. हमारी सरकार, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में एक वायदा यह किया गया था कि किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने तथा ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य संसाधन तथा अन्य कृषि-आधारित उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभागृह छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि इन्हों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। ये 75 प्रतिशत किसान के बच्चे हैं ...... **(व्यवधान)** ... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसानों के लिए नही है और मैं सदन से वाकाऊट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसे नहीं है।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

[व्यवधान]

श्री मनमोहन सिंह : इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, मेरा प्रस्ताव कृषि-आधारित उत्पादों, जैसे कि चटनी, आचार, मक्खन, पनीर, मखनिया, दूध, बनस्पति तेल, जाम, जैली और जूस, डिब्बा बन्द फल तथा सुखाई गई सब्जियां, कतिपय सोया उत्पाद, स्टार्च और मांस व मछलियों के उत्पादों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है। मैं ऐसा अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, संसाधित कृषि उत्पादों पर खर्च हुई उपभोक्ता की आय में किसानों का हिस्सा

बढ़ाने, कृषि उत्पाद पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक कटाई-पश्चात् प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर रहा हूं। मुझे आशा है कि जिन उपायों का मैंने प्रस्ताव किया है, उनसे ऐसे उत्पादों की उपभोक्ता कीमतों में कुछ कमी आएगी जिससे बढ़ती हुई कीमतों के युग में दुखी उपभोक्ता को राहत मिलेगी। लगभग 84 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी, किन्तु मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में समग्र लाभ से राजकोष को होने वाली यह हानि प्रतिसन्तुलित हो जाएगी।

117. कृषि-आधारित जूट उद्योग को राहत के रूप में, जो चिरकालीन समस्याओं से ग्रस्त है, मेरा प्रस्ताव उन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 660 रुपए प्रति मी० टन से कम करके 330 रुपए प्रति मी० टन करने का है, जिनमें कम से कम 35 प्रतिशत जूट रेशा हो।

118. इस समय अनेक विनिर्दिष्ट थोक कीटनाशक तथा कीटनाशक मध्यवर्ती मदों पर रियायती आयात और निर्यात शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव कुछ और थोक कीटनाशकों तथा कीटनाशक मध्यवर्ती मदों पर रियायती शुल्क लागू करने का है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 11 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

119. साबुन बनाने के लिए गौण तेलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की एक धन क्रेडिट स्कीम प्रचलन में है। मेरा प्रस्ताव, साबुन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चावल की भूसी के तेल के सम्बन्ध में इस समय उपलब्ध 640 रुपये प्रति मी० टन के धन के क्रेडिट को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति मी० टन करने का है। इसके अतिरिक्त मेरा प्रस्ताव इस स्कीम के अन्तर्गत कुछ और गैर-परम्परागत तेलों व विलायक निस्सारित तेलों को शामिल करने का है। इससे वन क्षेत्रों में हमारी जनजातीय स्त्रियों के लिए कुछ और रोजगार के अवसर प्राप्त होने में मदद मिलेगी। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

120. अप्रत्यक्ष करों के प्रपाती प्रभाव को कम करने के लिए सन् 1986 में मोडवाट स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्योग द्वारा काफी स्वागत किया गया था और इसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की काफी मांग रही है। मेरा प्रस्ताव वातित जल के सम्बन्ध में इस स्कीम को फिर से लागू करने का है तथा इसका विस्तार करने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसके अन्तर्गत मानव निर्मित रेशों व फिलामेन्ट यार्न को भी उनकी निविष्टियों के सम्बन्ध में शामिल किया जा सके। इस स्कीम को रेशों और यार्न पर लागू करते समय मेरा प्रस्ताव उन रेशों तथा यार्न पर शुल्क बढ़ाने का नहीं है, जिनपर हाल ही में दिसम्बर, 1990 में शुल्क बढ़ाया गया था। अन्य रेशों तथा यार्न पर शुल्क दरों को समायोजित किया गया है ताकि उत्पाद शुल्कों से संग्रहों को पिछले स्तर पर बनाए रखा जा सके। लेकिन पोलीप्रोपलीन, मोनोफिलामेंट तथा मल्टीफिलामेन्ट यार्न पर शुल्क की दरें बढ़ाई जा रही हैं ताकि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। वातित जल के सम्बन्ध में भी मेरा प्रस्ताव कोई शुल्क बढ़ाने का नहीं है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 230 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। मुझे उम्मीद है कि इस लाभ को कीमतें कम करके उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाएगा।

121. मेरा प्रस्ताव पोलिएस्टर मिश्रित यार्न पर विद्यमान उत्पाद शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का है। अपवंचन-रोधी उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव, 40 प्रतिशत अथवा उससे कम

पोलिएस्टर वाले सूती फेब्रिक्स पर उसी दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का है जो 40 प्रतिशत से अधिक पोलिएस्टर वाले सूती फेब्रिक्स पर लागू है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 23 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

122. लोगों को जरूरी औषधियां वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास में, मेरा प्रस्ताव पांच विनिर्दिष्ट मिरगी-रोधी सूत्रों (फार्मूला) को पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का है। इस समय कुछ औषध मध्यवर्तियों तथा थोक औषधियों पर रियायती दर पर आयात शुल्क लगता है। मेरा इस रियायत को कुछ और औषध मध्यवर्तियों तथा थोक औषधियों पर भी लागू करने तथा कुछ और औषध मध्यवर्तियों पर उत्पाद शुल्क में रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है।

123. लघु, खादी और ग्रामोद्योगों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करने की अपनी वचन-बद्धता को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र में उत्पाद शुल्क में कुछ और रियायतें प्रदान करने का है। इस समय, पंजीकृत सहकारी समितियों, महिला समितियों अथवा खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित 100 रुपये प्रति जोड़े से अनधिक कीमत के जूते पूर्णतः मुक्त हैं। मेरा प्रस्ताव छूट की सीमा 150 रुपये प्रति जोड़े की कीमत तक बढ़ाने का है। इसके अलावा, मेरा प्रस्ताव, पंजीकृत समितियों, महिला समितियों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित विनिर्दिष्ट उत्पादों को उपलब्ध उत्पाद शुल्क की पूरी छूट का लाभ सिन्थेटिक डिटरजेंटों पर भी लागू करने का है।

124. अब मैं उन कुछ उपायों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्हें मैं हमारे पर्यावरण की सुरक्षा व परिस्थिति के परिरक्षण के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं। घटती हुई वनसम्पदा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने दुर्लभ साधनों का परिरक्षण करना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, अपशिष्ट कागज तथा कच्चे काष्ठ पर आयात शुल्क की वहीं दरें लागू करने का प्रस्ताव है जो 15 दिसम्बर, 1990 से पहले प्रचलित थीं। मेरा प्रस्ताव, एल्यूमिनियम के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके फ्रेमों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का भी है ताकि निर्माण कार्यकलापों में काष्ठ के स्थान पर एल्यूनिमियम के उपयोग को बढ़ावा मिले। फ्लाई ऐश, जो एक प्रदूषक पदार्थ है, के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव, 25 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश अथवा फोसफोजिप्सम वाले विभिन्न निर्माण संघटकों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है। मेरा प्रस्ताव, फोसफोजिप्सम को भी, जो उर्वरक उद्योग का एक उप-उत्पाद है, उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का है, ताकि किसानों द्वारा इसके प्रयोग को प्रोत्साहन मिले।

125. इस बात से शायद ही कोई असहमति व्यक्त करे कि हाल ही के समय में मैं सबसे ज्यादा परेशान वित्त मंत्रियों में से एक हूं। मेरे सम्मुख जो दूभर कार्य है उसके निष्पादन के लिए मुझे समाचार-पत्रों के सहयोग की जरूरत है। सद्भावना के तौर पर मेरा प्रस्ताव मानक न्यूजप्रिंट को आयात शुल्क से मुक्त करने का है, जिस पर इस समय 450 रुपए प्रति मी० टन का शुल्क लगता है। मैंने मुद्रण तथा समाचार-पत्र उद्योग द्वारा अपेक्षित कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनरी और उपस्कर पर आयात शुल्क की वहीं दरें लागू करने का प्रस्ताव किया है जो 15 दिसम्बर 1990 से पहले लागू थीं। समाचार-पत्रों के मान्यताप्राप्त कैमेरामेनों द्वारा फोटोग्राफिक सामान के निःशुल्क आयात की मौद्रिक सीमा वर्तमान 30,000 रुपए के स्तर से बढ़ाकर 60,000 रुपए की जा रही है। इन प्रस्तावों के

फलस्वरूप पूरे वर्ष में 9 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने दीजिए कि कल प्रातः के सम्पादकीय पढ़ने के बाद मैं इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर सकता हूं।

126. वित्त मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति होने के बाद मुझे अपना काफी समय कार्यालय में ही बिताना पड़ा है। यह स्वाभाविक है कि इससे मेरी पत्नी बहुत नाखुष है। यह सदन इस बात से सहमत होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं है, यदि देश के वित्त मंत्री के सम्बन्ध उसके अपने घर के वित्त मंत्री के साथ कटु हो जाएं। मेरा प्रस्ताव है कि एल्यू-मीनियम, तांबे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों के लिए फिलहाल उपलब्ध उत्पाद शुल्क से अदायगी की पूर्ण छूट को कुछ अन्य घरेलू मदों, विशेष रूप से टिफिन बक्सों पर लागू कर दिया जाए।

127. इसी बात ने मुझे यह प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया है कि अर्द्ध-स्वचालित प्रक्रिया द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट टेबलवेयर पर उत्पाद-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाय। घर में शांति बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए और साथ ही माउथ ब्लोन प्रक्रिया द्वारा ग्लासवेयर के विनिर्माण में श्रम की गहन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव ऐसे ग्लासवेयर पर उत्पाद शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत समान रूप से करने का है। कुछ लोग मेरे इस काम को पसंद नहीं करेंगे, परन्तु मुझे विश्वास है कि अधिकांश गृहिणियां जो कीमतों के बढ़ते हुए स्तर से दुःखी हैं मेरी इस कार्रवाई की सराहना करेंगी।

128. अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा कि अप्रत्यक्ष करों का जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। घोषणापत्र में सूचीबद्ध मदों में से इस समय नमक, साइकिलों, न्यूजप्रिंट, पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों तथा लिफाफों व स्टोव की कतिपय किस्मों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। सूती साड़ियों और धोतियों पर बिक्री कर के एवज में केवल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है, जो सारा का सारा राज्यों को मिलता है। मैंने पहले ही खाद्य तेलों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। 60 वाट तक के बिजली के बल्ब पहले ही उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। अब मेरा प्रस्ताव अधिक वाट वाले बल्बों को भी उत्पाद शुल्क की अदायगी से मुक्त करने का है, जिन पर इस समय एक रुपया प्रति बल्ब के हिसाब से शुल्क लगता है। ऊर्जा बचत वाले चूल्हे भी उत्पाद शुल्क से मुक्त होंगे। में 50 सी०सी० से अधिक किन्तु 75 सी० सी० से अनधिक इंजिन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

129. मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि मैंने जो कर राहत दी है वे स्वयं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में हमारे घोषणापत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बहुत छोटा कदम है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, मैं उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करता हूं कि वे हमारी सरकार के साथ मिलकर बैठें ताकि, वे प्रक्रियाएं तय की जा सकें जिनके अनुसार हमारे चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए कीमत संबंधी लक्ष्यों को आम आदमी की भलाई के लिए किस प्रकार अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सके।

130. पर्यटन, जो विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, को बढ़ावा देने के लिए मैं साहसिक खेलकूद से सम्बन्धित उपस्कर पर आयात शुल्क की दरों को, जो लगभग 100 से 300 प्रतिशत तक हैं, कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

131. रुपए के विनियम दर संबंधी हाल ही के समायोजन को देखते हुए, मैं सामान भत्ते एवं वास्तविक उपहारों की शुल्क-रहित सीमाएं उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं; उदाहरण के लिए व्यक्तिगत सामान के लिए सामान्य शुल्क रहित भत्ते को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए किया जा रहा है।

132. अब मैं अतिरिक्त राजस्व जुटाने से सम्बन्धित मुख्य प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

133. इस समय, मूल उत्पाद शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इसे बढ़ाकर मूल उत्पाद शुल्क का 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि विशेष उत्पाद शुल्क, मूल उत्पादन शुल्क का केवल एक प्रतिशतांक है, जिसका मूल्यों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु पर मूल उत्पाद शुल्क, मान लीजिए 20 प्रतिशत है, तो केवल एक प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। चाय, काफी, चीनी, किरोसीन, माचिस तथा वनस्पति, जो सर्वसाधारण के उपभोग की वस्तुएं हैं, इस विशेष उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि विशेष उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि डीजल तथा दुपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगी। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 1,010 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलेगा।

134. हमारे चुनाव घोषणापत्र में एक यह वायदा किया गया था कि विशिष्ट उपभोग पर नियंत्रण रखने के लिए नीतियां और उपाय तैयार किये जाएंगे। इसके अनुसरण में, मेरा प्रस्ताव रेफ्रीजिरेटरों, एयर कन्डीशनरों, जिनमें कम्प्रेसर भी सम्मिलित हैं, मोटर कारों, आडियो और वीडियो कैसेट टेपों, वीडियो कैसेटों, पिक्चर ट्यूबों, रंगीन टेलीविजन सेटों, वीसीआर तथा वीसीपी पर उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि करने का है।

135. मैं रेफ्रीजिरेटरों पर, उनकी क्षमता के अनुसार, 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक तथा एयर कन्डीशनरों पर 2,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के उत्पाद शुल्क की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करता हूं। मैं, 7.5 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले एयर कन्डीशनरों के कम्प्रेसरों पर उत्पाद शुल्क में 1,800 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखता हूं। इन प्रस्तावों से पूरे वर्ष में लगभग 91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

136. मोटर कारों पर इस समय 50 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इस उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन टैक्सियों पर 30 प्रतिशत की दर से लगने वाले शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रस्ताव मे प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

137. मैं आडियो कैसेट टेपों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तथा वीडियो कैसेट टेपों पर 10.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 29 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

138. टेलीविजन सेटों के सम्बन्ध में, मैंने इनके स्क्रीन के आकार के अनुसार उत्पाद शुल्क में 500 रुपए तथा 700 रुपए प्रति सेट की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। मैं रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर भी

उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं श्याम-श्वेत टेलीविजनों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रख रहा हूं तथा यह बोझ अब पिक्चर ट्यूबों पर पड़ेगा। मैं वी एच एस टाइप के वी सी आर तथा वी सी पी पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 400 रुपए तथा 250 रुपए और अन्य प्रकार के वी सी आर पर तथा वीसी पी पर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। इससे पूरे वर्ष में 66 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

139. धूम्रपान, जो कि स्वास्थ्य के लिए के लिए हानिकारक है, पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक वित्त मंत्री को कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ता है। मैं भी इस परम्परा का पालन करते हुए सिगरेट पर कर में वृद्धि करूंगा। मैं, फिल्टर-रहित सिगरट के सम्बन्ध में इनकी लम्बाई के अनुसार प्रति हजार सिगरेटों पर 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के शुल्क की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं। फिल्टर वाली सिगरेट पर35 रुपए से लेकर 125 रुपए प्रति हजार सिगरेट की दर से शुल्कमें वृद्धि होगी। लेकिन, 85 मि०मी० से अधिक आकार की फिल्टर वाली सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क टैरिफ में निर्धारित अधिकतम सीमा दर लागू होगी। इससे हमें पूरे वर्ष में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

140. ब्राण्ड वाली हस्त-निर्मित बीड़ियों पर 3.75 रुपए प्रति हजार की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। यद्यपि सिगरेटों पर शुल्क में लगभग हर वर्ष वृद्धि की गई है, परन्तु बीड़ियों पर 1986 से उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मेरे विचार से देश के राजकोष में अपने अंशदान में वृद्धि करने के अवसर से बीड़ी पीने वालों को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, मैं पेपर-रोल्ड बीड़ियों को छोड़कर, ब्रान्ड वाली हस्त निर्मित किस्म की बीड़ियों की पर शुल्क को बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति हजार करने का प्रस्ताव करता हूं। पेपर रोल्ड बीड़ियों पर 10 रुपए प्रति हजार की दर से शुल्क लगेगा। लेकिन अन्य हस्त निर्मित बीड़ियों की वर्तमान कर मुक्ति व्यवस्था जारी रहेगी। इससे पूरे वर्ष में 33 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

141. तम्बाकू रहित पान मसालों पर उत्पाद शुल्क विशिष्ट दर से लागू होता है। मैं इस पर उत्पाद शुल्क 5 रुपए और 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं, जो इसके मूल्य पर आधारित होगा। इससे पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

142. चीनी पर उत्पाद शुल्क, जिसे विशिष्ट आधार पर लगाया जाता है, में 1983 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यानुसार भार में कमी आई है, क्योंकि पिछली अवधि के दौरान चीनी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। मूल्यानुसार, लेवी वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क का वर्तमान भार, खुली बिक्री वाली चीनी पर भार की तुलना में अधिक है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए, मैं खुली बिक्री वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क को 50 रुपए प्रति क्विन्टल के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति क्विन्टल करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे खुली बिक्री वाली चीनी, जिसका मूल्य बाजार में लगभग 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, पर 21 पैसे प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त कर भार पड़ेगा। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 122 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली लेवी वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

143. मैं खांडसारी चीनी को, वस्तुओं की उस सूची में से, जिन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है, बाहर रखने का प्रस्ताव करता हूं। राज्य सरकारें, यदि चाहें तो, खांडसारी चीनी पर बिक्री कर लगा सकती हैं।

144. शीरा, जो कि चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है, पर अभी 120 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। शीरे के एक बड़े भाग का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। इन परिस्थितियों में इस पर अधिक दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, मैं शीरे पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति टन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इससे वर्ष में 13 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

145. सरकार द्वारा घोषित किए गए उपायों से होने वाले राजस्व परिणामों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

146. मैंने, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी टैरिफों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है। इनमें, इन्टर-नेशनल कन्वेंशन आन दि हारमोनाइज्ड सिस्टम की शर्तों के अनुरूप हमारे देश में अपनाए गए हारमोनाइज्ड कोमोडिटी डिस्क्रिप्शन एण्ड कोडिंग सिस्टम के संशोधनों पर आधारित सीमा शुल्क टैरिफ में कुछ परिणामतः संशोधन सम्मिलित है। ये संशोधन केवल समर्थनकारी प्रावधान है तथा इनसे राजस्व सम्बन्धी परिणामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, मौजूदा अधिसूचनाओं में से कुछेक में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं। सदन का समय बचाने की दृष्टि से मेरा उनके बारे में बताने का प्रस्ताव नहीं है।

147. उत्पाद शुल्कों में की गई बढ़ोत्तरियों से पूरे वर्ष के दौरान 1,799.00 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जब कि राहत की राशि 358.06 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार एक पूरे वर्ष में उत्पाद शुल्कों से 1,440.94 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसमें से राज्यों का हिस्सा 750.04 करोड़ रुपए होगा तथा शेष 690.90 करोड़ रुपए केन्द्र को प्राप्त होंगे। सीमा शुल्कों में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 822.52 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि तथा 78.00 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ प्राप्त होगा। सीमा शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप, एक पूरे वर्ष में 744.52 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी। इस प्रकार, सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले 696.42 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवल राजस्व की तुलना में, एक पूरे वर्ष में, राज्यों को 750.04 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जबकि केन्द्र को 53.62 करोड़ रुपए की हानि होगी।

148. सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों में परिवर्तनों को 25 जुलाई, 1991 से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

149. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव किए हैं, उनसे 2,139 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जिनमें से 97 करोड़ रुपए राज्यों को और 2,042 करोड़ रुपए केन्द्र को प्राप्त होंगे। सीमा शुल्क के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से चालू वर्ष में 510 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की हानि होगी तथा संघ उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रस्तावों के फलस्वरूप चालू वर्ष के शेष भाग में 988 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से राज्यों के हिस्से 515 करोड़ रुपए आएंगे तथा केन्द्र के हिस्से में 473 करोड़ रुपए आएंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में केन्द्र को 2,005 करोड़ रुपए

का निवल लाभ होने का अनुमान है और इसके साथ केन्द्र का बजटीय घाटा वर्तमान वर्ष के दौरान 7,719 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, राजस्व घाटा 13,854 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 37,727 करोड रुपए होगा।

150. महोदय, अब मैं अपने भाषण को लगभग समाप्त करता हूं। समाप्त करने के पूर्व मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगा। वर्षों पूर्व, एक पत्र में जिसे जवाहरलाल नेहरू ने युवा इंदिरा गांधी को लिखा था, उन्हें सलाह दी थी कि देश के कामकाज से निपटते समय एक व्यक्ति को भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए, परन्तु कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए। परन्तु, अगर मैं ऐसे अवसर पर कुछ भावुक होने से बच नहीं सकूं तो सदन मुझे क्षमा करेगा।

151. मेरा जन्म एक निर्धन परिवार में एक सतत रूप से सूखा ग्रस्त गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है। विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों और अनुदानों के फलस्वरूप मेरे लिए भारत तथा साथ ही इंग्लैण्ड में कॉलिज में शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका। इस देश ने अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके मुझे सम्मानित किया है। यह एक ऐसा ऋण है, जिसे मैं कभी भी पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। मैं सबसे अधिक यही कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने देश की सेवा करने का वचन दूं। मैं ऐसा करने के लिए सदन को वचन देता हूँ। एक वित्त मंत्री को सख्त होना पड़ता है। मैं ऐसा बनने का प्रयास करूंगा। जब राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की बात आएगी तो मैं दृढ़ रहूंगा। परन्तु मैं वादा करता हूँ कि भारत की जनता के बारे में सोचते समय मैं विनम्र रहूंगा। मैं किसी भी तरह अपने समानता और सामाजिक न्याय की खोज में राष्ट्र की दृढ़ और अटल वचनबद्धता से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं यह कभी नहीं भुलूंगा कि अन्तत: सभी आर्थिक प्रक्रियाएं हमारी जनता के हितों की सेवा करने के लिए हैं। सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता की खोज के लिए वचनबद्धता के माध्यम से ही हम अपने लोगों से संग्रहित राशि का, विकास के लिए अच्छी तरह से उपयोग कर सकते है, उसे एक ऊँचा नैतिक उद्देश्य प्रदान कर सकते है और राष्ट्रीय एकता की भावना को जीवित रख सकते हैं। मैं यह कभी नहीं भुलूंगा कि गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के संकट को दूर करने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक सुधार केवल तभी सफल हो सकते हैं, जब इनके पीछे उच्च आदर्शवादिता, आत्म-त्याग और निष्ठा की भावना निहित हो।

152. हमारा देश इस समय जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से दृढ़ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी पार्टी देश को एक प्रभावी सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारी जनता, हमारी मालिक है। हम महसूस करते हैं कि हमारी सरकार की भूमिका हमारी जनता को शक्ति प्रदान करने की होगी कि वे अपनी पूरी क्षमता का अहसास कर सकें। यह बजट, एक व्यापक दृष्किोण, हमारी एक सुविचारित कार्यनीति और भारत को एक बार फिर गतिशील बनाने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है।

153. महोदय, हम उस लम्बे और कठिन मार्ग की कठिनाइयों को कम करके नहीं बता रहे हैं, जिसपर हमने चलने का निश्चय किया है। परन्तु जैसा कि, विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, "विश्व में कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है"। मैं इस महान सदन को सुझाव देता हूँ कि विश्व में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उभरना एक ऐसा ही विचार

है। पूरे विश्व के सामने मैं जोर देकर और स्पष्टतः कहता हूं: अब भारत सजग है, हम विजयी होंगे, हम कामयाब होंगे।

154. इन शब्दों के साथ मैं अपना बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

7.00 म०प०

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक,* 1991

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री अब वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1991 पुरःस्थापित करने की अनुमती या प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991–92 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1991 पुरःस्थापित किया जा चुका है।

अब सभा 25 जुलाई, 1991 को ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.12 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई 1991/3 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*दिनांक 24-7-91 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

भा०स०मु०ना०—वि०1—189 एल०एस०एस०एन०डी०/91—20-5-92—225.